बहारे
शरीअत
11 से 20
मुसन्निफ
अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा
हिन्दी तर्जमा
अमीनुल क़ादरी बरेलवी
नाशिर
क़ादरी दारुल इशाअ़त

किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

PDF BY :
WASEEM AHMED RAZA KHAN AZHARI & TEAM
+91-8109613336

बहारे शरीअ़त

सत्रहवां हिस्सा

मुसन्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली–53
Mob:–921913242?

पेशे लफ़्ज़

यह बहारे शरीअत की किताबुलजनायात का वह हिस्सा है जो हज़रत उस्तादुनल'मुकर्रम फ़क़ीहुलअस्र सदरुश्शरीआ अल्लामा मौलाना मुफ़्ती अबुलउला मुहम्मद अमजदी अली साहब रज़वी आज़मी कुद्दिस सिर्रुहुल'अज़ीज़ मुकम्मल न कर सके थे और जिसके मुतअल्लिक मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने''अर्ज़े हाल''में तफ़सील बयान की है और इन अल'फ़ाज़ में वसियत फ़रमाई है कि ''इस का आख़िरी हिस्सा थोड़ासा बाक़ी रह गया है जो ज़्यादा से ज़्यादा तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता अगर तौफ़ीक़े इलाही सआदत करती और बक़िया मज़ामीन भी तहरीर में आ जाते तो फ़िक़्ह के जमीअ् अब्वाब पर यह किताब मुश्तमिल होती और किताब मुकम्मल होजाती और अगर मेरी औलाद, तलामिज़ा या उलमा–ए–अहले सुन्नत में से कोई साहिब इसका क़लील हिस्सा जो बाक़ी रह गया है इस की तकमील फ़रमादें तो मेरी ऐन ख़ुशी है''।

अलहम्दु लिल्लाह कि हज़रत मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा की वसियत के मुताबिक़ हमने यह सआदत हासिल करने की कोशिश की है और इसमें एहतिमाम बिल'इल्तिज़ाम किया है कि मसाइल के मआख़ज़े कुतुब के सफ़हात के नम्बर और जिल्द नम्बर भी लिख दिये हैं ताकि अहले इल्म को मआख़ज़ तलाश करने में आसानी हो अकस्र कुतुबे फ़िक़ह के हवाला'जात नक़ल कर दिये हैं जिन पर आज कल फ़तावा का मदार है हज़रत मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा के तरज़े तहरीर को हत्तल'इमकान बरक़रार रखने की कोशिश की गई है फ़िक़्ही मोशिगाफ़ियों और फ़ुक़्हा के क़ील व क़ाल को छोड़कर सिर्फ़ मुफ़्ता'बिही अक़वाल को सादा और आम फ़हम ज़बान में लिखा गया है ताकि कम तअलीम याफ़्ता सुन्नी भाईयों को भी इसके पढ़ने और समझने में दुश्वारी पेश न आये। तस्हीहे किताबत में हत्तल'मक़दूर, दीदा रेज़ी से काम लिया गया है फिर भी अगर कहीं अग़लात रह गई हों तो इसके लिये क़ारेईने किराम से मअ्ज़रत ख़्वाह हैं आख़िर में मुहिब्बे मुकर्रम हज़रत अल्लामा अब्दुल'मुस्तफ़ा अलअज़हरी मद्द'ज़िल्लहुल आली शैख़ुल'हदीस दारुल उलूम अमजदिया व मिम्बर क़ौमी असेम्बली पाकिस्तान व अज़ीज़े मुकर्रम मौलाना हाफ़िज़ क़ारी रज़ाउलमुस्तफ़ा साहिब आज़मी सल्लमहू ख़तीबे न्यूमोमिन मस्जिद बोल्टन मार्केट करॉची के शुक्रगुज़ार हैं कि उन हज़रात ने अपने वालिद माजिद हज़रत मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा की वसियत की तकमील के लिये हमारा इन्तिख़ाब फ़रमाया। हम अपनी हक़ीर ख़िदमत को हज़रत सदरुश्शरीआ बदरुत्तरीक़ा उस्ताज़ोनल'अल्लाम अबुलउला मुहम्मद अमजदी अली साहब रज़वी कुद्दिस सिर्रुहुल'अज़ीज़ मुसन्निफ़ **''बहारे शरीअत''** की बारगाह में बतौर नज़रानाए अक़ीदत पेश करते हैं और इसका सवाब व अज्र उनकी रुह पुर फ़ुतूह को ईसाल करते हैं और बारगाहे इज़्द व मुतआल में दस्त ब'दुआ हैं कि इस किताब के बक़िया दो हिस्सों की तकमील व तस्नीफ़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन

मुहम्मद वक़ारुद्दीन क़ादिरी रज़वी बरेलवी ग़ुफ़िर'लहू
नाइब शैख़ुलहदीस दारुलउलूम अमजदिया
आलमगीरी रोड करांची –5

फ़क़ीर
महबूब रज़ा ग़ुफ़िर'लहू
मुफ़्ती दारुलउलूम अमजदिया कराची,
यकुम जनवरी 1977ई

हिन्दी अनुवाद
मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी
मो0:–09219132423

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

वसियत

फ़कीहे आज़म हिन्द हज़रत सदरुश्शरीआ अलैहिर्रहमा

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हामिदन लिवलिय्येही व मुसल्लियन व मुसलिमन अला हबीबिही व अला आलिही व सहबिही अजमईन

अम्मा बाद फ़कीर पुर तक़सीर अबुलउला मुहम्मद अमजद अली आज़मी उफ़िय अन्हु मुतवत्तिन घोसी, मोहल्ला करीमुद्दीन पुर, ज़िला आज़मगढ़ अर्ज़ परदाज़ है कि ज़रुरते ज़माना ने इस तरफ़ तवज्जोह दिलाई कि मसाइले फ़िक़्हिया सहीहा व रजीहा का एक मजमूआ उर्दू ज़बान में बिरादराने इस्लाम की ख़िदमत में पेश किया जाये इस तरह पर कि हमारे अवाम भाई उर्दू ख़्वाँ भी मुन्तफ़ेअ़ (फ़ायदा उठा सकें) हो सकें और अपनी ज़रूरतियात में इस से काम लेसकें उर्दू ज़बान में अब तक कोई ऐसी किताब तस्नीफ़ नहीं हुई थी जो सहीह मसाइल पर मुश्तमिल हो और ज़रुरियात के लिये काफ़ी व वाफ़ी हो फ़कीर ब'वजहे कस्रते मशाग़िले दीनिया इतनी फ़ुरसत नहीं पाता था कि इस काम को पूरे तौर पर अन्जाम देसके मगर हालाते ज़माना ने मजबूर किया और इसके लिये थोड़ी फ़ुरसत निकालनी पड़ी जब कभी फ़ुरसत हाथ आजाती इस काम को क़द्रे अन्जाम दे लेता तदरीस की मश्गूलियत और इफ़ता वग़ैरा चन्द दीनी काम ऐसे अन्जाम देने पड़ते जिनकी वजह से तस्नीफ़े किताब के लिये फ़ुरसत न मिलती मगर अल्लाह पर तवक्कुल करके जब यह काम शुरुअ़ करदिया गया तो बुजुर्गाने किराम और मशाइख़े इज़ाम और असातिज़ा अअ़लाम की दुआओं की बरकत से एक हद तक इसमें कामयाबी हासिल हुई इस किताब का नाम **"बहारे शरीअ़त"** रखा जिसके बि'फ़ज़्लिहि तआ़ला सत्रह हिस्से मुकम्मल होचुके और बिहम्दिही तआ़ला यह किताब मुसलमानों में हद दर्जा मक़बूल हुई अवाम तो अवाम अहले इल्म के लिये भी निहायत कारआमद साबित हुई इस किताब की तस्नीफ़ में उमूमन यही हुआ है कि माहे रमज़ान मुबारक की तअ़तीलात में जो कुछ दूसरे कामों से वक़्त बचता इसमें कुछ लिख लिया जाता यहाँ तक कि जब 1939ई की जंग शुरुअ़ हुई और काग़ज़ का मिलना निहायत मुश्किल होगया और इसकी तबअ़ (छापने) में दुश्वारियाँ पेश आगई तो इसकी तस्नीफ़ का सिल्सिला भी जो कुछ था वह भी जाता रहा और यह किताब उस हद तक पूरी न होसकी जिसका फ़क़ीर ने इरादा किया था बल्कि अपना इरादा तो यह था कि इस किताब की तकमील के बाद इसी नहज पर एक दूसरी किताब और भी लिखी जायेगी जो तसव्वुफ़ और सुलूक के मसाइल पर मुश्तमिल होगी जिसका इज़हार इस से पेश्तर नहीं किया गया था होता वही है जो ख़ुदा चाहता है चन्द साल के अन्दर मुतअ़द्दिद हवादिसे पैहम ऐसे दर'पेश हुए जिन्होंने इस क़ाबिल भी मुझे बाक़ी न रखा कि **"बहारे शरीअ़त"** की तस्नीफ़ को हद्दे तकमील तक पहुँचाता 7 शअ़बान 1358 हिजरी को मेरी एक जवान लड़की का इन्तिक़ाल हुआ और 25 रबीउ़ल'अव्वल 1359हिजरी को मेरा मन्झला लड़का मौलवी मुहम्मद यहया मरहूम का इन्तिक़ाल हुआ शब दहम रमज़ानुल'मुबारक 1359हिजरी को बड़े लड़के मौलवी हकीम शम्सुलहुदा ने रेहलत की।

20रमज़ानुल'मुबारक 1362हिजरी को मेरा चौथा लड़का अ़ताउलमुस्तफ़ा का दादों ज़िला अ़लीगढ़ में इन्तिक़ाल हुआ और उसी दौरान में मौलवी शमसुलहुदा मरहूम की तीन जवान लड़लियों का और उनकी अहलिया का और मौलवी मुहम्मद यहया मरहूम के एक लड़के का और मौलवी अ़ताउल मुस्तफ़ा मरहूम की अहलिया और बच्ची का इन्तिक़ाल हुआ इन पैहम हवादिस् ने क़ल्ब व दिमाग़ पर काफ़ी अस़र डाला यहाँ तक कि मौलवी अ़ताउलमुस्तफ़ा मरहूम के सोम के रोज़ जब कि फ़क़ीर तिलावते कुर्आन मजीद कर रहा था आँखों के सामने अन्धेरा मालूम होने लगा और इसमें बराबर

तरक्की होती रही और नज़र की कमज़ोरी अब इस हद तक पहुँच चुकी है कि लिखने पढ़ने से मअ़ज़ूर हूँ। ऐसी हालत में **"बहारे शरीअत"** की तकमील मेरे लिये बिल्कुल दुश्वार होगई और मैंने अपनी इस तस्नीफ़ को इस हद पर ख़त्म कर दिया गोया अब इस किताब को कामिल व अकमल भी कहा जा सकता है मगर अभी इसका आखिरी थोड़ा हिस्सा बाक़ी रहगया है जो ज़्यादा से ज़्यादा तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता अगर तौफ़ीक़े इलाही सआदत करती और बक़िया मज़ामीन भी तहरीर में आ जाते तो फ़िक़्ह के जमीअ़ अब्वाब पर यह किताब मुश्तमिल होती और किताब मुकम्मल होजाती और अगर मेरी औलाद या तलामिज़ा या उलमाए अहले सुन्नत में से कोई साहिब इस का क़लील हिस्सा जो बाक़ी रह गया है इस की तकमील फ़रमायें तो मेरी खुशी है मुहर्रम 1362हिजरी में फ़क़ीर ने चन्द तलबा खुसूसन अज़ीज़ी मौलवी मुबीनुद्दीन साहिब अमरोहवी व अज़ीज़ी मौलवी सय्यद ज़हीर अहमद साहिब नगीनावी व हबीबी मौलवी हाफ़िज़ क़ारी महबूब रज़ा साहिब बरेलवी व अज़ीज़ी मौलवी मुहम्मद ख़लील मारहरवी के इसरार पर शरह मआनियुलआसार मअ़रुफ़ ब तहावी शरीफ़ का तहशिया शुरुअ़ किया था कि यह किताब निहायत मअ़रकतुलआरा हदीस़ व फ़िक़्ह की जामेअ़ हवाशी से ख़ाली थी। उस्ताज़ोनलमोअज़्ज़म हज़रत मौलाना वसी अहमद साहब मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इस किताब पर कहीं कहीं कुछ तअ़लीक़ात तहरीर फ़रमाई हैं जो बिल्कुल तलबा के लिये काफ़ी हैं मुकम्मल व मुफ़स्सल हाशिया की अशद ज़रूरत थी इस तहशिया का काम सन् मज़कूरा में तक़रीबन सात माह तक किया मगर मौलवी अताउलमुस्तफ़ा की अलालते शदीदा फिर उनके इन्तिक़ाल ने इस काम का सिल्सिला बन्द करने पर मजबूर किया जिल्दे अव्वल का निस्फ़ बिफ़ज़्लिही तआला मुहश्शा हो चुका है जिसके सफ़हात की तअ़दाद बारीक क़लम से 450 हैं और हर सफ़हा 35 या 36 सत्र पर मुश्तमिल है अगर कोई साहब इस काम को भी आखिर तक पहुँचायें तो मेरी ऐन खुशी है ख़सूसन अगर मेरे तलामिज़ा में से किसी को ऐसी तौफ़ीक़ नसीब हो और इस किताब के तहशिया की खिदमत अन्जाम दें तो उनकी ऐन सआदत और मेरी क़ल्बी मसर्रत की बाइस होगी।

सबसे आख़िर में उन तमाम हज़रात से जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करें फ़क़ीर की इल्तिजा है कि वह समीमे क़ल्ब से इस फ़क़ीर के लिए हुस्ने ख़ातिमा और मग़फ़िरते ज़ुनूब की दुआ करें मौला तबारक व तआला उनको और इस फ़क़ीर को सिराते मुस्तक़ीम पर क़ाइम रखे और इत्तिबाए़ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। अमीन!

والحمد للّٰہ ربّ العٰلمیْن و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیرِ خلقہٖ و قاسم رزقہٖ سید نا و مولانا محمد و الہٖ واصحابہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الرّٰحمین.و اخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.

فقیر
امجد علی عفی عنہ
قادری منزل بڑا گاؤں گھوسی اعظم گڑھ یوپی-

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدهٗ و نصلی علیٰ رسولہٖ الکریم ط

जनायात का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

﴿يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ط اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ط فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ط ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (پ٢ ع ٦)﴾

तर्जमा:– "ऐ ईमान वालो क़िसास यानी जो नाहक़ क़त्ल किये गये उनका बदला लेना तुम पर फ़र्ज़ किया गया आज़ाद के बदले आज़ाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत तो जिसके लिये उसके भाई की तरफ़ से कुछ मुआफ़ी हो तो भलाई से तक़ाज़ा करे और अच्छी तरह से उसको अदा करदे यह तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे लिये आसानी है और तुम पर मेहरबानी है अब इसके बाद जो ज़्यादती करे उसके लिए दर्दनाक अ़ज़ाब है और तुम्हारे लिये ख़ून का बदला लेने में ज़िन्दगी है ऐ अक़्ल वालो ताकि तुम बचो"।

और फ़रमाता है।

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ لا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ لا وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ط فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ط وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ﴾

तर्जमा:– "और हम ने तौरैत में उन पर वाजिब किया कि जान के बदले जान और आँख के बदले आँख और नाक के बदले नाक और कान के बदले कान और दांत के बदले दाँत और ज़ख़्मों में बदला है फिर जो मुआफ़ करदे तो वह इस के गुनाह का कफ़्फ़ारा है और जो अल्लाह के नाज़िल किये हुए पर हुक्म न करे वही लोग ज़ालिम हैं"।

हदीस् (1) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह़ में इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत करते हैं उन्होंने फ़रमाया कि बनी इस्राईल में क़िसास का हुक्म था और उनमें दियत न थी तो अल्लाह तआ़ला ने इस उम्मत के लिये फ़रमाया (الاٰية) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा फ़रमाते हैं अ़फ़्व (मुआफ़ करना) यह है कि क़त्ले अ़मद में दियत क़बूल करे और इत्तिबाए बिल्मअ़रूफ़ यह है कि भलाई से त़लब करे और क़ातिल अच्छी त़रह़ अदा करे।

और फ़रमाता है।

﴿مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ج كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط (پ ٦ ع ٨)﴾

"इसी सबब से हमने बनी इस्राईल पर लिख दिया कि जिसने कोई जान क़त्ल की बिग़ैर जान के बदले या ज़मीन में फ़साद किये तो गोया उसने सब लोगों को क़त्ल किया और जिसने एक जान को ज़िन्दा रखा तो गोया उसने सब इन्सानों को ज़िन्दा रखा और फ़रमाता है"।

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ج وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ط فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ط وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ م بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ج فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا (پ ٥ ع ٩)﴾

तर्जमा:– "और मुसलमान को नहीं पहुँचता कि मुसलमान का ख़ून करे मगर ग़लती के तौर पर और जो किसी मुसलमान को ना दानिस्ता क़त्ल करे तो उसपर एक गुलाम मुस्लिम का आज़ाद करना है और ख़ून बहा कि मक़तूल के लोगों को दिया जाये मगर यह कि वह मुआफ़ करदें। फिर वह अगर उस क़ौम से है जो तुम्हारी दुश्मन है और वह खुद मुसलमान है तो सिर्फ़ एक मम्लूक मुसलमान का आज़ाद करना है और अगर वह उस क़ौम में हो कि तुममें और उनमें मुआहिदा है तो उसके लोगों को 'ख़ूनबहा' सिपुर्द किया जाये और एक मुसलमान मम्लूक को आज़ाद किया जाये। फिर जो न पाये वह लगातार दो महीने के रोज़े रखे यह अल्लाह से उसकी तौबा है अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है और जो कोई मुसलमान को जान बूझ कर क़त्ल करे तो उसका बदला जहन्नम है कि उस में मुद्दतों रहे और अल्लाह ने उस पर ग़ज़ब फ़रमाया और उस पर लअ़नत की और उस पर बड़ा अ़ज़ाब तैयार कर रखा है"।

हदीस् (1) इमाम बुख़ारी व मुस्लिम ने सहीहैन में अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु

से रिवायत की है कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "किसी मुसलमान मर्द का जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवही और मेरी रिसालत की शहादत देता है ख़ून सिर्फ़ तीन सूरतों में से किसी एक सूरत में हलाल है। नफ़्स के बदले में नफ़्स, सय्यिब जानी (शादी शुदा जानी) और अपने मज़हब से निकल कर जमाअते अहले इस्लाम को छोड़दे।

हदीस (2) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मुसलमान अपने दीन के सबब कुशादगी में रहता है जब तक कोई हराम ख़ून न करले"।

हदीस (3) सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "कियामत के दिन सबसे पहले ख़ूने नाहक़ के बारे में लोगों के दरम्यान फ़ैसला किया जायेगा"।

हदीस (4) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जिसने किसी मुआहिद (जिम्मी) को क़त्ल किया वह जन्नत की ख़श्बू न सूंघेगा और बेशक जन्नत की ख़ुश्बू चालीस बरस की मुसाफ़त तक पहुँचती है"।

हदीस (5,6) इमाम तिर्मिज़ी और निसाई अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से और इब्ने माजा बर्राअ बिन आज़िब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वल्लम ने फ़रमाया "बेशक दुनिया का ज़वाल अल्लाह तआला पर आसान है एक मर्द मुस्लिम के क़त्ल से"।

हदीस (7,8) इमाम तिर्मिज़ी अबू सईद और अबूहैरेरा रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि अगर आसमान व ज़मीन वाले एक मर्द मोमिन के ख़ून में शरीक होजायें तो सब को अल्लाह तआला जहन्नम में औंधा करके डालदेगा।

हदीस (9) इमाम मालिक ने सईद इब्ने मुसय्यब रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि उमर इब्ने ख़त्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु ने पाँच या सात नफ़्र (आदमियों को) को एक शख़्स को धोका देकर क़त्ल करने की वजह से क़त्ल कर दिया और फ़रमाया कि अगर सन्आ (यमन का दारुल हुकूमत) के सब लोग इस ख़ून में शरीक होते तो मैं सब को क़त्ल कर देता इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में उसी के मिस्ल इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की है।

हदीस (10) दारे कुतनी हज़रत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जब एक मर्द दूसरे को पकड़ले और कोई और आकर क़त्ल करदे तो क़ातिल क़त्ल कर दिया जायेगा और पकड़ने वाले को क़ैद किया जायेगा"।

हदीस (11) इमाम तिर्मिज़ी व इमाम शाफ़ेई हज़रत अबी शरीह कअबी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रामाया "फिर तुमने ऐ क़बीलाए खुज़ाआ हुज़ैल (अरब का एक क़बीला) के आदमी को क़त्ल कर दिया अब मैं उसकी दियत खुद देता हूँ। इसके बाद जो कोई किसी को क़त्ल करे तो मक़तूल के घर वाले दो चीज़ों में से एक चीज़ इख़्तियार करें अगर पसन्द करें तो क़त्ल करें और अगर वह चाहें तो ख़ूं बहा लें।

हदीस (12) सहीहैन में अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी कि हज़रत रबीअ ने जो अनस इब्ने मालिक की फूफी थीं एक अन्सारिया औरत के दांत तोड़ दिये तो वह लोग नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए हुज़ूर ने किसास का हुक्म फ़रमाया हज़रत अनस के चचा अनस बिनिन्नस्र ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़सम अल्लाह की उनके दांत नहीं तोड़े जायेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "ऐ अनस! अल्लाह का हुक्म किसास का है उसके बाद वह लोग राज़ी होगये और उन्होंने दियत क़बूल करली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह के बाज़ बन्दे ऐसे हैं

कि अगर अल्लाह पर क़सम खायें तो अल्लाह तआला उनकी क़सम को पूरा कर देता है''।

ह़दीस् (13) इमाम बुख़ारी अपनी सह़ीह़ में अबू जुहैफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु से कहते हैं कि मैंने हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वजहहु से पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कुर्आन में नहीं तो उन्होंने फ़रमाया क़सम उस ज़ात की जिसने दाने को फाड़ा और रूह़ को पैदा फ़रमाया, हमारे पास वही है जो कुर्आन में है मगर अल्लाह ने जो कुर्आन की समझ किसी को देदी और हमारे पास वही है जो इस सह़ीफ़ा में है ''मैंने कहा ' इस सह़ीफ़ा में क्या है? तो फ़रमाया दियत और उसके अह़काम और क़ैदी को छुड़ाना और यह कि कोई मुस्लिम किसी काफिर (हर्बी) के बदले में क़त्ल न किया जाये।

ह़दीस् (14) अबूदाऊद व निसाई ह़ज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआला अन्हु से और इब्ने माजा इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''मुसलमानों के ख़ून बराबर हैं और उनके अदना के ज़िम्मे को पूरा किया जायेगा और जो दूर वालों ने ग़नीमत ह़ासिल की हो वह सब लश्करियों को मिलेगी और वह दूसरे लोगों के मुक़ाबिले में एक हैं। ख़बरदार कोई मुसलमान किसी काफ़िर (हर्बी) के बदले क़त्ल न किया जाये और न कोई ज़िम्मी जब तक वह ज़िम्मे में बाक़ी है''।

ह़दीस् (15) तिर्मिज़ी और दारमी इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''ह़दें मस्जिद में क़ाइम न की जायें और अगर बाप ने अपनी औलाद को क़त्ल किया हो तो बाप से क़िसास नहीं लिया जायेगा''।

ह़दीस् (16) तिर्मिज़ी सुराक़ा बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ,हुज़ूर बाप के क़िसास में बेटे को क़त्ल करते और बेटे के क़िसास में बाप को क़त्ल न करते यानी अगर बेटे ने बाप को क़त्ल किया तो बेटे से क़िसास लेते और बाप ने बेटे को क़त्ल किया हो तो बाप से क़िसास न लेते।

ह़दीस् (17) अबूदाऊद व निसाई अबू रिमसा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में ह़ाज़िर हुआ। हुज़ूर ने दरयाफ़्त किया, यह कौन है ? मेरे वालिद ने कहा यह मेरा लड़का है आप इस के गवाह रहें हुज़ूर ने फ़रमाया, ख़बरदार न यह तुम्हारे ऊपर जनायत कर सकता है और न तुम इस पर जनायत कर सकते हो। (बल्कि जो जनायत करेगा वही माखुज़ होगा)

ह़दीस् (18) इमाम तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा व दारमी अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि ह़ज़रत उसमान रदियल्लाहु तआला अन्हु के घर का जब बाग़ियों ने मुह़ासरा किया तो खिड़की से झांक कर फ़रमाया कि मैं तुमको ख़ुदा की क़सम दिलाता हूँ क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि ''किसी मर्द मुस्लिम का ख़ून ह़लाल नहीं है मगर तीन वजहों से एह़सान के बाद ज़िना (शादी शुदा होने के बाद ज़िना) से या इस्लाम के बाद कुफ़्र से या किसी नफ़्स को बिग़ैर किसी नफ़्स के क़त्ल कर देने से'' उन्हीं वुजूह से क़त्ल किया जायेगा क़सम ख़ुदा की न मैंने ज़मानए कुफ़्र में ज़िना किया और न ज़मानाए इस्लाम में, और जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम से बैअ़त की मुर्तद नहीं हुआ और किसी ऐसी जान को जिसे अल्लाह तआला ने ह़राम फ़रमाया क़त्ल नहीं किया फिर तुम मुझे क्यों क़त्ल करते हो।

ह़दीस् (19) अबूदाऊद ह़ज़रत अबूदरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन तेज़ रू और सालेह़ रहता है जब तक ह़राम ख़ून न करले और जब ह़राम ख़ून कर लेता है तो अब वह थक जाता है।

ह़दीस् (20) अबूदाऊद उन्हीं से और निसाई मुआ़विया रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उम्मीद है कि गुनाह को अल्लाह

बख़्श देगा मगर उस शख़्स को न बख़्शेगा जो मुश्रिक ही मरजाये या जिसने किसी मर्दे मोमिन का क़स्दन नाहक़ क़त्ल किया। (इस की तावील आगे आयेगी)

हदीस् (21) इमाम तिर्मिज़ी ने अम्र बिन शुऐब अन अबीहि अन जद्दिही रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "जिसने नाहक़ जान बूझ कर क़त्ल किया वह औलियाए मक़्तूल को दे दिया जायेगा। पस वह अगर चाहें क़त्ल करें और अगर चाहें दियत लें"।

हदीस् (22) दारमी ने इब्ने शुरैह खुज़ाई रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना है कि "जो इस बात के साथ मुब्तला हो कि उसके यहाँ कोई क़त्ल होगया या ज़ख़्मी होगया तो तीन चीज़ों में से एक इख़्तियार करे। अगर चौथी चीज़ का इरादा करे तो उसके हाथ पकड़ लो (यानी रोक दो) यह इख़्तियार है कि क़िसास ले या मुआफ़ करे या दियत ले फिर उन तीनों बातों में से एक को इख़्तियार करने के बाद अगर कोई ज़्यादती करे तो उसके लिये जहन्नम है जिसमें वह हमेशा हमेशा रहेगा।

हदीस् (23) अबूदाऊद जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मैं उसको मुआफ़ नहीं करूँगा जिसने दियत लेने के बाद क़त्ल किया"।

हदीस् (24) इमाम तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अबूदाऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की वह कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि "जिस के जिस्म में कोई ज़ख़्म लग जाये फिर वह उसका सदक़ा करदे (मुआफ़ करदे) तो अल्लाह उसका एक दर्जा बढ़ाता है और एक गुनाह मुआफ़ करता है"।

हदीस् (25) इमाम बुख़ारी अपने सहीह में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से रिवायत करते हैं कि एक मर्द ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौनसा गुनाह अल्लाह के नज़्दीक बड़ा है? फ़रमाया कि अल्लाह का कोई शरीक बताये हालांकि अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया अर्ज़ की फिर कौनसा गुनाह ? फ़रमाया फिर यह कि अपनी औलाद को इस डर से क़त्ल करे कि वह तुम्हारे साथ खायेगी कहा फिर कौनसा? इरशाद फ़रमाया फिर यह कि अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करो पस अल्लाह ने इस की तस्दीक़ नाज़िल फ़रमाई :

﴿وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ۝ اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

तर्जमाः– और वह जो अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पूजते और उस जान को जिसे अल्लाह ने हराम किया नाहक़ क़त्ल नहीं करते और बदकारी नहीं करते और जो यह काम करे वह सज़ा पायेगा। उसके लिये चन्द दर चन्द (बहुत ज़्यादा) अज़ाब किया जायेगा और वह उसमें मुद्दतों ज़िल्लत के साथ रहेगा, मगर जो तौबा करले और ईमान लाये और अच्छे काम करे अल्लाह ऐसे लोगों के गुनाहों को नेकियों से बदल देगा और अल्लाह मग़्फ़िरत वाला रहम वाला है।

हदीस् (26) इमाम बुख़ारी ने अपनी सहीह में उबादा बिन सामित रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की है वह कहते हैं कि मैं उन नुक़बा से हूँ जिन्होंने (लैलतुलउक़बा) में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बैअत की हमने उस बात पर बैअत की थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करेंगे और ज़िना न करेंगे और चोरी न करेंगे और ऐसी जान को क़त्ल न करेंगे जिसको अल्लाह ने हराम फ़रमाया और लूट न करेंगे और ख़ुदा की नाफ़रमानी न करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो हम को जन्नत दी जायेगी और अगर इनमें से कोई काम हमने किया तो इस का फ़ैसला अल्लाह की तरफ़ है।

हदीस् (27) इमाम बुख़ारी अपनी सहीह में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रावी हैं कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह के नज़्दीक सब लोगों से ज़्यादा मबग़ूज़ तीन शख़्स हैं हरम में इलहाद करने वाला और इस्लाम में तरीक़ाए जाहिलयत का तलब

करने वाला और किसी मुसलमान शख़्स का नाहक़ ख़ून तलब करने वाला ताकि उसे बहाये''।
हदीस (28) इमाम अबूजअ़फ़र तहावी ने अपनी किताब शरह मआनियुलआसार में नोअ़मान रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''क़िसास में क़त्ल तलवार ही से होगा''।

मसाइले फ़िक़्हिया

मसअला.1:– क़त्ले ना'हक़ की पाँच सूरतें हैं (1)क़त्ले अ़मद (2)क़त्ले शुबह अ़मद (3)क़त्ले ख़ता (4)क़ाइम मक़ाम ख़ता (5)क़त्ल बिस्सबब। क़त्ले अ़मद यह है कि किसी धारदार आले से क़स्दन क़त्ल करे। आग से जला देना भी क़त्ले अ़मद ही है। धारदार आला मसलन तलवार, छुरी, या लकड़ी और बांस की खपच्ची में धार निकाल कर क़त्ल किया या धारदार पत्थर से क़त्ल किया लोहा, तांबा और पीतल वग़ैरा की किसी चीज़ से क़त्ल करेगा, अगर इस से जरह यानी ज़ख़्म हुआ तो क़त्ले अ़मद है, मसलन छुरी, ख़न्जर, तीर, नेज़ा, बल्लम वग़ैरा कि यह सब आलाए जारिहा हैं गोली और छर्रे से क़त्ल हुआ यह भी इसी में दाख़िल है। (हिदाया जिल्द 4 स.559)

मसअला.2:– क़त्ले अ़मद का हुक्म यह है कि ऐसा शख़्स निहायत सख़्त गुनाहगार है। (दुर्रेमुख़्तार) कुफ़्र के बाद तमाम गुनाहों में सब से बड़ा गुनाह क़त्ल है क़ुर्आनमजीद में फ़रमाया:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا﴾ (پ۵ع۹)

तर्जमा :– जो किसी मोमिन को क़स्दन क़त्ल करे उसकी सज़ा जहन्नम में रहना है

ऐसे शख़्स की तौबा क़बूल होती है या नहीं इसके मुतअ़ल्लिक़ सहाबा किराम में इख़्तिलाफ़ है जैसा कि कुतुबे हदीस में यह बात मज़कूर है। सहीह यह है कि उसकी तौबा भी क़बूल हो सकती है और सहीह यह है कि ऐसे क़ातिल की भी मग़फ़िरत हो सकती है अल्लाह तआ़ला की मशीयत में है अगर वह चाहे तो बख़्श दे जैसाकि क़ुर्आन मजीद में फ़रमाया।

﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾

''बेशक अल्लाह शिर्क यानी कुफ़्र को तो नहीं बख़्शेगा इससे नीचे जितने गुनाह हैं जिसके लिये चाहेगा मग्फ़िरत फ़रमादेगा''

और पहली आयत का यह मतलब बयान किया जाता है कि मोमिन को जो बहैसियत मोमिन क़त्ल करेगा या उसके क़त्ल को हलाल समझेगा वह बेशक हमेशा जहन्नम में रहेगा या ख़ुलूद से मुराद बहुत दिनों तक रहना है।

मसअला.3:– क़त्ले अ़मद की सज़ा दुनिया में फ़क़त क़िसास है यानी यही मुतअ़य्यन है हाँ अगर औलिया–ए–मक़तूल मुआ़फ़ करदें या क़ातिल से माल लेकर मुसालहत करलें तो यह भी हो सकता है मगर बिग़ैर क़ातिल की मर्ज़ी के अगर माल लेना चाहें तो नहीं हो सकता यानी क़ातिल अगर क़िसास को कहे तो औलिया–ए–मक़तूल उससे माल नहीं ले सकते माल पर मुसालहत की सूरत में दियत के बराबर या कम या ज़्यादा तीनों ही सूरतें जाइज़ हैं। यानी माल लेने की सूरत में यह ज़रूरी नहीं कि दियत से ज़्यादा न हो और जिस माल पर सुलह हुई वह दियत की क़िस्म से हो या दूसरी जिन्स से हो दोनों सूरतों में कमी बेशी हो सकती है।(आलमगीरी स.3 जिल्द 6,दुर्रे मुख़्तार व शामी)

मसअला.4:– क़त्ले अ़मद में क़ातिल के ज़िम्मे कफ़्फ़ारा वाजिब नहीं(तहतावी स. 285 जि.4)

मसअला.5:– अगर औलिया (मक़तूल के वारिस) में से किसी एक ने मुआ़फ़ कर दिया तो भी बाक़ी के हक़ में क़िसास साक़ित होजायेगा लेकिन दियत वाजिब होजायेगी। (तबईनुल'हक़ाइक़ स. 99 जिल्द 6)

मसअला.6:– औलियाए मक़तूल ने अगर निस्फ़ क़िसास मुआ़फ़ कर दिया तो कुल ही मुआ़फ़ होगया यानी इसमें तज्ज़ी (हिस्सा करना) नहीं हो सकती अब अगर यह चाहें कि बाक़ी निस्फ़ के मुक़ाबिल में माल लें यह नहीं हो सकता। (शलबी बर तबईन स. 99 जि. 6)

मसअला.7:– क़त्ल की दूसरी क़िस्म शुब्हे अ़मद है वह यह कि क़स्दन क़त्ल करे मगर असलह से या जो चीज़ें असलह के क़ाइम मक़ाम हों उनसे क़त्ल न करे मसलन किसी को लाठी या पत्थर से

मार डाला शुब्हे अमद है। इस सूरत में भी क़ातिल गुनहगार है और उस पर कफ़्फ़ारा वाजिब है और क़ातिल के अस़्बा पर दियते मुग़ल्लज़ा वाजिब जो तीन साल में अदा करेंगे। दियत की मिक़दार क्या होगी इसको आइन्दा इन्शाअल्लाह बयान किया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स. 468 जि.5)

मसअ्ला.8:– शुब्ह'अमद मार डालने ही की सूरत में है और अगर वह जान से नहीं मारा गया बल्कि उसका कोई अज़ू तलफ़ होगया मस्लन लाठी से मारा और उसका हाथ या उंगली टूटकर अलाहिदा होगई तो इसको शुब्ह अमद नहीं कहेंगे बल्कि यह अमद है और इस सूरत में क़िसास़ है।

मसअ्ला.9:– तीसरी क़िस्म क़त्ले ख़ता है इसकी दो सूरतें हैं एक यह कि उसके गुमान में ग़लती हुई मस्लन उसको शिकार समझकर क़त्ल किया और यह शिकार न था बल्कि इन्सान था या हर्बी या मुर्तद समझकर क़त्ल किया हालांकि वह मुस्लिम था। दूसरी सूरत यह है कि उसके फ़ेअ्ल में ग़लती हुई मस्लन शिकार पर या चाँद मारी पर गोली चलाई और लगगई आदमी को कि यहाँ इन्सान को शिकार नहीं समझा बल्कि शिकार ही को शिकार समझा और शिकार ही पर गोली चलाई मगर हाथ बहक गया गोली शिकार को नहीं लगी बल्कि आदमी को लगी। इसी की यह दो सूरतें भी हैं निशाने पर गोली लगकर लौट आई और किसी आदमी को लगी या निशाने से पार हो कर किसी आदमी को लगी या एक शख़्स़ को मारना चाहता था दूसरे को लगी या एक शख़्स़ के हाथ में मारना चाहता था दूसरे की गर्दन में लगी या एक शख़्स़ को मारना चाहता था मगर गोली दीवार पर लगी फिर टप्पा खाकर लौटी और इस शख़्स़ को लगी या इस के हाथ से लकड़ी या ईंट छूट कर किसी आदमी पर गिरी और वह मरगया यह सब सूरतें क़त्ले ख़ता की हैं।(दुर्रेमुख़्तार स.469 जि.5)

मसअ्ला.10:– क़त्ले ख़ता का हुक्म यह है कि क़ातिल पर कफ़्फ़ारा वाजिब है और उसके अस़बा पर दियत वाजिब है जो तीन साल में अदा की जायेगी क़तले ख़ता की दो सूरतें हैं और उनमें इस के ज़िम्मे क़त्ल का गुनाह नहीं यह तो ज़रूर गुनाह है कि ऐसे आले के इस्तेअ्माल में उसने बे'एहतियाती बरती शरीअ़त का हुक्म है कि ऐसे मौक़ों पर एहतियात से काम लेना चाहिए।(दुरर गुरर)

मसअ्ला.11:– मक़तूल के जिस्म के जिस हिस़्से पर वार करना चाहता था वहाँ नहीं लगा। दूसरी जगह लगा यह ख़ता नहीं है बल्कि अमद है और उसमें क़िसास़ वाजिब है।(बहरुर्राइक़ स.291 व हिदाया)

मसअ्ला.12:– क़त्ल की इन तीनों क़िस्मों में क़ातिल मीरास़ से महरुम होता है यानी अगर किसी ने अपने मूरिस़ को क़त्ल किया तो उसका तर्का इसको नहीं मिलेगा बशर्ते कि जिससे क़त्ल हुआ वह मुकल्लफ़ हो और अगर मजनून या बच्चा है तो मीरास़ से महरूम नहीं होगा।(आलमगीरी स.3 जि.6)

मसअ्ला.13:– चौथी क़िस्म क़ाइम मक़ाम ख़ता जैसे कोई शख़्स़ सोते में किसी पर गिर पड़ा और यह मर गया इस तरह छत से किसी इन्सान पर गिरा और मरगया। क़त्ल की इस सूरत में भी वही अहकाम हैं जो ख़ता में हैं यानी क़ातिल पर कफ़्फ़ारा वाजिब है और उसके अस़बा पर दियत और क़ातिल मीरास़ से महरूम होगा और उसमें भी क़त्ल करने का गुनाह नहीं मगर यह गुनाह है कि ऐसी बे'एहतियाती की जिससे एक इन्सान की जान ज़ाइअ् की(आलामगीरी स.3 जि.6, बहरुर्राइक़ स.292 जि.8)

मसअ्ला.14:– पाँचवीं क़िस्म क़त्ल बिस्सबब जैसे किसी शख़्स़ ने दूसरे की मिल्क में कुंवाँ खुदवाया, या पत्थर रख दिया, या रास्ते में लकड़ी रखदी, और कोई शख़्स़ कुंऐं में गिरकर या पत्थर वग़ैरा या लकड़ी से ठोकर खाकर मरगया। इस क़त्ल का सबब वह शख़्स़ है जिसने कुंवाँ खोदा था और पत्थर वग़ैरा रख दिया था। इस सूरत में उसके अस़्बा के ज़िम्मे दियत है। क़ातिल पर न कफ़्फ़ारा है न क़त्ल का गुनाह इसका गुनाह ज़रूर है कि पराई मिल्क में कुंवाँ खुदवाया या वहाँ पत्थर रख दिया। (दुर्रेमुख़्तार स.469, आलमगीरी स.3 जि.6)

कहाँ क़सास़ वाजिब होता है कहाँ नहीं

मसअ्ला.1:– क़त्ले अमद में क़िसास़ वाजिब होता है कि ऐसे को क़त्ल किया जिसके ख़ून की मुहाफ़ज़त हमेशा के लिये हो जैसे मुस्लिम या ज़िम्मी कि इस्लाम ने उनकी मुहाफ़ज़त का हुक्म

दिया है बशर्ते कि क़ातिल मुकल्लफ़ हो यानी आक़िल, बालिग़ हो। मजनून या ना'बालिग़ से क़िसास़ नहीं लिया जायेगा। बल्कि अगर क़त्ल के वक़्त आक़िल था और बाद में मजनून होगया अगर क़त्ल के लिये अभी तक ह़वाले नहीं किया गया है क़िसास़ साक़ित़ (ख़त्म) हो जायेगा और अगर क़िसास़ का हुक्म होचुका और क़त्ल करने के लिये दिया जा चुका है इसके बाद मजनून होगया तो क़िसास़ साक़ित़ नहीं होगा और इन सूरतों में बजाए क़िसास़ इस पर दियत वाजिब होगी।(बहरुर्राइक़)

मसअ्ला.2:– जो शख़्स़ कभी मजनून हो जाता है और कभी होश में आजाता है उसने अगर ह़ालते इफ़ाक़ा (होश की ह़ालत में) में किसी को क़त्ल किया है तो इसके बदले में क़त्ल किया जायेगा हाँ अगर क़त्ल के बाद उसे जुनूने मुतबक़ होगया तो क़िसास़ साक़ित़ होगया और जुनून मुतबक़ नहीं तो क़त्ल किया जायेगा। (जुनूने मुतबक़, लम्बे अर्से तक जुनून से ठीक ही नहीं हुआ) (बजाज़िया बर हिन्दिया स.381 जि.6)

मसअ्ला.3:– क़िसास़ के लिये यह भी शर्त़ है कि क़ातिल व मक़तूल के मा'बैन शुबह न पाया जाता हो मस़लन बाप, बेटा और आक़ा व ग़ुलाम कि यहाँ क़िसास़ नहीं और अगर मक़तूल ने क़ातिल को कहदिया है कि मुझे क़त्ल कर डाल उसने क़त्ल करदिया इसमें भी क़िसास़ वाजिब नहीं।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.4:– आज़ाद को आज़ाद के बदले में क़त्ल किया जायेगा और ग़ुलाम के बदले में भी क़त्ल किया जायेगा, और ग़ुलाम को ग़ुलाम के बदले में और आज़ाद के बदले में क़त्ल किया जायेगा। मर्द को औ़रत के बदले में और औ़रत को मर्द के बदले में क़त्ल किया जायेगा। मुस्लिम को ज़िम्मी के बदले में क़त्ल किया जायेगा। ह़र्बी और मुस्तामिन के बदले में न मुस्लिम से क़िसास़ लिया जायेगा न ज़िम्मी से, इस त़रह़ मुस्तामिन से मुस्तामिन के मुक़ाबिल में क़िसास़ नहीं। ज़िम्मी ने ज़िम्मी को क़त्ल किया, क़िसास़ लिया जायेगा और क़त्ल के बाद क़ातिल मुसलमान होगया जब भी क़िसास़ है। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.471 जि.5, बहरूर्राइक़ स.296 जि.8, आलमगीरी स.3 जिल्द.6)

मसअ्ला.5:– मुस्लिम ने मुर्तद या मुर्तद्दा को क़त्ल किया इस सूरत में क़िसास़ नहीं। दो मुसलमान दारुलह़र्ब में अमान लेकर गये और एक ने दूसरे को वहीं क़त्ल कर दिया क़िसास़ नहीं(आलमगीरी स.441 जि.3)

मसअ्ला.6:– आक़िल से मजनून के बदले में और बालिग़ से ना'बालिग़ के बदले में और अंखियारे से अन्धे के बदले में और हाथ पाँव वाले से लुन्जे या जिसके हाथ पाँव न हों उसके बदले में तन्दुरूस्त से बीमार के बदले में और मर्द से औ़रत के बदले में क़िसास़ लिया जायेगा।(आलमगीरी स.3 जि.6)

मसअ्ला.7:– उस़ूल ने फ़ुरूअ् को क़त्ल किया मस़लन माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, ने बेटे या पोते, या नवासे को क़त्ल किया इस में क़िसास़ नहीं बल्कि ख़ुद इस क़ातिल से दियत दिलवाई जायेगी बल्कि बाप के साथ अगर बेटे के क़त्ल में कोई अजनबी भी शरीक था तो इस अजनबी से क़िसास़ नहीं लिया जायेगा बल्कि इससे भी दियत ही ली जायेगी। इसका क़ाइदा कुल्लिया यह है कि दो शख़्सों ने मिलकर अगर किसी को क़त्ल किया और उनमें से एक वह है कि अगर वह तन्हा करता तो क़िसास़ वाजिब नहीं। मस़लन अजनबी और बाप दोनों ने क़त्ल किया या एक ने क़स्दन क़त्ल किया और दूसरे ने ख़त़ा के त़ौर पर एक ने तलवार से क़त्ल किया दूसरे ने लाठी से उन सब सूरतों में क़िसास़ नहीं है बल्कि दियत वाजिब है।(आलमगीरी स.4 जि.6 बहरुर्राइक़ स.297 जि.8)

मसअ्ला.8:– मौला ने अपने ग़ुलाम को क़त्ल किया इस में क़िसास़ नहीं इसी त़रह़ अपने मुदब्बर या मुकातब या अपनी औलाद के ग़ुलाम को क़त्ल किया या उस ग़ुलाम को क़त्ल किया जिसके किसी ह़िस़्से का क़ातिल मालिक है। (दुर्रेमुख़्तार स.472 जि.5 आलमगीरी स.4 जि.6)

मसअ्ला.9:– क़त्ल से क़िसास़ वाजिब था मगर उसका वारिस़ ऐसा शख़्स़ हुआ कि वह क़िसास़ नहीं ले सकता तो क़िसास़ साक़ित़ होगा मस़लन वह क़ातिल इस वारिस़ के उस़ूल में से है तो अब नहीं होसकता जैसे एक शख़्स़ ने अपने ख़ुसर को क़त्ल किया और उसकी वारिस़ सिर्फ़ उसकी लड़की है यानी क़ातिल की बीवी फिर यह औ़रत मरगई और उसका लड़का वारिस़ हुआ जो उसी शौहर से है तो क़िसास़ की सूरत में बेटे का बाप से क़िसास़ लेना लाज़िम आता है लिहाज़ा क़िसास़ साक़ित़।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.473 जि.5, तबईन स.106 जि.6)

मसअ्ला.10:– मुस्लिम ने अगर मुस्लिम को मुश्रिक समझकर क़त्ल किया मस्लन जिहाद में एक मुस्लिम को काफ़िर समझा और मार डाला इस सूरत में क़िसास नहीं बल्कि दियत व कफ़्फ़ारा है कि यह क़त्ले अमद नहीं बल्कि क़त्ले ख़ता है और अगर मुस्लिम सफ़े कुफ़्फ़ार में था और किसी मुस्लिम ने क़त्ल कर डाला तो दियत व कफ़्फ़ारा भी नहीं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.474 जि.5)
मसअ्ला.11:– जिन्न अगर ऐसी शक्ल में आया जिसका क़त्ल करना जाइज़ है मस्लन सांप की शक्ल में आया तो उसके क़त्ल में कोई मुवाख़ज़ा नहीं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.474 जि.5)
मसअ्ला.12:– क़िसास में जिसको क़त्ल किया जाये तो यह ज़रूर है कि तलवार ही से क़त्ल किया जाये अगर्चे क़ातिल ने उसे तलवार से क़त्ल न किया हो बल्कि किसी और तरह से मारडाला हो जिससे क़िसास वाजिब होता हो। ख़न्जर या नेज़ा से या दूसरे असलहा से क़त्ल करना भी तलवार ही के हुक्म में है। लिहाज़ा अगर अस्लहा के सिवा किसी और तरह से क़िसास में क़त्ल किया मस्लन कुएें में गिराकर मारडाला या पत्थर वग़ैरा से क़त्ल किया तो ऐसा करने से तअ्ज़ीर का मुस्तहक़ है। (हिदाया स.563 जि.4, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.474 जि.5)
मसअ्ला.13:– किसी के हाथ पाँव काट डाले और वह मरगया तो क़ातिल की गर्दन तलवार से उड़ादी जाये यह नहीं कि उसके हाथ पाँव काटकर छोड़दें इसी तरह अगर उसका सर तोड़ डाला और मरगया तो क़ातिल की गर्दन तलवार से काट दीजायेगी।(आलमगीरी स.4 जि.6)
मसअ्ला.14:– बाज़ औलिया–ए–मक़तूल ने क़िसास लेलिया तो बाक़ी औलिया इससे ज़मान नहीं ले सकते। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.477 जि.5)
मसअ्ला.15:– दो शख़्स वलीए मक़तूल थे उनमें से एक ने मुआफ़ कर दिया और दूसरे ने क़ातिल को क़त्ल कर डाला अगर उसे यह मा'लूम था कि बाज औलिया के मुआफ़ करदेने से क़िसास साक़ित होजाता है तो इससे क़िसास लिया जायेगा और अगर नहीं मा'लूम था तो इस से दियत ली जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.477 जि.5)
मसअ्ला.16:– मक़तूल के बाज़ औलिया बालिग़ हैं और बाज़ ना'बालिग़ तो क़िसास में यह इन्तिज़ार नहीं किया जायेगा कि वह ना'बालिग़, बालिग़ होजायें बल्कि जो वुरसा बालिग़ हैं वह अभी क़िसास ले सकते हैं। (हिदाया स.565 जि.4 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.472 जि.5)
मसअ्ला.17:– क़ातिल को किसी अजनबी शख़्स ने (यानी उसने जो मक़तूल का वली नहीं है) क़त्ल कर डाला अगर उसने अ़मदन क़त्ल किया है तो उस क़ातिल से क़िसास लिया जायेगा और ख़ता के तौर पर क़त्ल किया है तो उस क़ातिल के अ़स्बा से दियत ली जायेगी क्योंकि उस अजनबी के लिये उसका क़त्ल हलाल न था अब अगर मक़तूल अव्वल का वली यह कहता है कि मैंने उस अजनबी से क़त्ल करने को कहा था लिहाज़ा उससे क़िसास न लिया जाये जब तक गवाह न हों इसकी बात नहीं मानी जायेगी और उस अजनबी से क़िसास लिया जाये। और बहर सूरत जब कि क़ातिल को अजनबी ने क़त्ल कर डाला तो वली मक़तूल का हक़ साक़ित होगया यानी क़िसास तो हो ही नहीं सकता कि क़ातिल रहा ही नहीं और दियत भी नहीं ली जासकती कि इसके लिये रज़ा'मन्दी दरकार है और वह पाई नहीं गई। जिस तरह क़ातिल मरजाये तो वलीए मक़तूल का हक़ साक़ित होजाता है। इसी तरह यहाँ।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.476 जि.5)
मसअ्ला.18:– औलियाए मक़तूल ने गवाही से यह साबित किया कि ज़ैद ने उसे ज़ख़्मी किया और क़त्ल किया है ज़ैद ने गवाहों से यह साबित किया कि ख़ुद मक़तूल ने यह कहा है कि ज़ैद ने न मुझे ज़ख़्मी किया न क़त्ल किया तो उन्हीं गवाहों को तरजीह दी जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार स.477 जि.5)
मसअ्ला.19:– मजरूह ने यह कहा कि फुलाँ ने मुझे ज़ख़्मी नहीं किया है यह कहकर मरगया तो इस के वुरसा उस शख़्स पर क़त्ल का दअ्वा नहीं कर सकते मजरूह ने यह कहा कि फुलाँ शख़्स ने मुझे क़त्ल किया यह कहकर मरगया अब इसके वुरसा दूसरे शख़्स पर दअ्वा करते हैं कि उसने

क़त्ल किया है यह दअ्वा मस्मूअ् नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.478 जि.5)

मसअ्ला.20:– जिस को ज़ख़्मी किया गया उसने मरने से पहले मुआफ़ करदिया या उसके औलिया ने मरने से पहले मुआफ़ कर दिया यह मुआफ़ी जाइज़ है यानी अब क़िसास नहीं लिया जायेगा(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.21:– किसी को ज़हर देदिया। उसे मालूम नहीं और ला इल्मी में खा पी गया तो इस सूरत में न क़िसास है न दियत, मगर ज़हर देने वाले को क़ैद किया जायेगा और उस पर तअ्ज़ीर होगी और अगर खुद उसने इस के मुँह में ज़हर ज़बरदस्ती डाल दिया या इसके हाथ में दिया और पीने पर मजबूर किया तो दियत वाजिब होगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.478 जि.5)

मसअ्ला.22:– यह कहा कि मैंने अपनी बद् दुआ से फुलाँ को हलाक करदिया, या बातिनी तीरों से हलाक किया, या सूरए इन्फ़ाल पढ़ कर हलाक किया, तो यह इक़रार करने वाले पर क़िसास वग़ैरा लाज़िम नहीं। इसी तरह अगर वह यह कहता है कि मैंने अल्लाह तआला के असमाए क़हरियाह पढ़कर इसको हलाक कर दिया इस कहने से भी कुछ लाज़िम नहीं। नज़रे बद से हलाक करने का इक़रार करे उसके मुतअल्लिक़ कुछ मन्क़ूल नहीं। (शामी स.478 जि.5)

मसअ्ला.23:– किसी ने इस का सर तोड़ डाला और खुद उसने भी अपना सर तोड़ा और शेर ने उसे ज़ख़्मी किया और सांप ने भी काट खाया और यह मरगया तो उस शख़्स पर जिसने सर तोड़ा है तिहाई दियत वाजिब होगी। (आलमगीरी स.4 जि.6)

मसअ्ला.24:– एक शख़्स ने कई शख़्सों को क़त्ल किया और उन तमाम मक़तूलीन के औलिया ने क़िसास का मुतालबा किया तो सबके बदले में उस क़ातिल को क़त्ल किया जायेगा और फ़क़त एक के वली ने मुतालबा किया और क़त्ल कर दिया गया तो बाक़ियों का हक़ साक़ित होजायेगा यानी अब उनके मुतालबे पर कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं होसकती। (आलमगीरी स.4 जि.6)

मसअ्ला.25:– एक शख़्स को चन्द शख़्सों ने मिलकर क़त्ल किया तो उसके बदले में यह सब क़त्ल किये जायेंगे। (आलमगीरी स.5 जि.6)

मसअ्ला.26:– एक से ज़्यादा मरतबा जिसने गला घोंटकर मार डाला उसको बतौर सियासत क़त्ल किया जायेगा और गिरफ़्तारी के बाद अगर तौबा करे तो उसकी तौबा मक़बूल नहीं और उसका वही हुक्म है जो जादूगर का है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.481 जि.5 बहरूर्राइक़ स.294 जि.8)

मसअ्ला.27:– किसी के हाथ पाँव बांधकर शेर या दरिन्दे के सामने डाल दिया उसने मार डाला ऐसे शख़्स को सज़ा दीजाये और मारा जाये और क़ैद में रखा जाये यहाँ तक कि वहीं क़ैद ख़ाना ही में मरजाये। इसी तरह अगर ऐसे मकान में किसी को बन्द करदिया जिसमें शेर है जिसने मार डाला या उसमें सांप है जिसने काट लिया। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.480 जि.5)

मसअ्ला.28:– बच्चे के हाथ पाँव बांधकर धूप या बर्फ़ पर डाल दिया और वह मरगया तो उन दोनों सूरतों में दियत है और अगर आग में डाल कर निकाल लिया और थोड़ीसी ज़िन्दगी बाक़ी है मगर कुछ दिनों बाद मरगया तो क़िसास है और अगर चलने फिरने लगा फिर मरगया तो क़िसास नहीं है। (आलमगीरी स.6 जि.6 बहरूर्राइक़ स.294 जिल्द8)

मसअ्ला.29:– एक शख़्स ने दूसरे का पेट फाड़ दिया कि आंतें निकल पड़ीं फिर किसी और ने उस की गर्दन उड़ादी तो क़ातिल यही है जिसने गर्दन मारी अगर उसने अ़मदन किया है तो क़िसास है और ख़ता के तौर पर हो तो दियत वाजिब है और जिसने पेट फाड़ा उसपर तिहाई दियत वाजिब है और अगर पेट इस तरह फाड़ा कि पीठ की जानिब ज़ख़्म नुफ़ूज़ करगया तो दियत की दो तिहाईयाँ यह हुक्म उस वक़्त है कि पीठ फाड़ने के बाद वह शख़्स एक दिन या कुछ कम जिन्दा रह सकता हो और अगर ज़िन्दा न रह सकता हो और मक़तूल की तरह तड़प रहा हो तो क़ातिल वह है जिसने पेट फाड़ा उसने अ़मदन किया हो तो क़िसास है और ख़ता के तौर पर हो तो दियत है और जिसने गर्दन मारी उसपर तअ्ज़ीर है उसी तरह अगर एक शख़्स ने ऐसा ज़ख़्मी

किया कि उम्मीदे ज़ीस्त (जिन्दगी की उम्मीद) न रही फिर दूसरे ने उसे ज़ख़्मी किया तो क़ातिल वही पहला शख़्स है अगर दोनों ने एक साथ ज़ख़्मी किया तो दोनों क़ातिल हैं। अगर्चे एक ने दस वार किये और दूसरे ने एक ही वार किया हो। (आलमगीरी स.6 जि.6 शामी स.480 जि.5)

मसअ्ला.30:– किसी शख़्स का गला काट दिया सिर्फ़ हुल्कूम का कुछ हिस्सा बाक़ी रहगया है और अभी जान बाक़ी है दूसरे ने उसे क़त्ल कर डाला तो क़ातिल पहला शख़्स है दूसरे पर क़िसास नहीं क्योंकि उसका मय्यित में शुमार है लिहाज़ा अगर मक़तूल इस हालत में था और मक़तूल का बेटा मरगया तो बेटा वारिस् होगा यह मक़तूल अपने बेटे का वारिस् नहीं होगा।(आलमगीरी स.6 जि.6,)

मसअ्ला.31:– जो शख़्स हालते नज़अ् में था उसे क़त्ल कर डाला उसमें भी क़िसास है। अगर्चे क़ातिल को यह मालूम हो कि अब जिन्दा नहीं रहेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.480 जि.5)

मसअ्ला.32:– किसी को अ़मदन ज़ख़्मी किया गया कि वह साहिबे फ़राश होगया और उसी में मरगया तो क़िसास नहीं मस्लन किसी दूसरे ने इस मजरूह की गर्दन काटदी तो अब मरने को इस की तरफ़ निस्बत किया जायेगा या वह शख़्स अच्छा होकर मरगया तो अब यह नहीं कहा जायेगा कि उसी ज़ख़्म से मरा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी, तबईन स.109 जि.6)

मसअ्ला.33:– जिसने मुसलमानों पर तलवार खींची ऐसे को उस हालत में क़त्ल कर देना वाजिब है यानी उसके शर को दफ़अ् करना वाजिब है अगर्चे उसके लिये क़त्ल ही करना पड़े उसी तरह अगर एक शख़्स पर तलवार खींची तो उसे भी क़त्ल करने में कोई हरज नहीं ख़्वाह वही शख़्स क़त्ल करे जिसपर तलवार उठाई या दूसरा शख़्स इसी तरह अगर रात के वक़्त शहर में लाठी से हमला किया या शहर से बाहर दिन या रात में किसी वक़्त भी हमला किया और उसको किसी ने मारडाला तो इसके ज़िम्मे कुछ नहीं। (हिदाया स.567 जि.4, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.481 जि.5)

मसअ्ला.34:– मजनून ने किसी पर तलवार खींची और उसने मजनून को क़त्ल कर दिया तो क़ातिल पर दियत वाजिब है जो ख़ुद अपने माल से अदा करे यही हुक्म बच्चे का है कि इसकी भी दियत देनी होगी और अगर जानवर ने हमला किया और जानवर को मारडाला तो इसकी क़ीमत का तावान देना होगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.482 जि.5)

मसअ्ला.35:– कोई शख़्स तलवार मारकर भाग गया कि अब दोबारा मारने का इरादा नहीं रखता फिर उसे किसी ने मार डाला तो क़ातिल से क़िसास लिया जायेगा यानी उसी वक़्त इस को क़त्ल करना जाइज़ है जब वह हमला कर रहा हो या हमला करना चाहता है बाद में जाइज़ नहीं।(आलमगीरी)

मसअ्ला.36:– घर में चोर घुसा और माल चुराकर ले जाने लगा साहिबे ख़ाना ने पीछा किया और चोर को मार डाला तो क़ातिल के ज़िम्मे कुछ नहीं मगर यह उस वक़्त है कि मालूम है कि शोर करेगा और चिल्लायेगा तो माल छोड़कर नहीं भागेगा और अगर मालूम है कि शोर करेगा तो माल छोड़कर भाग जायेगा तो क़त्ल करने की इजाज़त नहीं बल्कि उस वक़्त क़त्ल करने से क़िसास वाजिब होगा। (हिदाया स.568 जि.4, आलमगीरी स.7 जि.6)

मसअ्ला.37:– मकान में चोर घुसा और अभी माल लेकर निकला नहीं इसने शोर व गुल किया मगर वह भागा नहीं या इसके मकान में या दूसरे के मकान में नक़्ब लगा रहा है और शोर करने से भागता नहीं इस को क़त्ल करना जाइज़ है बशर्तेकि चोर होना उसका मशहूर व मअ्रूफ़ हो(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.38:– वलीए मक़तूल ने क़ातिल को या किसी दूसरे को क़िसास हिबा कर दिया। यह नाजाइज़ है यानी क़िसास ऐसी चीज़ नहीं जिसका मालिक दूसरे को बनाया जासके और उसको हिबा करने से क़िसास साक़ित नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.483 जि.5)

मसअ्ला.39:– वलीए मक़तूल ने मुआफ़ कर दिया यह सुलह से अफ़ज़ल है सुलह क़िसास से अफ़ज़ल है और मुआफ़ करने की सूरत में क़ातिल से दुनिया में मुतालबा नहीं होसकता है न अब क़िसास लिया जा सकता है न दियत ली जासकती है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.482 जि.5) रहा मुआख़ज़ा

उख़रवी उससे बरी नहीं हुआ क्योंकि क़त्ले नाहक़ में तीन हक़ इसके साथ मुतअ़ल्लिक़ हैं एक अल्लाह का हक़, दूसरा मक़तूल का हक़, तीसरा वली का हक़, वली को अपना हक़ मुआफ़ करने का इख़्तियार था सो इसने मुआफ़ कर दिया मगर हक़्क़ुल्लाह और हक़्क़े मक़तूल बदस्तूर बाक़ी हैं वली के मुआफ़ करने से वह मुआफ़ नहीं हुए। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.484 जि.5)

मसअ्ला.40:– मजरूह का मुआफ़ करना सहीह है यानी मुआफ़ करने के बाद मरगया तो अब वली को क़िसास लेने का इख़्तियार नहीं रहा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.484 जि.5)

मसअ्ला.41:– क़ातिल की तौबा सहीह नहीं जब तक वह अपने को क़िसास के लिये पेश न कर दे यानी औलियाए मक़तूल को जिस तरह होसके राज़ी करे ख़्वाह वह क़िसास लेकर राज़ी हों या कुछ लेकर मुसालहत (सुलह) करें या बिग़ैर कुछ लिये मुआफ़ करदें। अब वह दुनिया में बरी होगया और मअ़सियत पर इक़दाम करने का जुर्म व ज़ुल्म यह तौबा से मुआफ़ होजायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.484 जि.5)

अतराफ़ में क़िसास का बयान

मसअ्ला.1:– अअ्ज़ा में क़िसास वहीं होगा जहाँ मुमासलत(बराबरी)की रिआयत की जासके यानी जितना उसने किया है उतना ही किया जाये यह एहतिमाल न हो कि उससे ज़्यादती होजायेगी(दुर्रेमुख़्तार स.485 जि.5)

मसअ्ला.2:– हाथ को जोड़ पर से काट लिया है उसका क़िसास लिया जायेगा जिस जोड़ पर से काटा है उसी जोड़ पर से उसका भी हाथ काट लिया जाये उसमें यह नहीं देखा जायेगा कि उस का हाथ छोटा था और इसका बड़ा है कि हाथ हाथ दोनों यक्सां क़रार पायेंगे।(दुर्रेमुख़्तार व शामी)

मसअ्ला.3:– कलाई या पिन्डली दरम्यान में से काटदी यानी जोड़ पर से नहीं काटी बल्कि आधी या कम व बेश काटदी उसमें क़िसास नहीं कि यहाँ मुमासलत मुम्किन नहीं इस तरह नाक की हड्डी कुल या उसमें से कुछ काटदी यहाँ भी क़िसास नहीं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.485 जि.5)

मसअ्ला.4:– पाँव काटा या नाक का नर्म हिस्सा काटा या कान काट दिया। उनमें क़िसास है और अगर नाक के नर्म हिस्से से कुछ काटा है तो क़िसास वाजिब नहीं और नाक की नोक काटी है तो उस में हुकूमते अ़द्ल है काटने वाले की नाक उसकी नाक से छोटी है तो जिसकी नाक काटी है उसको इख़्तियार है कि क़िसास ले या दियत और अगर काटने वाले की नाक में कोई ख़राबी है मसलन वह अख़्सम है जिसे बू महसूस नहीं होती या उसकी नाक कुछ कटी हुई है या किसी क़िस्म का नुक़सान है तो इस को इख़्तियार है कि क़िसास ले या दियत। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.485 जि.5)

मसअ्ला.5:– कान काटने में क़िसास उस वक़्त है कि पूरा काट लिया हो। या इतना काटा हो जिसकी कोई हद हो ताकि इतना ही उसका कान भी काटा जाये। और अगर यह दोनों बातें न हों तो क़िसास नहीं कि मुमासलत मुम्किन नहीं। काटने वाले का कान छोटा है और इसका बड़ा था या काटने वाले के कान में छेद है या यह फटा हुआ है और उसका कान सालिम था तो उसे इख़्तियार है कि क़िसास ले या दियत। (शामी स.365 जि.5, बहरुर्राइक़ स345 स.8)

هذا ما تيسر لى الى الان و ما توفيقى الا بالله و هو حسبى و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير والله المسئول ان يوفقنى لعمل اهل السعادة و يرزقنى حسن الخاتمة على الكتاب و السنة و انا الفقير الحقير ابو العلاء محمد امجد على الاعظمى غفر له و لوالديه و لمحبيه ولا ساتذه ـ امين

यहाँ से जदीद तस्नीफ़ का आगाज़ होता है

(यहाँ से बीसवें हिस्से तक सदरुश्शरीआ के शागिर्दों ने तस्नीफ़ किया है (अमीनुल क़ादरी))

मसअ्ला.1:– ज़ख़्मों का क़िसास सेहत के बाद लिया जायेगा। (शामी स.485 जि.5, तहतावी स.268 जि.4)

मसअ्ला.2:– दाहिने हाथ की जगह बायाँ हाथ और तन्दुरुस्त की जगह ऐसा शल हाथ जो नाक़िबिले इन्तिफ़ा हो (काम के लायक़ न हो) और औरत के हाथ के बदले मर्द का हाथ और मर्द के हाथ के बदले में औरत का हाथ नहीं काटा जायेगा। (आलमगीरी स.9 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.488 जि.5)

मसअ्ला.3:– आज़ाद का हाथ गुलाम के हाथ के बदल में और गुलाम का हाथ आज़ाद के हाथ के बदले में नहीं काटा जायेगा और गुलाम के हाथ के बदले में गुलाम का हाथ भी नहीं काटा जायेगा

मसअ्ला.4:– मुसलमान और ज़िम्मी एक दूसरे के अअ्ज़ा काटदें तो उनमें क़िसास़ लिया जायेगा और यही हुक्म है दो आज़ाद औरतों और मुस्लिमा व किताबिया और दोनों किताबिया औरतों का।(आलमगीरी)

मसअ्ला.5:– बालों, सर और बदन की खाल और रुख़सारों और ठोड़ी, पेट, और पीठ के गोश्त में क़िसास़ नहीं है। (आलमगीरी स.9 जि.6)

मसअ्ला.6:– थप्पड़ मारा या घूंसा मारा या दबोचा तो उनका क़िसास़ नहीं है। (आलमगीरी स.9 जि.6)

मसअ्ला.7:– दांत के सिवा किसी हड्डी में क़िसास़ नहीं है। (आलमगीरी स.9 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.486 जि.5)

आँख का बयान

मसअ्ला.8:– किसी ने किसी की आँख पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि जिससे सिर्फ़ रौशनी जाती रही और ब'ज़ाहिर आँख में और कोई ऐब नहीं है तो इस त़रह़ क़िसास़ लिया जायेगा कि मारने वाले की आँख की रौशनी ज़ाइल होजाये और कोई दूसरा ऐब पैदा न हो। (आलमगीरी स.9 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.486)

मसअ्ला.9:– अगर आँख निकाल ली या इस त़रह़ मारा कि अन्दर धंसगई तो क़िसास़ नहीं है क्योंकि मुमास़लत (बराबरी) नहीं हो सकती। (दुर्रेमुख़्तार स.486 जि.5, आलमगीरी स.9 जि.6)

मसअ्ला.10:– अअ्ज़ा में जहाँ क़िसास़ वाजिब होता है वहाँ हथियार से मारना और ग़ैर हथियार से मारना बराबर है। (आलमगीरी स.9 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.486)

मसअ्ला.11:– अगर ज़र्ब लगाकर आँख का ढेला निकाल दिया और जिसका ढेला निकाला गया वह कहता है कि मैं इसपर तैयार हूँ कि जानी की (ज़र्ब लगाने वाले की) आँख फोड़दी जाये और ढेला न निकाला जाये तो भी ऐसा नहीं किया जायेगा। (आलमगीरी स.9 जि.6)

मसअ्ला.12:– अगर किसी ने किसी की दाहिनी आँख ज़ाइअ् करदी और जानी की (यानी आँख ज़ाइअ् करने वाले की) बाईं आँख नहीं है तो भी इसकी दाहिनी आँख फोड़कर इसको अन्धा कर दिया जायेगा। (आलमगीरी स.9 जि.6, दुर्रेमुख़्तार स.486 जि.5)

मसअ्ला.13:– भींगे की ऐसी आँख जिसमें पूरी रौशनी थी, क़स्दन फोड़दी तो इस का क़िसास लिया जायेगा और अगर इतना भींगा है कि कम देखता है तो इस सूरत में इन्स़ाफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.9 जि.6, दुर्रेमुख़्तार शामी स.486 जि.5)

मसअ्ला.14:– कम नज़र, भींगे ने किसी की अच्छी आँख फोड़दी तो उस शख़्स़ को इख़्तियार है चाहे तो क़िसास़ ले और नुक़सान पर राज़ी होजाये और चाहे तो जानी (यानी आँख फोड़ने वाला) के माल से आधी दियत लेले। (आलमगीरी स.9 जि.6, क़ाज़ी ख़ाँ अ़लल्हिन्दिया स.439 जि.3)

मसअ्ला.15:– जिस शख़्स़ की दाहिनी आँख में जाला है और वह इससे कुछ देखता है उसने किसी शख़्स़ की दाहिनी आँख ज़ाइअ् करदी तो जिसकी आँख ज़ाइअ् की गई है उसको इख़्तियार है कि इसकी नाक़िस़ आँख ज़ाइअ् करदे या आँख की दियत लेले और अगर वह जाले वाली आँख से कुछ नहीं देखता तो क़िसास़ नहीं है और अगर इस शख़्स़ ने जिस की आँख ज़ाइअ् हुई थी अभी कुछ इख़्तियार नहीं किया था कि किसी और शख़्स़ ने इस आँख फोड़ने वाले की आँख फोड़ दी तो पहले वाले का ह़क़ इसकी आँख में बात़िल होगया और अगर पहले जिसकी आँख फोड़ी गई थी उसने दियत इख़्तियार करली थी फिर किसी शख़्स़ ने जानी की आँख फोड़दी तो अगर इसका इख़्तियार स़ह़ीह़ था तो इसका ह़क़ आँख से दियत की त़रफ़ मुन्तक़िल होजायेगा और आँख के ज़ाइअ् होने से इसका ह़क़ बात़िल नहीं होगा और अगर इसका इख़्तियार स़ह़ीह़ नहीं था तो इसका ह़क़ बात़िल होजायेगा इख़्तियार स़ह़ीह़ होने का मत़लब यह है कि जनायत करने वाले ने इख़्तियार दिया हो और अगर इसने खुद ही दियत को इख़्तियार कर लिया है तो इख़्तियार स़ह़ीह़ नहीं है और इस सूरत में जिस में इख़्तियार स़ह़ीह़ नहीं है अगर जानी की जाले वाली आँख में रौशनी आगई तो

फिर क़िसास ले सकता है और इस सूरत में जिस में इख़्तियार सहीह है क़िसास की तरफ़ रुजूअ नहीं कर सकता। (आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.16:– किसी की जाले वाली ऐसी आँख को नुक़सान पहुँचाया जिसमें रौशनी है और जानी की आँख भी ऐसी है तो क़िसास नहीं है। (शामी स.486 जि.5 आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.17:– अगर किसी की आँख पर इस तरह ज़र्ब लगाई कि कुछ पुतली पर जाला आगया या आँख को ज़ख़्मी कर दिया उसमें छाला या जाला आगया या आँख में कोई ऐसा ऐब पैदा कर दिया कि उससे रौशनी कम होगई तब भी इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.18:– अगर किसी की बाईं आँख फोड़दी तो जानी (आँख फोड़ने वाला) की दाहिनी आँख से और अगर दाहिनी आँख फोड़ दी तो बाईं आँख से क़िसास नहीं लिया जायेगा।(आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.19:– किसी की आँख पर मारा कि जाला आगया फिर जाला जाता रहा और वह देखने लगा तो मारने वाले पर कुछ नहीं है यह हुक्म इस सूरत में है जब पूरी नज़र वापस आजाये लेकिन अगर बीनाई में नुक़सान रहा तो इन्साफ़ से तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.20:– अगर किसी बच्चे की आँख पैदाइश के फौरन बाद या चन्द रोज़ बाद फोड़दी और जानी कहता है कि बच्चा आँख से नहीं देखता था या कहता है कि मुझे इसके देखने या न देखने का इल्म नहीं तो इसकी बात मान ली जायेगी और उसे तावान देना होगा जिसका फ़ैसला इन्साफ़ से किया जायेगा और अगर यह इल्म होजाये कि बच्चे ने इस आँख से देखा है इस तरह कि दो गवाह बच्चे की आँख की सलामती की गवाही दें तो ग़लती से फोड़ने की सूरत में निस्फ़ दियत और क़स्दन फोड़ने की सूरत में क़िसास है। (आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.21:– जिसकी आँख फोड़ी गई उसकी आँख फोड़ने वाले की आँख से छोटी हो या बड़ी बहर सूरत क़िसास लिया जायेगा। (शामी स.486 जि.5, आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.22:– किसी की आँख में चोट लग गई या ज़ख़्म आगया डाक्टर ने इस शर्त पर इलाज किया कि अगर रौशनी चली गई तो मैं ज़ामिन हूँ फिर अगर रौशनी चली गई तो वह ज़ामिन नहीं होगा। (बज़ाज़िया अलल्हिन्दिया स.391 जि.6)

कान

मसअला.23:– जब किसी का पूरा कान क़स्दन काट दियाजाये तो क़िसास है अगर कान का बाज़ हिस्सा काट दियाजाये और उसमें बराबरी की जोसकती हो तो भी क़िसास है वरना नहीं(आलमगीरी)

मसअला.24:– किसी ने किसी का कान क़स्दन काटा और काटने वाले का कान छोटा या फटा हुआ या चिरा हुआ है और जिसका कान काटा गया उसका कान बड़ा या सालिम है तो इस को इख़्तियार है कि चाहे वह क़िसास ले और चाहे तो दियत ले और अगर जिसका कान काटा गया है उसका कान नाक़िस था तो इन्साफ़ के साथ तावान है। (शामी स.486 जि.5 आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.25:– अगर किसी शख़्स ने कान खींचा और कान की लौ जुदा करली तो इस में क़िसास नहीं। इस पर अपने माल में दियत है। (आलमगीरी स.10 जि.6, बहरुर्राइक स.303 जि.8)

नाक

मसअला.26:– अगर नाक का नर्म हिस्सा पूरा क़स्दन काट दिया तो इसमें क़िसास है और अगर बाज़ हिस्सा काटा तो उसमें क़िसास नहीं है। (शामी स.485 जि.5, आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.27:– अगर नाक के बांसे यानी हड्डी का कुछ हिस्सा अमदन काट दिया तो क़िसास नहीं है। (शामी स.485 जि.5 आलमगीरी स.10 जिल्द.6)

मसअला.28:– अगर नाक की फंक यानी नर्म हिस्सा का बाज़ काट दिया तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.10 जिल्द.6 शामी स.485 जि.5)

मसअला.29:– अगर नाक काटने वाले की नाक से छोटी है तो मक़तूउलअन्फ़ को इख़्तियार है कि

चाहे क़िसास ले और चाहे अर्श ले।(यानी वह माल ले जो क़त्ल के इलावा में लाज़िम आता है) (आलमगीरी स.10 जि.6)

मसअला.30:– अगर नाक काटने वाले की नाक में सूंघने की ताक़त नहीं या उसकी नाक कटी हुई है या उसकी नाक में और कोई नक़्स है तो जिसकी नाक काटी गई है उसको इख़्तियार है कि चाहे तो उसकी नाक काटले और चाहे तो दियत लेले। (आलमगीरी स.10 जिल्द.6)

होंट

मसअला.31:– अगर किसी ने किसी का पूरा होंट क़स्दन काट दिया तो क़िसास है ऊपर के होंट में ऊपर के होंट से और नीचे के होंट में नीचे के होंट से क़िसास लिया जायेगा और अगर बाज़ होंट काट दिया तो क़िसास नहीं हैं। (आलमगीरी स.11 जि.6, हिदाया स.555 जि.4)

ज़बान

मसअला.32:– ज़बान पूरी काटी जाये या बाज़ इसमें क़िसास नहीं है।(आलमगीरी स.11 जि.6, बहरुर्राइक स.306 जि.8)

दांत

मसअला.33:– दांत में मुमासलत के साथ क़िसास है यानी दाहिने के बदले में बायाँ और बायें के बदले में दायाँ ऊपर वाले के बदले में नीचे वाला और नीचे वाले के बदले में ऊपर वाला नहीं तोड़ा जायेगा। सामने वाले के बदले में सामने वाला, कीले के बदले में कीला और दाढ़ के बदले में डाढ़ तोड़ी जायेगी। (आलमगीरी स.11 जि.6, बहरुर्राइक स.304 जि.8)

मसअला.34:– दांत में छोटे बड़े होने का एअ्तिबार नहीं है छोटे के बदले में बड़ा और बड़े के बदले में छोटा तोड़ा जायेगा। (आलमगीरी स.11 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.486 जि.5)

मसअला.35:– सिने ज़ाइद (फ़ालतू दांत) में क़िसास नहीं है इस में इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.11 जि.6 शामी स.482 जि.5)

मसअला.36:– अगर किसी ने दांत का बाज़ हिस्सा क़स्दन तोड़ दिया तो अगर मुमासलत के साथ क़िसास मुम्किन हो तो क़िसास लिया जायेगा वरना दियत लाज़िम होगी। (आलमगीरी स.11 जिल्द. 6शामी)

मसअला.37:– अगर किसी के दांत का बाज़ हिस्सा तोड़ दिया और बाद में बक़िया बाज़ ख़ुद गिर गया तो इस सूरत में क़िसास नहीं है।(आलमगीरी जि.6 स.11)

मसअला.38:– किसी शख़्स के दांत को ऐसा मारा कि दांत हिल गया मगर उखड़ा नहीं फिर दूसरे शख़्स ने उसको उखेड़ दिया तो इस सूरत में हर एक पर इन्साफ़ के साथ तावान है।(शामी स.486 जि.5)

मसअला.39:– दांत का बाज़ हिस्सा तोड़दिया फिर बाक़ी हिस्सा काला या सुर्ख़ या सब्ज़ होगया या इस में कोई ऐब उसके तोड़ने की वजह से पैदा होगया तो क़िसास नहीं है दियत है(आलमगीरी स.11 जिल्द6)

मसअला.40:– दो शख़्स अखाड़े में इस लिये उतरे थे कि मुक्केबाज़ी करेंगे पस एक ने दूसरे को इस तरह मारा कि उसका दांत उखड़ गया तो मारने वाले पर क़िसास है और अगर हर एक ने दूसरे से कहा कि मार, मार, और एक ने दूसरे को मुक्का मारकर दूसरे का दांत तोड़दिया तो इस पर कुछ नहीं है। (आलमगीरी स.11 जि.6 बहरुर्राइक स.305 जि.8)

मसअला.41:– अगर किसी ने क़स्दन किसी के सामने के दांत उखेड़ दिये और उखेड़ने वाले से क़िसास ले लिया गया। फिर जिस से क़िसास लिया गया था उसके दांत दोबारा निकल आये तो उसके दांत दोबारा नहीं उखेड़े जायेंगे। (आलमगीरी स.11 जि.6, बहरुर्राइक स.305 जि.8)

मसअला.42:– ज़ैद ने बक्र का दांत उखेड़ दिया और बक्र ने क़िसास में ज़ैद का दांत उखेड़ दिया इस के बाद बक्र का दांत उग गया तो ज़ैद को बक्र दांत की दियत देगा और अगर दांत टेढ़ा उगा तो बक्र इन्साफ़ के साथ ज़ैद को तावान देगा और अगर आधा उगा तो निस्फ़ दियत देगा।(आलमगीरी)

मसअला.43:– किसी के दाँत को ऐसा मारा कि दाँत काला होगया और मारने वाले के दाँत काले या पीले या सुर्ख़ या सब्ज़ हैं तो जिस पर जनायत की गई है उसको इख़्तियार है कि चाहे क़िसास

लेले और चाहे तो दियत लेले। (शामी स.486 जि.5, काज़ी खाँ बर हाशिया आलमगीरी स.438 जि.3)

मसअला.44:– किसी के दाँत को ऐसा मारा कि दाँत काला होगया फिर दूसरे शख़्स ने यह दांत उखेड़ दिया तो पहले वाले पर पूरी दियत लाज़िम है और दूसरे पर इन्साफ़ के साथ तावान है।(शामी)

मसअला.45:– किसी शख़्स का ऐबदार दांत तोड़ा तो इस में इन्साफ़ के साथ तावान है(शामी स.486 जि.5)

मसअला.46:– अगर किसी के दाँत पर मारा और दाँत गिर गया तो किसास लेने में ज़ख़्म के मुन्दमिल (भर जाने, अच्छा होने) होने का इन्तिज़ार किया जायेगा लेकिन एक साल तक इन्तिज़ार नहीं होगा। (शामी स.487 जि.5 आलमगीरी स.11 जि.6)

मसअला.47:– अगर किसी ने बच्चे के दाँत उखेड़ दिये तो एक साल तक इन्तिज़ार किया जायेगा और चाहिए कि जनायत करने वाले से ज़ामिन ले लें फिर अगर उखड़े दाँत की जगह से दूसरा दाँत उग आये तो कुछ नहीं और अगर दाँत नहीं उगा था और एक साल पूरा होने से पहले बच्चा मर गया तो भी कुछ नहीं है। (शामी स.487 जि.5 आलमगीरी स.11 जि.6)

मसअला.48:– किसी ने किसी के दाँत पर ऐसा मारा कि दाँत हिल गया तो एक साल तक इन्तिज़ार किया जायेगा आम अज़ीं कि जिसको मारा है वह बालिग़ हो या ना बालिग़ एक साल तक अगर दाँत न गिरा तो मारने वाले पर कुछ नहीं और अगर साल के अन्दर गिर गया और क़स्दन मारा था तो क़िसास वाजिब है और अगर ख़ताअन मारा है तो दियत वाजिब है।(आलमगीरी स.11 जि.6)

मसअला.49:– दाँत हिलने की सूरत में क़ाज़ी ने एक साल की मोहलत दी थी और साल पूरा होने से पहले मज़रूब (जिसको मारा) कहता है कि उसी ज़र्ब की वजह से मेरा दाँत गिर गया मगर ज़ारिब कहता है कि किसी दूसरे के मारने से उसका दाँत गिरा है तो मज़रूब का क़ौल मोअ्तबर है और अगर साल पूरा होने के बाद मज़रूब ने यह दअ्वा किया तो ज़ारिब (मारने वाला) का क़ौल मोअ्तबर होगा। (आलमगीरी स.12 जि.6 बहरुर्राइक़ स.304 जि.8)

मसअला.50:– किसी के हाथ को दाँतों से काटा उसने अपना हाथ खींच लिया उसके दाँत उखड़ गये तो दाँतों का तावान नहीं है।(क़ाज़ी खाँ अलल्हिन्दिया स.437 जि.3, बज़ाज़िया अलल्हिन्दिया स.395 जि.6)

मसअला.51:– किसी शख़्स के कपड़े को दांतों से पकड़ लिया और उसने अपना कपड़ा खींचा और कपड़ा फटगया तो दांतों से पकड़ने वाला निस्फ़ तावान देगा और अगर कपड़ा दाँतों से पकड़ कर खींचा कि फट गया तो कपड़े का कुल तावान देगा। (क़ाज़ी खाँ अलल्हिन्दिया स.437 जि.3)

मसअला.52:– किसी ने किसी का दाँत उखेड़ दिया उसके बाद निस्फ़ दाँत उग आया तो क़िसास नहीं है बल्कि निस्फ़ दियत है और अगर पीला उगा या टेढ़ा उगा तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.515 जि.5 बहरुर्राइक़ स.305 जि.8)

मसअला.53:– अगर किसी ने किसी के 32 दाँत तोड़दिये तो उस पर $\frac{3}{5}$ दियत लाज़िम होगी (शामी)

मसअला.54:– अगर किसी ने किसी का दांत उखेड़ दिया उसके बाद उसका पूरा दाँत सहीह हालत में दोबारा निकल आया तो जानी पर क़िसास व दियत नहीं है मगर इलाज व मुआलजा का खर्चा इससे वसूल किया जायेगा। (बहरुर्राइक़ स. 305 जि.8, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.515 जि.5)

मसअला.55:– अगर किसी ने किसी का कोई दांत उखेड़ दिया और उस वक़्त उखेड़ने वाले का वह दांत नहीं था मगर जनायत के बाद निकल आया तो क़िसास नहीं है दियत है ख़्वाह जनायत के वक़्त जानी का यह दांत निकला ही न हो या निकला हो मगर उखड़ गया हो। (बहरुर्राइक़ स.305 जि.8)

मसअला.56:– मरीज़ ने डाक्टर से दांत उखेड़ने को कहा उसने एक दांत उखेड़ दिया मगर मरीज़ कहता है कि मैंने दूसरे दांत को उखेड़ने के लिये कहा था तो मरीज़ का क़ौल यमीन के साथ मान लिया जायेगा और मरीज़ के क़सम खाने के बाद डाक्टर पर दांत की दियत वाजिब होगी।

मसअला.57:– किसी ने किसी का दाँत क़स्दन उखेड़ दिया और जानी के दांत काले या पीले या सुर्ख़ या सब्ज़ हैं तो जिसका दांत क़स्दन उखेड़ा गया है उसको इख़्तियार है कि चाहे क़िसास ले

और चाहे दियत लेले।(बहरुर्राइक स.305 जि.8 आलमगीरी स.12 जि.6)

मसअ्ला.58:– किसी बच्चे ने बच्चे का दांत उखेड़ दिया तो जिसका दांत उखेड़ा गया है उसके बालिग होने तक इन्तिज़ार किया जायेगा बुलूग के बाद अगर सहीह दाँत निकल आया तो कुछ नहीं और अगर नहीं निकला या ऐबदार निकला तो दियत लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.516 जि.5)

मसअ्ला.59:– किसी ने किसी के दाँत पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि दाँत काला या सुर्ख़ या सब्ज़ होगया या बाज़ हिस्सा टूट गया और बक़िया काला या सुर्ख़ या सब्ज़ होगया तो क़िसास नहीं है दाँत की पूरी दियत वाजिब है। (बहरुर्राइक स.304 जि.8, तहतावी स.269 जि.4)

उंगलियाँ

मसअ्ला.60:– उंगलिया अगर जोड़ पर से काटी जायें तो उनमें क़िसास लिया जायेगा और अगर जोड़ पर से न काटी जायें तो क़िसास नहीं है। (आलमगीरी स.12 जि.6, क़ाज़ीख़ाँ अललहिन्दिया स.438 जि.3)

मसअ्ला.61:– हाथ की उंगली के बदले में पैर की उंगली और पैर की उंगली के बदले में हाथ की उंगली नहीं काटी जायेगी। (आलमगीरी स.12 जि.6)

मसअ्ला.62:– दाहिने हाथ की उंगली के बदले में बायें हाथ की और बायें हाथ की उंगली के बदले में दायें हाथ की उंगली नहीं काटी जायेगी(आलमगीरी स.12 जि.6, बजाज़िया अलल्हिन्दिया स.393 जि.6)

मसअ्ला.63:– नाक़िस उंगलियों वाले हाथ के बदले में सहीह हाथ नहीं काटा जायेगा(आलमगीरी स.12)

मसअ्ला.64:– किसी ने छटी उंगली को काट दिया और काटने वाले के हाथ में भी छटी उंगली है तो भी क़िसास नहीं लिया जायेगा। (आलमगीरी स.12 जि.6, बहरुर्राइक स.306 जि.8)

मसअ्ला.65:– अगर ऐसी हथेली काट दी जिस की गिरफ़्त में ख़ारिज ज़ाइद उंगली थी तो क़िसास नहीं है और अगर गिरफ़्त में उंगली ख़ारिज नहीं थी तो क़िसास लिया जायेगा(आलमगीरी अनिलमुहीत)

मसअ्ला.66:– अगर कोई शख़्स किसी के हाथ की उंगली काट ले जिससे उसकी हथेली शल हो जाये या जोड़ से उंगली का एक पोरा काट ले जिससे बक़िया उंगली या हथेली शल होजाये तो उंगली का क़िसास नहीं है हाथ या शल उंगली की दियत है। (बदाइअ् सनाइअ् 306 जि.7)

हाथ के मसाइल

मसअ्ला.67:– अगर किसी का ऐसा ज़ख़्मी हाथ काटा गया जिसका ज़ख़्म गिरफ़्त में हारिज न था तो क़िसास लिया जायेगा और अगर ज़ख़्म गिरफ़्त में हारिज था तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.12 जि.6, शामी स.490 जि.5)

मसअ्ला.68:– अगर काले नाख़ून वाला हाथ काटा तो उसका क़िसास लिया जायेगा(आलमगीरी स.12 जि.6)

मसअ्ला.69:– अगर किसी का सहीह हाथ काट दियां और काटने वाले का हाथ शल (बे'हिस व हरकत) या नाक़िस है तो मक़तूउलयद (यानी जिसका हाथ कटा है) को इख़्तियार है चाहे तो नाक़िस हाथ काट दे या चाहे तो पूरी दियत लेले यह इख़्तियार उस सूरत में है कि नाक़िस हाथ कारआमद हो वरना दियत पर इक्तिफ़ा किया जायेगा। (आलमगीरी स.12 जि.6, दुर्रेमुख़्तार शामी स.489 जि.5)

मसअ्ला.70:– ज़ैद ने बक्र का हाथ काटा और ज़ैद का हाथ शल या नाक़िस था और बक्र ने अभी इख़्तियार से काम नहीं लिया था कि किसी शख़्स ने ज़ैद का नाक़िस हाथ ज़ुल्मन काट दिया या किसी आफ़त से ज़ाइअ होगया तो बक्र का हक़ बातिल होजायेगा और अगर ज़ैद का नाक़िस हाथ क़िसास या चोरी के जुर्म में काट दिया गया तो बक्र दियत का हक़दार है। (आलमगीरी स.12 जि.6)

मसअ्ला.71:– अगर किसी ने किसी की उंगली या हाथ का कुछ हिस्सा काट दिया फिर दूसरे शख़्स ने बाक़ी हाथ काट दिया और ज़ख़्मी मर गया तो जान का क़िसास दूसरे शख़्स पर है पहले पर नहीं पहले की उंगली या हाथ काटा जायेगा। (आलमगीरी स.12 जि.6)

मसअ्ला.72:– किसी का हाथ क़स्दन काटा फिर काटने वाले का हाथ आकिला (एक क़िस्म की बीमारी जो मुतास्सिरा हिस्से को खाती और गलाती है) की वजह से या ज़ुलमन काट दिया गया तो क़िसास और

दियत दोनों बातिल होजायेंगे और अगर काटने वाले का हाथ किसी दूसरे किसास या चोरी की सज़ा में काटा गया तो पहले मक़तूउलयद को दियत देगा। (क़ाज़ी ख़ाँ स.436 जि.3 अलल्हिन्दिया)

मसअला.73:– किसी शख़्स की दो उंगलियाँ काट दीं और काटने वाले की सिर्फ़ एक उंगली है तो यह एक उंगली काट दी जायेगी और दूसरी उंगली की दियत वाजिब होगी। (आलमगीरी स.13 जि.6)

मसअला.74:– किसी शख़्स का हाथ पहुँचे से काट दिया और क़ातेअ(काटने वाला)से इसका क़िसास ले लिया गया और ज़ख़्म भी अच्छा होगया फिर उनमें से किसी ने दूसरे का पहुँचे से कटा हुआ हाथ कोहनी से काट दिया तो क़िसास नहीं लिया जायेगा। (आलमगीरी स.12 जि.6)

मसअला.75:– किसी शख़्स ने किसी के दाहिने हाथ की उंगली जोड़ से काटी फिर उसी क़ातेअ ने किसी दूसरे शख़्स का दाहिना हाथ काट दिया या पहले किसी का दाहिना हाथ काटा फिर दूसरे के दाहिने हाथ की उंगली काट दी इसके बाद दोनों मक़तूअ (हाथ व उंगली कटे हुए) आये और उन्होंने दअवा किया तो क़ाज़ी पहले क़ातेअ की उंगली काटेगा इस के बाद मक़तूउलयद को इख़्तियार है कि चाहे तो मा'बक़िया हाथ को काटदे और चाहे तो दियत लेले और अगर मक़तूउलयद पहले आया और इसकी वजह से क़ातेअ का हाथ काट दिया गया फिर उंगली कटा आया तो इस के लिये दियत है। (आलमगीरी स.13 जि.6, मब्सूत स.143 जि.6)

मसअला.76:– अगर किसी ने किसी की उंगली का नाखुन वाला पोरा काट दिया फिर दूसरे शख़्स की उसी उंगली को जोड़ से काट दिया और तीसरे शख़्स की उसी उंगली को जड़ से काट दिया और तीनों उंगलियों के लिये क़ाज़ी के पास हाज़िर हुए और अपना हक़ तलब किया तो क़ाज़ी पहले पोरे वाले के हक़ में क़ातेअ का पहला पोरा यानी नाखुन वाला काट देगा फिर दरम्यान वाले को इख़्तियार देगा कि चाहे तो दरम्यान से क़ातेअ की उंगली काटदे और पहले पोरे की दियत न ले और चाहे तो उंगली की दियत में से $\frac{2}{3}$ दो तिहाई लेले फिर जब दरम्यान वाले ने उंगली काट दी तो तीसरे को यानी जिसकी उंगली जड़ से काटी गई थी उसको इख़्तियार है कि चाहे तो क़ातेअ की उंगली जड़ से काट दे और दियत कुछ न ले और चाहे तो पूरी उंगली की दियत क़ातेअ के माल से लेले और तीन में से क़ाज़ी के पास एक आया और दो ग़ाइब और जो आया वह पहले पोरे वाला है तो इस के हक़ में क़ातेअ की उंगली का पहला पोरा काटा जायेगा। पोरा काटने के बाद अगर दोनों ग़ाइबैन भी आगये तो उनको मज़कूरा बाला इख़्तियार होगा। और अगर पहले वह आया जिसकी पूरी उंगली काटी थी दूसरे दोनों नहीं आये और क़ाज़ी ने क़ातेअ की पूरी उंगली काट दी फिर दूसरे दोनों आगये तो उन के लिये दियत है। (आलमगीरी स.13 जि.6)

मसअला.77:– अगर किसी का पहुँचा काट दिया फिर उसी क़ातेअ ने दूसरे शख़्स का वही हाथ कोहनी से काट दिया फिर दोनों मक़तूअ क़ाज़ी के पास आये तो क़ाज़ी पहुँचे वाले के हक़ में क़ातेअ का पहुँचा काट देगा फिर कोहनी वाले को इख़्तियार देगा कि चाहे तो बाक़ी हाथ कोहनी से काट दे और चाहे तो दियत लेले और अगर दोनों मक़तूओं में से एक हाज़िर हुआ और दूसरा ग़ाइब तो हाज़िर के हक़ में क़िसास का हुक्म देगा। (आलमगीरी स.13 जि.6, मब्सूत स.145 जि.26)

मसअला.78:– किसी ने किसी के हाथ की उंगली काट दी, फिर उंगली कटे ने क़ातेअ का हाथ जोड़ से काट दिया तो मक़तूउलयद को इख़्तियार है कि चाहे तो इस नाक़िस हाथ ही को काट दे और चाहे तो दियत लेले और उंगली का हक़ बातिल है। (आलमगीरी स.130 जि.6)

मसअला.79:– **(अ)**किसी शख़्स ने दो आदमियों के दाहिने हाथ क़स्दन काट दिये फिर एक ने ब'हुक्मे क़ाज़ी क़िसास ले लिया तो दूसरे को दियत मिलेगी और अगर दोनों एक साथ क़ाज़ी के पास आये तो दोनों के लिये क़िसास में क़ातेअ का दाहिना हाथ काट देगा और हर एक को हाथ की निस्फ़ दियत भी मिलेगी। (क़ाज़ी ख़ाँ स.436 जि.3, दुर्रेमुख़्तार रद्दुल मुहतार स.491 जि.5)

मसअला.80:– **(ब)**किसी शख़्स ने दो अफ़राद के सीधे हाथ क़स्दन काट दिये और क़ाज़ी ने दोनों

के क़िसास़ में क़ातेअ़् का हाथ काटने और पाँच हज़ार दिरहम हाथ की दियत देने का हुक्म दिया। दोनों ने पाँच हज़ार दिरहम पर क़ब्ज़ा कर लिया फिर एक ने मुआफ़ कर दिया तो जिसने मुआफ़ नहीं किया है उसको निस्फ़ दियते यद यानी ढाई हज़ार दिरहम मिलेंगे।(क़ाज़ी ख़ाँ स.436 जि.3 शामी स.491 जि.5)

मसअ्ला.81:– किसी ने दो आदमियों के दाहिने हाथ क़स्दन काट दिये। क़ाज़ी ने दोनों के हक़ में क़िसास़ और दियत का हुक्म दिया। दियत पर क़ब्ज़े से पहले एक ने मुआफ़ कर दिया तो दूसरे को सिर्फ़ क़िसास़ का हक़ है दियत मुआफ़ होजायेगी।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.491 जि.5 आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.82:– किसी का नाखुन वाला पोरा क़स्दन काट दिया वह अच्छा होगया और क़िसास़ नहीं लिया गया था कि उसी उंगली का और एक पोरा काट दिया तो क़िसास़ में नाखुन वाला पोरा काट दिया जायेगा और दूसरे पोरे की दियत मिलेगी और अगर पहला ज़ख़्म अच्छा नहीं हुआ था कि दूसरा पोरा काट दिया तो दोनों पोरे एक साथ काटकर क़िसास़ लिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.83:– किसी का नाखुन वाला पोरा क़स्दन काट दिया और ज़ख़्म अच्छा होगया और इस का क़िसास़ भी ले लिया गया फिर उसी क़ातेअ़् (काटने वाले) ने उसी उंगली का दूसरा पोरा काट दिया और ज़ख़्म अच्छा होगया तो क़िसास़ भी लिया जायेगा। यानी क़ातेअ़् का दूसरा पोरा पूरा काट दिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.84:– किसी शख़्स़ का निस्फ़ पोरा क़स्दन टुकड़े करके काट दिया और ज़ख़्म अच्छा होगया फिर बक़ाया पोरा जोड़ से काट दिया तो इस सूरत में क़िसास़ नहीं है और अगर दरम्यान में ज़ख़्म अच्छा नहीं हुआ था तो जोड़ से पोरा काटकर क़िसास़ लिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.85:– क़स्दन किसी की उंगलियाँ काट दीं फिर ज़ख़्म अच्छा होने से पहले जोड़ से पहुँचा काट दिया तो क़ातेअ़् का पहुँचा जोड़ से काटकर क़िसास़ लिया जायेगा उंगलियाँ नहीं काटी जायेंगी और अगर दरम्यान में ज़ख़्म अच्छा होगया था तो उंगलियों में क़िसास़ लिया जायेगा और पहुँचे का इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.86:– किसी शख़्स़ की उंगली का नाखुन वाला पोरा क़स्दन काट दिया फिर ज़ख़्म अच्छा होने से पहले दूसरे पोरे का निस्फ़ काट दिया तो क़िसास़ वाजिब नहीं है और अगर दरम्यान में ज़ख़्म अच्छा होगया था तो पहले पोरे का क़िसास़ लिया जायेगा और बाक़ी की दियत लीजायेगी।(आलमगीरी स.14)

मसअ्ला.87:– अगर किसी की उंगली क़स्दन काट दी और उसकी वजह से उसकी हथेली शल होगई तो उंगली का क़िसास़ नहीं है हाथ की दियत ली जायेगी। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.88:– किसी की उंगली क़स्दन काटी और छुरी ने फिसल कर दूसरी उंगुली को भी काट दिया तो पहली का क़िसास़ लिया जायेगा और दूसरी की दियत ली जायेगी। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.89:– चन्द आदमियों ने एक ही छुरी को पकड़ कर किसी शख़्स़ का कोई उ़ज़ू क़स्दन काट दिया तो क़िसास़ नहीं लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.491 जि.5)

मसअ्ला.90:– औ़रत और मर्द अगर एक दूसरे के अअ़्ज़ा काट दें तो उनमें क़िसास़ नहीं है इस त़रह अगर गुलाम और आज़ाद एक दूसरे का उ़ज़ू का काटदें या दो गुलाम एक दूसरे का कोई उ़ज़ू काटें तो क़िसास़ नहीं है चूंकि उनके अअ़्ज़ा में मुमास़लत नहीं है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.488 जि. 5)

मसाइले मुतफ़र्रिक़ा

मसअ्ला.91:– ज़कर (मर्द के पेशाब का उ़ज़ू) को अगर जड़ से काट दिया या सिर्फ़ पूरी सुपारी को काट दिया तो क़िसास़ लिया जायेगा यानी क़ातेअ़् का ज़कर जड़ से काट दिया जायेगा और सुपारी की सूरत में सुपारी काटी जायेगी और दरम्यान से काटे जाने की सूरत में क़िसास़ नहीं है चूंकि इस सूरत में मुमास़लत (उसी की त़रह काटना) मुम्किन नहीं। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.489 जि.5)

मसअ्ला.92:– ख़स्सी (जिसके खुसिये निकाल दिये गये हों) या इन्नीन (ना'मर्द) का ज़कर काट दिया तो इसमें इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.489 जि.5)

मसअला.93:– बच्चे का ज़कर काट दिया गया अगर इन्तिशार (जिमा या हम्बिस्तरी के वक़्त जो हालत होती है।(अमीनुल क़ादरी)) होता था तो क़स्दन काटने में क़िसास और ख़ताअ्न काटने में दियत वाजिब होगी और अगर इन्तिशार नहीं होता था तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा।(शामी व दुर्रेमुख़्तार स.489 जि.5)

मसअला.94:– अगर औरत ने किसी का ज़कर काट दिया तो इस में क़िसास नहीं है।(शामी स.489 जि.5)

मसअला.95:– अगर किसी ने किसी का ख़ुसिया पकड़ कर मसल दिया जिस से वह नामर्द होगया तो दियत लाज़िम होगी। (बज़ाज़िया अलल्हिन्दिया स.394 जि.06)

फ़स्लुन फ़िलफ़ेअ्लैन
एक ही शख़्स में क़त्ल और क़तअ् उज़ू का इज्तिमाअ्

मसअला.96:– किसी शख़्स को उज़ू काट कर क़त्ल कर दिया जाये तो इस में अक़्ली वुँजूह सोलह निकलेंगी मसलन दोनों फ़ेअ्ल यानी क़त्ल और क़तअ् अमदन होंगे या ख़ताअ्न या क़त्ल ख़ताअ्न होगा और क़तअ् अमदन या क़त्ल अमदन होगा और क़तअ् ख़ताअ्न तो यह चार सूरतें हुई। फिर हर एक सूरत में दोनों फ़ेअ्लों के दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् हुई या नहीं तो यह आठ सूरतें होगई। फिर यह दोनों फ़ेअ्ल एक शख़्स से सादिर होंगे या दो अश्ख़ास से इस तरह कुल सोलह सूरतें बनीं। इन सोलह सूरतों में से आठ सूरतें वह हैं जिन में क़ातेअ् और क़ातिल दो मुख़्तलिफ़ अश्ख़ास हों उनका हुक्म यह कि हर एक के साथ उस के फ़ेअ्ल के ब'मूजिब क़िसास या दियत लीजायेगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स494 जि.5)

मसअला.97:– बक़िया आठ सूरतें जिन में फ़ाइल एक शख़्स हो उनका हुक्म यह है कि नम्बर एक क़तअ् और क़त्ल जब दोनों क़स्दन हों और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई हो तो दोनों का क़िसास लिया जायेगा। (शामी स.494 जि.5)

मसअला.98:– क़त्ल व क़तअ् जब दोनों क़स्दन हों और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो वली को इख़्तियार है कि चाहे तो पहले उज़ू काटे फिर क़त्ल करे और चाहे तो क़त्ल पर इक्तिफ़ा करे। (एनाया व फ़त्हुलक़दीर स.283 जि.8)

मसअला.99:– क़तअ् और क़त्ल अगर दोनों ख़ताअ्न हों और दरम्यान में सेहत होगई तो दोनों की दियत लीजायेगी। (तबईनुलहक़ाइक़ स.117 जि.6)

मसअला.100:– क़तअ् और क़त्ल अगर दोनों ख़ताअ्न हों और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो सिर्फ़ दियते नफ़्स वाजिब होगी। (तबईन स.117 जि.6)

मसअला.101:– अगर क़तअ् क़स्दन हो और क़त्ल ख़ताअ्न और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई हो तो क़तअ् का क़िसास और क़त्ल की दियत लीजायेगी। (तबईनुल'हक़ाइक़ स.117 जि.6)

मसअला.102:– अगर क़तअ् अमदन और क़त्ल ख़ताअ्न हो और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो क़तअ् में क़िसास और क़त्ल में दियत ली जायेगी। (तबईन स.117 जि.6)

मसअला.103:– अगर क़तअ् ख़ताअ्न और क़त्ल अमदन हो और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई हो तो क़तअ् की दियत और क़त्ल का क़िसास वाजिब होगा। (तबईन स.117 जि.6)

मसअला.104:– अगर क़तअ् ख़ताअ्न और क़त्ल अमदन हो और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो क़तअ् की दियत और क़त्ल का क़िसास वाजिब होगा। (तबईन स.117 जि.6)

मसअला.105:– अगर किसी शख़्स को नव्वे कोड़े एक जगह मारे वह जगह अच्छी होगई हो और मारने के निशानात भी बाक़ी न रहे फिर दस कोड़े दूसरी जगह मारे इस से वह मरगया तो इस सूरत में सिर्फ़ दियते नफ़्स वाजिब है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.494 जि.5, फ़तह स.284 जि.8)

मसअला.106:– अगर किसी शख़्स को नव्वे कोड़े मारे और उसके ज़ख़्म अच्छे होगये मगर निशानात बाक़ी रहगये फिर दस कोड़े मारे जिन से वह मरगया तो दियते नफ्स और इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (तबईनुल'हक़ाइक़ स.118 जि.6)

के क़िसास में क़ातेअ़ का हाथ काटने और पाँच हज़ार दिरहम हाथ की दियत देने का हुक्म दिया। दोनों ने पाँच हज़ार दिरहम पर क़ब्ज़ा कर लिया फिर एक ने मुआफ़ कर दिया तो जिसने मुआफ़ नहीं किया है उसको निस्फ़ दियते यद यानी ढाई हज़ार दिरहम मिलेंगे।(क़ाज़ी ख़ाँ स.436 जि.3 शामी स.491 जि.5)

मसअ्ला.81:– किसी ने दो आदमियों के दाहिने हाथ क़स्दन काट दिये। क़ाज़ी ने दोनों के हक़ में क़िसास और दियत का हुक्म दिया। दियत पर क़ब्ज़े से पहले एक ने मुआफ़ कर दिया तो दूसरे को सिर्फ़ क़िसास का हक़ है दियत मुआफ़ होजायेगी।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.491 जि.5 आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.82:– किसी का नाखुन वाला पोरा क़स्दन काट दिया वह अच्छा होगया और क़िसास नहीं लिया गया था कि उसी उंगली का और एक पोरा काट दिया तो क़िसास में नाखुन वाला पोरा काट दिया जायेगा और दूसरे पोरे की दियत मिलेगी और अगर पहला ज़ख़्म अच्छा नहीं हुआ था कि दूसरा पोरा काट दिया तो दोनों पोरे एक साथ काटकर क़िसास लिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.83:– किसी का नाखुन वाला पोरा क़स्दन काट दिया और ज़ख़्म अच्छा होगया और इस का क़िसास भी ले लिया गया फिर उसी क़ातेअ़ (काटने वाले) ने उसी उंगली का दूसरा पोरा काट दिया और ज़ख़्म अच्छा होगया तो क़िसास भी लिया जायेगा। यानी क़ातेअ़ का दूसरा पोरा पूरा काट दिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.84:– किसी शख़्स का निस्फ़ पोरा क़स्दन टुकड़े करके काट दिया और ज़ख़्म अच्छा होगया फिर बक़ाया पोरा जोड़ से काट दिया तो इस सूरत में क़िसास नहीं है और अगर दरम्यान में ज़ख़्म अच्छा नहीं हुआ था तो जोड़ से पोरा काटकर क़िसास लिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.85:– क़स्दन किसी की उंगलियाँ काट दीं फिर ज़ख़्म अच्छा होने से पहले जोड़ से पहुँचा काट दिया तो क़ातेअ़ का पहुँचा जोड़ से काटकर क़िसास लिया जायेगा उंगलियाँ नहीं काटी जायेंगी और अगर दरम्यान में ज़ख़्म अच्छा होगया था तो उंगलियों में क़िसास लिया जायेगा और पहुँचे का इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.86:– किसी शख़्स की उंगली का नाखुन वाला पोरा क़स्दन काट दिया फिर ज़ख़्म अच्छा होने से पहले दूसरे पोरे का निस्फ़ काट दिया तो क़िसास वाजिब नहीं है और अगर दरम्यान में ज़ख़्म अच्छा होगया था तो पहले पोरे का क़िसास लिया जायेगा और बाक़ी की दियत लीजायेगी(आलमगीरी स.14)

मसअ्ला.87:– अगर किसी की उंगली क़स्दन काट दी और उसकी वजह से उसकी हथेली शल होगई तो उंगली का क़िसास नहीं है हाथ की दियत ली जायेगी। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.88:– किसी की उंगली क़स्दन काटी और छुरी ने फिसल कर दूसरी उंगुली को भी काट दिया तो पहली का क़िसास लिया जायेगा और दूसरी की दियत ली जायेगी। (आलमगीरी स.14 जि.6)

मसअ्ला.89:– चन्द आदमियों ने एक ही छुरी को पकड़ कर किसी शख़्स का कोई उ़ज़ू क़स्दन काट दिया तो क़िसास नहीं लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.491 जि.5)

मसअ्ला.90:– औरत और मर्द अगर एक दूसरे के अअ़ज़ा काट दें तो उनमें क़िसास नहीं है इस तरह अगर गुलाम और आज़ाद एक दूसरे का उ़ज़ू का काटदें या दो गुलाम एक दूसरे का कोई उ़ज़ू काटें तो क़िसास नहीं है चूंकि उनके अअ़ज़ा में मुमास्लत नहीं है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.488 जि. 5)

मसाइले मुतफ़र्रिक़ा

मसअ्ला.91:– ज़कर (मर्द के पेशाब का उ़ज़ू) को अगर जड़ से काट दिया या सिर्फ़ पूरी सुपारी को काट दिया तो क़िसास लिया जायेगा यानी क़ातेअ़ का ज़कर जड़ से काट दिया जायेगा और सुपारी की सूरत में सुपारी काटी जायेगी और दरम्यान से काटे जाने की सूरत में क़िसास नहीं है चूंकि इस सूरत में मुमास्लत (उसी की तरह काटना) मुम्किन नहीं। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.489 जि.5)

मसअ्ला.92:– ख़स्सी (जिसके खुसिये निकाल दिये गये हों) या इन्नीन (ना'मर्द) का ज़कर काट दिया तो इसमें इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.489 जि.5)

मसअ्ला.93:– बच्चे का ज़कर काट दिया गया अगर इन्तिशार (जिमा या हम्बिस्तरी के वक़्त जो हालत होती है।(अमीनुल क़ादरी)) होता था तो क़स्दन काटने में क़िसास और ख़ताअ्न काटने में दियत वाजिब होगी और अगर इन्तिशार नहीं होता था तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा।(शामी व दुर्रेमुख़्तार, स.489 जि.5)

मसअ्ला.94:– अगर औरत ने किसी का ज़कर काट दिया तो इस में क़िसास नहीं है।(शामी स.489 जि.5)

मसअ्ला.95:– अगर किसी ने किसी का ख़ुसिया पकड़ कर मसल दिया जिस से वह नामर्द होगया तो दियत लाज़िम होगी। (बजाजिया अलल्हिन्दिया स.394 जि.06)

फ़स्लुन फ़िलफ़ेअ्लैन
एक ही शख़्स में क़त्ल और क़तअ् उज़्व का इज्तिमाअ्

मसअ्ला.96:– किसी शख़्स को उज़्व काट कर क़त्ल कर दिया जाये तो इस में अक़्ली वुजूह सोलह निकलेंगी मस्लन दोनों फ़ेअ्ल यानी क़त्ल और क़तअ् अमदन होंगे या ख़ताअ्न या क़त्ल ख़ताअ्न होगा और क़तअ् अमदन या क़त्ल अमदन होगा और क़तअ् ख़ताअ्न तो यह चार सूरतें हुईं। फिर हर एक सूरत में दोनों फ़ेअ्लों के दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् हुई या नहीं तो यह आठ सूरतें होगईं। फिर यह दोनों फ़ेअ्ल एक शख़्स से सादिर होंगे या दो अश्ख़ास से इस तरह कुल सोलह सूरतें बनीं। इन सोलह सूरतों में से आठ सूरतें वह हैं जिन में क़ातेअ् और क़ातिल दो मुख़्तलिफ़ अश्ख़ास हों उनका हुक्म यह कि हर एक के साथ उस के फ़ेअ्ल के ब'मूजिब क़िसास या दियत लीजायेगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स494 जि.5)

मसअ्ला.97:– बक़िया आठ सूरतें जिन में फ़ाइल एक शख़्स हो उनका हुक्म यह है कि नम्बर एक क़तअ् और क़त्ल जब दोनों क़स्दन हों और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई हो तो दोनों का क़िसास लिया जायेगा। (शामी स.494 जि.5)

मसअ्ला.98:– क़त्ल व क़तअ् जब दोनों क़स्दन हों और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो वली को इख़्तियार है कि चाहे तो पहले उज़्व काटे फिर क़त्ल करे और चाहे तो क़त्ल पर इक्तिफ़ा करे। (एनाया व फ़त्हुलक़दीर स.283 जि.8)

मसअ्ला.99:– क़तअ् और क़त्ल अगर दोनों ख़ताअ्न हों और दरम्यान में सेहत होगई तो दोनों की दियत लीजायेगी। (तबईनुलहक़ाइक़ स.117 जि.6)

मसअ्ला.100:– क़तअ् और क़त्ल अगर दोनों ख़ताअ्न हों और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो सिर्फ़ दियते नफ़्स वाजिब होगी। (तबईन स.117 जि.6)

मसअ्ला.101:– अगर क़तअ् क़स्दन हो और क़त्ल ख़ताअ्न और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई हो तो क़तअ् का क़िसास और क़त्ल की दियत लीजायेगी। (तबईनुल'हक़ाइक़ स.117 जि.6)

मसअ्ला.102:– अगर क़तअ् अमदन और क़त्ल ख़ताअ्न हो और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो क़तअ् में क़िसास और क़त्ल में दियत ली जायेगी। (तबईन स.117 जि.6)

मसअ्ला.103:– अगर क़तअ् ख़ताअ्न और क़त्ल अमदन हो और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई हो तो क़तअ् की दियत और क़त्ल का क़िसास वाजिब होगा। (तबईन स.117 जि.6)

मसअ्ला.104:– अगर क़तअ् ख़ताअ्न और क़त्ल अमदन हो और दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् न हुई हो तो क़तअ् की दियत और क़त्ल का क़िसास वाजिब होगा। (तबईन स.117 जि.6)

मसअ्ला.105:– अगर किसी शख़्स को नव्वे कोड़े एक जगह मारे वह जगह अच्छी होगई हो और मारने के निशानात भी बाक़ी न रहे फिर दस कोड़े दूसरी जगह मारे इस से वह मरगया तो इस सूरत में सिर्फ़ दियते नफ़्स वाजिब है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.494 जि.5, फ़तह स.284 जि.8)

मसअ्ला.106:– अगर किसी शख़्स को नव्वे कोड़े मारे और उसके ज़ख़्म अच्छे होगये मगर निशानात बाक़ी रहगये फिर दस कोड़े मारे जिन से वह मरगया तो दियते नफ़्स और इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (तबईनुल'हक़ाइक़ स.118 जि.6)

मसअ्ला.107:– अगर किसी ने किसी का उज़्व काटा या उसको ज़ख्मी कर दिया और ज़ख्मी ने जनायत करने वाले को मुआफ़ कर दिया और इस के बाद वह ज़ख्मी इस ज़ख्म या क़तअ् उज़्व की वजह से मरगया तो इस में चार सूरतें बनेंगी।

(1)यह जनायत अगर क़स्दन थी और मुआफ़ करने वाले ने कहा कि मैंने क़तअ् उज़्व (जिस्म का हिस्सा काटना) और जनायत और इससे पैदा होने वाले अस्रात को मुआफ़ कर दिया तो आम मुआफ़ी हो जायेगी और जानी (काटने वाला) के ज़िम्मे कुछ वाजिब न होगा। (तहतावी स.273 जि.4)

(2)और अगर मुआफ़ करने वाले ने कहा कि मैंने क़तअ् उज़्व और जनायत को मुआफ़ कर दिया और इस से पैदा होने वाले अस्रात का कुछ ज़िक्र नहीं किया तो इस्तिहसानन दियत वाजिब होगी।

(3)और अगर क़तअ् उज़्व या ज़ख्म ख़ताअ्न था और मरने वाले ने यह कहा कि मैंने क़तअ् अज़्व से मुआफ़ करदिया और इससे पैदा होने वाले अस्रात का ज़िक्र नहीं किया तो सरायत की मुआफ़ी नहीं होगी और दियते नफ़्स वाजिब होगी।

(4)और अगर क़तअ् उज़्व या ज़ख्म ख़ताअ्न था और मरने वाले ने कहा कि मैंने क़तअ् उज़्व और इस से पैदा होने वाले अस्रात को भी मुआफ़ कर दिया तो बिल्कुल मुआफ़ी होजायेगी और जानी पर कुछ वाजिब न होगा। (आलमगीरी स.26 जि.6, फ़त्हुलक़दीर व एनाया स.285 जि.8)

मसअ्ला.108:– अगर माँ ने अपने बच्चे को तादीब (अदब सिखाने) के लिये मारा और बच्चा मरगया तो माँ ज़ामिन है। (शामी स.499 जि.5, तहतावी स.275 जि.4)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.109:– किसी ने किसी शख़्स के अ़मदन तीर मारा और वह तीर उस शख़्स के जिस्म के पार होकर किसी दूसरे शख़्स को लग गया और दोनों मर गये तो पहले का क़िसास़ लिया जायेगा और दूसरे की दियत क़ातिल के आ़क़िला पर वाजिब होगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.492 जि.5, तहतावी स.272 जि.4)

मसअ्ला.110:– किसी शख़्स पर सांप गिरा उसने उस को फेंक दिया और वह दूसरे शख़्स पर जा गिरा इस तरह इस ने भी फेंका और वह तीसरे शख़्स पर जा गिरा और उसको काट लिया और वह मर गया तो अगर सांप ने गिरते ही काट लिया था तो इस आखिरी फेंकने वाले के आ़क़िला पर दियत है और अगर गिरने के कुछ देर बाद काटा तो किसी पर कुछ नहीं है(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.492 जि.5)

मसअ्ला.111:– किसी ने रास्ते में सांप या बिच्छू डाल दिया और डालने के फ़ौरन बाद उसने किसी को काट लिया और वह मर गया तो डालने वाले के आ़क़िला पर दियत है और अगर कुछ देर के बाद या अपनी जगह से हटकर काटा तो किसी पर कुछ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.492 जि.5)

मसअ्ला.112:– किसी शख़्स ने रास्ते में तलवार रखदी और कोई इस पर गिर पड़ा और मरगया तो तलवार भी टूट गयी तो मरने वाले की दियत तलवार रखने वाले पर है और तलवार की क़ीमत मरने वाले के माल से अदा की जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.493 जि.5)

मसअ्ला.113:– अ़मदन क़त्ल करने वाले ने ऐसे शख़्स के साथ मिलकर क़त्ल किया जिस पर क़िसास़ नहीं होता मस्लन अजनबी ने बाप के साथ मिलकर बेटे को क़त्ल किया या आ़क़िल ने मजनून के साथ मिलकर या बालिग़ ने ना'बालिग़ के साथ मिलकर क़त्ल किया तो किसी पर क़िसास़ नहीं है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.493 जि.5, तहतावी अ़लद्दुरर स.272 जि.4)

मसअ्ला.114:– अगर किसी ने अपनी बीवी या बांदी के साथ किसी को ना'जाइज़ हालत में देखा और ललकारने के बा'वजूद नहीं भागा तो इसने उसको क़त्ल कर दिया तो इस पर क़िसास़ भी नहीं और कोई गुनाह भी नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार स.493 जि.5, तहतावी अ़लद्दुरर स.272 जि.4)

मसअ्ला.115:– किसी शख़्स ने किसी बच्चे को अपना घोड़ा दिया कि उसको बांध दे और घोड़े ने लात मारदी जिससे बच्चा मरगया तो घोड़ा देने वाले के आ़क़िला पर दियत है उसी तरह बच्चे को लाठी या कोई अस्लहा दिया और कहा कि इस को पकड़े रहो बच्चा थक गया और वह अस्लहा

की वजह से मख़रजैन की दरम्यानी जगह फटकर एक होगई तो शौहर पर कोई तावान नहीं है और अगर ज़ौजा ना'बालिग़ा से या ऐसी ज़ौजा से जो इस की इस्तिताअ़त नहीं रखती थी या किसी औरत से जबरन वती की और मख़्रजैन एक होगये या मौत वाकेअ़् होगई तो आ़क़िला पर दियत लाज़िम होगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.499 जि.5)

मसअ्ला.131:– जर्राह ने आँख का आप्रेशन किया और आँख फट गई और जर्राह इस फ़न का माहिर न था तो इस पर निस्फ़ दियत लाज़िम है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.499 जि.5)

मसअ्ला.132:– बच्चा छत से गिर पड़ा और उसका सर फट गया अकस़र जर्राहों ने यह राय दी कि अगर इसका आप्रेशन किया गया तो मर जायेगा और एक ने कहा कि अगर आप्रेशन नहीं किया गया तो मरजायेगा लिहाज़ा मैं आप्रेशन करता हूँ और इसने आप्रेशन कर दिया और दो एक दिन बाद बच्चा मर गया तो अगर आप्रेशन सहीह त़रीक़े पर हुआ और वली की इजाज़त से हुआ था जर्राह ज़ामिन नहीं है और अगर वली की इजाज़त के बिग़ैर था या ग़लत़ त़रीक़े से हुआ था तो ज़ाहिर यह है कि क़िसास़ लिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.499 जि.5)

मसअ्ला.133:– किसी का नाखुन उखेड़ दिया अगर पहले जैसा दोबारा उग आया तो कुछ नहीं है और अगर न उगा या ऐबदार उगा तो इन्स़ाफ़ के साथ तावान लिया जायेगा लेकिन ऐबदार उगने का तावान न उगने के तावान से कम होगा। (बज़ाज़िया अलल्हिन्दिया स.393 जि.6)

बाबुश्शहादत अ़लल'क़त्ल

(क़त्ल पर गवाही का बयान)

मसअ्ला.134:– मस्तूरुल'हाल दो आदमियों ने किसी के ख़िलाफ़ क़त्ल की गवाही दी तो उसको क़ैद कर लिया जाये यहाँ तक कि गवाहों के मुतअ़ल्लिक़ मा़लूमात की जाये इसी त़रह अगर एक आ़दिल आदमी ने किसी के ख़िलाफ़ क़त्ल की शहादत दी तो इसको चन्द दिन क़ैद में रखा जायेगा अगर मुद्दई दूसरा गवाह पेश करे तो मुक़द्दमा चलेगा वरना रिहा कर दिया जायेगा।(आलमगीरी स.15 जि.6)

मसअ्ला.135:– किसी ने दअ़्वा किया कि फुलाँ शख़्स़ ने मेरे बाप को ख़त़ाअ़न क़त्ल करदिया है और कहता है कि गवाह शहर में हैं और क़ाज़ी से मुत़ालबा करता है कि मुद्दआ'अ़लैहि से ज़मानत लेली जाये तो क़ाज़ी मुद्दआ अ़लैहि से तीन दिन के लिये ज़मानत त़लब करेगा और अगर मुद्दई कहता है कि मेरे गवाह ग़ाइब हैं और गवाहों के हाज़िर होने के वक़्त के लिये ज़मानत का मुत़ालबा करता है तो क़ाज़ी मुद्दई की बात नहीं मानेगा और अगर दअ़्वा करता है कि मेरे बाप को अ़मदन क़त्ल किया गया है ज़मानत का मुत़ालबा करता है तो ज़मानत नहीं लेगा। (आलमगीरी स.16 जि.6)

मसअ्ला.136:– मक़तूल के एक बेटे ने दअ़्वा किया मेरे बाप को अ़मदन ज़ैद ने क़त्ल कर दिया और इस पर गवाह भी पेश कर दिये मगर मक़तूल का दूसरा बेटा ग़ाइब है तो क़ाज़ी शहादत को क़बूल कर लेगा और क़ातिल को क़ैद करदेगा लेकिन अभी क़िसास़ नहीं लिया जायेगा जब दूसरा बेटा हाज़िर होकर दोबारा शहादत पेश करेगा तो क़िसास़ लिया जायेगा। (आलमगीरी स.16 जि.6)

मसअ्ला.137:– और अगर मक़तूल के एक बेटे ने दअ़्वा किया कि मेरे बाप को ज़ैद ने ख़त़ाअ़न क़त्ल कर दिया और गवाह भी पेश कर दिये और दूसरा बेटा ग़ाइब है तो क़ाज़ी ज़ैद को क़ैद कर देगा और जब दूसरा बेटा हाज़िर होगा तो इसको दोबारा शहादत पेश करने की ज़रूरत नहीं है इस की हाज़िरी पर मुक़द्दमा का फ़ैस़ला कर दिया जायेगा। (आलमगीरी स.16 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.500 जि.5)

मसअ्ला.138:– वुरसा ने दो अशख़ास़ पर अपने बाप के क़त्ले अ़मद का इल्ज़ाम लगाया और गवाह पेश किये मगर एक क़ातिल ग़ाइब है तो हाज़िर के मुक़ाबिले में यह गवाही क़बूल करली जायेगी और उसको क़िसास़ में क़त्ल कर दिया जायेगा फिर जब दूसरा आये और क़त्ल का इन्कार करे तो वुरसा को दोबारा गवाही पेश करना होगी। (आलमगीरी स.16 जि.6)

मसअ्ला.139:– दो गवाहों ने किसी के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उसने फुलाँ शख़्स़ को तलवार से

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हू के फ़ैज़ से क़िताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा **11** से **20**) हिंदी में पीडीएफ **[PDF]** में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही हैं और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

ज़ख़्मी कर दिया और वह ज़ख़्मी साहिबे फ़राश रहकर मरगया तो क़ातिल से क़िसास लिया जायेगा और क़ाज़ी को गवाहों से यह सवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि वह उन ज़ख़्मों की वजह से मरा या किसी और वजह से और अगर गवाहों ने सिर्फ़ यह कहा कि उसने तलवार से ज़ख़्मी किया यहाँ तक कि मजरूह मरगया यह भी अ़मदन क़त्ल माना जायेगा बेहतर यह है कि क़ाज़ी गवाहों से सवाल करे कि उसने क़स्दन ऐसा किया है या नहीं ? (आलमगीरी स.16 जि0.6 शामी स.501 जि.5)

मसअ्ला.140:– दो आदमियों ने गवाही दी कि ज़ैद ने फ़ुलाँ शख़्स को तलवार से ख़ताअ्न क़त्ल कर दिया तो यह शहादत क़बूल करली जायेगी और आक़िला पर दियत वाजिब होगी और अगर गवाहों ने यह कहा कि हम नहीं जानते कि क़स्दन क़त्ल किया है या ख़ताअ्न तब भी यह गवाही मक़बूल होगी और क़ातिल के माल में से दियत दिलाई जायेगी। (आलमगीरी स.16 जि.6)

मसअ्ला.141:– एक गवाह ने किसी के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उसने ख़ताअ्न क़त्ल किया है और दूसरे गवाह ने कहा कि क़ातिल ने इसका इक़रार किया है कि उससे यह फ़ेअ्ल ख़ताअ्न सरज़द हुआ है तो यह गवाही बातिल है। (आलमगीरी स.16 जि.6)

मसअ्ला.142:– अगर दोनों गवाह ज़मान व मकान में इख़्तिलाफ़ करते हैं तो गवाही बातिल है मगर जब दोनों जगहें क़रीब क़रीब हैं मस्लन एक गवाह किसी छोटे मकान के एक हिस्से में वुक़ूअे क़त्ल की गवाही देता है और दूसरा इसी मकान के दूसरे हिस्से में तो यह गवाही मक़बूल होगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.143:– अगर दो गवाहों में मोज़अे ज़ख़्म (ज़ख़्म की जगह) में इख़्तिलाफ़ है तब भी गवाही बातिल है। (आलमगीरी स.16 जि.6)

मसअ्ला.144:– अगर दो गवाहों में आलए क़त्ल में इख़्तिलाफ़ हो एक कहे कि तलवार से क़त्ल किया दूसरा कहे कि पत्थर से क़त्ल किया या एक कहे कि तलवार से क़त्ल किया और दूसरा कहे कि छुरी से क़त्ल किया या एक कहे कि पत्थर से क़त्ल किया और दूसरा कहे कि लाठी से क़त्ल किया तो यह गवाही बातिल है। (आलमगीरी स.16 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.501 जि.5)

मसअ्ला.145:– एक गवाह ने गवाही दी कि क़ातिल ने तलवार से क़त्ल करने का इक़रार किया था और दूसरे गवाह ने कहा कि क़ातिल ने छुरी से क़त्ल करने का इक़रार किया था और मुद्दई कहता है कि क़ातिल ने दोनों बातों का इक़रार किया था लेकिन उसने क़त्ल किया है नेज़ा मारकर तो यह गवाही क़बूल की जायेगी और क़ातिल से क़िसास लिया जायेगा। (आलमगीरी स16 जि.6)

मसअ्ला.146:– एक गवाह ने गवाही दी कि उसने तलवार या लाठी से क़त्ल किया है और दूसरे गवाह ने कहा कि उसने क़त्ल किया है मगर मैं यह नहीं जानता कि किस चीज़ से क़त्ल किया है तो यह गवाही क़बूल नहीं की जायेगी। (आलमगीरी स.16 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.501 जि.5)

मसअ्ला.147:– दो शख़्सों ने गवाही दी कि ज़ैद ने अ़म्र को क़त्ल किया है और हम यह नहीं जानते कि किस चीज़ से क़त्ल किया है तो यह गवाही क़बूल करली जायेगी और क़ातिल के माल से दियत दिलाई जायेगी क़िसास नहीं लिया जायेगा। (आलमगीरी स16 जि.6)

मसअ्ला.148:– अगर दो आदमी दो अश्ख़ास के मुतअ़ल्लिक़ गवाही दें कि उन्होंने ज़ैद के एक ही हाथ की एक, एक उंगली काटी है और यह न बतायें कि किसने कौनसी उंगली काटी है तो यह शहादत बातिल है। (आलमगीरी स16 जि.6, मब्सूत स.171 जि.26)

मसअ्ला.149:– दो आदमी दो अश्ख़ास के मुतअ़ल्लिक़ गवाही देते हैं कि उन दोनों ने एक शख़्स को क़त्ल किया है एक ने तलवार से और एक ने लाठी से और गवाह यह नहीं बताते कि किसने लाठी से और किसने तलवार से क़त्ल किया है तो यह गवाही बातिल है। (आलमगीरी स16 जि.6)

मसअ्ला.150:– दो आदमीयों ने गवाही दी कि ज़ैद ने अ़म्र का हाथ पहुँचे से क़स्दन काटा है और एक तीसरे गवाह ने कहा कि ज़ैद ने अ़म्र का पाँव टख़ने से काटा है फिर तीनों ने यह गवाही दी कि मजरूह साहिबे फ़राश रहकर मर गया और मक़तूल का वली यह दअ़्वा करता है कि यह दोनों

फ़ेअ्ल अ़मदन हुए हैं तो क़ातिल के माल से निस्फ़ दियत दिलाई जायेगी। (आलमगीरी स16 जि.6)

मसअ्ला.151:– दो आदमियों ने किसी के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उसने फुलाँ शख़्स़ का हाथ पहुँचे से क़स्दन काटा फिर उसको क़स्दन क़त्ल कर दिया तो मक़तूल के वुरस़ा को यह हक़ है कि पहले हाथ काटकर क़िसास़ लें और फिर क़त्ल करें हाँ क़ाज़ी के लिये यह मुनासिब है कि वह उन से कहे कि सिर्फ़ क़त्ल पर इक्तिफ़ा करो हाथ का क़िसास़ मत लो। (आलमगीरी स17 जि.6)

मसअ्ला.152:– दो आदमियों ने ज़ैद के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उसने अ़म्र को ख़त़ाअ़न क़त्ल किया है और क़ाज़ी ने इस पर दियत का फ़ैसला करदिया इसके बाद अ़म्र जिसके क़त्ल की गवाही दीगई थी ज़िन्दा आगया तो जिन लोगों ने दियत अदा की थी उनको इख़्तियार है कि चाहें तो अ़म्र के वली को ज़ामिन क़रार दें या गवाहों को, अगर गवाहों को ज़ामिन बनायें और वह तावान देदें तो फिर वह गवाह वली से दियत वापस लेलें। (आलमगीरी स17 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.502 जि.5)

मसअ्ला.153:– दो आदमियों ने ज़ैद के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उसने अ़म्र को क़स्दन क़त्ल किया है और ज़ैद को क़िसास़ में क़त्ल कर दिया गया इसके बाद अ़म्र ज़िन्दा वापस आगया तो ज़ैद के वुरस़ा को इख़्तियार है कि अ़म्र के वली से दियत लें या गवाहों से। (आलमगीरी स17 जि.6)

मसअ्ला.154:– दो आदमियों ने एक शख़्स़ के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उसने क़त्ल ख़त़ाअ़न या अ़मदन का इक़रार किया है और इस पर फ़ैसला कर दिया गया इसके बाद वह शख़्स़ ज़िन्दा पाया गया तो गवाहों पर कोई तावान नहीं अलबत्ता दोनों सूरतों में वली–ए–मक़तूल पर तावान डाला जायेगा। (हिन्दिया स.17 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.503 जि.5)

मसअ्ला.155:– दो आदमियों ने गवाही दी कि फुलाँ दो अश्ख़ास़ ने हमको गवाह बनाया है कि ज़ैद ने अ़म्र को ख़त़ाअ़न क़त्ल कर दिया है उन दोनों की गवाही पर दियत का हुक्म देदिया गया इसके बाद अ़म्र ज़िन्दा पाया गया तो वली पर दियत वापस करना वाजिब है और उन शाहेदैने फ़रअ़ (यानी वह गवाह जिन्हें दो गवाहों ने गवाह बनाया था)पर कुछ तावान नहीं है। अगर्चे अस़्ल गवाह आकर उनको गवाह बनाने से इन्कार करें और अगर अस़्ल गवाह आकर यह इक़रार करें कि हमने जान बूझकर ग़लत़ बात पर उनको गवाह बनाया था तब भी उन शाहिदीने फ़रअ़ पर कुछ तावान नहीं है(शामी स.503 जि.5)

मसअ्ला.156:– किसी ने दअ़्वा किया कि फुलाँ शख़्स़ ने मेरे वली का सर फाड़ दिया और उसी से उसकी मौत वाक़ेअ़ होगई और दो गवाहों ने ज़ख़्म की गवाही दी और यह कहा कि वह मरने से पहले अच्छा होगया था तो ज़ख़्म के बारे में उनकी शहादत मान ली जायेगी। और सिर्फ़ ज़ख़्म के क़िसास़ का हुक्म दिया जायेगा। इसी त़रह अगर एक गवाह ने कहा कि वही ज़ख़्म मौत का सबब बना था और दूसरे ने कहा कि वह मरने से पहले अच्छा होगया था तब भी सिर्फ़ ज़ख़्म के क़िसास़ का हुक्म दिया जायेगा। (हिन्दिया स.17 जि.6)

मसअ्ला.157:– किसी मक़तूल ने दो बेटे छोड़े उनमें से एक ने किसी शख़्स़ के ख़िलाफ़ गवाह पेश किये कि उसने मेरे बाप को अ़मदन क़त्ल किया है और दूसरे बेटे ने गवाह पेश किये कि उसने और दूसरे शख़्स़ ने मिलकर मेरे बाप को क़स्दन क़त्ल किया है तो इस सूरत में क़िसास़ नहीं है

मसअ्ला.158:– किसी मक़तूल के दो बेटे हैं उनमें से एक ने गवाह पेश किये कि फुलाँ शख़्स़ ने मेरे बाप को अ़मदन क़त्ल किया है और दूसरे बेटे ने गवाह पेश किये कि उसके ग़ैर फुलाँ शख़्स़ ने मेरे बाप को ख़त़ाअ़न क़त्ल किया है तो किसी से भी क़िसास़ नहीं लिया जायेगा पहले बेटे के लिये इस के मुद्दआ'अ़लैहि के माल से 3साल में निस्फ़ दियत ली जायेगी और दूसरे बेटे के लिये मुद्दआ'अ़लैहि आ़क़िला से बक़िया निस्फ़ दियत 3 साल में ली जायेगी।(हिन्दिया अज़ ज़्यादत स.17 जि.6)

मसअ्ला.159:– किसी मक़तूल ने दो बेटे और एक मूसा लहू (जिस के लिये वसियत की गई) छोड़े फिर एक बेटे ने दअ़्वा किया कि फुलाँ शख़्स़ ने मेरे बाप को अ़मदन क़त्ल किया है और उस पर गवाह पेश किये और दूसरे बेटे ने इसी क़ातिल या दूसरे शख़्स़ पर ख़त़ाअ़न क़त्ल का इल्ज़ाम लगाकर

गवाह पेश किये और मूसा'लहू क़त्ले ख़ता के मुद्दई की तस्दीक़ करता है तो इस बेटे और मूसा'लहू के आक़िला पर 3 साल में $\frac{2}{3}$ दियत है और क़त्ले अमद के मुद्दई बेटे के लिये क़ातिल के माल में 3 साल में $\frac{1}{3}$ दियत है और अगर मूसा लहू ने क़त्ले अमद के मुद्दई की तस्दीक़ की तो क़त्ले ख़ता के मुद्दई के लिये एक तिहाई दियत क़ातिल के आक़िला पर 3 बरस में है। और निस्फ़ दियत का तिहाई मूसा'लहू के लिये और निस्फ़ दियत का दो तिहाई क़त्ले अमद के मुद्दई के लिये क़ातिल के माल में है और अगर मूसा'लहू ने दोनों की तस्दीक़ या तकज़ीब की तो मूसा'लहू को कुछ नहीं मिलेगा और अगर मूसा'लहू कहता है कि मुझको यह मालूम नहीं कि क़त्ल ख़ताअन हुआ है या अमदन तो इसका हक़ अभी बातिल नहीं होगा। जिस वक़्त भी मूसा'लहू किसी एक बेटे की तस्दीक़ करदेगा तो मज़कूरा बाला तफ़सील के मुताबिक़ मूसा'लहू को हक़ मिल जायेगा और अगर बजाए मूसा'लहू के मक़तूल का तीसरा बेटा हो और तस्दीक़ व तकज़ीब में मज़कूरा बाला सूरतें इख़्तियार करे तो एक सूरत के सिवा तमाम सूरतों में वही हुक्म है और वह एक सूरत यह है कि अगर तीसरे बेटे ने मुद्दई क़त्ले अमद की तस्दीक़ की तो इस को और मुद्दई क़त्ले अमद को एक तिहाई दियत मिलेगी। (हिन्दिया स.17 जि.6)

मसअ्ला.160:– मक़तूल के दो बेटों में से बड़े ने छोटे के ख़िलाफ़ गवाह पेश किये कि उसने बाप को क़त्ल किया है और छोटे ने गवाह पेश किये कि फुलाँ अजनबी ने क़त्ल किया है तो बड़े को छोटे से निस्फ़ दियत दिलाई जायेगी और छोटे को इस अजनबी से निस्फ़ दियत दिलाई जायेगी।

मसअ्ला.161:– मक़तूल के तीन बेटों में से बड़े ने मन्झले के ख़िलाफ़ गवाह पेश किये कि इसने बाप को क़त्ल किया है और मन्झले ने छोटे कि ख़िलाफ़ गवाह पेश किये कि उसने बाप को क़त्ल किया है और छोटे ने बड़े के ख़िलाफ़ क़त्ल के गवाह पेश किये तो सब शहादतें क़बूल करली जायेंगी लेकिन क़िसास किसी से भी नहीं लिया जायेगा बल्कि हर मुद्दई अपने मुद्दआ'अलैहि से एक तिहाई दियत लेगा। (हिन्दिया स.18 जि.6)

मसअ्ला.162:– मक़तूल ने ज़ैद, अम्र और बक्र तीन बेटे छोड़े ज़ैद ने गवाह पेश किये कि अम्र व बक्र ने बाप को क़त्ल किया है और अम्र व बक्र ने ज़ैद के क़ातिल होने पर गवाह पेश किये तो क़ौले इमाम पर ज़ैद दोनों भाईयों से उनके माल में से निस्फ़ दियत लेगा अगर क़त्ले अमद का दअ्वा था और उनके आक़िला से निस्फ़ दियत लेगा और क़त्ले ख़ता का दअ्वा था और अम्र व बक्र ज़ैद के माल से निस्फ़ दियत लेंगे। (हिन्दिया स.18 जि.6)

मसअ्ला.163:– मक़तूल ने एक बेटा और एक भाई छोड़ा उनमें से हर एक दूसरे पर क़त्ल का दअ्वा करके उसके ख़िलाफ़ गवाह पेश करता है तो भाई के गवाह लग्व क़रार पायेंगे और बेटे के गवाहों की गवाही पर भाई के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दिया जायेगा(हिन्दिया स.18 जि.6, बहरुर्राइक़ स.323 जि.8)

इक़रारे क़त्ल का बयान

मसअ्ला.164:– दो आदमियों में से हर एक ने ज़ैद के क़त्ल का इक़रार किया और वली ज़ैद कहता है कि तुम दोनों ने क़त्ल किया है तो क़िसास में दोनों को क़त्ल करदिया जायेगा।(हिन्दिया)

मसअ्ला.165:– अगर चन्द गवाहों ने गवाही दी कि ज़ैद को फुलाँ शख़्स ने क़त्ल किया है और दूसरे चन्द गवाहों ने गवाही दी कि ज़ैद का क़ातिल दूसरा शख़्स है और वली ने कहा कि दोनों ने क़त्ल किया है तो यह दोनों शहादतें बातिल हैं। (हिन्दिया स.19 जि.6, फ़त्हुलक़दीर स.297 जि.8)

मसअ्ला.166:– किसी शख़्स ने इक़रार किया कि मैंने फुलाँ शख़्स को क़स्दन क़त्ल किया है और मक़तूल के वली ने इसकी तस्दीक़ करके क़िसास में इसको क़त्ल कर दिया फिर एक दूसरे शख़्स ने आकर इक़रार किया कि मैंने उसको क़स्दन क़त्ल किया है तो वली उसको भी क़त्ल कर सकता है और अगर पहले क़ातिल के इक़रार के वक़्त वली ने इससे यह कहा था कि तूने तन्हा अमदन क़त्ल किया था और उसको क़िसास में क़त्ल कर दिया फिर दूसरे ने आकर यह इक़रार किया कि

मैंने तन्हा अ़मदन क़त्ल किया है और वली ने इसकी तस्दीक़ भी करदी तो वली पर पहले क़ातिल के क़त्ल की दियत वाजिब होगी और दूसरे क़ातिल पर वली के लिये दियत लाज़िम होगी। (हिन्दिया)

मसअ्ला.167:– किसी ने क़त्ले ख़ता का इक़रार किया और वली मक़तूल क़त्ले अ़मद का दअ़्वा करता है तो क़ातिल के माल से वली को दियत दिलवाई जायेगी। ((हिन्दिया स.19 जि.6 मब्सूत)

मसअ्ला.168:– अगर क़ातिल क़त्ले अ़मद का इक़रार करले और वली मक़तूल क़त्ले ख़ता का मुद्दई हो तो मक़तूल के वुरसा को कुछ नहीं मिलेगा और अगर वली ने बाद में क़ातिल के क़ौल की तस्दीक़ करदी और कहदिया कि तूने क़स्दन क़त्ल किया है तो क़ातिल पर दियत लाज़िम है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.169:– किसी शख़्स ने दो आदमियों पर दअ़्वा किया कि उन्होंने मेरे बाप का अ़मदन आलाए धारदार से क़त्ल कर दिया है उनमें से एक शख़्स ने तन्हा क़त्ल का इक़रार किया और दो गवाहों ने गवाही दी कि दूसरे मुद्दआ़'अ़लैहि ने तन्हा क़स्दन क़त्ल किया है तो यह शहादत क़बूल नहीं की जायेगी और इक़रार करने वाले से क़िसास लिया जायेगा और अगर ख़ताअ़न क़त्ल का दअ़्वा हो तो इक़रार करने वाले से निस्फ़ दियत ली जायेगी और दूसरे मुद्दआ़'अ़लैहि पर कुछ लाज़िम नहीं है। (आलमगीरी स.19 जि.6)

मसअ्ला.170:– अगर दो मुद्दआ़'अ़लैहि में से एक ने तन्हा अ़मदन क़त्ल करने का इक़रार किया और दूसरे ने इन्कार और मुद्दई के पास गवाह नहीं हैं तो इक़रार करने वाले से क़िसास लिया जायेगा और अगर दोनों में से एक ने ख़ताअ़न क़त्ल का और दूसरे ने अ़मदन क़त्ल का इक़रार किया तो दोनों पर दियत लाज़िम होगी।(आलमगीरी स.19 जि.6)

मसअ्ला.171:– किसी ने दो आदमियों पर दअ़्वा किया कि उन्होंने मेरे वली को धारदार आले से क़त्ल किया है उनमें से एक ने मुद्दई की तस्दीक़ की और दूसरे ने कहा कि मैंने ख़ताअ़न लाठी से मारा था तो उन दोनों के माल में से वली को तीन साल में दियत दिलाई जायेगी और अगर वली का दअ़्वा क़त्ले ख़ता का था और उन दोनों ने क़त्ले अ़मद का इक़रार किया तो मुद्दआ़'अ़लैहि बरी करदिये जायेंगे और अगर दअ़्वा क़त्ले ख़ता का था और मुद्दआ़'अ़लैहि ने मुद्दई की तस्दीक़ की तो दियत वाजिब होगी और अगर दअ़्वा क़त्ले ख़ता का था और एक क़ातिल ने अ़मदन क़त्ल का इक़रार किया और दूसरे ने क़त्ले ख़ता का तब भी दोनों पर दियत लाज़िम होगी।(आलमगीरी स.19 जि.6)

मसअ्ला.172:– किसी ने दो अश्ख़ास पर दअ़्वा किया कि उन्होंने मेरे वली को अ़मदन क़त्ल किया है उनमें से एक ने कहा कि हमने अ़मदन क़त्ल किया है और दूसरे ने क़त्ल ही का इन्कार कर दिया तो इक़रार करने वाले से क़िसास लिया जायेगा और अगर दअ़्वा क़त्ले ख़ता का हो और एक मुद्दआ़'अ़लैहि कहे कि हमने अ़मदन क़त्ल किया है और दूसरा क़त्ल ही का इन्कार करे मुल्ज़िम बरी करदिये जायेंगे। (आलमगीरी स.19 जि.6)

मसअ्ला.173:– किसी ने ज़ैद से कहा कि मैंने और फुलाँ शख़्स ने तेरे वली को अ़मदन क़त्ल किया है और उसके साथी ने कहा कि हमने ख़ताअ़न क़त्ल किया है और ज़ैद ने इक़रार करने वाले से कहा कि तन्हा तूने ने अ़मदन क़त्ल किया है तो ज़ैद क़त्ले अ़मद का इक़रार करने वाले से क़िसास लेगा और अगर ज़ैद ने क़त्ले ख़ता का दअ़्वा किया तो दोनों बरी कर दिये जायेंगे।(हिन्दिया)

मसअ्ला.174:– किसी ने ज़ैद से कहा कि मैंने तेरे वली का हाथ क़स्दन काटा और फुलाँ शख़्स ने उस का पैर क़स्दन काटा था और इसी वजह से उसकी मौत वाक़ेअ़ होगई थी और ज़ैद कहता है कि तूने तन्हा उसके हाथ, पैर अ़मदन काटे हैं और दूसरा शख़्स इस जुर्म में शिरकत का इन्कार करता है तो इक़रार करने वाले से क़िसास लिया जायेगा और अगर ज़ैद ने कहा कि तूने अ़मदन उसका हाथ काटा था और पैर काटने वाले का मुझ को इल्म नहीं तो अभी क़िसास नहीं लिया जायेगा हाँ अगर किसी वक़्त ज़ैद इस इब्हाम (छुपी हुई बात) को दूर करदे और यह कहे कि मुझे याद आगया कि तेरे साथी ने क़स्दन पैर काटा था तो इक़रार करने वाला क़िसास में क़त्ल किया

जायेगा लेकिन अगर क़ाज़ी इसके इब्हाम को दूर करने से पहले बुत्लाने हक़ का फ़ैसला कर चुका है तो इस के इब्हाम दूर करने से हक़ वापस नहीं मिलेगा। (हिन्दिया स.20 जि.6, बहरुर्राइक़ स.325 जि.8)

मसअ्ला.175:– कोई शख़्स मक़तूल पाया गया कि उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और वली ने दअ्वा किया कि फुलाँ शख़्स ने उसका दाहिना हाथ क़स्दन काटा था और फुलाँ शख़्स ने उसका बायाँ हाथ क़स्दन काटा और उन दोनों हाथों को काटने से उसकी मौत वाक़ेअ् हुई थी बायाँ हाथ काटने वाले ने क़स्दन हाथ काटने और सिर्फ़ इसी सबब से मौत वाक़ेअ् होने का इक़रार किया और दायाँ हाथ काटने वाले ने क़तअ् यद का इन्कार किया तो इक़रार करने वाले से क़िसास लिया जायेगा और अगर वली ने कहा कि फुलाँ शख़्स ने बायाँ हाथ क़स्दन काटा था और दाहिना हाथ भी क़स्दन काटा गया है मगर उसके काटने वाले का मुझे इल्म नहीं है और मौत दोनों हाथों के कटने से वाक़ेअ् हुई है बायाँ हाथ काटने वाला इक़रार करता है कि मैंने अ़मदन बायाँ हाथ काटा है और सिर्फ़ इसी वजह से मौत वाक़ेअ् हुई है तो इक़रार करने वाला भी बरी होजायेगा और अगर वली ने कहा कि फुलां ने दाहिना हाथ क़स्दन काटा और फुलाँ ने बायाँ क़स्दन काटा और बायें हाथ काटने वाला कहता है कि मैंने बायाँ हाथ क़स्दन काटा है और दाहिना हाथ काटने वाले का मुझे इल्म नहीं है लेकिन यह जानता हूँ कि दाहिना हाथ क़स्दन काटा गया और मौत उसी से वाक़ेअ् हुई है तो क़िसास नहीं लिया जायेगा इक़रार करने वाले पर निस्फ़ दियत लाज़िम होगी(आलमगीरी)

मसअ्ला.176:– किसी मक़तूल के दो बेटों में से एक हाज़िर और दूसरा ग़ाइब है हाज़िर ने किसी शख़्स पर अपने बाप के क़त्ले अ़मद (जानबूझकर मारना) का दअ्वा किया और गवाह पेश कर दिये लेकिन क़ातिल ने इस बात के गवाह पेश किये कि ग़ाइब बेटे ने मुझे मुआफ़ कर दिया है तो क़िसास साक़ित होजायेगा और मुद्दई को निस्फ़ दियत दिलाई जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.500 जि.5)

मसअ्ला.177:– क़त्ले ख़ता और हर एक ऐसे क़त्ल में जिस में क़िसास वाजिब न हो एक मर्द दो औरतों की शहादत कबूल करली जायेगी। (ख़ानिया स.395 जि.4, तहतावी अलदुरर स.276 जि.4)

मसअ्ला.178:– किसी बच्चे ने यह इक़रार किया कि मैंने अपने बाप को अ़मदन क़त्ल कर दिया है तो उस पर क़िसास वाजिब नहीं होगा और मक़तूल की दियत बच्चे के आक़िला पर वाजिब होगी और बच्चा वारिस् भी होगा मजनून का हुक्म भी यही है। (ख़ानिया स.395 जि.4)

मसअ्ला.179:– अगर ना'बालिग़ बच्चे के किसी ऐसे क़रीबी रिश्ते'दार को क़त्ल करदिया गया या अअ्ज़ा काट दिये गये जिसके क़िसास का हक़ बच्चे को था तो इस बच्चे के बाप को क़िसास लेने और दियत के मसावी या इस से ज़्यादा माल पर सुलह करने का हक़ है और अगर मिक़दारे दियत से कम पर सुलह करलेगा तब भी सुलह सहीह होजायेगी लेकिन पूरी दियत लाज़िम होगी मगर मुआफ़ करने का हक़ नहीं है और वसी को नफ़्स के क़िसास व अ़फ़्व (यानी मुआफ़ करने) का हक़ नहीं है। सिर्फ़ दियत के मसावी (दियत के बराबर) या इस से ज़्यादा माल पर सुलह का हक़ है और मादूनुन्नफ़्स (यानी क़त्ल से कम जिसमानी नुक़सान में मसलन हाथ पाँव तोड़ना वग़ैरा) में क़िसास व सुलह का हक़ है अ़फ़्व का हक़ नहीं है। (शामी स.475 जि.5, क़ाज़ी ख़ाँ स.422 जि.3, दुरर गुरर स.94 जि.2)

मसअ्ला.180:– क़ातिल और औलियाए मक़तूल अगर माल पर सुलह करलें तो क़िसास साक़ित हो जायेगा और जिस माल पर सुलह की है वह लाज़िम होगा और अगर नक़द व उधार का ज़िक्र नहीं किया तो फ़ौरन अदा करना वाजिब होगा। (आलमगीरी स.60 जि.6 फ़त्हुलक़दीर व इनाया स.275 जि.8)

मसअ्ला.181:– अगर क़त्ल ख़ताअ्न था और माले मुअय्यन पर (तय माल पर) सुलह की और उस का कोई वक़्त मुअय्यन नहीं किया तो अगर क़ाज़ी की क़ज़ा और दियत की किसी ख़ास क़िस्म पर फ़रीक़ैन की रज़ा'मन्दी से पहले यह सुलह है तो यह माल मुअज्जल होगा। (हिन्दिया स.20 जि.6)

मसअ्ला.182:– अगर एक हुर (आज़ाद) और एक गुलाम ने मिलकर किसी को क़त्ल किया फिर हुर ने और गुलाम के मालिक ने किसी शख़्स को मुसालहत के लिये वकील बनाया उसने जिस रक़म

पर मुसालहत की वह हुर और गुलाम के मालिक पर निस्फ़–निस्फ़ वाजिब होगी।(आलमगीरी स.20 जि.6)
मसअ्ला.183:– क़त्ले ख़ता में दियत की किसी ख़ास किस्म पर क़ज़ा–ए–क़ाज़ी होचुकी या फ़रीक़ैन राज़ी होचुके तो इस के बाद उसी नोअ् की ज़्यादा मिक़दार पर सुलह करना जाइज़ नहीं है और कम पर जाइज़ है सुलह नक़द और उधार दोनों तरह जाइज़ हैं और अगर किसी दूसरी क़िस्म के माल पर सुलह करना चाहिए तो ज़्यादा पर भी सुलह जाइज़ है लेकिन अगर क़ाज़ी ने दराहिम पर फ़ैसला किया और उन्होंने उस से ज़्यादा क़ीमत के दनानीर (सोने के सिक्के) पर सुलह की तो नक़द जाइज़ है और उधार ना'जाइज़ है और अगर किसी ग़ैर मुअय्यन जानवर पर सुलह की तो ना'जाइज़ है और मुअय्यन पर जाइज़ है अगर्चे मज्लिस में क़ब्ज़ा न किया जाये और अगर उन दराहिम से कम मालियत के दनानीर पर सुलह की तो उधार ना'जाइज़ है और नक़द जाइज़ है इसी तरह अगर क़ाज़ी का फ़ैसला दराहिम पर था और उन्होंने ग़ैर मुअय्यन सामान पर सुलह की तो ना'जाइज़ है और मुअय्यन पर जाइज़ है मज्लिस में क़ब्ज़ा करें या न करें। (आलमगीरी स.20 जि.6)
मसअ्ला.184:– क़ज़ा–ए–क़ाज़ी और फ़रीक़ैन की दियते मुअय्यन पर रज़ा'मन्दी से पहले अगर फ़रीक़ैन उन अम्वाल पर सुलह करना चाहें जो दियत में लाज़िम होते हैं तो दियत की मिक़दार से ज़ाइद पर सुलह ना'जाइज़ है अगर्चे नक़द पर हो और कम पर नक़द व उधार दोनों तरह जाइज़ है और अगर दियत के मुक़र्ररा अम्वाल के इलावा किसी दसूरी चीज़ पर सुलह करना चाहें तो उधार ना'जाइज़ है और नक़द जाइज़ है। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.20 जि.6)
मसअ्ला.185:– किसी शख़्स ने अमदन क़त्ल किया और मक़तूल के दो वली हैं एक वली ने कुल ख़ून के बदले में पचास हज़ार पर सुलह करली तो इस को पच्चीस हज़ार मिलेंगे और दूसरे को निस्फ़ दियत मिलेगी।(आलमगीरी स.20 जि.6)
मसअ्ला.186:– मक़तूल के वुरसा में से मर्द, औरत, माँ, दादी वग़ैरा किसी एक ने क़िसास मुआफ़ करदिया बीवी का क़िसास शौहर ने मुआफ़ करदिया तो क़ातिल से क़िसास नहीं लिया जायेगा(आलमगीरी)
मसअ्ला.187:– अगर वुरसा में से किसी ने क़िसास के अपने हक़ के बदले में माल पर सुलह करली या मुआफ़ कर दिया तो बाक़ी वुरसा का क़िसास का हक़ साकित होजायेगा और दियत से अपना हिस्सा पायेंगे और मुआफ़ करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। (आलमगीरी स.21 जि.6)
मसअ्ला.188:– क़िसास के दो मुस्तहक़ अश्ख़ास में से एक ने मुआफ़ करदिया तो दूसरे को निस्फ़ दियत तीन साल में क़ातिल के माल से मिलेगी। (आलमगीरी स.21 जि.6 अज. काफ़ी)
मसअ्ला.189:– दो औलिया में से एक ने क़िसास मुआफ़ करदिया दूसरे ने यह जानते हुए कि अब क़ातिल को क़त्ल करना हराम है क़त्ल करदिया तो इस से क़िसास लिया जायेगा। और इस को अस्ल क़ातिल के माल से निस्फ़ दियत मिलेगी और हुर्मते क़त्ल का इल्म न था तो इस पर अपने माल में अस्ल क़ातिल के लिये दियत है। दूसरे वली के मुआफ़ करने को जानता हो या न जानता हो (हिन्दिया)
मसअ्ला.190:– किसी ने दो अश्ख़ास को क़त्ल कर दिया और उन दोनों का वली एक शख़्स है उसने एक मक़तूल का क़िसास मुआफ़ कर दिया तो उसे दूसरे मक़तूल के क़िसास में क़त्ल करने का हक़ नहीं है। (आलमगीरी स.21 जि.16 जौहरा नय्यिरा)
मसअ्ला.191:– दो क़ातिलों में से वली ने एक को मुआफ़ कर दिया तो दूसरे से क़िसास लिया जायेगा। (आलमगीरी स.21 जि.6 अज़ मुहीत क़ाज़ीख़ाँ स.390 जि.4)
मसअ्ला.192:– किसी ने दो अश्ख़ास को क़त्ल कर दिया एक मक़तूल के वली ने क़ातिल को मुआफ़ कर दिया तो दूसरे मक़तूल का वली इसको क़िसास में क़त्ल कर सकता है।(आलमगीरी स21 जि.6)
मसअ्ला.193:– मजरूह की मौत से क़ब्ल वली ने मुआफ़ कर दिया तो इस्तिहसानन जाइज़ है(आलमगीरी)
मसअ्ला.194:– किसी ने क़स्दन क़त्ल कर दिया और वली मक़तूल के लिये क़ाज़ी ने क़िसास का फ़ैसला कर दिया और वली ने किसी शख़्स को इसके क़त्ल का हुक्म दिया फिर किसी शख़्स ने

वली से मुआफ़ी की दरख़्वास्त की और वली ने क़ातिल को मुआफ़ कर दिया मामूर (जिसे क़त्ल करने का हुक्म दिया गया) को इस मुआफ़ी का इल्म नहीं हुआ और उसने क़त्ल कर दिया तो मामूर पर दियत लाज़िम है और वह वली से यह दियत वसूल करेगा। (आलमगीरी स.21 जि.6 अज़ ज़हीरिया)

मसअ्ला.195:– वली या वसी को ना'बालिग़ मक़तूल के ख़ून को मुआफ़ करने का हक़ नहीं(आलमगीरी)

मसअ्ला.196:– किसी ने किसी के भाई को अमदन क़त्ल कर दिया और मक़तूल के भाई ने गवाह पेश किये कि उसके सिवा मक़तूल का कोई और वारिस् नहीं है और क़ातिल ने गवाह पेश किये कि मक़तूल का बेटा ज़िन्दा है तो भी फ़ैसला मुलतवी रहेगा। अगर क़ातिल ने गवाह पेश किये कि मक़तूल के बेटे ने दियत पर सुलह करके क़ब्ज़ा भी कर लिया है या उसने मुआफ़ कर दिया है तो क़ातिल के गवाहों की शहादत क़बूल होगी। इसके बाद बेटा अगर इसका इन्कार करे तो क़ातिल को बेटे के मुक़ाबले में दोबारा गवाह पेश करने होंगे और भाई के मुक़ाबिले में जो शहादत पेश की थी काफ़ी नहीं होगी। (क़ाज़ी ख़ाँ स.397 जि.4 आलमगीरी स.21 जि.6)

मसअ्ला.197:– मक़तूल के दो भाई हैं और क़ातिल ने गवाह पेश किये कि एक ग़ाइब भाई ने माल पर मुझसे सुलह़ करली है तो यह शहादत क़बूल करली जायेगी फिर अगर इस ग़ाइब भाई ने आकर सुलह़ का इन्कार किया तो दोबारा गवाह पेश करने की ज़रूरत नहीं है इस सूरत में ह़ाज़िर भाई को निस्फ़ दियत मिल जायेगी और ग़ाइब को कुछ नहीं मिलेगा।(क़ाज़ी ख़ाँ स.398 जि.4)

मसअ्ला.198:– मक़तूल के दो औलिया में से एक ग़ाइब है और क़ातिल ने गवाह पेश किये कि ग़ाइब ने मुआफ़ कर दिया है तो यह शहादत क़बूल करली जायेगी और ग़ाइब के ह़क़ में मुआफ़ी मान ली जायेगी और इस अफ़्व के फ़ैसले के बाद ग़ाइब के आने पर दोबारा शहादत की ज़रूरत नहीं है और अगर क़ातिल ग़ाइब की मुआफ़ी का दअ्वा करता है और इस के पास गवाह नहीं हैं लेकिन चाहता है कि ह़ाज़िर को क़स्म दी जाये तो यह फ़ैसला ग़ाइब के आने तक मुलतवी रखा जायेगा फिर अगर ग़ाइब ने आकर मुआफ़ी का इन्कार किया और क़स्म खाई तो क़ातिल से क़िसास़ लिया जायेगा। (आलमगीरी स.21 जि.6 मब्सूत स.162 जि.26)

मसअ्ला.199:– क़ातिल कहता है कि वली ग़ाइब के मुआफ़ करने के गवाह मेरे पास हैं तो क़ाज़ी गवाहों को पेश करने के लिये अपनी सवाबदीद के मुताबिक़ (अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़) मोहलत देदे और अभी फ़ैसला न करे। मुक़र्ररा मुद्दत गुज़रने के बाद या इब्तिदाई मुक़द्दमा ही में क़ातिल ने गवाहों के ग़ाइब होने की बात कही तो इस्तिहसानन अब भी फ़ैसला मुलतवी रखे। हाँ अगर क़ाज़ी का गुमान ग़ालिब यह हो कि क़ातिल झूटा है उसके पास गवाह नहीं हैं तो क़िसास़ का हुक्म दे सकता है(हिन्दिया स.21 जि.6 मब्सूत)

मसअ्ला.200:– दो औलिया में से एक ने दूसरे के अफ़्व की शहादत पेश की तो उसकी पाँच सूरतें होंगी।

1.क़ातिल और दूसरा वली इस की तस्दीक़ करें। **2.**दोनों इस की तकज़ीब करें(झुटलायें) **3.**वली तकज़ीब करे और क़ातिल तस्दीक़ करे। **4.**वली तस्दीक़ करे और क़ातिल तकज़ीब करे। **5.**दोनों सुकूत इख़्तियार करें। (ख़ामोश रहें)

तो क़िसास़ हर सूरत में मुआफ़ होजायेगा लेकिन दियत में से अफ़्व की गवाही देने वाले को निस्फ़ दियत मिलेगी। अगर अफ़्व पर तीनों मुत्तिफ़क़ थे और अगर क़ातिल और वली आख़र ने इस की तकज़ीब की थी तो इस को कुछ नहीं मिलेगा और सुकूत करने की सूरत में वली आख़र को निस्फ़ दियत मिलेगी और अगर वली आख़र ने इस की तकज़ीब की भी और क़ातिल ने तस्दीक़ की थी तो हर एक वली को निस्फ़ निस्फ़ दियत मिलेगी। और अगर क़ातिल ने शहादत देने वाले वली की तकज़ीब की और वली आख़र ने तस्दीक़ की तो वली आव्वल को निस्फ़ दियत मिलेगा और वली आख़र को कुछ नहीं मिलेगा। (मब्सूत जि.26 आलमगीरी स.21 जि.6)

मसअ्ला.201:– अगर दो औलिया में से हर एक दूसरे के मुआफ़ करने की गवाही देता है तो दोनों

की गवाही बयक वक़्त है या औक़ाते मुख़्तलिफ़ा में अगर दोनों ने बयक वक़्त गवाही दी तो दोनों का हक़ बातिल होजायेगा। क़ातिल उनकी तकज़ीब करे या ब'यक वक़्त तस्दीक़ करे और अगर क़ातिल ने एक की तस्दीक़ की और एक की तकज़ीब की तो जिसकी तस्दीक़ है उसको निस्फ़ दियत मिलेगी और अगर दोनों ने मुख़्तलिफ़ औक़ात में शहादत दी थी और क़ातिल ने दोनों की तकज़ीब की तो बाद के शहादत देने वाले के लिये निस्फ़ दियत है और पहले शहादत देने वाले के लिये कुछ नहीं है। इसी तरह अगर क़ातिल ने दोनों की ब'यक वक़्त तस्दीक़ की तब भी पहले गवाही देने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। और बाद में वगाही देने वाले को निस्फ़ दियत मिलेगी और अगर क़ातिल ने मुख़्तलिफ़ औक़ात में दोनों की तस्दीक़ की तो दोनों को निस्फ़–निस्फ़ दियत मिलेगी और क़ातिल ने पहले गवाही देने वाले की तस्दीक़ की और दूसरे की तकज़ीब जब भी दोनों के लिये पूरी दियत का ज़ामिन होगा और अगर बाद के शहादत देने वाले की तस्दीक़ की और पहले वाले की तकज़ीब तो बाद वाले को निस्फ़ दियत मिलेगी और पहले को कुछ नहीं मिलेगा(आलमगीरी स.22जि.6)

मसअ्ला.202:– मक़्तूल के तीन वली हैं उन में से दो ने गवाही दी कि तीसरे ने मुआफ़ कर दिया है तो इस की चार सूरतें हैं।

1. क़ातिल और तीसरे वली उन दोनों की तस्दीक़ करें तो तीसरे का हक़ बातिल होजायेगा और दोनों गवाही देने वालों को हक़्क़े क़िसास से माल की तरफ़ मुन्तक़िल होजायेगा।
2. और अगर क़ातिल तीसरा वली दोनों गवाही देने वालों की तकज़ीब करें तो गवाही देने वालों का हक़ बातिल होजायेगा और तीसरे का हक़े क़िसास से माल की तरफ़ मुन्तक़िल होजायेगा।
3. और अगर सिर्फ़ तीसरे वली ने दोनों गवाही देने वालों की तस्दीक़ की तो क़ातिल दोनों गवाही देने वालों के लिये एक तिहाई दियत का ज़ामिन होगा।
4. और अगर सिर्फ़ क़ातिल ने दोनों गवाही देने वालों की तस्दीक़ की तो तीनों औलिया को एक एक् तिहाई दियत मिलेगी। (आलमगीरी स.22 जि. अज़ मुहीत बहरुर्राइक स.321 जि.8)

मसअ्ला.203:– मक़्तूले ख़ता के वारिसों में से दो ने गवाही दी कि दाज़ वारिसों ने अपना हिस्साए दियत मुआफ़ कर दिया है अगर यह गवाही देने से पहले अपने हिस्सा–ए–दियत पर उन्होंने क़ब्ज़ा नहीं किया है तो यह गवाही क़बूल करली जायेगी। (आलमगीरी स.22 जि.6)

मसअ्ला.204:– बहुत से लोग जमअ् होकर एक बाउले कुत्ते (पागल कुत्ता) को तीर मार रहे थे कि एक तीर ग़लती से किसी बच्चे के लग गया और वह मर गया लोगों ने गवाही दी कि यह तीर फ़ुलाँ शख़्स का है लेकिन यह गवाही नहीं देते कि फ़ुलाँ शख़्स ने यह तीर मारा है बच्चा के बाप ने इस तीर वाले से सुलह़ करली तो अगर यह जानते हुए सुलह़ की है कि उसी का फेंका हुआ तीर बच्चे को लगकर उसकी मौत का सबब बना है तो यह सुलह़ जाइज़ है और अगर तीर की शनाख़्त के सिवा और कोई दलील न हो तो सुलह़ बातिल है अगर तीरअन्दाज़ का इल्म तो है मगर तीर लगने के बाद बाप ने बढ़कर बच्चे को तमान्चा मारा और बच्चा गिरकर मर गया। यह मालूम न होसका कि मौत का सबब तीर हुआ या तमान्चा, तो इस सूरत में अगर दूसरे वुरसा मक़्तूल की इजाज़त से बाप ने सुलह़ की तो यह सुलह़ जाइज़ है और सुलह़ का माल सब वुरसा में तक़सीम होगा और बाप को कुछ नहीं मिलेगा और अगर वुरसा की इजाज़त के बिग़ैर सुलह़ की है तो यह सुलह़ बातिल है। (आलमगीरी स.22 जिल्द6 बहरूर्राइक स.218 जि.8)

मसअ्ला.205:– किसी ने किसी के सर पर ख़ताअ्न दो गहरे ज़ख़्म लगाये। ज़ख़्मी ने एक ज़ख़्म और इस से पैदा होने वाले अस्रात को मुआफ़ कर दिया इसके बाद ज़ख़्मी मरगया तो अगर जुर्म का सुबूत इक़रारे मुज्रिम से हुआ था तो यह अफ़्व बातिल है और मुज्रिम के माल में दियत लाज़िम होगी। और अगर जुर्म का सुबूत गवाही से हुआ था तो यह अफ़्व आक़िला के हक़ में वसियत माना जायेगा और निस्फ़ दियत आक़िला पर मुआफ़ होजायेगी अगर मक़्तूल के कुल तर्का के तिहाई से

ज़्यादा न हो और अगर यह दोनों ज़ख़्म क़स्दन लगाये हों और सूरत यही हो तो मुज्रिम पर कुछ लाज़िम नहीं होगा, न क़िसास, न दियत। (आलमगीरी स.23 जि.6)

मसअ्ला.206:– अगर किसी ने किसी का सर क़स्दन फाड़ दिया मजरूह(ज़ख़्मी)ने मुजरिम को ज़ख़्म और उससे पैदा होने वाले असरात से मुआफ़ कर दिया। इसके बाद मुजरिम ने अमदन एक और ज़ख़्म लगा दिया। ज़ख़्मी ने इसको मुआफ़ नहीं किया और मरगया तो क़िसास नहीं लिया जायेगा लेकिन पूरी दियत 3 साल में ली जायेगी। (आलमगीरी स.23 जि.6)

मसअ्ला.207:– किसी ने किसी को क़स्दन गहरा ज़ख़्म लगाया फिर मजरूह से ज़ख़्म और उससे पैदा होने वाले असरात से मुअय्यन माल पर सुलह करली और मजरूह ने माल पर क़ब्ज़ा भी कर लिया उसके बाद किसी दूसरे शख़्स ने इस मजरूह को गहरा ज़ख़्म क़स्दन लगाया। मजरूह दोनों ज़ख़्मों की वजह से मर गया तो दूसरे जारेह से क़िसास लिया जायेगा और पहले पर कुछ लाज़िम नहीं है और अगर मजरूह ने दोनों ज़ख़्म खाने के बाद मुजरिमे अव्वल से सुलह की तब भी यही हुक्म है। (आलमगीरी स.23 जि.6)

मसअ्ला.208:– किसी ने किसी को क़स्दन गहरा ज़ख़्म लगाया फिर ज़ख़्म और इस से पैदा होने वाले असरात के बदले में दस हज़ार दिरहम पर सुलह करके मजरूह को अदा भी कर दिये फिर किसी दूसरे शख़्स ने उसी मजरूह को ख़ताअ्न ज़ख़्मी कर दिया और मजरूह दोनों ज़ख़्मों से मर गया तो दूसरे जारेह के आक़िला पर निस्फ़ दियत लाज़िम होगी। और पहला जारेह मक़तूल के माल में से पाँच हज़ार दिरहम वापस ले लेगा। (आलमगीरी स.23 जि.6)

मसअ्ला.209:– किसी ने बच्चे का दांत उखेड़ दिया या किसी औरत का सर मुंडा दिया उसके बाद मुजरिम ने बच्चे के बाप से या उस औरत से माल पर सुलह करली इस के बाद औरत के सर पर बाल निकल आये या बच्चे का दांत निकल आया तो इस माल का वापस कर देना लाज़िमी है और यही सूरत उस सूरत में भी है जब किसी का हाथ तोड़ दिया हो और उससे माल पर सुलह करली हो और इस के बाद पलास्टर कर दिया गया हो और हड्डी जुड़गई हो फिर अगर हाथ टूटने वाला यह कहे कि मेरा पहले से कम्ज़ोर होगया है और जैसा था वैसा नहीं हुआ तो किसी माहिरे फ़न से तहक़ीक़त कराई जायेगी। (बहरुर्राइक स.318 जि.8)

मसअ्ला.210:– क़िसास का हक़ हर उस वारिस् का है जिसका हिस्सा–ए–मीरास् क़ुर्आन में मुअय्यन कर दिया गया है और दियत का भी यही हुक्म है। (काज़ी ख़ाँ स.390 जि.4)

मसअ्ला.211:– अगर सब वुरसा बालिग़ हों तो सबकी मौजूदगी में क़िसास लिया जायेगा सिर्फ़ बाज़ को क़िसास लेने का हक़ नहीं है और अगर बाज़ वुरसा बालिग़ हैं और बाज़ ना'बालिग़ हैं तो बालिग़ वुरसा अभी क़िसास लेलेंगे और ना'बालिग़ों के बुलूग़ का इन्तिज़ार नहीं करेंगे।(काज़ी ख़ाँ स.390 जि.4)

मसअ्ला.212:– मक़तूल फ़िल'अमद के बाज़ वुरसा ने क़ातिल को मुआफ़ करदिया फिर बाक़ी वुरसा ने यह जानते हुए क़ातिल को क़त्ल करदिया कि बाज़ के मुआफ़ कर देने से क़िसास साक़ित होजाता है तो उनसे क़िसास लिया जायेगा और अगर यह हुक्म उनको मालूम नहीं और क़ातिल को क़त्ल करदिया अगर्चे बाज़ के मुआफ़ करदेने को जानते हों तो इनसे क़िसास नहीं लिया जायेगा(काज़ीख़ाँ स.389 जि.4)

बाब एअ्तिबारे हालतिल'क़त्ल

मसअ्ला.213:– क़त्ल में आलाए क़त्ल के इस्तेअ्माल करने के वक़्त की हालत मोअ्तबर है।(बहरुर्राइक)

मसअ्ला.214:– किसी शख़्स ने मुसलमान को तीर मारा क़ब्ल इसके कि तीर उसे लगे मआज़ल्लाह वह मुर्तद होगया इसके बाद तीर लगा और वह मरगया तो मक़तूल के वुरसा के लिये तीर मारने वाले पर दियत वाजिब है और अगर मुर्तद को तीर मारा और तीर लगने से पहले वह मुसलमान हो गया और फिर तीर लगने से मरगया तो तीर मारने वाले पर कुछ तावान नहीं है।(आलमगीरी स.23 जि.6)

मसअ्ला.215:– किसी शख़्स ने गुलाम को तीर मारा तीर लगने से क़ब्ल उसके मौला ने उसे आज़ाद कर दिया तो तीर मारने वाले पर गुलाम की क़ीमत लाज़िम होगी।(आलमगीरी स.32 जि.6)

मसअ्ला.216:– अगर किसी ने किसी क़ातिल को क़िसास मुआफ़ कर देने के बाद क़त्ल कर दिया तो इस से क़िसास लिया जायेगा। (बदाइअ् सनाइअ् स.247 जि.7)

मसअ्ला.217:– किसी काफ़िर ने शिकार को तीर मारा और शिकार को तीर लगने से पहले वह मुसलमान होगया तो वह गोश्त हराम है और अगर मुसलमान ने मारा और मआज़ल्लाह लगने से पहले वह मुर्तद होगया तो वह गोश्त हलाल है।(बहरुर्राइक़ स.326 जि.8 फ़त्हुलक़दीर स.300 जि.8)

मसअ्ला.218:– हुकूमते अ़द्ल यानी इन्साफ़ के साथ तावान लेने का तरीक़ा यह है कि उस शख़्स को गुलाम फ़र्ज़ करके यह अन्दाज़ा किया जाये कि जनायत के असर की वजह से उसकी क़ीमत में किस क़द्र कमी आगई। यह कमी हुकूमते अ़द्ल कहलायेगी मस्लन गुलाम की क़ीमत का दसवां हिस्सा कम होगया तो वहाँ दियत का दसवाँ हिस्सा लाज़िम होगा या क़ीमत निस्फ़ रहगई तो निस्फ़ दियत लाज़िम होगी। (क़ाज़ीख़ाँ स.358 जि.4, शामी स.494 जि.5)

मसअ्ला.219.:– या उन ज़ख़्मों में से जिन में शारेअ् ने अर्श मुअ़य्यन किया है किसी क़रीब तरीन जगह के ज़ख़्म के साथ उस ज़ख़्म का मुक़ाबला दो माहिर आ़दिल जर्राहों से कराके यह मालूम किया जायेगा कि उस ज़ख़्म को इस ज़ख़्म से क्या निस्बत है और क़ाज़ी उनके क़ौल के मुताबिक़ इस ज़ख़्म से उस ज़ख़्म को जो निस्बत हो उसी निस्बत से अर्श का हिस्सा मुअ़य्यन करदे मस्लन यह ज़ख़्म इस ज़ख़्म का निस्फ़ है तो निस्फ़ और रुबअ् (चौथाई) है तो रुब्अ् अर्श(बदाइअ् सनाइअ स.324 जि.7)

मसअ्ला.220:– हुकूमते अ़द्ल जनायात मादूनुन्नफ़्स में से जिनमें क़िसास नहीं और शारेअ् ने कोई अर्श भी मुअ़य्यन नहीं किया है उन में जो तावान लाज़िम आता है उसको हुकूमते अ़द्ल कहते हैं।

किताबुद्दियात

मसअ्ला.221:– दियत उस माल को कहते हैं जो नफ़्स के बदले में लाज़िम होता है और अर्श उस माल को कहते हैं जो मादूनुन्नफ़्स (क़त्ल से कम जिसमानी नुक़सान में मस्लन हाथ पाँव तोड़ना) में लाज़िम होता है और कभी अर्श और दियत को बतौर मुतरादिफ़ (एक ही माना में) भी बोलते हैं।(आलमगीरी स.24 जि.6)

मसअ्ला.222:– क़त्अ् व क़त्ल की चार सूरतों में दियत वाजिब होती है 1.क़त्ले ख़ता 2.शुब्हे अ़मद 3.क़त्ल बिस्सबब 4.क़ाइम मक़ाम ख़ता। इन सब सूरतों में दियत अ़सबात पर वाजिब होती है। सिवाए उस सूरत में कि बाप अपने बेटे को क़त्ल करदे तो इसको अपने माल में दियत वाजिब होगी और हर उस क़त्ल व क़त्ए अ़मद में जिसमें किसी शुबह की वजह से क़िसास साक़ित होजाये मुजिरम के अपने माल में दियत वाजिब होगी। और जनायाते अ़मद की सुलह का माल भी मुजिरम के माल से अदा किया जायेगा। (हिन्दिया स.24 जि.6 क़ाज़ी ख़ाँ स.392 जि.4)

मसअ्ला.223:– दियत सिर्फ़ तीन क़िस्म के मालों से अदा की जायेगी 1.ऊंट एक सौ 2.दीनार एक हज़ार 3.दराहिम दस हज़ार। क़ातिल को इख़्तियार है कि इन तीनों में से जो चाहे अदा करे(आलमगीरी)

मसअ्ला.224:– ऊंट सब एक उ़म्र के वाजिब नहीं होंगे बल्कि मुख़्तलिफ़ुल उ़म्र लाज़िम आयेंगे जिस की तफ़सील हस्बे ज़ैल है। ख़ता क़त्ल की सूरत में पाँच क़िस्म के ऊंट दिये जायेंगे बीस बिन्ते मख़ाज़ यानी ऊँट का वह मादा बच्चा जो दूसरे साल में दाख़िल होचुका हो और बीस इब्ने लबून यानी ऊँट के वह नर बच्चे जो तीसरे साल में दाख़िल होचुके हों और बीस बिन्ते लबून यानी ऊँट का वह मादा बच्चा जो तीसरे साल में दाख़िल होचुका हो। बीस हिक़्क़े यानी ऊँट के वह बच्चे जो उ़म्र के चौथे साल में दाख़िल हो चुके हों और बीस जिज़आ यानी वह ऊँटनी जो पाँचवें साल में दाख़िल होचुकी है और शुब्हे अ़मद में पच्चीस बिन्ते मख़ाज़ और पच्चीस बिन्ते लबून और पच्चीस हिक़्क़े और पच्चीस जिज़ए सिर्फ़ यह चार किस्में दी जायेंगी(आलमगीरी स.24 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.504 जि.5)

मसअ्ला.225:– मुस्लिम ज़िम्मी, मुस्तामिन सबकी दियत एक बराबर है और "औ़रत की दियते नफ़्स, मादूनुन्नफ़्स में मर्द की दियत की निस्फ़ दी जायेगी" और वह जनायात जिनमें कोई दियत मुअ़य्यन नहीं है बल्कि इन्साफ़ के साथ तावान लाया जाता है उनमें मर्द व औ़रत का तावान बराबर होगा। (आलमगीरी स.24 जि.6 शामी स.505 जि.5)

मसअ्ला.226:– खुन्सा का हाथ अमदन (जानबूझकर) काटने वाले से क़िसास नहीं लिया जायेगा। अगर्चे क़ातेअ् (काटने वाली) औरत हो और खुन्सा से भी क़िसास नहीं लिया जायेगा और अगर उस को किसी ने ख़ताअ्न क़त्ल कर दिया या हाथ पैर काट दिये तो औरत की दियत यानी मर्द की निस्फ़ दियत देदी जायेगी, जब आसारे जोलियत ज़ाहिर होंगे (यानी जब खुन्सा का मर्द होना ज़ाहिर होजाये) तो बक़िया निस्फ़ भी उसको देदी जायेगी। (शामी स.505 जि.5 अज़ अल्अश्बाह वन्नज़ाइर)

मसअ्ला.227:– मक़तूल की दियत के मुस्तहक़्क़ीन में एक नाबालिग़ बच्चा और एक बालिग़ शख़्स है जो आपस में बाप बेटे हैं तो बाप कुल दियत पर क़ब्ज़ा कर लेगा और अगर वह आपस में भाई भाई या चचा भतीजे हैं और बालिग़ ना'बालिग़ का वली नहीं हैं तो बालिग़ सिर्फ़ अपने हिस्से पर क़ब्ज़ा करेगा ना'बालिग़ के हिस्से पर नहीं। (आलमगीरी स.24 जि.6)

मसअ्ला.228:– अगर कोई किसी का सर बिलजब्र (ज़बर'दस्ती) मूंड दे तो एक साल तक इन्तिज़ार किया जायेगा अगर एक साल में सर पर बाल उग आयें तो हालिक़ (मूंडने वाले) पर कुछ तावान नहीं है वरना पूरी दियत वाजिब होगी इसमें मर्द, औरत, सग़ीर व कबीर (छोटा और बड़ा) सबका का हुक्म यक्सां है और अगर जिसका सर मूंडा गया था वह साल गुज़रने से पहले मरगया और उस वक़्त तक उस के सर पर बाल नहीं उगे थे तो हालिक़ के ज़िम्मे कुछ नहीं है।(आलमगीरी स.24 जि.6)

मसअ्ला.229:– अगर किसी ने किसी की दोनों भंवों को इस तरह उखेड़ा या मूंडा कि आइन्दा बाल उगने की उम्मीद न रही तो पूरी दियत लाज़िम होगी और एक में निस्फ़ दियत(हिदाया व एनाया स.309जि.8)

मसअ्ला.230:– चारों पपोटों से पलक इस तरह उखेड़ दिये जायें कि आइन्दा बाल न जमें तो पूरी दियत वाजिब है। दो पल्कों में निस्फ़ दियत और एक पलक में रुब्अ् (चौथाई) दियत वाजिब है(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.231:– अगर किसी मर्द की पूरी दाढ़ी इस तरह मूंड दी कि एक साल तक बाल न उगे तो पूरी दियत वाजिब है और निस्फ़ में निस्फ़ दियत और निस्फ़ से कम में इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा और साल से पहले मरगया तो कुछ तावान नहीं लिया जायेगा सर और दाढ़ी के मूंडने में अमद व ख़ता में कोई फ़र्क़ नहीं है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.507 जि.5, आलमगीरी स.24 जि.6)

मसअ्ला.232:– कोसज यानी जिसकी दाढ़ी न उगे अगर उसकी ठोड़ी पर चन्द बाल थे और वह किसी ने मूंड दिये तो कुछ लाज़िम नहीं है और अगर ठोड़ी और रुख़्सारों पर चन्द मुतफ़र्रिक़ बाल हैं तो उनके मुंडने वाले पर इन्साफ़ के साथ तावान है और अगर ठोड़ी और रुख़्सारों पर छिदरे बाल हैं तो पूरी दियत है क्योंकि यह कोसज ही नहीं है यह हुक्म इस सूरत में है कि मूंडने के बाद एक साल तक बाल न उगें लेकिन अगर साल के अन्दर हस्बे साबिक़ बाल उग आयें तो कुछ तावान नहीं है। लेकिन तम्बीह के तौर पर सज़ा दी जायेगी और अगर साल तमाम होने से पहले मरगया और उस वक़्त तक बाल न उगे तो कुछ नहीं और अगर दोबारा सफ़ेद बाल उगे तो अगर सफ़ेदी की उम्र है तो कुछ नहीं और अगर इस उम्र से पहले सफ़ेद निकले तो आज़ाद और गुलाम दोनों में इन्साफ़ के साथ तावान वाजिब होगा। सर और दाढ़ी वग़ैरा हर जगह के बालों में सिर्फ़ इस सूरत में तावान लाज़िम होता है कि एक साल तक न उगें वरना नहीं और साल तमाम होने से पहले मरजाने की सूरत में कोई तावान लाज़िम नहीं आता है(शामी व दुर्रेमुख़्ता स.507 जि.5 आलमगीरी स.24 जि.6)

मसअ्ला.233:– किसी की दाढ़ी बिल'जब्र मूंड दी फिर छिदरी उगी यानी कहीं बाल उगे और कहीं नहीं उगे तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (क़ाज़ीख़ाँ स.389 जि.4, आलमगीरी स.24 जि.6)

मसअ्ला.234:– अगर मूंछें और दाढ़ी दोनों मुंडदीं तो सिर्फ़ एक दियत वाजिब होगी अगर सिर्फ़ मूंछें मूंडीं तो इन्साफ़ के साथ तावान लिया जायेगा। (शामी स.507 जि.5 तबीईनुलहक़ाइक़ स.130 जि6)

मसअ्ला.235:– अगर औरत की दाढ़ी मूंड दी तो कुछ नहीं है। (शामी अज़ जौहरा नय्यिरा स.502 जि.5)

मसअ्ला.236:– अगर सर मूंडने वाला कहता है कि जिसका सर मैंने मूंडा है वह चन्दला था। इस लिये चन्दली जगहों पर बाल नहीं उगे हैं तो जितनी जगह पर बाल होने का इक़रार करता है उस

के बक़द्र हिस्सा–ए–दियत देगा और यही हुक्म इस सूरत में भी है कि दाढ़ी मूंडने के बाद कहे कि कोसज था और इस के रुख़्सारों पर बाल न थे या भंवें और पलकें मूंडने के बाद कहे कि बाल न थे इन सब सूरतों में मूंडने वाले का क़ौल क़स्म के साथ मान लिया जायेगा। अगर मुद्दई के पास गवाह न हों और अगर गवाह हैं तो इसकी बात मानी जायेगी।(आलमगीरी स.26 जि.6)

मसअ्ला.237:– अअ्ज़ा (जिस्म के हिस्से) की दियत में क़ायदा यह है कि अअ्ज़ा पाँच क़िस्म के हैं (1)एक एक जैसे नाक, ज़बान, ज़कर (2)दो, दो जैसे आँखें, कान, भंवें, होंट, हाथ, पैर, औरत के पिस्तान, ख़ुसयतैन (3)चार हों जैसे पपोटे (4)दस हों जैसे हाथों की उंगलियाँ, पैरों की उंगलियाँ, (5)दस से ज़ाइद हों जैसे दाँत। अगर जनायात की वजह से हुस्ने सूरत या मन्फ़अत उज़्वी बिल्कुल फ़ौत होजाये तो पूरी दियते नफ़्स लाज़िम होगी। (तबईन स.129 जि.6, शामी स.505 जि.5) और अगर हुस्ने सूरी या मन्फ़अते उज़्वी पहले ही नाक़िस थी उसको ज़ाइअ् कर दिया जैसे गूंगे की ज़बान या ख़स्सी या इन्नीन का ज़कर या किसी का शल हाथ या लंगड़े का पैर या किसी की अंधी आँख या किसी का काला दाँत उखेड़ दिया तो उन अअ्ज़ा में क़स्दन जनायात की सूरत में भी क़िसास नहीं हैं और ख़ता में दियत भी नहीं बल्कि हुकूमते अद्ल है। (इनाया हिदाया स.307 जि.8, शामी स.506 जि.5)

मसअ्ला.238:– अगर क़िस्मे अव्वल का उज़्व काटा तो इस में पूरी दियत है और अगर क़िस्मे सानी की दोनों उज़्व को काटा तो पूरी दियत है और एक में निस्फ़ दियत और अगर तीसरी क़िस्म के चारों अअ्ज़ा को ज़ाइअ् किया तो पूरी दियत है दो में निस्फ़ दियत और एक में चौथाई दियत है और अगर चौथी क़िस्म के दसों उंगलियों को काटा तो पूरी दियत है और एक दसवां हिस्सा है और अगर पाँचवीं क़िस्म यानी सब दाँत तोड़दिये तो पूरी दियत है और एक में बीसवाँ हिस्सा(शामी स.505 जि.5)

मसअ्ला.239:– अगर दोनों कान ख़ताअ्न काट दिये तो पूरी दियत लाज़िम होगी एक में निस्फ़ दियत है और अगर बूचा बनादिया तो हुकूमते अद्ल है।(आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.240:– अगर कान पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि बहरा होगया तो पूरी दियत वाजिब होगी(तबईन)

मसअ्ला.241:– ख़ताअ्न दोनों आँखें फोड़देने की सूरत में पूरी दियत और एक में निस्फ़ दियत है और यही हुक्म इस सूरत में भी है कि आँखें न फूटें मगर बीनाई जाती रहे।(आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.242:– काने की अच्छी आँख फोड़देने से निस्फ़ दियत लाज़िम होगी।(आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.243:– अगर पपोटों को मअ् पलकों के काट दिया तब भी एक ही दियत है।(तबईन स.131 जि.6)

मसअ्ला.244:– अगर ऐसे पपोटे को काटा जिसपर बाल न थे तो हुकूमते अद्ल है और अगर एक ने पलक काटे और पपोटे दूसरे ने तो पपोटे काटने वाले पर पूरी दियत है और पलक काटने वाले पर हुकूमते अद्ल है। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.25 जि.6)

मसअ्ला.245:– अगर किसी ने किसी की पूरी नाक काटदी या नाक का नर्म हिस्सा काट दिया नर्म हिस्से में से कुछ काटदिया तो पूरी दियत वाजिब है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.506 जि.5 आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.246:– अगर नाक की नोक काट दी तो इस में हकूमते अद्ल है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.506 जि.5)

मसअ्ला.247:– किसी ने किसी की नाक तोड़दी या उसपर ऐसी ज़र्ब लगाई कि वह नाक से सांस लेने के क़ाबिल नहीं रहा सिर्फ़ मुँह से सांस ले सकता है तो इस में हुकूमते अद्ल है(आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.248:– किसी की नाक पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि सूंघने की कुव्वत ज़ाइअ् होगई तो पूरी दियत वाजिब होगी। (कुदूरी, हिदाया स.587 जि.4, आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.249:– किसी ने पहले नाक का नर्म हिस्सा काटा फिर अच्छा होने के बाद पूरी नाक काट दी तो नर्म हिस्से की पूरी दियत और बाक़ी में हुकूमते अद्ल है और अगर अच्छे होने से पहले पूरी नाक काट दी तो एक ही दियत है। (आलमगीरी स.25 जि.6 बहरुर्राइक़ स.329 जि.8)

मसअ्ला.250:– अगर दोनों होंट काट दिये तो पूरी दियत वाजिब होगी और एक में निस्फ़ दियत और ऊपर नीचे के होंटों में कोई फ़र्क़ नहीं है। (आलमगीरी स.25 जि.6, दुर्रेमुख़्तार507 जि.5)

मसअ्ला.251:– बच्चे के कान और नाक में भी पूरी दियत है। (आलमगीरी स.25 जि.6)

मसअ्ला.252:– हर दाँत के ज़ाइअ् करने पर दियत का बीसवाँ हिस्सा है। सामने के दाँतों कीलों और डाढ़ों में कोई फ़र्क़ नहीं है। (आलमगीरी स.25 जि.6 बहरुर्राइक़ स.332 जि.8)

मसअ्ला.253:– किसी ने किसी का दांत उखेड़ दिया उसके बाद दूसरा उस जैसा दांत उग आया तो दियत साक़ित होजायेगी और अगर दूसरा दाँत काला उगा तो दियत साक़ित नहीं होगी(आलमगीरी)

मसअ्ला.254:– किसी ने किसी का दाँत उखेड़ दिया जिसका दाँत उखेड़ा था उसने उखड़ा हुआ दांत अपनी जगह पर लगादिया और वह जमगया तो अगर हुस्ने सूरी और मन्फ़अत में कोई फ़र्क़ नहीं आया तो दियत नहीं है वरना दाँत की पूरी दियत वाजिब है(आलमगीरी स.25 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.515 जि.5)

मसअ्ला.255:– किसी ने किसी के दाँत पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि दाँत हिल गया तो एक साल की मोहलत दी जाये अगर इस मुद्दत में दाँत सुर्ख़, सब्ज़ या स्याह पड़ गया और चबाने के क़ाबिल नहीं रहा तो दाँत की पूरी दियत वाजिब होगी और अगर चबाने के क़ाबिल है लेकिन रंग बदल गया तो सामने के दाँतों में हुस्ने सूरी फ़ौत होजाने की वजह से दाँत की पूरी दियत वाजिब होगी और डाढ़ों और कीलों में नहीं है और अगर चबाने के क़ाबिल है लेकिन रंग पीला पड़गया तो दियत वाजिब नहीं होगी। (आलमगीरी स.26 जि.6, क़ाज़ीख़ाँ स.387 जि.4)

मसअ्ला.256:– अगर ज़ारिब कहता है कि मेरी ज़र्ब से रंग नहीं बदला बल्कि मेरी ज़र्ब के बाद किसी दूसरी ज़र्ब से रंग बदला है और मज़रूब इस की तकज़ीब करता है (झुटलाता है) तो अगर ज़ारिब अपनी क़ौल पर गवाह पेश करदे तो उसकी बात मान ली जायेगी वरना क़स्म के साथ मज़रूब का क़ौल मोअ्तबर होगा। (आलमगीरी स.26 जि.6 तबईनुल'हक़ाइक़ स.137 जि.6)

ज़बान की दियत

मसअ्ला.257:– किसी ने किसी की पूरी ज़बान काट दी या इस क़द्र काट दी कि कलाम पर क़ादिर न रहा तो पूरी दियते नफ़्स वाजिब है और अगर बाज़ हुरूफ़ के अदा करने पर क़ादिर है और बाज़ पर नहीं तो यह देखा जायेगा कि कितने हुरूफ़ अदा कर सकता है जितने हुरूफ़ अदा कर सकता है उसके बक़द्र दियत साक़ित होजायेगी मसलन अगर आधे हुरूफ़ हिज्जा अदा कर सकता है तो आधी दियत साक़ित होजायेगी और अगर चौथाई हुरूफ़ अदा कर सकता है तो चौथाई दियत साक़ित होजायेगी। व अला हाज़ल'क़ियास। (आलमगीरी स.26 जि.6, शामी दुर्रेमुख़्तार स.506 जि.5)

मसअ्ला.258:– अगर ज़बान काटने वाले और उस शख़्स में जिसकी ज़बान काटी गई यह इख़्तिलाफ़ है कि कलाम पर क़ुदरत है या नहीं तो ख़ुफ़िया तरीक़े से यह मालूम करना होगा कि वह कलाम कर सकता है या नहीं। (आलमगीरी स.26 जि.6, बहरुर्राइक़ स.330 जि.8)

मसअ्ला.259:– गूंगे की ज़बान को काटने की सूरत में हुकूमते अदल है।(आलमगीरी स.26 जि.6,)

मसअ्ला.260:– ऐसे बच्चे की ज़बान काट दी जिस ने अभी बोलना नहीं शुरूअ् किया सिर्फ़ रोता है तो हकूमते अद्ल है और अगर बोलने लगा है तो दियत है(आलमगीरी स.26 जि.6 तबईनुल'हक़ाइक़ 334 जि.6)

मसअ्ला.261:– दोनों हाथ ख़ताअ्न काटने की सूरत में पूरी दियते नफ़्स वाजिब है और एक में निस्फ़ और इस में दाहिना बायें हाथ में कोई फ़र्क़ नहीं है।(आलमगीरी स.26 जि.6 फ़त्ह व हिदाया स.310 जि.8)

मसअ्ला.262:– ख़ुन्सा का हाथ काटने वाले पर औरत के हाथ की दियत वाजिब होगी(आलमगीरी)

मसअ्ला.263:– हर उंगली में दियते नफ़्स का दसवाँ हिस्सा है और जिन उंगलियों में तीन जोड़ हैं एक जोड़ पर उंगली की दियत का तिहाई हिस्सा है और जिसमें दो जोड़ हैं उनमें एक जोड़ पर उंगली की दियत का निस्फ़ हिस्सा है। (आलमगीरी स.26 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.508 जि.5)

मसअ्ला.264:– ज़ाइद उंगली काटने पर हुकूमते अद्ल ह(आलमगीरी स.26 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.513 जि.5)

मसअ्ला.265:– शल हाथ या लंगड़ा पैर काटने पर हुकूमते अदल है(आलमगीरी स.26 जि.6 क़ाज़ीख़ाँ स.338 जि.4)

मसअ्ला.266:– किसी ने किसी की ऐसी हथेली को काट दिया जिसमें पाँचों उंगलियाँ, या चार, या

तीन, या दो, या एक, उंगली या किसी उंगली का सिर्फ़ एक पोरा लगा हुआ था तो उंगलियों या पोरे की दियत होगी और हथेली की कुछ दियत नहीं होगी(आलमगीरी स.26 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.512 जि.5)

मसअ्ला.267:– और अगर ऐसी हथेली को काटा जिसमें न कोई उंगली थी और न किसी उंगली का जोड़ था तो ऐसी हथेली में हुकूमते अ़द्ल है और यह तावान एक उंगली की दियत से कम होगा। (बहरुर्राइक स.337 जि.8, शामी स.512 जि.5, मब्सूत स.82 जि.26)

मसअ्ला.268:– किसी के हाथ पर ऐसा मारा कि हाथ शल होगया तो हाथ की पूरी दियत वाजिब होगी जो दियते नफ्स की निस्फ़ होगी।(आलमगीरी स.26 जि.9, दुर्रेमुख़्तार व शामी जि.5)

मसअ्ला.269:– अगर कलाई या बाज़ू तोड़ दिया तो हकूमते अ़द्ल है। (आलमगीरी स.26 जि.6)

मसअ्ला.270:– किसी की उंगली का एक पोरा काट दिया जिस की वजह से बाक़ी उंगली या पूरा हाथ ऐसा शल होगया कि क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् (काम के लायक) नहीं रहा तो पूरी उंगली की या पूरे हाथ की दियत होगी और अगर क़ाबिले इन्तिफ़ाअ् है तो पूरे की दियत और शल हिस्से में हुकूमते अ़द्ल होगी। (शामी स.513 जि.5, आलमगीरी स.26 जि.6)

मसअ्ला.271:– उंगली के पोरे का बाज़ हिस्सा काटने में हकूमते अ़द्ल है अगर नाख़ुन जुदा कर दिया और फिर दूसरा नाख़ुन मिस्ल पहले के उग गया तो नाख़ुन में कुछ नहीं और अगर न उगा तो हकूमते अ़द्ल है और अगर ख़राब उगा तो भी हकूमते अ़द्ल है मगर न उगने की सूरत से कम होगी। (आलमगीरी स.27 जि.6, बदाइअ् सनाइअ् स.323 जि.7)

मसअ्ला.272:– ऐसे कमज़ोर छोटे बच्चे का हाथ या पैर या ज़कर काट दिया जिसने अभी हाथ पैर हिलाये तक न थे और ज़कर में हरकत न थी तो हकूमते अ़द्ल है और अगर हाथ पैर हिलाता था और ज़कर में हरकत थी तो पूरी दियत है। (आलमगीरी स.27 जि.6)

मसअ्ला.273:– मर्द के दोनों पिस्तान काटने में हकूमते अ़द्ल है और अगर सिर्फ़ घुन्डियाँ काटी हैं तो इस से कम हुकूमते अ़द्ल है और एक पिस्तान काटा तो इसका निस्फ़ है और एक घुन्डी काटी तो इस का निस्फ़ है। (आलमगीरी व शामी स.508 जि.5)

मसअ्ला.274:– हंसली या पस्ली की हड्डी तोड़ देने में हुकूमते अ़द्ल है। (आलमगीरी स.27 जि.6)

मसअ्ला.275:– औरत के दोनों पिस्तान या दोनों घुन्डियाँ काट दीं तो पूरी दियते नफ़्स है और एक में निस्फ़ दियते नफ़्स है और इस हुक्म में सग़ीरा और कबीरा में कोई फ़र्क़ नहीं। (आलमगीरी)

मसअ्ला.276:– किसी की पीठ पर ऐसी ज़र्ब लगाई कि कुव्वते जिमाअ् (सम्भोग की ताक़त) जाती रही या रतूबते नुख़ाईया (वह रतूबत जो वीर्य पैदा होने का सबब बनती है) खुश्क होगई या कुबड़ा होगया तो पूरी दियत है। (आलमगीरी स.27 जि.6, तबईनुल'हकाइक़ स.132 जि.6)

मसअ्ला.277:– और अगर कुबड़ा न हुआ और मनफ़अ़ते जिमाअ् भी फ़ौत न हुई मगर निशाने'ज़ख़्म बाक़ी रहा तो हुकूमते अ़द्ल है और अगर निशान भी बाक़ी न रहा तो उजरते तबीब है(आलमगीरी जि.6)

मसअ्ला.278:– अगर कुबड़ा था मगर ज़र्ब के बाद सीधा होगया तो कुछ नहीं।(तबईनुल'हकाइक स.132 जि.6)

मसअ्ला.279:– औरत की सीने की हड्डी तोड़दी जिससे पानी खुश्क होगया तो दियते नफ़्स है(आलमगीरी स.27)

मसअ्ला.280:– ज़कर काटने की सूरत में पूरी दियत है और ख़स्सी का ज़कर काटने की सूरत में हुकूमते अ़द्ल ख़्वाह उसमें हरकत होती हो या न होती हो और जिमाअ् पर क़ादिर हो या न हो और इन्नीन और ऐसा शैख़े कबीर जो जिमाअ् पर क़ादिर न हो उनका भी यही हुक्म है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.281:– हश्फ़ा (आलाए तनासुल'का सर) काटने की सूरत में पूरी दियते नफ़्स है और अगर पहले हश्फ़ा काटा इसके बाद मा'बक़िया उज़्व भी काट दिया तो अगर दरम्यान में सेहत नहीं हुई थी तो एक ही दियत है और अगर दरम्यान में सेहत होगई थी तो हश्फ़ा में पूरी दियते नफ़्स और बाक़ी में हुकूमते अ़द्ल है। (आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.282:– ख़ुसयतैन काटने की सूरत में पूरी दियते नफ़्स है। (आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.283:– तन्दुरुस्त आदमी के खुसयतैन व ज़कर ख़ताअ्न काटने की सूरत में अगर पहले ज़कर काटा और बाद में खुसयतैन तो दो दियतें लाज़िम होंगी और अगर पहले खुसयतैन काटे और फ़िर ज़कर तो खुसयतैन में पूरी दियते नफ़्स और ज़कर में हकूमते अ़दल है और अगर रानों की जानिब से इस तरह काटा कि सब एक साथ कट गये तब भी दो दियतें लाज़िम होंगी(आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.284:– अगर खुसयतैन में से एक काटा कि पानी मुन्कतअ् होगया तो पूरी दियत है और अगर पानी मुन्कतअ् नहीं हुआ तो निस्फ़ दियत है। (आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.285:– अगर दोनों चूतड़ (सुरीन) ख़ताअ्न इस तरह काटे कि कूल्हे की हड्डी पर गोश्त न रहा तो पूरी दियते नफ़्स है और अगर गोश्त बाक़ी रहगया तो हुकूमते अ़द्ल है।(क़ाज़ीखाँ स.325 जि.4)

मसअ्ला.286:– पेट पर ऐसा नेज़ा मारा कि इम्साके गिज़ा (पेट में गिज़ा का रुकना) ना'मुम्किन होगया या मिक़अद (पीछे के मकाम) पर ऐसा नेज़ा मारा कि पैट में गिज़ा नहीं ठहर सकती या पेशाब रोकने पर कादिर न रहा और सल्सुलबौल (एक बीमारी जिस में वकफ़ वकफ़े से पेशाब के क़तरे गिरते रहते हैं) में मुब्तला होगया या औरत के दोनों मख़्रज फटकर एक होगये और पेशाब रोकने की कुदरत न रही तो इन सब सूरतों में पूरी दियते नफ़्स है(आलमगीरी स.28 जि.6, काज़ीखाँ स.384 जि.4)

मसअ्ला.287:– औरत की शर्मगाह को ख़ताअ्न ऐसा काट दिया कि उसमें पेशाब रोकने की कुदरत न रही या वह जिमाअ् के क़ाबिल न रही तो पूरी दियते नफ़्स है।(आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.288:– औरत को ऐसा मारा कि वह मुस्तहाज़ा होगयी तो एक साल की मोहलत दी जायेगी अगर इस दौरान अच्छी होगई तो कुछ नहीं वरना पूरी दियत है।(आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.289:– ऐसी सग़ीरा से जिमाअ् किया जो इस क़ाबिल न थी और वह मरगई तो अजनबिया (यानी गैर मनकूहा) होने की सूरत में आक़िला पर दियत है और मन्कूहा होने की सूरत में आक़िला पर दियत है और शौहर पर महर।(आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.290:– इज़ालाए अ़क्ल, समअ्, बस्र, शुम, कलाम, ज़ौक़, (अ़क्ल, सुन्ने की कुव्वत, देखने की सलाहियत, सूंघने की ताकत, बोलने की सलाहियत, चखने की सलाहियत को खत्म करदेना (अमीनुल कादरी)) इन्ज़ाल, कुभ पैदा करने, सर और दाढ़ी के बाल मूंडने, दोनों कान, दोनों भवों, दोनों आँखों के पपोटों, दोनों हाथों, या दोनों पैरों की उंगलियों, औरत के पिस्तानों की दोनों घुन्डियों के काटने में, औरत के मख़्रजैन का इस तरह एक कर देना कि पेशाब या पाख़ाने के इम्साक की कुदरत न रहे, हश्फ़ा, नाक के नर्म हिस्से, दोनों होंटों, दोनों जबड़ों, दोनों चूतड़ों, ज़बान के काटने, चेहरे के टेढ़ा कर देने, औरत की शर्मगाह को इस तरह काट देने में कि जिमाअ् के क़ाबिल न रहे, और पेट पर ऐसी ज़र्ब लगाने में कि पानी मुन्कतअ् होजाये, पूरी दियते नफ़्स है बशर्ते कि यह जराइम ख़ताअ्न सादिर हों(काज़ीखाँ स386 जि.4)

मसअ्ला.291:– किसी बाकिरा लड़की को धक्का दिया कि वह गिर पड़ी और उसकी बुकारत ज़ाइल होगई (कुंवारापन खत्म होगया) तो धक्का देने वाले पर महरे मिस्ल लाज़िम। (आलमगीरी स.28 जि.6)

मसअ्ला.292:– किसी रस्सी पर दो आदमियों ने झगड़ा किया और हर आदमी एक एक सिरा पकड़ कर खींच रहा था तीसरे ने आकर दरमियान से रस्सी काट दी और वह दोनों शख़्स गिर पड़े और मरगये रस्सी काटने वाले पर न क़िसास है न दियत।(काज़ीखाँ स387 जि.4)

फ़स्लुन फ़िश्शुजाज

चेहेरे और सर के ज़ख़्मों का बयान

(चेहेरे और सर के ज़ख़्मों को शुजाज कहते हैं)

मसअ्ला.293:– इस की दस क़िस्में बयान की गई हैं **1.**हारिसा **2.**दामिआ **3.**दामिया **4.**बादिआ **5.**मुतलाहिमा **6.**सिमहाक़ **7.**मौज़िहा **8.**हाशिमा **9.**मुन्क़िला **10.**आम्मा

1. **हारिसा:**जिल्द के उस ज़ख़्म को कहते हैं जिसमें जिल्द पर ख़राश पड़ जाये मगर ख़ून न छनके
2. **दामिआ:**सर की जिल्द के उस ज़ख़्म को कहते हैं जिसमें ख़ून छनक आये मगर बहे नहीं।

3. **दामिया**:सर की जिल्द के उस ज़ख़्म को कहते हैं जिस में ख़ून बह जाये।
4. **बाज़िआ**:जिस में सर की जिल्द कट जाये
5. **मुतलाहिमा**:जिस में सर का गोश्त भी फट जाये
6. **सिमहाक़**:जिस में सर की हड्डी के ऊपर की झिल्ली तक ज़ख़्म पहुँच जाये
7. **मौज़ेहा**:जिस में सर की हड्डी नज़र आजाये।
8. **हाशिमा**:जिस में सर की हड्डी टूट जाये
9. **मुन्क़िल्ला**:जिस में सर की हड्डी टूट कर हट जाये
10. **आम्मा**:वह ज़ख़्म जो उम्मुद्दिमाग़ यानी दिमाग़ की झिल्ली तक पहुँच जाये।

इनके एलावा ज़ख़्मों की एक क़िस्म जाइफ़ा भी की गई है जिस के मअ्ना यह हैं कि जौफ़ तक पहुँचे और यह ज़ख़्म पीठ, पेट और सीने में होता है और अगर गले का ज़ख़्म गिज़ाई नाली तक पहुँच जाये तो वह भी जाइफ़ा है। (आलमगीरी स.28 जि.6, शामी स.510 जि.5, बहरुर्राइक स.333 जि.8)

मसअ्ला.294:– मौज़ेहा और उससे कम ज़ख़्म अगर क़स्दन लगाये गये हों तो उनमें क़िसास है और अगर ख़ताअ्न हों तो मौज़ेहा से कम ज़ख़्मों में हक़ूमते अ़दल है और मौज़ेहा में दियते नफ़्स का बीसवाँ हिस्सा है और हाशिमा में दियते नफ़्स का दसवाँ हिस्सा है और मुन्क़िला में दियते नफ़्स का पन्द्रह फ़ीसद हिस्सा और आम्मा और जाइफ़ा में दियत का तिहाई हिस्सा है। हाँ अगर जाइफ़ा आर'पार होगया तो दो तिहाई दियत है। (आलमगीरी स.29 जि.2 बहरुर्राइक स.334 जि.8)

मसअ्ला.295:– हाशिमा, मुन्क़िला, आम्मा अगर क़स्दन भी लगाये तो क़िसास नहीं है चूंकि मसावात मुम्किन नहीं है इस लिये उन में ख़ताअ्न और अ़मदन दोनों सूरतों में दियत है।(आलमगीरी स.29 जि.6)

मसअ्ला.296:– अगर किसी ने किसी के चेहरे या सर के किसी हिस्से पर ऐसा ज़ख़्म लगाया कि अच्छा होने के बाद उसका असर भी ज़ाइल होगया तो उस पर कुछ नहीं। (आलमगीरी स.29 जि.2)

मसअ्ला.297:– चेहरे और सर के एलावा जिस्म के किसी हिस्से पर जो ज़ख़्म लगाया जाये उस को जराहत कहते हैं और इस में हक़ूमते अ़दल है। (शामी स.510 जि.5 व दुर्रेमुख़्तार फ़त्हुलक़दीर स.312 जि.8)

मसअ्ला.298:– सर और चेहरे के एलावा जिस्म के दूसरे ज़ख़्मों में हक़ूमते अ़दल उसी वक़्त है जब ज़ख़्म अच्छे होने के बाद उसके निशानात बाक़ी रह जायें वरना कुछ नहीं है।(आलमगीरी स.29 जि.6)

मसअ्ला.299:– शजाज की जिन सूरतों में क़िसास वाजिब है उनमें ज़ख़्म की लम्बाई, चौड़ाई में मसावात के साथ क़िसास लिया जायेगा और सर के मुक़द्दम या मुअख़्ख़र हिस्सा या वस्त में जिस जगह भी ज़ख़्म होगा ज़ख़्मी करने वाले के उसी हिस्से में मसावात के साथ क़िसास लिया जायेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.300:– अगर क़रनैन (यानी पेशानी के दोनों अतराफ़) के माबैन पेशानी पर ऐसा मौज़ेहा लगाया कि क़रनैन से मिलगया और ज़ख़्म लगाने वाले की पेशानी बड़ी होने की वजह से इतना लम्बा ज़ख़्म लगाने से इस के क़रनैन तक नहीं पहुँचता है तो ज़ख़्मी को इख़्तियार दिया जायेगा कि चाहे तो क़िसास ले ले और जिस क़र्न से चाहे शुरूअ् करके उतना लम्बा ज़ख़्म उसकी पेशानी पर लगादे और अगर चाहे तो अर्श लेले। और अगर ज़ख़्मी करने वाले की पेशानी छोटी है कि मसावात से क़िसास लेने की सूरत में ज़ख़्म क़रनैन से तजावुज़ कर जाता है तब ज़ख़्मी को इख़्तियार है कि चाहे अर्श लेले और चाहे तो सिर्फ़ क़रनैन के दरम्यान ज़ख़्म लगाकर क़िसास लेले। क़रनैन से ज़ख़्म मुताजावज़ (ज़्यादा) नहीं होना चाहिए। (सनाइअ् बदाइअ् स.309 जि.7, आलमगीरी स.29 जि.6)

मसअ्ला.301:– अगर इतना लम्बा ज़ख़्म लगाया कि पेशानी से गुद्दी तक पहुँच गया तो ज़ख़्मी को हक़ है कि उसी जगह पर इतना ही बड़ा ज़ख़्म लगाकर क़िसास ले या अर्श ले अगर ज़ख़्मी को इख़्तियार है कि चाहे अर्श लेले और चाहे इतना लम्बा ज़ख़्म लगाकर क़िसास लेले। ख़्वाह पेशानी की तरफ़ से शुरूअ् करे ख़्वाह गुद्दी की तरफ़ से। (आलमगीरी स.29 जि.6, मब्सूत स.146 जि.26)

मसअ्ला.302:– अगर बीस मोज़ेहा ज़ख़्म लगाये और दरम्यान में सेहत न हुई तो पूरी दियते नफ़्स

तीन साल में अदा की जायेगी और अगर दरम्यान में सेहत वाक़ेअ् होगई तो एक साल में पूरी दियते नफ़्स अदा करनी होगी।(आलमगीरी अज़ काफ़ी स.29 जि.6)

मसअ्ला.303:– किसी के सर पर ऐसा मौज़ेहा लगाया कि उस की अक़्ल जाती रही या पूरे सर के बाल ऐसे उड़े कि फिर न उगे तो सिर्फ़ दियते नफ़्स वाजिब होगी और सर के बाल मुख़्तलिफ़ जगहों से उड़गये तो बालों की हुकूमते अद्ल और मोज़ेहा की अर्श में से जो ज़्यादा होगा वह लाज़िम आयेगा। यह हुक्म इस सूरत में है कि बाल फिर न उगें लेकिन अगर दोबारा पहले की तरह बाल उग आयें तो कुछ लाज़िम नहीं है। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.513 जि.5 आलमगीरी स.29 जि.7)

मसअ्ला.304:– किसी की भवों पर ख़ताअ्न ऐसा मोज़ेहा लगाया कि भवों के बाल गिर गये और फिर न उगे तो सिर्फ़ निस्फ़ दियत लाज़िम होगी। (आलमगीरी स.30 जि.6)

मसअ्ला.305:– किसी के सर पर ऐसा मौज़ेहा लगाया कि उस से सुनने या देखने या बोलने के क़ाबिल न रहा तो उस पर नफ़्स की दियत के साथ मौज़ेहा का अर्श भी वाजिब है यह हुक्म इस सूरत में है कि उस ज़ख़्म से मौत न हुई हो और अगर मौत वाक़ेअ् होगई तो अर्श साक़ित हो जायेगा और अ़मद की सूरत में जनायात करने वाले के माल से तीन साल में दियत अदा की जायेगी और ब'सूरते ख़ता आ़क़िला पर तीन साल में दियत है। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.513 जि.5)

मसअ्ला.306:– किसी ने किसी के सर पर ऐसा मौज़ेहा अ़मदन लगाया कि उस की बीनाई जाती रही तो ज़िहाबे बस्र और मौज़ेहा दोनों की दियतें वाजिब होंगी(आलमगीरी स.30 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी 513 जि.5)

मसअ्ला.307:– कोई शख़्स बुढ़ापे की वजह से चन्दला होगया था उसके सर पर किसी ने अ़मदन मौज़ेहा लगाया तो क़िसास नहीं लिया जायेगा दियत लाज़िम होगी और अगर ज़ख़्म लगाने वाला भी चन्दला है तो क़िसास लिया जायेगा। (आलमगीरी स.30 जि8)

मसअ्ला.308:– हर वह जनायत जो बिल'क़स्द हो लेकिन शुबह की वजह से क़िसास साक़ित होगया हो और दियत वाजिब होगई तो जनायत करने वाले के माल से दियत अदा की जायेगी और आ़क़िला से मुतालबा नहीं किया जायेगा और यही हुक्म हर उस माल का है जिस पर बिल'क़स्द जनायत की सूरत में सुलह की गई हो। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.468 जि.5 फ़त्हुलक़दीर स.322जि.)

मसअ्ला.309:– हुकूमते अद्ल से जो माल लाज़िम आता है वह जनायत करने वाले के माल से अदा किया जायेगा आ़क़िला से इस का मुतालबा नहीं किया जा सकता।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.516 जि.5)

फ़स्लुन फ़िल'जनीन (हमल का बयान)

मसअ्ला.310:– किसी ने किसी हामिला औरत को ऐसा मारा या डराया या धमकाया या कोई ऐसा फ़ेअ्ल किया जिसकी वजह से ऐसा मरा हुआ बच्चा साक़ित हुआ जो आज़ाद था अगर्चे उसके अअ्ज़ा की ख़िलक़त मुकम्मल नहीं हुई थी बल्कि सिर्फ़ बाज़ अअ्ज़ा ज़ाहिर हुए थे तो मारने वाले के आ़क़िला पर मर्द की दियत का बीसवाँ हिस्सा यानी पाँच सौ दिरहम एक साल में वाजिबुल'अदा होंगे साक़ित शुदा बच्चा मुज़क्कर हो या मुअन्नस और माँ मुस्लिमा हो या किताबिया या मजूसिया सब का एक ही हुक्म है। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.516 जि.5, आलमगीरी स.34 जि.6)

मसअ्ला.311:– अगर मज़कूरतुस्सद्र अस्बाब के तहत ज़िन्दा बच्चा साक़ित हुआ फिर मरगया तो पूरी दियते नफ़्स आ़क़िला पर वाजिब होगी और कफ़्फ़ारा ज़ारिब पर वाजिब है और अगर मुर्दा साक़ित हुआ और उसके बाद माँ भी मरगई तो माँ की पूरी दियत और बच्चे की दियत गुर्रा यानी पाँचसौ दिरहम आ़क़िला पर वाजिब होंगे। (दुर्रे मुख़्तार व शामी स.517 जि.5 आलमगीरी स34 जि.6)

मसअ्ला.312:– अगर मज़कूरा असबाब के तहत हामिला मरगई फिर मरा हुआ बच्चा ख़ारिज हुआ तो सिर्फ़ औरत की दियते नफ़्स आ़क़िला पर वाजिब है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.517 जि.5 आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.313:– अगर मज़कूरा असबाब की बिना पर दो मुर्दा बच्चे साक़ित हुए तो दो गुर्रे यानी एक हज़ार दिरहम आ़क़िला पर वाजिब होंगे। और अगर एक ज़िन्दा पैदा होकर मरगया और दूसरा

मुर्दा पैदा हुआ तो ज़िन्दा पैदा होने वाले की दियते नफ़्स और मुर्दा पैदा होने वाले का गुर्रा यानी पाँच सौ दिरहम आक़िला पर हैं और अगर माँ मरगई फिर दो मुर्दा बच्चे पैदा हुए तो सिर्फ़ माँ की दियते नफ़्स आक़िला पर वाजिब होगी और अगर माँ के मरने के बाद दो बच्चे ज़िन्दा पैदा होकर मरगये तो आक़िला पर तीन दियतें वाजिब होंगी और अगर एक मुर्दा बच्चा माँ की मौत से पहले ख़ारिज हुआ और दूसरा मुर्दा बच्चा माँ की मौत के बाद तो पहले पैदा होने वाले का गुर्रा और माँ की दियते नफ़्स आक़िला पर है और बाद में पैदा होने वाले का कुछ नहीं(शामी स.517 जि.5 आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.314:– अगर माँ की मौत के बाद ज़िन्दा बच्चा साक़ित होकर मर गया तो माँ और बच्चा दोनों की दो दियतें आक़िला पर वाजिब हैं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स518 जि.5, आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.315:– इस्क़ात की उन सब सूरतों में जिन में जनीन का गुर्रा या दियत लाज़िम होगी वह जनीन के वुरसा में तक़सीम की जायेगी और उसकी माँ भी इसकी वारिस् होगी, साक़ित करने वाला वारिस् नहीं होगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.518 जि.5, आलमगीरी स.34 जि.6)

मसअ्ला.316:– किसी ने हामिला के पेट पर तलवार मारी कि रहम को काट कर दो जनीनों को मजरूह कर गई और एक मजरूह ज़िन्दा साक़ित हुआ और दूसरा मजरूह मुर्दा साक़ित हुआ और औरत भी मरगई तो औरत का क़िसास लिया जायेगा और ज़िन्दा साक़ित होने वाले बच्चे की दियत और मुर्दा पैदा होने वाले बच्चे का गुर्रा आक़िला पर वाजिब होगा। (दुर्रेमुख़्तार स.540 जि.5)

मसअ्ला.317:– किसी ने हामिला के पेट पर छुरी मारी जिस की वजह से रहम में बच्चे का हाथ कट गया और वह ज़िन्दा पैदा हुआ और माँ भी ज़िन्दा रही तो बच्चे के हाथ की वजह से निस्फ़ दियते नफ़्स आक़िला पर वाजिब होगी। (आलमगीरी स.36 जि.6)

मसअ्ला.318:– शौहर ने अपनी हामिला बीवी को ऐसा डराया, धमकाया, मारा कि मुर्दा बच्चा साक़ित होगया तो शौहर के आक़िला पर गुर्रा लाज़िम है और यह उस बच्चे का वारिस् नहीं होगा।

मसअ्ला.319:– किसी ने अपनी हामिला बीवी को डराया धमकाया या ऐसा मारा कि एक बच्चा ज़िन्दा साक़ित होकर मरगया फिर दूसरा मुर्दा साक़ित हुआ फिर वह औरत भी मरगयी तो इस शख़्स के आक़िला पर बीवी और ज़िन्दा पैदा होने वाले बच्चे की दो दियतें और मुर्दा साक़ित होने वाले बच्चे का गुर्रा वाजिब होगा और इस शख़्स पर दो कफ़्फ़ारे वाजिब होंगे।(आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.320:– बच्चे का सर ज़ाहिर हुआ और वह चीख़ा कि एक शख़्स ने उसको ज़बह कर दिया तो इस पर गुर्रा है। (आलमगीरी अज ख़ज़ानतुलमुफ़्तीन स.35 जि.6)

मसअ्ला.321:– अगर हामिला बाँदी को डराया, धमकाया या ऐसा मारा कि उसका ऐसा हमल साक़ित होगया जो ज़िन्दा पैदा होता तो गुलाम होता तो उसके ज़िन्दा रहने की सूरत में उसकी जो क़ीमत होती मुज़क्कर में उसकी क़ीमत का बीसवाँ और मुअन्नस में क़ीमत का दसवाँ मारने वाले के माल में नक़्द लाज़िम आयेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.518 जि.5 आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.322:– अगर मज़कूरा बाला सूरत में मुज़क्कर व मुअन्नस होने का पता न चले तो जिस की क़ीमत कम होगी वह लाज़िम होगी और अगर बाँदी के मालिक और ज़ारिब में साक़ित शुदा हमल की क़ीमत की तअ़ईन में इख़्तिलाफ़ हो तो ज़ारिब की बात मानी जायेगी।

मसअ्ला.323:– अगर मज़कूरा बाला सूरत में ज़िन्दा बच्चा पैदा हुआ जिससे बांदी में कोई नक़्स पैदा होकर उसकी क़ीमत घट गई तो ज़ारिब पर जनीन की क़ीमत लाज़िम होगी और यह क़ीमत अगर बांदी की क़ीमत में जो कमी वाक़ेअ़ हुई इस से कम हो तो इस कमी को जनीन की क़ीमत में इज़ाफ़ा करके पूरा कर दिया जायेगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.518 जि.5)

मसअ्ला.324:– मज़कूरा बाला सूरत में बांदी के मुर्दा हमल गिरा फिर बांदी भी मर गई तो ज़ारिब पर बाँदी की क़ीमत तीन साल में वाजिबुल अदा होगी। (आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.325:– मज़कूरा बाला सूरत में ज़र्ब के बाद मौला ने हमल को आज़ाद कर दिया इस के

बाद ज़िन्दा बच्चा पैदा होकर मर गया तो इस बच्चे के ज़िन्दा होने की सूरत में जो कीमत होती वह ज़ारिब पर लाज़िम होगी। (आलमगीरी स.35 जि.6, दुर्रे मुख़्तार व शामी स.518 जि.5)

मसअ्ला.326:– किसी ने गैर की बांदी से ज़िना किया जिस से वह हामिला होगई फिर ज़ानी और उसकी बीवी ने कोई तदबीर करके हमल गिरा दिया इस से बांदी मरगई तो बांदी की कीमत और अगर हमल साकित हुआ था तो गुर्रा और अगर साकित होकर मरा तो उसकी पूरी कीमत वाजिब होगी और अगर मुदग़ा (ऐसा हमल जिस में अभी जान नहीं पडी सिर्फ लोथडा हो) था तो कुछ नहीं(बहरुर्राइक)

मसअ्ला.327:– ज़र्ब वाकेअ् होने के बाद बांदी के मालिक ने बांदी को बेच दिया इसके बाद इस्कात हुआ(यानी हमल गिरगया)तो गुर्रा बेचने वाले को मिलेगा और अगर बच्चे का बाप ज़र्ब के वक्त गुलाम था फिर आज़ाद होगया उसके बाद हमल साकित हुआ तो बाप को कुछ नहीं मिलेगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.328:– मौला ने बांदी के हमल को आज़ाद कर दिया उसके बाद किसी शख़्स ने बांदी के पेट पर ज़र्ब लगाई कि मुर्दा हमल साकित हुआ और इस बच्चे का बाप आज़ाद था तो ज़ारिब पर गुर्रा लाज़िम है और गुर्रा बाप को मिलेगा। (आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.329:– हमल के वालिदैन में से जो ज़र्ब से पहले आज़ाद हो चुका होगा वह हमल के मुआवज़ा का हक़दार होगा, मौला नहीं होगा। (आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.330:– किसी ने हामिला बांदी ख़रीदी और क़ब्ज़ा नहीं किया था कि उसके हमल को आज़ाद कर दिया फिर किसी ने उसके पेट पर ज़र्ब लगाई जिस से मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो मुश्तरी को इख़्तियार है कि बांदी को पूरी कीमत में ले ले और ज़ारिब से आज़ाद बच्चे का अर्श वसूल करे और अगर चाहे तो बांदी की बैअ् को फ़स्ख़ करदे और बच्चे के हिस्से की कीमत उस पर लाज़िम होगी। (आलमगीरी स.36 जि.6 बहरुर्राइक स.342 जि.6)

मसअ्ला.331:– किसी ने अपनी बांदी से कहा जो किसी और से हामिला थी कि तेरे पेट में जो दो बच्चे हैं उन में से एक आज़ाद है और यह कह कर मौला मर गया फिर किसी ने इस हामिला को ऐसी ज़र्ब लगाई जिस से एक लड़का और एक लड़की मुर्दा पैदा हुआ तो ज़र्ब लगाने वाले पर लड़के का निस्फ़ गुर्रा और इस को गुलाम मान कर उस की कीमत का चालीसवाँ हिस्सा और लड़की का निस्फ़ गुर्रा और उस को बांदी मानकर जो कीमत होगी उसका बीसवाँ हिस्सा लाज़िम होगा। (आलमगीरी स.35 जि.6)

मसअ्ला.332:– किसी हामिला औरत ने अपने पेट पर ज़र्ब लगाकर या दवा पीकर या कोई और तदबीर करके अमदन अपने हमल को साकित कर दिया तो अगर बिग़ैर इजाज़ते शौहर ऐसा किया तो इस औरत के आक़िला पर गुर्रा लाज़िम होगा और अगर आक़िला न हों तो इस के माल से गुर्रा एक साल में अदा किया जायेगा और अगर शौहर की इजाज़त से ऐसा किया है तो कुछ लाज़िम नहीं है इसी तरह उसने अगर कोई दवा पी जिस से इस्क़ात (हमल को गिराना) मक़सूद न था मगर इस्क़ात होगया तो भी कुछ लाज़िम न होगा। (आलमगीरी स.35 जि.6, शामी 515 जि.5)

मसअ्ला.333:– अगर शौहर ने बीवी को इस्क़ात (हमल गिराने) की इजाज़त दी और बीवी ने किसी दूसरी औरत से इस्क़ात करा लिया तो यह दूसरी औरत भी ज़ामिन नहीं होगी(शामी व दुर्रेमुख़्तार स.520 जि.5)

मसअला.334:– उम्मे वलद ने खुद अपना हमल साकित कर लिया तो उस पर कुछ लाज़िम नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स. 520 जि.5)

मसअ्ला.335:– किसी हामिला ने अमदन इस्क़ात (जानबूझ कर हमल गिराने), की दवा पी इससे ज़िन्दा बच्चा पैदा होकर मर गया तो इस के आक़िला पर दियत लाज़िम होगी और इस पर कफ़्फ़ारा लाज़िम है और वह वारिस् नहीं होगी और अगर मुर्दा बच्चा साकित हुआ तो इसके आक़िला पर गुर्रा है और इस पर कफ़्फ़ारा है और यह महरूमूल इर्स है और अगर मुदग़ा साकित हुआ तो इस्तिग़फ़ार व तौबा करे। (बहरुर्राइक स.344 जि.8)

मसअ्ला.336:– खुलअ् करने वाली हामिला ने इद्दत ख़त्म करने के लिए इस्क़ाते हमल कर लिया

तो इस पर शौहर के लिये गुर्रा वाजिब है। (बहरुर्राइक स.344 जि.8, आलमगीरी स.36 जि.6)

मसअ्ला.337:– अगर किसी ने किसी के जानवर का हमल गिरा दिया तो अगर मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है और इस से माँ की क़ीमत में नुक़सान आगया तो यह शख़्स इस नुक़सान का ज़ामिन होगा अगर क़ीमत में नुक़सान नहीं आया तो उस पर कुछ नहीं है और अगर ज़िन्दा बच्चा पैदा होकर मर गया तो मारने वाले के माल में से बच्चे की क़ीमत नक़्द अदा की जायेगी।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.520 जि.5)

मसअ्ला.338:– जनीन के अतलाफ़ में कफ़्फ़ारा नहीं है और जिस हमल में बाज़ अअ्ज़ा बन चुके हों उसका हुक्म तामुल'ख़िलक़त की तरह है।(मुकम्मल पैदा होने की तरह है) (बहरुर्राइक स.343 जि.8)

मसअ्ला.339:– अगर ऐसे मुदग़ा का इस्क़ात किया जिस में अअ्ज़ा नहीं बने थे और मोअ्तबर दाईयों ने यह शहादत दी कि यह मुदग़ा बच्चा बनने के क़ाबिल है अगर बाक़ी रहता तो इन्सानी सूरत इख़्तियार कर लेता तो इस में हकूमते अद्ल है। (शामी स.519 जि.5)

बच्चों से मुतअल्लिक़ जनायात के अहकाम

मसअ्ला.340:– किसी शख़्स ने किसी आज़ाद बच्चे को अग़वा करलिया और बच्चा उसके पास ग़ाइब होगया तो इस अग़वा करने वाले को क़ैद किया जायेगा ता'वक़्तेकि बच्चा वापस आजाये या उसकी मौत का इल्म होजाये।(क़ाज़ीख़ाँ स.393)

मसअ्ला.341:– किसी ने किसी आज़ाद बच्चे को इग़वा किया और वह बच्चा उसके पास अचानक या किसी बीमारी से मरगया तो उस पर ज़मान नहीं है अगर किसी सबब से मस्लन सख़्त सर्दी या बिजली गिरने, पानी में डूबने, से छत से गिरने, या सांप के काटने से मरगया तो इग़वा करने वाले के आक़िला पर दियत लाज़िम होगी। (शामी व दुर्रे मुख़्तार स.547 जि.5 आलमगीरी स.34 जि.6)

मसअ्ला.342:– इसी तरह अगर आज़ाद को इग़वा करके पा'बा'ज़न्जीर (बेड़ियां डाल देना) कर दिया और वह मज़कूरा बाला असबाब में से किसी सबब से मर गया तो भी इग़वा करने वाले के आक़िला पर दियत है और अगर उसको पा'बा'ज़न्जीर नहीं किया था और वह इन असबाबे मज़कूरा से खुद को बचा सकता था मगर उसने बचने की कोशिश नहीं की और मर गया तो इग़वा करने वाले पर नफ़्स का ज़िमान नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.547 जि.5 बहरुर्राइक स.390 जि.8)

मसअ्ला.343:– ख़त्ना करने वाले से कहा कि बच्चे की ख़त्ना करदे। ग़लती से बच्चे का हश्फ़ा कट गया और बच्चा मर गया तो ख़त्ना करने वाले के आक़िला पर निस्फ़ दियत होगी और अगर ज़िन्दा रहा तो पूरी दियत लाज़िम होगी। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.548 जि.5 आलमगीरी स.334 जि.6)

मसअ्ला.344:– किसी ने बच्चे को जानवर पर सवार करके कहा कि इसको रोके रहना और बच्चे ने जानवर को चलाया नहीं लेकिन गिरकर मर गया तो इस सवार करने वाले के आक़िला पर बच्चे की दियत लाज़िम होगी। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.548 जि.5, आलमगीरी स.33 जि.6)

मसअ्ला.345:– किसी ने बच्चे को जानवर पर सवार करके कहा कि इसको मेरे लिए रोके रहो इस बच्चे ने जानवर को चलाया और इस जानवर ने किसी शख़्स को कुचल कर हलाक कर दिया तो बच्चे के आक़िला पर इस मरने वाले की दियत लाज़िम होगी और सवार करने वाले पर कुछ नहीं है और अगर बच्चा इतना खुर्द साल है कि जानवर पर सवारी नहीं कर सकता है तो इस सूरत में मरने वाले की दियत किसी पर लाज़िम नहीं होगी।(शामी व दुर्रेमुख़्तार स.548 जि.5, आलमगीरी स.33 जि.6)

मसअ्ला.346:– किसी ने बच्चे को जानवर पर सवार कर दिया और इससे कहा कि इसको रोके रहो बच्चे ने जानवर को चला दिया और गिरकर मरगया तो सवार करने वाले के आक़िला पर बच्चे की दियत नहीं हैं। (शामी स.548 जि.5 आलमगीरी स.33 जि.6)

मसअ्ला.347:– बच्चा किसी दीवार या पेड़ पर चड़ा हुआ था नीचे से किसी ने चीख़ कर कहा गिर मत जाना जिस से बच्चा गिर कर मरगया तो चीखने वाले पर कुछ नहीं है और अगर उस ने कहा कि कूद जा और बच्चा कूदा और मरगया तो उस कहने वाले पर बच्चे की दियत है(आलमगीरी स.33 जि.6)

मसअ्ला.348:— अगर किसी ने इतने छोटे बच्चे को जानवर पर अपने साथ सवार कर लिया जो तन्हा जानवर पर सवार नहीं हो सकता और चला भी नहीं सकता उस जानवर ने किसी को कुचल कर हलाक कर दिया तो मरने वाले की दियत सिर्फ़ उस सवार के आ़किला पर होगी और सवार पर कफ़्फ़ारा भी है बच्चे के आ़किला पर कुछ नहीं है और अगर बच्चा सवारी को चला सकता है तो दोनों के आ़किला पर दियतें लाज़िम होगी।(खानिया अलल्हिन्दिया स.447 जि.3, आलमगीरी स.33 जि6)

मसअ्ला.349:— बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़े हुए था इस बच्चे को किसी शख़्स ने खींचा और बाप इस बच्चे का हाथ पकड़े रहा और इस शख़्स के खींचने की वजह से बच्चा मरगया तो इस बच्चे की दियत खींचने वाले पर है और बाप बच्चे का वारिस् होगा और अगर दोनों ने खींचा और बच्चा मरगया तो दोनों पर दियत लाज़िम होगी। और बाप वारिस् नहीं होगा। (आलमगीरी स.33 जि6)

मसअ्ला.350:— इतना छोटा बच्चा जो अपने नफ़्स की हिफ़ाज़त कर सकता है अगर पानी में डूब कर या छत से गिरकर मरजाये तो माँ बाप पर कुछ नहीं है और अगर अपने नफ़्स की हिफ़ाज़त नहीं कर सकता था तो जिस की निगरानी में था उस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार लाज़िम है और अगर उसकी गोद से गिरकर मर गया तो कफ़्फ़ारा भी लाज़िम है(आलमगीरी स.33 जि6 काज़ी ख़ाँ अलल्हिन्दिया स.447 जि.3)

मसअ्ला.351:— माँ शीर'ख़्वार बच्चे को बाप के पास छोड़कर चलीगई और बच्चा दूसरी औरतों का दूध पी लेता था लेकिन बाप ने किसी दूध पिलाने वाली का इन्तिज़ाम न किया और बच्चा भूक से मरगया तो बाप पर कफ़्फ़ारा और तौबा लाज़िम है और अगर बच्चा दूसरी औरत का दूध क़बूल नहीं करता था और माँ यह बात जानती थी तो गुनाह माँ पर है माँ तौबा करे और कफ़्फ़ारा भी दे(आलमगीरी)

मसअ्ला.352:— छः साल की बच्ची को बुख़ार था और आग के पास बैठी ताप रही थी बाप घर में न था माँ इसी हालत में बच्ची को छोड़कर कहीं चली गई और बच्ची जल कर मरगई तो माँ पर दियत नहीं है लेकिन तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और मुस्तहब यह है कि कफ़्फ़ारा भी दे।(आलमगीरी)

मसअ्ला.353:— किसी ने किसी बच्चे से कहा कि दरख़्त पर चढ़कर मेरे फल तोड़दे बच्चा दरख़्त से गिरकर मरगया तो चढ़ाने वाले के आ़किला पर दियत लाज़िम होगी इसी त़रह कोई चीज़ उठाने को कहा या लकड़ी तोड़ने को कहा और बच्चा उस चीज़ को उठाने से या पेड़ से गिरकर मर गया तो इस हुक्म देने वाले के आ़किला पर बच्चे की दियत लाज़िम होगी। (आलमगीरी स.32 जि.6)

मसअ्ला.354:— किसी ने बच्चा को हुक्म दिया कि फुलाँ शख़्स को क़त्ल करदे बच्चे ने क़त्ल कर दिया तो बच्चे के आ़किला पर दियत लाज़िम होगी फिर वह आ़किला इस दियत को हुक्म देने वाले के आ़किला से वसूल करेंगे। (आलमगीरी अज़ ख़ज़ानतुलमुफ़तीन स.30 जि6)

मसअ्ला.355:— किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को हुक्म दिया कि फुलाँ शख़्स को क़त्ल करदे और उसने क़त्ल कर दिया तो क़त्ल करने वाले के आ़किला पर दियत लाज़िम है और यह दियत हुक्म देने वाले के आ़किला से वसूल नहीं करेंगे।(आलमगीरी स.30 जि.6, काज़ी ख़ाँ अलल्हिन्दया स.445 जि.3, मब्सूत स.185 जि.26)

मसअ्ला.356:— बच्चे ने किसी बालिग़ को हुक्म दिया कि फुलाँ को क़त्ल करदे और उसने क़त्ल कर दिया तो हुक्म देने वाला बच्चा ज़ामिन नहीं होगा। (काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.445 जि.3) इसी त़रह बालिग़ ने अगर किसी दूसरे बालिग़ को हुक्म दिया और उसने क़त्ल कर दिया तो क़ातिल पर ज़िमान है हुक्म देने वाले पर नहीं। (ख़ानिया अलल्हिन्दिया स.445 जि.3, आलमगीरी स.30 जि.6)

मसअ्ला.357:— किसी शख़्स ने बच्चे को हुक्म दिया कि फुलाँ शख़्स का खाना खाले या माल जलादे या उस के जानवर को हलाक करदे तो उस माल का ज़मान उस बच्चे के माल में लाज़िम है और बच्चे के औलिया इस ज़मान को अदा करने के बाद हुक्म देने वाले से वसूल करें।(ख़ानिया)और अगर बच्चे ने बालिग़ को उन कामों का हुक्म दिया और उसने अमल कर लिया तो बच्चे पर ज़मान नहीं है(आलमगीरी स.30 जि.6)

मसअ्ला.358:— अगर किसी नाबालिग़ ने ना'बालिग़ा से ज़िना किया और इस की बुकारत (कुंवारपन) ज़ाइल करदी तो उस पर महरे मिस्ल लाज़िम आयेगा और अगर बालिग़ा की बुकारत ज़ब्र'दस्ती

ज़िना करके ना'बालिग़ ने ज़ाइल करदी तो भी इस पर महरे मिस्ल लाज़िम आयेगा और अगर बालिग़ा से ना'बालिग़ ने ब'रज़ा ज़िना किया था तो महर लाज़िम नहीं है। (खानिया अलल्हिन्दिया स.446 जि.3)

मसअ्ला.359:– बच्चे तीर अन्दाज़ी का खेल खेल रहे थे किसी नौ बरस तक के बच्चे का तीर किसी की आँख में लग गया जिस से वह शख़्स काना होगया तो उसकी आँख का तावान बच्चे के माल से अदा किया जायेगा उसके बाप पर कुछ नहीं है और अगर बच्चे के पास माल नहीं है तो जब माल मिलेगा तो उस वक़्त तावान अदा कर देगा मगर शर्त यह है कि यह बात शहादत से साबित हो कि इसी बच्चे का तीर उस शख़्स की आँख में लगा है सिर्फ़ बच्चे का इक़रार या उस के तीर का पाया जाना तावान के लिये काफ़ी नहीं है। (काज़ीखाँ अलल्हिन्दिया स.447 जि.3)

मसअ्ला.360:– किसी ने अपने किसी काम के लिये किसी बच्चे को वली की इजाज़त के बिग़ैर कहीं भेजा रास्ते में बच्चा दूसरे बच्चों के साथ छत पर चढ़ गया और छत पर से गिरकर मर गया तो भेजने वाले पर ज़मान लाज़िम होगा। (काज़ीखाँ अलल्हिन्दिया स.447 जि.3)

मसअ्ला.361:– किसी ने बच्चे को इग़वा करके क़त्ल कर दिया उसके पास दरिन्दे ने फाड़ खाया या दीवार से गिरकर मर गया तो ग़ासिब ज़ामिन होगा। (काज़ीखाँ अलल्हिन्दिया स.34 जि.6)

मसअ्ला.362:– किसी ग़ुलाम ने आज़ाद बच्चे को सवारी पर सवार कर दिया बच्चा सवारी से गिर कर मरगया तो इस बच्चे की दियत ग़ुलाम पर है मौला ग़ुलाम ही को उसकी दियत में देदे या फ़िदया देदे और अगर सवारी पर ग़ुलाम भी सवार हुआ और सवारी को चलाया सवारी ने किसी को कुचल दिया और वह मर गया तो निस्फ़ दियत बच्चे के आक़िला पर है और निस्फ़ ग़ुलाम पर।

मसअ्ला.363:– किसी आज़ाद शख़्स ने ऐसे ना'बालिग़ ग़ुलाम बच्चे को सवारी पर सवार कर दिया जो सवारी पर ठहर सकता है और उसको चला भी सकता है फिर उस को हुक्म दिया कि वह जानवर को चलाये उसने किसी आदमी को कुचल कर मार दिया तो उसका तावान ग़ुलाम बच्चे पर है इस की दियत में मौला या तो ग़ुलाम को देदे या उसका फ़िदया देदे फिर वह मौला हुक्म देने वाले से यह रक़म वसूल करले। (काज़ीखाँ अलल्हिन्दिया स.447 जि.3 मब्सूत स.188 जि.26)

मसअ्ला.364:– किसी अ़ब्द माज़ून ने किसी बच्चे को हुक्म दिया कि फुलाँ के कपड़े फाड़दे या बच्चा को अपने काम के लिये भेजा और बच्चा हलाक होगया तो हुक्म देने वाला ज़ामिन होगा(आलमगीरी स.31 जि.6)

मसअ्ला.365:– किसी बच्चे के पास ग़ुलाम को वदीअ़त रखा और इस बच्चे ने ग़ुलाम को क़त्ल कर दिया तो बच्चे के आक़िला पर ग़ुलाम की क़ीमत है। (बहरुर्राइक़ स.390 जि.8, आलमगीरी स.34 जि.6) और अगर माज़ूनुंन्नफ़्स में जनायत की है तो उस का अर्श बच्चे के माल से अदा किया जायेगा।

मसअ्ला.366:– अगर किसी बच्चे के पास खाना बिला इजाज़ते वली अमानत रखा गया और बच्चे ने उसको खालिया तो उस पर ज़मान नहीं है। (बहरुराइक स.390 जि.8 आलमगीरी स.34 जि.6 शामी व दुर्रेमुख़्तार स.568 जि.5) और अगर वली की इजाज़त से रखा था तो ज़ामिन होगा जब कि बच्चा आक़िल हो वरना नहीं होगा। (हिदाया व इनाया स.382 जि.5)

मसअ्ला.367:– माँ, बाप या वसी ने बच्चे को तअ्लीमे क़ुर्आन के लिये मोअ्ताद तरीक़े से मारा जिस से बच्चा मरगया तो उन पर ज़मान नहीं है और यही हुक्म मुअ़ल्लिम का भी है जब कि उसने उन की इजाज़त से मारा हो और अगर उन्होंने ग़ैर मोअ्ताद तरीक़े से मारा और बच्चा मरगया तो यह लोग ज़ामिन होंगे। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.498. जि.5)

मसअ्ला.368:– बाप या वसी ने बच्चा को तादीबन मारा और बच्चा मरगया तो उनपर ज़मान नहीं है जब कि मोअ्ताद तरीक़े पर मारा हो और अगर ग़ैर मोअ्ताद तरीक़े से मारा तो ज़मान है।(दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.369:– माँ ने अगर अपने बच्चों को तादीबन (अदब सिखाने के लिये) मारा और बच्चा मरगया तो बहर हाल माँ ज़ामिन होगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.498 जि.5)

मसअ्ला.370:– किसी ने बच्चे को हथियार दिये बच्चा उसको उठाने से थक गया और हथियार

उसके हाथ से उसपर गिरा और बच्चा मरगया तो असलहा देने वाले के आक़िला पर दियत वाजिब होगी और अगर बच्चे ने इस असलहा से खुद कुशी करली या किसी दूसरे को क़त्ल कर दिया तो देने वाले पर ज़मान नहीं है। (आलमगीरी स.32 जि.6 क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.444 जि.3 मब्सूत स.185 जि.26)

मसअ्ला.371:— किसी ने आज़ाद बच्चे को ऐसे गुलाम बच्चे ने जो महजूर था हुक्म दिया कि फुलाँ शख़्स को क़त्ल करदे और उसने क़त्ल करदिया तो क़ातिल बच्चा ज़ामिन होगा और हुक्म देने वाले गुलाम बच्चे से उसका तावान उसके आज़ाद होने के बाद भी वापस नहीं ले सकेगा(क़ाज़ीख़ाँ स.445 जि.3)

मसअ्ला.372:— और अगर बालिग़ा बांदी ने ना'बालिग़ को दअ्वते ज़िना दी और उसने ज़िना करके उसकी बुकारत ज़ाइल करदी तो बच्चे पर उसका महर लाज़िम है। (क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.446 जि.3)

दीवार वग़ैरा गिरने से हादिस़ात का बयान

मसअ्ला.373:— यह जानना ज़रूरी है कि ऐसी दीवार जो सलामी में हो यानी टेढ़ी हो अगर बनाते वक़्त उसके बनाने वाले ने टेढ़ी बनाई फिर वह किसी इन्सान पर गिरगई और वह मरगया या किसी के माल पर गिर पड़ी और वह तल्फ़ (बर्बाद) होगया तो दीवार के मालिक को ज़मान देना होगा ख़्वाह उस दीवार को गिराने का मुतालबा किया गया हो या न किया गया हो और अगर उस दीवार को सीधा बनाया था मगर बाद में टेढ़ी होगई मरूरे ज़माना की वजह (लम्बी मुद्दत गुज़रने की वजह से) से फिर किसी इन्सान पर गिर पड़ी या माल पर गिर पड़ी और उसको तल्फ़ करगई तो क्या दीवार के मालिक पर ज़मान है? हमारे उलमा–ए–सलासा के नज़्दीक अगर मुतालबा–ए–नक़्ज़ से पहले (यानी गिराने का मुतालबा करने से पहले) गिरी है तो उसका ज़मान नहीं है और मुतालबा–ए–नक़्ज़ से इतने बाद गिरी है जिसमें उसका गिराना मुम्किन था मगर उसने इसको नहीं गिराया तो क़यास चाहता है कि ज़मान न हो मगर इस्तेहसानन ज़ामिन होगा। हा'कज़ा फ़िज़्ज़ख़ीरा।

फिर जो जान तल्फ़ हुई इसकी दियत साहिबे दीवार के आक़िला पर है और जो माल तल्फ़ हो उसका ज़मान दीवार के मालिक पर है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.526 जि.5 आलमगीरी स.36 जि.6)

मसअ्ला.374:— तक़द्दुम की तफ़सीर यह है कि साहिबे हक़ दीवार के मालिक से कहे कि तेरी दीवार ख़तरनाक है या कहे कि सलामी में है यानी टेढ़ी है तू इसको गिरादे ताकि किसी पर गिर न पड़े और उसको तल्फ़ न करदे और अगर यह कहा कि तुझ को चाहिए कि तू उसको गिरादे, तो यह मशवरा होगा मुतालबा न होगा। ब'हवालाए क़ाज़ी ख़ाँ तक़द्दुम में मुतालबा शर्त है इश्तिहाद शर्त नहीं है यहाँ तक कि अगर उसके गिराने का मुतालबा किये बिग़ैर इश्तिहाद के और मालिक दीवार ने इम्कान के बावजूद दीवार नहीं गिराई यहाँ तक कि वह खुद गिरगई और उससे कोई चीज़ तल्फ़ होगई और वह तल्फ़ का इक़रार करता है तो ज़मान देगा। गवाह बनाने का फ़ाइदा यह है कि अगर मालिके दीवार इन्कारे तलब करे तो गवाहों के ज़रीआ से तलब को साबित किया जासके(शामी स.526 जि.5)

मसअ्ला.375:— दीवार के मुतअ़ल्लिक़ दीवार गिराने का मुतालबा करना दीवार के मालिक से यही मलबा हटाने का मुतालबा है यहाँ तक कि अगर तक़द्दुम के बाद दीवार गिर पड़े और उसके मलबे से टकराकर कोई मरजाये तो दीवार के मालिक पर इस की दियत लाज़िम होगी(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.528 जि.5)

मसअ्ला.376:— मकान की ज़ेरीं मन्ज़िल (निचली मन्ज़िल) एक शख़्स की है और बालाई, ऊपर की दूसरे की और पूरा मकान गिराऊ है और दोनों से गिराने का मुतालबा किया गया है फिर बालाई हिस्सा गिरा और इससे कोई आदमी हलाक होगया तो उसका ज़मान बालाई हिस्से के मालिक पर है।

मसअ्ला.377:— मालिके दीवार से गिराऊ दीवार के इन्हिदाम का मुतालबा किया गया उसने नहीं गिराई और मकान बेच दिया तो मुश्तरी ज़ामिन नहीं होगा हाँ अगर ख़रीदने के बाद उससे गिराने का मुतालबा कर लिया गया था और इस पर गवाह बना लिये गये थे तो यह ज़ामिन होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.378:— लक़ीत (लावारिस मिला हुआ बच्चा) की गिराऊ दीवार के इन्हिदाम (गिराने) का मुतालबा किया गया था और उसने नहीं गिराई थी फिर वह दीवार गिरी जिससे कोई आदमी मरगया तो

उसकी दियत बैतुल'माल देगा इसी तरह वह काफ़िर जो मुसलमान होगया था उसने किसी से अक़्दे मवालात नहीं किया था उसकी दीवार के गिरने से हलाक होने वाले की दियत भी बैतुल'माल ही देगा। (क़ाज़ी ख़ाँ अलल्हिन्दिया स.466 जि.3, बहरुर्राइक स.354 जि.8)

मसअ्ला.379:– किसी की गिराऊ दीवार मुतालबा–ए–इन्हिदाम से पहले गिर पड़ी फिर उस से रास्ते पर से मलबा हटाने का मुतालबा किया गया और उसने न उठाया यहाँ तक कि उस से टकाराकर कोई आदमी या जानवर हलाक होगया तो यह ज़ामिन होगा।(क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.467 जि.3)

मसअ्ला.380:– मुतालबा–ए–नक़्ज़ की सेहत के लिये यह शर्त है कि यह उस से किया जाये जिस को गिराने का हक़ हासिल है यहाँ तक अगर किरायादार या आरियत के तौर पर उस में रहने वाले से मुतालबा किया और उसने दीवार को नहीं गिराया हत्ता कि वह दीवार किसी इन्सान पर गिर पड़ी तो इस सूरत में किसी पर ज़मान नहीं है। (हिन्दिया अज ज़ख़ीरा स.37 जि.6, दुर्रेमुख़्तार स.527 जि.5)

मसअ्ला.381:– दीवार गिरने के वक़्त तक उस शख़्स का मालिक रहना भी शर्त है जिस पर मुतालबे के वक़्त गवाह बनाये गये थे यहाँ तक कि अगर उसकी मिल्क से वह दीवार बैअ् के ज़रीआ ख़ारिज होगई और दूसरे की मिल्क में आने के बाद गिर पड़ी तो उसपर कुछ नहीं है(आलमगीरी)

मसअ्ला.382:– दीवार के गिराऊ होने से क़ब्ल इश्तिहाद सहीह नहीं है चूंकि तअ़द्दी मअ्दूम है(आलमगीरी)

मसअ्ला.383:– अगर गिराऊ दीवार के मालिक से उसके गिराने का मुतालबा किया गया इस हाल में कि वह आक़िल, बालिग़ मुसलमान था और इस मुतालबए नक़्ज़ पर गवाह भी बना लिये गये फिर उस मालिक दीवार को तवीलुल'मीआद शदीद क़िस्म का जुनून होगया या मआ़ज़ल्लाह वह मुर्तद होगया और दारुलहर्ब में चला गया और क़ाज़ी ने उस के दारुलहर्ब में चले जाने की तस्दीक़ करदी और फिर वह मुसलमान होकर वापस आगया और वह घर जिस की दीवार गिराऊ थी उस को वापस मिल गया इसके बाद वह गिराऊ दीवार किसी इन्सान पर गिर पड़ी जिस से वह मरगया तो उसका ख़ून हद्र है यानी उसका ज़मान किसी पर नहीं है इसी तरह जुनून से सेहत के बाद की सूरत का हुक्म है हाँ अगर मुर्तद के मुसलमान होने या मजनून के इफ़ाक़ा के बाद उन पर इश्तिहाद कर लिया है तो यह ज़ामिन होंगे। (ख़ानिया अलल्हिन्दिया स.464 जि.3 आलमगीरी स.37 जि.6)

मसअ्ला.384:– इसी तरह अगर घर को बेच दिया बाद इस के कि इस से गिराऊ दीवार के गिराने का मुतालबा किया जा चुका था और इस पर गवाह भी क़ाइम कर लिये गये थे फिर वह मकान किसी ऐब की वजह से क़ज़ाए क़ाज़ी या बिला क़ज़ाए क़ाज़ी से उसकी मिल्क में लौट आया या ख़्यारे रूयत या ख़्यारे शर्त की वजह से जो मुश्तरी को था फिर वह दीवार गिर पड़ी और कोई चीज़ तलफ़ होगई तो मालिक दीवार पर ज़मान नहीं है हाँ अगर रद के बाद दोबारा इस से दीवार के गिराने का मुतालबा किया गया और इस पर गवाह भी पेश किये गये तो ज़ामिन होगा या बाइअ् को इख़्तियार था और उसने बैअ् को फ़स्ख़ कर दिया और उस के बाद दीवार गिर पड़ी और इस से कोई चीज़ तलफ़ होगई तो बाइअ् ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज ज़हीरिया स.37 जि.6)

मसअ्ला.385:– अगर बाइअ् ने अपना ख़्यार साक़ित कर दिया और बैअ् को वाजिब कर दिया तो इश्तिहाद (गवाह पेश करना) बातिल हो जायेगा चूंकि उसने दीवार को अपनी मिल्क से निकाल दिया। (काज़ी ख़ाँ अलल्हिन्दिया स.464 जि.3, बहरुर्राइक स.355 जि.8, आलमगीरी स.37 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.527 जि.5)

मसअ्ला.386:– किसी दीवार का बाज़ हिस्सा गिराऊ और बाज़ सहीह था सहीह हिस्सा गिर पड़ा जिस से कोई मर गया और गिराऊ हिस्सा नहीं गिरा ख़्वाह इस पर इश्तिहाद कर लिया गया हो यह ख़ून रायगाँ जायेगा। (बहरुर्राइक स.354 जि.8)

मसअ्ला.387:– मुतालबा–ए–नक़्ज़ के बाद अगर किसी शख़्स पर दीवार गिर पड़े और वह मर जाये या दीवार गिरने के बाद उस के मलबे से टकराकर कोई गिर पड़े और मर जाये तो उसकी दियत मालिके दीवार के आक़िला पर है और अगर इस मय्यित से टकराकर कोई गिरे और मरजाये

तो इस की दियत न मालिके दीवार पर है न इस के आ़किला पर है अगर किसी ने रास्ते की त़रफ़ छज्जा निकाला और वह रास्ते में गिर पड़ा इसके गिरने से कोई मरगया या इसके मलबे से टकराकर मरगया या इस मुर्दे की लाश से टकराकर कोई गिर पड़ा और मरगया तो हर सूरत में छज्जे के मालिक पर दियत वाजिब होगी। (आलमगीरी स.36 जि.6 बहरुर्राइक स.354 जि.8)

मसअ्ला.388:– मुत़ालबा स़ाबित करने के लिये दो मर्दों या एक मर्द और दो औ़रतों की गवाही चाहिए अगर ऐसे गवाह बनाये गये जिन में शहादत की अहलियत नहीं मस़लन दो गुलाम, या दो काफ़िर, दो बच्चे। इसके बा़द यह दीवार गिरगई और कोई आदमी दब कर मरगया और जब शहादत का वक़्त आया तो काफ़िर मुसलमान, या गुलाम आज़ाद, या बच्चे बालिग़ हो चुके हैं। उनकी शहादत क़बूल होगी और दीवार का मालिक ज़ामिन होगा ख़्वाह उनकी गवाही की अहलियत दीवार गिरने से पहले पाई गई हो या दीवार गिरने के बा़द। (आलमगीरी स.36 जि.6)

मसअ्ला389:– और अगर उस घर के मुश्तरी से जिसकी दीवार गिराऊ थी दीवार गिराने का मुत़ालबा किया और उसको तीन दिन का ख़्यार था फिर उसने उस घर को ख़्यार की वजह से बाइअ़ को लौटा दिया तो इश्तिहाद बात़िल होगया और अगर उसने बैअ़ को वाजिब कर लिया तो इश्तिहाद स़ह़ीह़ है बात़िल नहीं हुआ और अगर इस ह़ालत में बाइअ़ पर इश्तिहाद किया तो बाइअ़ ज़ामिन नहीं होगा. और अगर बाइअ़ को ख़्यार था और उस से दीवार गिराने का मुत़ालबा किया और उसने बैअ़ को फ़स्ख़ कर दिया तो इश्तिहाद स़ह़ीह़ है। और अगर बैअ़ को लाज़िम कर दिया तो इश्तिहाद बात़िल है और अगर इस ह़ालत में मुश्तरी से मुत़ालबा किया गया तो मुत़ालबा स़ह़ीह़ नहीं है। (आ़लमगीरी अज़ मब्सूत स.37 जि.6)

मसअ्ला.390:– ज़मान के लिये यह शर्त़ है कि मालिके दीवार को इश्तिहाद के बा़द इतना वक़्त मिल जाये कि वह उसको गिरा सके वरना अगर मुत़ालबा–ए–इन्हिदाम के फ़ौरन बा़द दीवार गिर पड़े और मालिक को इतना वक़्त न मिले जिस में गिराना मुम्किन था और उस से कोई चीज़ तलफ़ होजाये तो ज़मान वाजिब नहीं होगा। (तबईनुल हकाइक स.148 जि.6, दुर्रे मुख़्तार स.572 जि.5)

मसअ्ला.391:– तक़द्दुम और त़लब के लिये यह भी शर्त़ है कि यह स़ाहिबे ह़क़ की त़रफ़ से हो और आ़म रास्ते में अ़वाम का ह़क़ है लिहाज़ा किसी एक का तक़द्दुम और मुत़ालबा स़ह़ीह़ है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.392:– गिराऊ दीवार के गिराने का मुत़ालबा करने में मुसलमान और ज़िम्मी दोनों बराबर हैं अगर दीवार आ़म रास्ते की त़रफ़ झुक गई हो तो हर गुज़रने वाले को तक़द्दुम का ह़क़ है मुसलमान हो या ज़िम्मी बशर्ते कि आज़ाद आ़क़िल, बालिग़ हो या अगर बच्चा हो तो उसके वली ने उसको इस मुत़ालबे की इजाज़त दी हो इसी त़रह़ अगर गुलाम हो तो इस के मौला ने इस के मुत़ालबे की इजाज़त दी हो। (आलमगीरी अज़ किफ़ाया स.37 जि.6)

मसअ्ला.393:– ख़ास़ गली में उस गली वालों को मुत़ालबे का ह़क़ है उन में से किसी एक का मुत़ालबा करना भी काफ़ी है और जिस घर की त़रफ़ दीवार गिराऊ है तो उस घर के मालिक का या उस में रहने वाले का मुत़ालबा करना शर्त़ है। (आ़लमगीरी अज़ ज़ख़ीरा स.37 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.528

मसअ्ला.394:– किसी के घर की त़रफ़ किसी शख़्स़ की दीवार झुक गई उस घर वाले ने इस से दीवार के गिराने का मुत़ालबा किया इसने क़ाज़ी से दो तीन दिन या इस के. मिस़्ल मोहलत मांगी क़ाज़ी ने मोहलत देदी फिर वह दीवार गिर पड़ी और इस से कोई चीज़ तलफ़ होगई तो दीवार के मालिक पर ज़मान वाजिब है। (आलमगीरी अज़ मुहीत़ स.37 जि.6, बहरुर्राइक स.354 जि.8)

मसअ्ला.395:– और अगर घर के मालिक ने दीवार वाले को मोहलत देदी थी या मुत़ालबे से इस को बरी कर दिया था या यह मोहलत व बराअ़त घर के रहने वालों की त़रफ़ से थी और दीवार गिर पड़ी जिस से कोई चीज़ तलफ़ होगई तो दीवार के मालिक पर ज़मान नहीं(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.528 जि.5)

मसअ्ला.396:– और अगर मोहलत की मुद्दत गुज़रने के बा़द दीवार गिरी तो इस से जो नुक़सान हुआ उसका ज़मान दीवार वाले पर वाजिब है। (आलमगीरी अज़ महीत स.37 जि.6 बहरुर्राइक स.354 जि.8)

मसअ्ला.397:– अगर रास्ते की तरफ़ दीवार गिराऊ थी और उस से इन्हिदाम (गिराने) का मुतालबा हो चुका था मगर क़ाज़ी ने उस को मोहलत देदी तो यह बातिल है(आलमगीरी अज़ खिज़ानतुलमुफ़तीन स.37 जि.6)

मसअ्ला.398:– और अगर क़ाज़ी ने तो उस को मोहलत नहीं दी मगर मुतालबा करने वाले ने मोहलत देदी तो यह सहीह नहीं है न उसके अपने हक़ में न किसी दूसरे के हक़ में।(आलमगीरी)

मसअ्ला.399:– अगर दीवार रहन थी और गिराने का मुतालबा मुरतहिन से किया गया तो न राहिन ज़ामिन होगा न मुरतहिन और अगर मुतालबा राहिन से किया गया है तो राहिन ज़ामिन होगा

मसअ्ला.400:– और अगर घर किसी ना'बालिग़ का हो तो उसके माँ बाप या वसी से गिराने का मुतालबा करना और इस पर गवाह बनाना सहीह है और अगर मुतालबे के बाद दीवार गिर पड़ी जिस से किसी की कोई चीज़ तलफ़ होगई तो ज़मान ना'बालिग़ पर वाजिब होगा(खानिया अलल्हिन्दिया स.464 जि.3)

मसअ्ला.401:– अगर इशहाद के बाद ना'बालिग़ बच्चे के क़ब्ले बुलूग़ (बालिग़ होने से पहले) बाप या वसी मर जाये तो इशहाद बातिल होजायेगा यहाँ तक कि अगर उनकी मौत के बाद दीवर गिर पड़े जिस से कोई चीज़ तलफ़ होजाये तो किसी पर कुछ नहीं। चूँकि मौत ने उनकी विलायत को मुन्क़तअ् (ख़त्म) कर दिया। (खानिया अलल्हिन्दिया स.465 जि.3, आलमगीरी स.37 जि.6 शामी स.526 जि.5)

मसअ्ला.402:– और अगर ना'बालिग़ के बालिग़ होने तक दीवार नहीं गिरी उसके बालिग़ होने के बाद गिरी जिस से कोई आदमी मर गया तो उस का ख़ून रायगाँ गया(आलमगीरी अज मुहीत स.38 जि.6 शामी स.526 जि.5) और अगर ना'बालिग़ के बुलूग़ के बाद इस से नए सिरे से दीवार गिराने का मुतालबा किया गया इस के बाद दीवार गिर पड़ी जिस से कोई आदमी मरगया तो इस की दियत मालिके दीवार के आक़िला पर होगी। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.38 जि.6)

मसअ्ला.403:– मस्जिद की दीवार अगर गिराऊ होजाये तो इस के इन्हिदाम का मुतालबा इस के बनाने वाले से करना चाहिए। (आलमगीरी अज खिज़ानातुल मुफ़तीन स.39 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.529 जि.5)

मसअ्ला.404:– किसी ने मसाकीन पर घर वक़्फ़ किया जिस की दीवार गिराऊ थी और उसका क़ब्ज़ा एक शख़्स को देदिया जो उसकी आमदनी मसाकीन पर ख़र्च करता था इस वकील से दीवार गिराने का मुतालबा किया गिया और इस पर इशहाद किया गया और वह दीवार किसी पर गिर पड़ी जिस से वह मर गया तो इस की दियत वाक़िफ़ के आक़िला पर है और अगर मसाकीन से दीवार गिराने का मुतालबा किया तो किसी पर कुछ नहीं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.529 जि.5)

मसअ्ला.405:– गिराऊ दीवार का मालिक ताजिर गुलाम था उस से दीवार गिराने का मुतालबा किया गया वह दीवार किसी पर गिर पड़ी जिस से वह मर गया तो इस की दियत गुलाम ताजिर के मौला के आक़िला पर वाजिब होगी। गुलाम मक़रूज़ हो या न हो, और अगर दीवार गिरने से किसी का माल तलफ़ होगया तो इस माल का ज़मान गुलाम पर वाजिब है इस में उसको बेचा जायेगा और अगर उस के मौला से दीवार गिराने का मुतालबा किया गया तब भी सहीह है(आलमगीरी)

मसअ्ला.406:– अगर किसी मकान की गिराऊ दीवार के गिराने का मुतालबा उस शख़्स से किया जिसके क़ब्ज़े में वह घर है ज़िसकी दीवार गिराऊ थी और उसने मुतालबे के बावजूद दीवार नहीं गिराई यहाँ तक कि वह खुद किसी पर गिर पड़ी जिस से वह मर गया और उसके आक़िला कहते हैं कि यह घर जिसकी दीवार गिरी है उसका है ही नहीं या आक़िला कहते हैं कि हम को नहीं मालूम कि यह घर उसका है या किसी और का है तो मरने वाले की दियत उसके आक़िला पर नहीं होगी। हाँ अगर इस पर गवाह पेश करदिये जायें कि यह घर इसी का है तो उस के आक़िला पर दियत वाजिब होगी इस लिये कि अगर्चे मकान पर क़ाबिज़ होना ब'ज़ाहिर मालिक होने की दलील है मगर यह आक़िला पर वुजूबे माल के लिए हुज्जत नहीं होसकती आक़िला पर माल वाजिब होने के लिये तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है और इस बात का सुबूत कि यह घर उसी का है दोम यह कि दीवार गिराने को मुतालबा करने के वक़्त इस पर गवाह भी बनाले तीसरे यह कि

मकतूल पर यह दीवार गिरी थी जिस से इस की मौत वाक़ेअ् होगई। (खानिया अलल्हिन्दिया स465 जि.3)

मसअ्ला.407:— अगर कब्ज़ा करने वाला इक़रार करे कि यह घर उसी का है तो आक़िला पर दियत के लुज़ूम के लिये (ज़रूरी होने के लिये) इस की तस्दीक़ नहीं की जायेगी और उन पर ज़मान नहीं है जैसे कि कोई शख़्स उस मकान में जिस में वह रहता है छज्जा निकाले और वह छज्जा किसी आदमी पर गिर पड़े जिस से वह आदमी मरजाये और उसके आक़िला कहें कि यह उस घर का मालिक नहीं है उस ने यह छज्जा घर के मालिक के कहने से निकाला था और क़ब्ज़ा वाला इस बात का इक़रार करे कि वह इस घर का मालिक है तो यह अपने माल से दियत देगा। इसी तरह यहाँ भी उस पर दियत वाजिब होगी। (खानिया अलल्हिन्दिया स465 जि.3 आलमगीरी स.39 जि.6)

मसअ्ला.408:— किसी की दीवार गिराऊ थी उस से इन्हिदाम का मुतालबा किया गया मगर उसने दीवार नहीं गिराई फिर वह दीवार खुद ब'खुद पडोस की दीवार पर गिर'पड़ी जिससे पड़ोसी की दीवार भी गिर'पड़ी तो इस पर पड़ोसी की दीवार का ज़मान वाजिब है और पड़ोसी को इख़्तियार है कि चाहे तो अपनी क़ीमत उस से बतौर ज़मान वसूल करे और मलबा ज़ामिन को देदे और चाहे तो मलबा अपने पास रखे और नुक़सान पड़ोसी से वसूल करे और अगर वह ज़ामिन से यह मुतालबा करे कि उसकी दीवार जैसी थी वैसी ही नई बनाकर दे तो यह उस के लिये जाइज़ नहीं है। और अगर पहली गिरी हुई दीवार से टकराकर कोई शख़्स गिर'पड़ा तो उसका ज़मान पहली दीवार के मालिक के आक़िला पर है और अगर दूसरी दीवार के मलबे से टकराकर कोई शख़्स गिर'पड़ा तो उसका ज़मान किसी पर नहीं है और अगर दूसरी दीवार का मालिक भी वही है जो पहली दीवार का मालिक है तो दूसरी दीवार से मरने वाले का ज़ामिन भी वही होगा। (आलमगीरी अज मुहीत स.39 जि.6)

मसअ्ला.409:— अगर पहली दीवार के मालिक ने छज्जा निकाला और वह दूसरी दीवार पर गिरा जिस से दूसरी दीवार गिर गई और उस से टकरा कर कोई शख़्स गिरा और कुचला गया तो इस का ज़मान पहली दीवार के मालिक पर है और अगर दूसरी दीवार भी इस की मिल्क है तब भी इस पर ज़मान वाजिब है। (आलमगीरी स.39 जि.6 दुर्रेमुख्तार व शामी स.529 जि.5)

मसअ्ला.410:— अगर दीवार गिराने का मुतालबा बाज़ वुरसा से किया तो हुक्म यह है कि जिस वारिस् से मुतालबा हुआ है वह बक़द्र अपने हिस्से के ज़ामिन होगा।(आलमगीरी स.38 जि.6 दुर्रेमुख्तार व शामी स.527)

मसअ्ला.411:— किसी गिराऊ दीवार के पाँच मालिक थे उन में से किसी एक से दीवार गिराने का मुतालबा हुआ था और वह दीवार किसी आदमी पर गिर पड़ी जिस से वह मर गया तो जिस से मुतालबा हुआ था वह दियत के पाँचवें हिस्से का ज़ामिन होगा और यह पाँचवाँ हिस्सा भी उस के आक़िला से लिया जायेगा। इसी तरह किसी घर में अगर तीन आदमी शरीक हैं उन में से एक ने इस घर में अपने दूसरे दोनों शरीकों की इजाज़त के बिग़ैर कुवां खोदा या दीवार बनाई और इस से कोई शख़्स हलाक होगया तो इस के आक़िला पर दो तिहाई दियत वाजिब होगी।(आलमगीरी स.38 जि.6)

मसअ्ला.412:— और अगर कुवां या दीवार अपने शरीकों के मशवरे से बनाई गई थी तो यह जनायात मुतसव्वर नहीं होगी। (आलमगीरी अज़ सिराजुलवहाज स.38 जि.6)

मसअ्ला.413:— किसी शख़्स ने सिर्फ़ एक बेटा और एक मकान छोड़ा और उस पर इतना क़र्ज़ था जो मकान की क़ीमत के बराबर या इस से ज़्यादा था और इस मकान की दीवार रास्ता की तरफ़ गिराऊ थी इस के इन्हिदाम का मुतालबा उस के बेटे से किया जायेगा अगर्चे उसका मालिक नहीं है और अगर उस की तरफ़ तक़द्दुम के बाद दीवार गिर पड़े तो बाप के आक़िला पर दियत होगी बेटे के आक़िला पर वाजिब नहीं होगी। (आलमगीरी अज मुहीत स.38 जि.6 बहरूर्राइक स.356 जि.8)

मसअ्ला.414:— गुलाम मकातिब गिराऊ दीवार का मालिक था इस से दीवार गिराने का मुतालबा किया गया और इस पर गवाह भी बनाये गये तो अगर गुलाम के लिये दीवार के इन्हिदाम के इम्कान से पहले दीवार गिर'पड़ी तो गुलाम ज़ामिन नहीं होगा और अगर तमक्कुन के बाद (यानी दीवार

गिराना मुम्किन था उस के बाद) गिरी है तो ज़ामिन होगा। और यह इस्तिहसानन है और कतील (मक्तूल) के वली के लिये अपनी कीमत और कतील की दियत से कम का ज़ामिन होगा। और अगर दीवार उस के आज़ाद होने के बाद गिरी है तो उस के आ़किला पर दियत वाजिब होगी और अगर वह गुलाम मकातिब ज़रे किताबत अदा न कर सका और फिर गुलामी में लौट आया फिर दीवार गिरी तो दियत न इस पर वाजिब है न इस के मौला पर और इसी तरह अगर दीवार बेचदी फिर गिर पड़ी तो किसी पर कुछ नहीं है और अगर बेची न थी कि गिर पड़ी और इस से टकराकर कोई आदमी गिर पड़ा और मर गया तो यह गुलाम ज़ामिन होगा और अगर ज़रे किताबत अदा करने से आजिज़ रहा और गुलामी में लौट आया तो मौला को इख़्तियार है चाहे गुलाम इस को देदे चाहे फिदया देदे और अगर कोई आदमी इस कतील से टकराकर गिर पड़ा और मरगया तो साहिबे दीवार पर ज़मान नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.526 जि.5)

मसअ्ला.415:– और अगर गुलाम मकातिब ने रास्ते की तरफ़ कोई बैतुल'ख़ला वग़ैरा निकाला और फिर उसके मौला ने उसको बेच दिया या आज़ाद होगया। फिर वह दीवार गिर पड़ी तो अपनी कीमत और अर्श से कम का ज़ामिन होगा। और अगर ज़रे किताबत अदा करने से आ़जिज़ रहा और गुलामी में लौट आया तो मौला को इख़्तियार है चाहे गुलाम को देदे और चाहे इस का फ़िदया देदे और अगर कोई आदमी बैतुल'ख़ला के मलबे से टकराकर हलाक होगया हो तो बैतुल'ख़ला का निकालने वाला गुलाम ज़ामिन होगा। और इसी तरह अगर इस कतील से टकराकर कोई दूसरा आदमी गिरा और मर गया तो भी यही ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ काफ़ी स.38 जि.6)

मसअ्ला.416:– अगर किसी ऐसे शख़्स की दीवार गिराऊ थी जिसकी माँ किसी की मौलाते इताक़ (आज़ाद कर्दा बांदी) थी और उस का बाप गुलाम। उस से किसी ने दीवार गिराने का मुतालबा किया और उसने नहीं गिराई यहाँ तक कि उसका बाप आज़ाद होगया फिर वह दीवार गिर पड़ी जिस से कोई आदमी मरगया तो इस की दियत बाप के आ़किला पर है और अगर बाप के आज़ाद होने से क़ब्ल दीवार गिर पड़ी तो माँ के आ़किला पर दियत वाजिब है इसी तरह अगर रास्ते की तरफ़ बैतुल'ख़ला निकाला फिर उसका बाप आज़ाद होगया फिर बैतुल'ख़ला किसी पर गिर पड़ा और वह मरगया तो इस की दियत माँ के आ़किला पर है चूंकि रास्ते की तरफ़ बैतुल'ख़ला निकालना ही जनायत है और इस वक़्त आ़किला मवाली उम्म थे।(आलमगीरी अज़ मुहीत स.38, जि.6)

मसअ्ला.417:– कोई शख़्स अपनी दीवार पर चढ़ा हुआ था क़तअ् नज़र इस से कि दीवार गिराऊ थी या न थी फिर यह दीवार गिर पड़ी जिस से एक आदमी मर गया और दीवार गिरने में दीवार के मालिक का कोई अ़मल न था, तो अगर वह दीवार गिराऊ थी और उसके गिराने का मुतालबा भी उस से किया जा चुका था तो वह ज़ामिन होगा। और इस के सिवा किसी सूरत में ज़ामिन नहीं होगा और अगर वह खुद दीवार पर से किसी आदमी पर गिर पड़ा दीवार नहीं गिरी और आदमी मर गया तो भी ज़ामिन होगा। और अगर दीवार से गिरने वाला मरगया तो नीचे वाले को देखेंगे अगर वह चल रहा था तो यह ज़ामिन नहीं होगा। (बहरूर्राइक़ स.354 जि.8) और अगर वह ठहरा हुआ था रास्ते में, या बैठा हुआ था या खड़ा हुआ था या सोया हुआ था तो यह गिरने वाले की दियत का ज़ामिन होगा। अगर नीचे वाला अपनी मिल्क में था तो यह ज़ामिन नहीं होगा और इन हालात में ऊपर से गिरने वाले पर नीचे वाले का ज़मान वाजिब होगा। अगर नीचे वाला मरजाये और इसी तरह अगर वह ग़ाफ़िल था कि गिर पड़ा या सो गया था और करवट बदली और गिर पड़ा तो यह नीचे वाले के नुक़सान का ज़ामिन होगा और इस सूरत में उस पर कफ़्फ़ारा भी वाजिब होगा। और इसी तरह अगर पहाड़ पर से फिसल पड़ा किसी शख़्स पर जिस से वह शख़्स हलाक होगया तो उसका ज़मान फिसलने वाले पर होगा और इस सूरत में मरने वाले का अपनी मिल्क में होना न होना बराबर है और इसी तरह अगर कुँयें में जो अपनी मिल्क में खोदा था गिर पड़ा उस में कोई

आदमी था यह उस पर गिर पड़ा और वह मर गया तो इस की दियत का ज़ामिन होगा। और अगर कुआं रास्ते में था तो कुऐं का मालिक दियत का ज़ामिन होगा। साकित (गिरने वाला) और मस्कूत अलैहि (जिस पर गिरा) दोनों का नुक़सान उस पर वाजिब होगा। (मब्सूत स.11 जि.27 आलमगीरी स.38 जि.6)

मसअ्ला.418:– किसी ने दीवार पर मटका रखा वह किसी शख़्स पर गिर पड़ा जिस से वह मर गया तो इस पर उसका ज़मान नहीं है।(आलमगीरी अज फ़ुसूले इमादिया स.39 जि.6)

मसअ्ला.419:– अगर किसी शख़्स ने दीवार के ऊपर कोई चीज़ इस के तूल में (लम्बाई में) रखी और वह किसी आदमी पर गिर पड़ी तो इस पर उसका ज़मान नहीं है और अगर अर्ज़ में (चौड़ाई में) रखी कि उसका एक सिरा रास्ते की तरफ़ निकला हुआ था और वह किसी चीज़ पर निकली हुई तरफ़ से गिरी तो रखने वाला ज़ामिन होगा और अगर दूसरी तरफ़ से किसी चीज़ पर गिरी तो वह ज़ामिन नहीं होगा। और इसी तरह अगर दीवार गिराऊ थी और उस पर किसी ने शहतीर रखा लम्बाई में इस तरह कि इस का कोई हिस्सा रास्ते की तरफ़ निकला हुआ नहीं था फिर वह शहतीर किसी पर गिर पड़ा और उसका क़त्ल कर दिया तो इस पर ज़मान नहीं है। (आलमगीरी स.39 जि.6)

मसअ्ला.420:– गिराऊ दीवार जिसके गिराने का मुतालबा उसके मालिक से किया जा चुका था उस पर दीवार के मालिक या किसी और ने मटका रखा और दीवार गिर पड़ी और मटका किसी आदमी के लगा जिस से वह मर गया तो दीवार के मालिक पर ज़मान है और अगर मटके से टकराकर कोई शख़्स गिर पड़ा या उस के मलबे से टकराकर गिर पड़ा तो अगर मटका किसी और का था तो किसी पर कुछ नहीं है। (बहरूर्राइक स.354 जि.8) और अगर मटका दीवार के मालिक का था तो वह ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज काफी स.39 जि.6)

मसअ्ला.421:– गिराऊ दीवार जिस के गिराने का मुतालबा किया जा चुका था मगर दीवार के मालिक ने उसको नहीं गिराया फिर हवा से गिर पड़ी तो दीवार का मालिक नुक़सान का ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.39 जि.6, बहरूर्राइक स.355 जि.8)

मसअ्ला.422:– दो गिराऊ दीवारें थीं जिनके गिराने का मुतालबा किया जा चुका था उन में से एक दूसरे पर गिर पड़ी जिस से वह भी ढै गई तो पहली या दूसरी दीवार के गिरने से जो इतलाफ़ हुआ या पहली के मलबे से जो इतलाफ़ हुआ उसका ज़मान किसी पर नहीं होगा(आलमगीरी अज काफी स.39 जि.6)

मसअ्ला.423:– ऐसा छज्जा जो किसी शख़्स ने निकाला था वह छज्जा किसी ऐसी गिराऊ दीवार पर गिर पड़ा जिसके गिराने का मुतालबा उसके मालिक से किया जा चुका था और वह दीवार किसी शख़्स पर गिर पड़ी जिस से वह मरगया या उस दीवार के ज़मीन पर गिरने के बाद कोई शख़्स उस से टकराकर गिर पड़ा तो इस सब सूरतों में छज्जा निकालने वाले पर ज़मान वाजिब है।

मसअ्ला.424:– किसी की दीवार का कुछ हिस्सा रास्ते की तरफ़ और कुछ लोगों के मकान की तरफ़ झुका हुआ था और दीवार के मालिक से दीवार गिराने का मुतालबा घर वालों ने कर दिया था मगर दीवार रास्ते की तरफ़ गिर पड़ी या मुतालबा रास्ते वालों ने किया था मगर दीवार घरवालों पर गिर पड़ी तो दीवार का मालिक ज़ामिन होगा। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.528 जि.5)

मसअ्ला.425:– किसी शख़्स की लम्बी दीवार थी जिसका बाज़ हिस्सा गिराऊ था और बाज़ गिराऊ नहीं था और इस से मुतालबाए नक़्ज़ (तोड़ने का मुतालबा) किया गया था फिर पूरी दीवार किसी पर गिर पड़ी जिस से वह मर गया तो दीवार का मालिक गिराऊ हिस्से के नुक़सान का ज़ामिन होगा। और जो हिस्सा दीवार का गिराऊ नहीं था उस के हिस्से के नुक़सान का ज़ामिन नहीं होगा और अगर दीवार छोटी थी तो पूरी दीवार के नुक़सान का ज़ामिन होगा(दुर्रेमुख़्तार स.529 जि.5)

मसअ्ला.426:– किसी शख़्स की दीवार गिराऊ थी क़ाज़ी ने उसको गिराने के मुतालबे में पकड़ा किसी दूसरे ने उसकी ज़मानत दी कि उस के हुक्म से यह दीवार गिरादेगा तो यह ज़मानत जाइज़ है और जिसने यह ज़मानत दी है उस को हक़ है कि वह उस की इजाज़त के बिग़ैर गिरादे (आलमगीरी)

मसअ्ला.427:– किसी की गिराऊ दीवार पर दो गवाह बनाये कि इसकी दीवार गिराऊ है फिर वह दीवार किसी एक गवाह पर या इसके बाप या इसके गुलाम या इसके मकातिब पर गिर पड़ी और दीवार के मालिक के खिलाफ़ उन दो गवाहों के सिवा और कोई गवाह नहीं है तो इस सूरत में इस एक की गवाही मोअ्तबर नहीं है जो इस गवाही से खुद इस का मुतअल्लिक़ फ़ायदा उठाये(आलमगीरी)

मसअ्ला.428:– लक़ीत की दीवार झुकी हुई थी और उस से दीवार गिराने का मुतालबा भी किया गया था वह दीवार किसी पर गिर पड़ी जिस से वह मरगया तो क़तील की दियत बैतुल माल से अदा की जायेगी इस तरह अगर कोई काफ़िर मुसलमान हुआ और उसने किसी से मवालात नहीं की है तो वह भी लक़ीत के हुक्म में है। (काज़ीखाँ अलल्हिन्दिया स.466 जि.3 आलमगीरी स.40 जि.6)

मसअ्ला.429:– एक गिराऊ दीवार के दो मालिक थे एक ऊपरी हिस्से का दूसरा नीचे के हिस्से का उन में से किसी एक से दीवार गिराने का मुतालबा किया गया फिर पूरी गिर पड़ी तो जिस से मुतालबा किया गया था वह निस्फ़ दियत का ज़ामिन होगा। और अगर ऊपरी वाली दीवार गिरी और इसी के मालिक से मुतालबा किया गया था तो यह ज़ामिन होगा नीचे वाली का मालिक ज़ामिन नहीं होगा। (बहरुर्राइक़ स.354 जि.8, खानिया अलल्हिन्दिया स.466 जि.3)

मसअ्ला.430:– किसी शख़्स ने दीवार गिराने के लिये कुछ मज़दूर मुक़र्रर किये उनके दीवार गिराने से एक शख़्स उनही में से मरगया या कोई गैर शख़्स मरगया तो कफ़्फ़ारा व ज़मान उन ही पर होगा दीवार के मालिक पर कुछ नहीं। (मब्सूत स.14 जि.27, आलमगीरी स.40 जि.6)

मसअ्ला.431:– किसी की दीवार इशहाद से पहले गिरपड़ी फिर इस से मुतालबा किया गया कि इस का मलबा रास्ते से उठाये मगर इसने नहीं उठाया यहाँ तक कि कोई आदमी या जानवर इस के साथ टकराकर गिर पड़ा और हलाक होगया तो दीवार का मालिक ज़ामिन होगा(आलमगीरी स.41 जि.6)

मसअ्ला.432:– किसी ने अपनी दीवार से बाहर की तरफ़ बैतुलखला वगैरा बनाया अगर वह बड़ा था और इस से किसी को नुक़सान पहुँचा तो ज़ामिन होगा और अगर छोटा था तो ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.40 जि.6)

मसअ्ला.433:– किसी की दो दीवारें थीं एक गिराऊ एक सहीह गिराऊ के इन्हिदाम का मुतालबा किया गया था वह न गिरी लेकिन सहीह गिर गई जिस से कोई चीज़ तलफ़ होगई तो इसका ज़मान किसी पर नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार स.529 जि.5, खानिया अलल्हिन्दिया स.466 जि.3, बहरुर्राइक़ स.354 जि.8)

मसअ्ला.434:– किसी शख़्स की ऐसी झुकी हुई दीवार गिराने का इस से मुतालबा किया गया जिस में रास्ते की तरफ़ छज्जा निकला हुआ था और उस को इस ने निकाला था जिस ने यह घर बेचा था फिर वह दीवार और छज्जा गिर पड़े और सूरत यह हुई कि दीवार के गिरने की वजह से छज्जा गिरा तो दीवार के मालिक पर नुक़सान का ज़मान है और फ़क़त छज्जा गिरा है तो बेचने वाला नुक़सान का ज़ामिन होगा जिसने रास्ते की तरफ़ उसको निकाला था(हिन्दिया स.40 जि.6)

मसअ्ला.435:– एक शख़्स एक मकान के ज़ेरीं हिस्से का मालिक था और इस के बालाई हिस्से का दूसरा शख़्स मालिक था और दोनों हिस्से गिराऊ थे और दोनों के मालिकों से उनके गिराने का मुतालबा भी किया जा चुका था मगर उन्होंने नहीं गिराया इसके बाद ज़ेरीं हिस्सा गिर पड़ा और इसके गिरने से ऊपर का हिस्सा भी किसी पर गिर पड़ा जिस से वह मरगया तो इस मक़तूल की दियत ज़ेरीं हिस्से के मालिक के आक़िला पर है और जो शख़्स नीचे के मलबे से टकराकर गिरे उसका ज़मान भी और अगर बालाई हिस्से के गिरे हुए मलबे से टकराकर कोई शख़्स हलाक होगया तो किसी पर कुछ नहीं है। (आलमगीरी अज मुहीत स.40 जि.6)

मसअ्ला.436:– एक मकान का बालाई हिस्सा एक शख़्स का है और ज़ेरीं हिस्सा दूसरे का और कुल मकान कमज़ोर है बालाई हिस्सा किसी पर गिर पड़ा और वह मरगया और इस मकान के गिराने का मुतालबा दोनों से किया जा चुका था तो बालाई हिस्से का मालिक ज़ामिन होगा।(आलमगीरी)

मसअला.437:– किसी शख़्स से उसकी ऐसी गिराऊ दीवार के गिराने का मुतालबा किया गया जिसका रास्ते की तरफ़ गिरने का ख़तरा नहीं था लेकिन यह अन्देशा था कि यह दीवार उसी शख़्स की उसी सहीह दीवार पर गिर सकती जिस के गिरने का अन्देशा नहीं है हाँ यह मुम्किन है कि अगर गिराऊ दीवार सहीह दीवार पर गिर पडी तो सहीह दीवार खुद ब'खुद रास्ते में गिर पड़ेगी। लेकिन वह गिराऊ दीवार जिसके गिराने का मुतालबा किया गया था न गिरी और सहीह दीवार खुद ब'खुद रास्ते में गिर पड़ी जिस से कोई इन्सान हलाक होगया या उसके मल्बे से टकराकर कोई आदमी मरगया तो उसका खून रायगाँ जायेगा। (आलमगीरी स.40जि.6)

फ़स्लुन फ़ित्तरीक़

रास्ते में नुक़सान पहुँचने का बयान

मसअला.438:– आम रास्ते की तरफ़ बैतुल'ख़ला या परनाला पर बुर्ज या शहतीर या दुकान वग़ैरा निकालना जाइज़ है बशर्ते कि इस से अवाम को कोई ज़रर (नुकसान) न हो और गुज़रने वालों में से कोई मानेअ् (रोकने वाला) न हो और अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो या कोई मोअ्तरिज़ हो तो ना'जाइज़ है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.521 जि.5, बहरुर्राइक स.347 जि.8, आलमगीरी स.40 जि.6)

मसअला.439:– अगर कोई शख़्स आम रास्ते पर मज़कूरा बाला तअ्मीरात अपने लिये इमाम की इजाज़त के बिग़ैर करे तो शुरूअ् करते वक़्त हर आक़िल, बालिग़ मुसलमान मर्द, औरत और ज़िम्मी को इसके रोकने का हक़ है। गुलाम और बच्चों को इसका हक़ नहीं है और बन जाने के बाद इसके इन्हिदाम के मुतालबे का भी हक़ है बशर्ते कि इस मुतालबा करने वाले ने आम रास्ते पर इस क़िस्म की कोई तअ्मीर न कर रखी हो। ख़्वाह इस तअ्मीर से किसी को ज़रर हो या न हो(दुर्रेमुख़्तार)

मसअला.440:– आम रास्ते पर ख़रीद व फ़रोख़्त के लिये बैठना जाइज़ है जब कि किसी के लिये तकलीफ़ देह न हो। और अगर किसी को तकलीफ़ दे तो वह ना'जाइज़ है।(दुर्रेमुख़्तार व शामी स.521 जि.5)

मसअला.441:– और अगर यह तअ्मीरात इमाम की इजाज़त से की गई हैं तो किसी को उन पर एअ्तिराज़ का हक़ नहीं है लेकिन इमाम के लिये यह मुनासिब नहीं है कि उन तसर्रुफ़ात की इजाज़त दे जब कि लोगों को उनसे तकलीफ़ हो और अगर इस ने किसी मस्लेहत की बिना पर इजाज़त देदी तो जाइज़ है। (शामी स.521 जि.5 आलमगीरी स.41 जि.6)

मसअला.442:– आम रास्ते पर अगर यह तअ्मीरात पुरानी हैं तो उनके हटवाने का किसी को हक़ नहीं है और अगर उनका हाल मालूम न हो तो नई फ़र्ज़ करके इमाम उनको हटवादेगा(शामी स.522 जि.5)

मसअला.443:– अगर आम रास्ते पर मुसलमान के फ़ायदे के लिये मस्जिद वग़ैरा कोई इमारत बनादी जाये और इस से किसी को कोई ज़रर भी न हो तो नहीं तोड़ी जायेगी।(आलमगीरी स.40 जि.6)

मसअला.444:– ऐसे ख़ास रास्ते पर जो आगे से बन्द हों किसी को कुछ बनाना जाइज़ नहीं है ख़्वाह इस में लोगों का ज़रर हो या न हो मगर यह कि इस के रहने वाले इजाज़त देदें और यह तअ्मीरात अगर जदीद हैं तो इमाम को हक़ है कि उनको ढादे और क़दीम हैं तो यह हक़ नहीं है और अगर उनका हाल मालूम न हो तो क़दीम मानकर बाक़ी रखी जायेंगी(आलमगीरी स.40 जि.6)

मसअला.445:– अगर किसी ने रास्ते में कूड़ा डाला और इस से कोई फिसलकर गिरा और मर गया इस पर ज़मान नहीं है मगर जब कि कूड़ा जमअ् करके इकट्ठा कर दिया जिस से टकरा कर कोई गिरा और मर गया तो कूड़ा डालने वाला ज़ामिन होगा।(आलमगीरी अज़ ज़खीरा स.41 जि.6)

मसअला.446:– किसी शख़्स ने शारेअे आम पर(आम रास्ते पर)कोई बड़ा पत्थर रखा या उसमें कोई इमारत बनादी या अपनी दीवार से शहतीर या पत्थर वग़ैरा बाहर रास्ते की तरफ़ निकाल दिया या बैतुल'ख़ला या छज्जा या परनाला या सायबान निकाला या रास्ते में शहतीर रखा इस से अगर किसी चीज़ को कोई नुक़सान पहुँचे या वह तलफ़ होजाये तो यह उसका तावान अदा करेगा और अगर इस से कोई आदमी मरजाये तो इसकी दियत इसके आक़िला पर होगी और अगर कोई इन्सान

ज़ख़्मी हुआ मगर मरा नहीं तो अगर इस ज़ख़्म का अर्श मौज़ेहा(सर का वह ज़ख़्म जिसमें सर की हड्डी दिखाई दे)के अर्श के बराबर हो तो यह अर्श उसके आक़िला पर होगा और अगर इससे कम हो तो बनाने वाले के माल से दिया जायेगा और इस सबब से अगर कोई मरगया तो उस पर कफ़्फ़ारा नहीं है और अगर मरने वाला इस का मूरिस् था तो यह इसका वारिस् भी होगा जानवर और माल के नुक़्सान का ज़ामिन यह ख़ुद होगा। इन सब सूरतों में ज़मान इसपर उस वक़्त वाजिब होगा जब इसने इमाम की इजाज़त के बिग़ैर यह तसर्रुफ़ात किये हों वरना यह ज़ामिन नहीं होगा(आलमगीरी स.40 जि.6)

मसअ्ला.447:– सर'बन्द गली (वह गली जो एक तरफ़ से बन्द हो) में जिन रहने वालों के दरवाज़े खुलते हैं उनको इस रास्ते में किसी क़िस्म की तअ्मीर की इजाज़त नहीं मगर इस गली के सब रहने वालों की इजाज़त से तअ्मीर की जा सकती है हाँ इस गली के रहने वाले इस क़िस्म के तसर्रुफ़ात कर सकते हैं मस्लन जानवर बाँधना, लकड़ी रखना, वज़ू करना, गारा बनाना, या कोई चीज़ आरिज़ी तौर पर रखना वग़ैरा बशर्ते कि गली वालों के लिये रास्ता छोड़ दिया गया हो और जो काम नहीं कर सकते वह यह हैं मस्लन परनाला निकालना, दुकान बनाना, छज्जा निकालना, बुर्ज बनाना, बैतुल'ख़ला बनाना वग़ैरा मगर जब सब गली वाले इजाज़त देदें तो यह चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.522 जि.5,आलमगीरी स.42जि.6)

मसअ्ला.448:– सर'बन्द गली में जो काम जाइज़ थे उसकी वजह से किसी नुक़्सान का ज़ामिन नहीं होगा और जो काम ना'जाइज़ हैं और रहने वालों की इजाज़त के बिग़ैर किये तो उनसे जो नुक़्सान होगा वह सब रहने वालों पर तक़सीम होगा और तसर्रुफ़ करने वाला अपने हिस्से के सिवा दूसरों के हिस्सों का तावान अदा करेगा। (आलमगीरी स.41 जि.6, शामी स.522 जि.5, क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.485 जि.3)

मसअ्ला.449:– राहिन (गिरवी रखने वाला) ने दारे मरहूना (यानी गिरवी रखे हुए घर) में मुरतहिन (जिसके पास रहन रखा) की इजाज़त के बिग़ैर कुछ तअ्मीर की या कुँवाँ खोदा या जानवर बाँधे, तो इस से जो नुक़्सान होगा राहिन उसका ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.41 जि.6)

मसअ्ला.450:– किसी ने मज़दूरों को सायबान या छज्जा बनाने के लिये मुक़र्रर किया अगर इस्नाए तअ्मीर में इमारत के गिरने से कोई हलाक होगया तो इसका ज़मान मज़दूरों पर होगा और उन से दियते कफ़्फ़ारा और विरासत से महरूमी लाज़िम होगी और अगर तअ्मीर से फ़रागत के बाद यह सूरत हो तो मालिक पर ज़मान होगा। (आलमगीरी अज़ जौहरा नय्यिरा स.41 जि.6, मब्सूत स.8 जि.27)

मसअ्ला.451:– उन मज़दूरों में से किसी के हाथ से ईंट पत्थर या लकड़ी गिर पड़ी जिस से कोई आदमी मर गया तो जिस के हाथ से गिरी है उस पर कफ़्फ़ारा और उस के आक़िला पर दियत वाजिब है। (आलमगीरी स.41 जि.6)

मसअ्ला.452:– किसी ने दीवार में रास्ते की तरफ़ परनाला लगाया वह किसी पर गिरा जिससे वह हलाक होगया अगर यह मालूम है कि दीवार में गड़ा हुआ हिस्सा लग कर हलाक हुआ तो ज़मान नहीं है और अगर बैरूनी हिस्सा लग कर हलाक हुआ तो ज़मान है और अगर दोनों हिस्से लग कर हलाक हुआ तो निस्फ़ ज़मान है और अगर यह मालूम न होसके तब भी निस्फ़ ज़मान है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.453:– किसी ने रास्ते की तरफ़ छज्जा निकाला था फिर वह मकान बेच दिया इस के बाद छज्जा गिरा और कोई आदमी हलाक होगया या किसी ने रास्ते में लकड़ी रखी फिर उसको बेचकर मुश्तरी को क़ब्ज़ा देदिया मुश्तरी ने वहीं रहने दी और इस से कोई आदमी हलाक होगया तो दोनों सूरतों में बेचने वाले पर ज़मान है मुश्तरी पर कुछ नहीं।(आलमगीरी स.41जि.6, दुर्रेमुख़्तार स.522 जि.5)

मसअ्ला.454:– किसी ने रास्ते में लकड़ी रखदी जिस से कोई टकरा गया तो रखने वाला ज़ामिन है अगर गुज़रने वाला इस लकड़ी पर चढ़ा और अगर गिरकर मरगया तो भी रखने वाला ज़ामिन होगा बशर्ते कि चढ़ने वाले ने उसपर से फिसलने का इरादा न किया हो और लकड़ी बड़ी हो लेकिन अगर लकड़ी इतनी छोटी है कि इस पर चढ़ा ही नहीं जा सकता तो रखने वाले पर कोई

ज़मान नहीं है। (आलमगीरी स.41जि.6, शामी व दुर्रेमुख़्तार स525 जि.5, मब्सूत स.8 जि.27)
मसअ्ला.455:– किसी ने शारेए आ़म पर इतना पानी छिड़का कि उस से फिस्लन होगई जिस से फिसल कर कोई आदमी गिरा और मरगया तो पानी छिड़कने वाले के आ़किला पर दियत वाजिब है और अगर कोई जानवर फिसल कर गिरा और मरगया या किसी का कोई माली नुक़सान होगया तो उसका तावान छिड़कने वाले के माल से अदा किया जायेगा यह हुक्म इस सूरत में है कि पूरे रास्ते में पानी छिड़का हो और गुज़रने के लिये जगह न रहे लेकिन अगर बाज़ हिस्सा में छिड़का है और बाज क़ाबिले गुज़र छोड़ दिया है तो अगर पानी वाले हिस्से से गुज़रने वाला अंधा है और उसे पानी का इल्म न था या गुज़रने वाला जानवर है तब भी यही हुक्म है और अगर इल्म के बावजूद बीना या नाबीना पानी वाले हिस्से से बिल'क़स्द गुज़रा और फिसल कर हलाक होगया तो किसी पर कुछ नहीं। (आलमगीरी स.41 जि.6, हिदाया स.586 जि.4, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.526 जि.5)
मसअ्ला.456:– शर्बत बेचने वाले या किसी रेढ़ी वाले ने इतना पानी अपनी दुकान के सामने बहा दिया कि फिस्लन होगई तो पानी छिड़कने वाले के आ़किला पर दियत वाजिब है अगर कोई शख़्स इस से फिसल कर हलाक होजाये बशर्ते कि वह ज़मीन इस की मिल्क न हो।(दुर्रेमुख़्तार स.526 जि.5)
मसअ्ला.457:– किसी ने शारेए आ़म पर इतना पानी छिड़का कि फिसलन होगई इस पर से कोई शख़्स दो गधे लेकर गुज़रा एक की डोरी उस के हाथ में थी और दूसरा उसके साथ जा रहा था साथ जाने वाला गधा फिसल कर गिरा जिस से उसका पैर टूट गया गधे वाला अगर दोनों को पीछे से हांक रहा था तो किसी पर कुछ नहीं और अगर पीछे से नहीं हांक रहा था तो पानी छिड़कने वाले पर तावान है। (आलमगीरी स.42 जि.6)
मसअ्ला.458:– किसी ने शारेअ़े आ़म पर इतना पानी बहाया कि जमअ़ होकर बर्फ़ बन गया या बर्फ़ रास्ते में डाल दी इस से फिसल कर कोई आदमी हलाक होगया या रास्ते में कीचड़ से बचने के लिये पत्थर रख दिये थे उस पर से फिसल कर गिर पड़ा और हलाक होगया तो अगर इमाम की इजाज़त से यह काम किया था तो ज़ामिन नहीं होगा और अगर बिला इजाज़ते इमाम किया था तो ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.42 जि.6)
मसअ्ला.459:– किसी शारेअ़े आ़म पर दो पत्थर रखे हुए थे गुज़रने वाला एक से टकराकर दूसरे पर गिरा और मरगया पहला पत्थर रखने वाला ज़ामिन होगा और अगर पहले का वाज़िअ़ (रखने वाला) मा़लूम न हो तो दूसरा पत्थर रखने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.42 जि.6)
मसअ्ला.460:– किसी ने शारेअ़े आ़म पर बिला इजाज़ते इमाम या शारेअ़े ख़ास पर इस गली के रहने वालों की इजाज़त के बिग़ैर कोई जदीद तअ़मीर की जिस से टकराकर कोई किसी दूसरे आदमी पर गिरा और जिस पर गिरा वह मरगया। तो तअ़मीर करने वाला ज़ामिन नहीं होगा(आलमगीरी)
मसअ्ला.461:– किसी ने रास्ते में कोई चीज़ रखी दूसरे ने उसको हटा कर दूसरी तरफ़ रखदिया और उस से टकरा कर कोई शख़्स हलाक होगया तो हटाने वाला ज़ामिन होगा रखने वाला ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.42 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.523 जि.5)
मसअ्ला.462:– किसी ने शारेअ़े आ़म पर बिला इजाज़ते इमाम या शारेअ़े ख़ास पर इस गली के रहने वालों की इजाज़त के बिग़ैर कुछ जदीद तअ़मीर की जिससे टकराकर कोई आदमी दूसरे आदमी पर गिरा और दोनों मरगये तो तअ़मीर करने वाले के आ़किला पर दोनों की दियत वाजिब है(बहरुर्राइक़)
मसअ्ला.463:– किसी ने रास्ते में अंगारा रखदिया इस से कोई चीज़ जल गई तो रखने वाला इस का ज़ामिन होगा और अगर हवा से उड़कर वह आग दूसरी जगह चली गई और किसी चीज़ को जला दिया तो अगर रखते वक़्त हवा चल रही थी तो रखने वाला ज़ामिन होगा वरना नहीं।(ख़ानिया)
मसअ्ला.464:– लोहार ने अपनी दुकान में भट्टी से लोहा निकाल कर आइरन (निहाई) पर रख कर कूटा जिस से चिंगारी निकलकर शारेअ़े आ़म पर चलने वाले किसी आदमी पर गिरी जिस से वह

जल कर मरगया या उस की आँख फूट गई तो उस की दियत लोहार के आक़िला पर है और अगर किसी का कपड़ा जला दिया या कोई माली नुक़सान कर दिया तो उसका तावान लोहार के माल से दिया जायेगा और अगर उसके कूटने से चिंगारी नहीं उड़ी बल्कि हवा से उड़कर किसी पर गिरी तो लोहार पर कुछ नहीं है। (खानिया अलल्हिन्दिया स.459 जि.3 आलमगीरी स.42 जि.6)

मसअ्ला.465:– लोहार ने अपनी दुकान में रास्ते की जानिब यह जानते हुए कि रास्ते की हवा से आग भड़केगी भट्टी जलाई और इस से रास्ते में कोई चीज जल गई तो वह ज़ामिन होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.466:– कोई शख़्स आग लेकर ऐसी जगह से गुज़रा जहाँ से गुज़रने का उसको हक़ था उस से कोई चिंगारी खुद गिर गई या हवा से गिर गई और इस से कोई चीज़ जल गई तो वह ज़ामिन नहीं है और अगर ऐसी जगह से गुज़रा जहाँ से गुज़रने का उस को हक़ न था तो अगर हवा से चिंगारी उड़कर गिरी तो ज़ामिन नहीं होगा और अगर खुद गिरी और उस से कोई चीज़ जल गई तो वह ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ खिज़ानतुल मुफ़तीन स.43 जि.6)

मसअ्ला.467:– कोई शख़्स शारेअ़े आम (फुट पाथ) पर बैठकर हुकूमत की इजाज़त के बिग़ैर ख़रीद व फ़रोख़्त करता है उसके सामान में फंस कर कोई शख़्स गिर पड़ा और इसका कुछ नुक़सान हो गया तो बैठने वाला ज़ामिन होगा और अगर हुकूमत की इजाज़त से बैठा है तो यह ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.43 जि.6)

मसअ्ला.468:– शारेअ़े आम के किनारे बैठकर ख़रीद व फ़रोख़्त अगर किसी चीज़ को ज़रर न दे और हुकूमत की इजाज़त से हो तो जाइज़ है और अगर ज़रर हो तो ना जाइज़ है(दुर्रेमुख़्तार स.521जि.5)

मसअ्ला.469:– कोई आदमी सोने वाले के पास से गुज़रा और उसकी ठोकर से सोने वाले की पिन्डली टूट गई फिर उस पर गिर पड़ा जिस से उस की एक आँख फूट गई इस के बाद खुद मर गया तो सोने वाले पर मरने वाले की दियत है और मरने वाले पर सोने वाले का अर्श वाजिब होगा। और अगर दोनों ही मरगये तो सोने वाले की दियत है और गिरने वाले पर सोने वाले की निस्फ़ दियत है। (आलमगीरी स.43 जि.6)

मसअ्ला.470:– कोई आदमी रास्ते से गुज़र रहा था कि अचानक गिरकर मरगया और इस से टकराकर दूसरा शख़्स मरगया तो किसी पर कुछ नहीं। (आलमगीरी अज़ ज़ख़ीरा स.43 जि.6)

मसअ्ला.471:– कोई राह चलता बे'होश होकर या ज़ोअ्फ़ की वजह से किसी पर गिर पड़ा जिस से वह मरगया या राह चलता गिरकर मरगया और इस से टकराकर कोई दूसरा शख़्स मरगया तो राहगीर के आक़िला पर मरने वाले की दियत वाजिब है। दूसरे की मौत अगर गिरने वाले से दबकर हुई है तो गिरने वाले पर कफ़्फ़ारा भी है जो इस के माल से अदा किया जायेगा। और विरासत से महरूम होगा और अगर राहगीर ज़मीन पर गिरा और दूसरा इस से टकराकर मरगया तो कफ़्फ़ारा और हिरमाने मीरास् (विरासत से महरूमी) नहीं है। (आलमगीरी अज मुहीत स. 43 जि6)

मसअ्ला.472:– कोई शख़्स बोझ उठाये रास्ते से गुज़र रहा था कि उसका बोझ किसी शख़्स पर गिरा जिस से वह शख़्स मरगया या बोझ ज़मीन पर गिरा और इस से टकरा कर कोई शख़्स मरगया तो बोझ उठाने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.43 जि.5, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.523 जि.5)

मसअ्ला.473:– कोई शख़्स रास्ते में कोई ऐसी चीज़ पहनकर गुज़रा जो आ़म तौर पर पहनी जाती है उस चीज़ से उलझ कर कोई शख़्स मरगया या किसी शख़्स पर वह चीज़ गिर पड़ी जिस से वह मरगया या रास्ते में गिर पड़ी जिस से टकराकर कोई मरगया तो इन सब सूरतों में गुज़रने वाले पर ज़मान नहीं है। और अगर इस क़िस्म की चीज़ है जो पहनी नहीं जाती है तो इसका हुक्म बोझ उठाने वाले का सा है और इस से जो नुक़सान होगा यह ज़ामिन है। इसी तरह अगर कोई शख़्स जानवर को हांक रहा था या उसको खींच रहा था या उस पर सवार था और उसके सामान में से कोई चीज़ मस्लन ज़ीन, लगाम वग़ैरा गिर पड़ी जिस से कोई आदमी मरगया या जानवर या इस

के सामान में से कोई चीज़ रास्ते पर गिरी और उस से टकराकर कोई आदमी मरगया तो हर सूरत में जानवर वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.43 जि.6)

मसअ्ला.474:– दो आदमियों ने अपने मटके रास्ते पर रख दिये थे। एक लुढ़क कर दूसरे से टकराया तो अगर लुढ़कने वाला टूटा तो दूसरे का मालिक उस से मटके का ज़मान देगा और अगर दूसरा टूटा तो लुढ़कने वाले का मालिक ज़मान नहीं देगा और अगर दोनों लुढ़के तो किसी पर कुछ नहीं। (आलमगीरी स.43 जि.6, खानिया अलल्हिन्दिया स.459 जि.3)

मसअ्ला.475:– दो आदमियों ने अपने जानवर रास्ते पर खड़े कर दिये थे एक भागा जिस से दूसरा गिरा और मरगया तो किसी पर कुछ नहीं है अगर भागने वाला उस से टकराकर मरगया तो दूसरे का मालिक ज़मान देगा। (आलमगीरी स.43 जि.6, काजी खाँ अलल्हिन्दिया स.459 जि.3)

मसअ्ला.476:– किसी ने रास्ते में कोई चीज़ रखदी जिसको देख कर उधर से गुज़रने वाला जानवर बिदक कर भागा उसने किसी आदमी को मार दिया तो उस शय के रखने वाले पर कोई ज़मान नहीं है इसी तरह ऐसी ही गिराऊ दीवार जिसके गिराने का मुतालबा किया जाचुका था ज़मीन पर गिरी इस से कोई जानवर भड़क कर भागा जिस से कुचल कर कोई शख़्स मरगया तो दीवार वाला ज़ामिन नहीं होगा दीवार का मालिक और रास्ते में चीज़ रखने वाला सिर्फ़ इस सूरत में ज़ामिन होंगे कि दीवार या इस चीज़ से लग कर हलाकत वाक़ेअ् हो।(आलमगीरी स.44 जि.6)

मसअ्ला.477:– अहले मस्जिद ने बारिश का पानी जमअ् करने के लिये मस्जिद में कुवाँ खुदवाया या बड़ा सा मटका रखाया या चटाई बिछाई या दरवाज़ा लगाया या छत में क़िन्दील लटकाई या सायबान डाला और उन से कोई शख़्स हलाक होगया तो अहले मस्जिद पर ज़मान नहीं और अगर अहले महल्ला के एलावा दूसरे लोगों ने यह सब काम अहले महल्ला की इजाज़त से किये थे और उनसे कोई हलाक होगया तब भी किसी पर कुछ नहीं और बिग़ैर इजाज़त यह काम किये और उन से कोई हलाक होगया तो कुवां और सायबान की सूरत में ज़ामिन होंगे और बक़ाया सूरतों में ज़ामिन नहीं होंगे। (आलमगीरी स.44 जि.5 शामी स.523 जि.5, बहरुर्राइक स.352 जि.8)

मसअ्ला.478:– कोई शख़्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था या नमाज़ के इन्तिज़ार में बैठा था या क़िराअ्ते क़ुर्आन में मशगूल था या फ़िक़्ह व हदीस का दर्स दे रहा था या एअ्तिकाफ़ में था या किसी इबादत में मशगूल था कि इस से टकराकर कोई शख़्स गिर पड़ा और मरगया तो फ़तवा यह है कि इस पर ज़मान नहीं है। (आलमगीरी स.44 जि.6 हिदाया स.589 जि.4)

मसअ्ला.479:– मस्जिद में कोई शख़्स टहल रहा था कि किसी को कुचल दिया या मस्जिद में सो रहा था और करवट ली और किसी पर गिर पड़ा जिस से वह मर गया तो वह ज़ामिन होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.480:– किसी ने इमाम (हाकिमे वक़्त) की इजाज़त से रास्ते में चहबुच्चा (छोटा हौज जो बारिश वग़ैरा का पानी जमा करने के लिये बनाया जाता है) खोदा या अपनी मिल्क में खोदा या रास्ते में कोई लकड़ी रखदी या बिला इजाज़ते इमाम पुल बनवाया उस पर से कोई शख़्स क़स्दन गुज़रा और गिरकर हलाक होगया तो फ़ाइल ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.44 जि.6 शामी व दुर्रे मुख़्तार स.524 जि.5)

मसअ्ला.481:– किसी ने रास्ते में कुवां खोदा उस में किसी ने गिरकर खुदकुशी करली तो कुवां खोदने वाला ज़ामिन नहीं है। (आलमगीरी स.45 जि.6 बहरुर्राइक स.348 जि.8)

मसअ्ला.482:– किसी ने मुसलमानों के रास्ते में अपने घर के गिर्दागिर्द से हटकर कुवां खोदा जिसमें गिरकर कोई शख़्स मरगया तो इसके आक़िला पर मरने वाले की दियत वाजिब होगी। और इस पर कफ़्फ़ारा नहीं है और वह मीरास् से भी महरूम नहीं होगा(आलमगीरी स.45 जि.6 बहरुर्राइक स.348 जि.8)

मसअ्ला.483:– अगर किसी दूसरे के मकान के गिर्दागिर्द कुंआं खोदा, या ऐसी जगह खोदा जो मुसलमानों की मुश्तर्का मिल्कियत है या ऐसे रास्ते पर खोदा जो आगे जाकर बन्द होजाता है और उस कुँएं में कोई गिरकर मरगया तो यह ज़ामिन होगा और अपने घर के गिर्दागिर्द अपनी मम्लूका

ज़मीन पर खोदा या ऐसी जगह खोदा जहाँ इस को पहले से कुँवां खोदने का हक़ हासिल था और उस में गिरकर मरगया तो उसपर ज़मान नहीं है।(आलमगीरी स.145 जि.6)

मसअ्ला.484:– किसी ने रास्ते में कुँवां खोदा और इस में कोई शख़्स गिर पड़ा और भूक प्यास या वहाँ के तअफ़्फ़ुन की वजह से दम घुट गया और मरगया तो कुँवां खोदने वाला ज़ामिन नहीं होगा।

मसअ्ला.485:– किसी ने ऐसे मैदान में बिग़ैर इजाज़ते इमाम कुंवां खोदा जहाँ लोगों की गुज़रगाह नहीं है इसी तरह उस मैदान में कोई शख़्स बैठा हुआ था या किसी ने ख़ेमा लगालिया था इस शख़्स से या ख़ेमा से कोई शख़्स टकरा गया तो बैठने वाला और ख़ेमा लगाने वाला ज़ामिन नहीं है और अगर यह सूरतें रास्ते में वाक़ेअ् हों तो ज़ामिन होगा।(आलमगीरी 29 जि.6, खानिया अलल्हिन्दिया स.460 जि.3)

मसअ्ला.486:– एक शख़्स ने रास्ते पर निस्फ़ कुवाँ खोदा फिर दूसरे ने बक़िया हिस्सा खोदकर उसे तह तक पहुँचाया इस में कोई शख़्स गिरगया तो पहला खोदने वाला ज़ामिन है।(आलमगीरी स.45जि.6)

मसअ्ला.487:– किसी ने रास्ते में कुवाँ खोदा फिर दूसरे ने उसका मुँह चौड़ा करदिया तो यह देखा जायेगा कि उसने चौड़ाई में कितना इज़ाफ़ा किया है अगर इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा है कि गिरने वाले का क़दम चौड़ा करने वाले के हिस्से पर पड़ेगा तो यह ज़ामिन होगा। और अगर इतना कम इज़ाफ़ा किया है कि गिरने वाले का क़दम उसके इज़ाफ़े पर नहीं पड़ेगा तो पहला खोदने वाला ज़ामिन होगा और अगर इज़ाफ़ा इतना है कि दोनों हिस्सों पर क़दम पड़ने का एहतिमाल हो और यह मालूम न होसके कि क़दम किस हिस्से पर पड़ा था तो दोनों निस्फ़ निस्फ़ के ज़ामिन होंगे(आलमगीरी)

मसअ्ला.488:– किसी ने रास्ते में कुँवां खोदा फिर उसको मिट्टी, चूना या जिन्से अर्द में से किसी से पाट दिया फिर दूसरे ने आकर यह चीज़ें निकाल कर उसको ख़ाली कर दिया फिर उस में कोई शख़्स गिरकर मरगया तो ख़ाली करने वाला ज़ामिन होगा और अगर पहले ने खाने वग़ैरा से या किसी ऐसी चीज़ से पाटा जो जिन्से अर्द से नहीं है और दूसरे शख़्स ने उसको निकाल कर खाली करदिया फिर दूसरे ने उसका मुँह खोल दिया फिर इसमें गिरकर कोई शख़्स हलाक होगया तो पहले वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.45 जि.6)

मसअ्ला.489:– किसी ने कुएं के क़रीब रास्ते पर पत्थर रखदिया और कोई शख़्स इस में फंसकर कुएं में गिर पड़ा तो पत्थर रखने वाला ज़ामिन होगा और अगर किसी ने पत्थर नहीं रखा था बल्कि सैलाब वग़ैरा से बहकर पत्थर वहाँ आगया था तो कुंवां खोदने वाला ज़ामिन होगा।(आलमगीरी स.45 जि.6)

मसअ्ला.490:– किसी शख़्स ने कुएं में पत्थर या लोहा डाल दिया फिर इस में कोई गिर पड़ा और पत्थर या लोहे से टकराकर मर गया तो कुवाँ खोदने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.5 जि.6)

मसअ्ला.491:– रास्ते में किसी ने कुंवां खोदा इस के क़रीब किसी ने पानी छिड़क दिया जिससे फिसलकर कोई शख़्स कुएं में गिर पड़ा तो पानी छिड़कने वाला ज़ामिन होगा और अगर पानी छिड़कने वाला कोई नहीं था बल्कि बारिश से फिसलन होगई थी तो कुंवां खोदने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.45 जि.6)

मसअ्ला.492:– किसी शख़्स ने किसी को कुएं में ढकेल दिया तो ढकेलने वाला ज़ामिन होगा कुंवां उसकी मिल्क हो या न हो। (आलमगीरी स.45 जि.8 बहरुर्राइक स.348 जि.8)

मसअ्ला.493:– किसी ने रास्ते में कुंवां खोदा। इस में गिरकर कोई हलाक होगया। कुंवां खोदने वाला कहता है कि इसने खुदकुशी की है इस लिये कुछ ज़मान नहीं है और मक़्तूल के वुरसा कहते हैं कि इसने खुदकुशी नहीं की है बल्कि इत्तिफ़ाक़िया कुएं में गिर पड़ा है तो कुंवां खोदने वाले का क़ौल मोअ्तबर है और इस पर कोई ज़मान नहीं। (आलमगीरी स.45 जि.6, बहरुर्राइक स.348 जि.8)

मसअ्ला.494:– किसी ने रास्ते में कुवाँ खोदा उस में कोई आदमी गिरगया मगर चोट नहीं आई फिर कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि कुछ ऊपर को चढ़ने के बाद गिरकर मरगया तो कुंवा खोदने वाले पर कोई ज़मान नहीं। और अगर कुएं की तह में चला गया फिर और

किसी पत्थर से टकराकर हलाक होगया तो अगर वह पत्थर ज़मीन में खिलक़तन (क़ुदरती तौर पर) गढ़ा हुआ है तो कुंआं खोदने वाला ज़ामिन नहीं है और अगर कुआँ खोदने वाले ने यह पत्थर कुएं में रखा था या अस्ल जगह से उखेड़ कर दूसरी जगह पर रखदिया था तो कुंवा खोदने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.46 जि6)

मसअ्ला.495:– किसी ने दूसरे शख़्स के मकान से मुल्हिक़ जगह (मिली हुई जगह) पर कुंवाँ खोदने के लिये किसी को मज़दूर रखा और मज़दूर खुद यह जानता था कि यह जगह मुस्ताजिर की नहीं है या मुस्ताजिर ने मज़दूर को बता दिया था तो मज़दूर ज़ामिन होगा अगर इस कुएँ में कोई गिरकर मरगया और अगर मज़दूर को नहीं बताया गया और वह खुद भी नहीं जानता था कि यह जगह मुस्ताजिर की नहीं है तो मुस्ताजिर ज़ामिन होगया। और अगर मुस्ताजिर ने अपने इहाता मुल्हिक़ा अपनी ज़मीन में कुंवां खोदने पर मज़दूर रखा और उसको यह बताया कि इस जगह कुंवां खोदने का मुझे हक़ हासिल है। फिर इस कुऐ में कोई शख़्स अगर गिरकर हलाक होगया तो मुस्ताजिर ज़ामिन होगा और अगर मुस्ताजिर ने यह कहा था कि यह जगह मेरी है मगर कुंवां खोदने का हक़ नहीं तो भी मुस्ताजिर ही ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.46 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.524 जि.5)

मसअ्ला.496:– चार आदमियों को किसी ने कुंवाँ खोदने के लिये मज़दूरी पर रखा वह कुंवाँ खोद रहे थे कि उन पर कुछ हिस्सा गिर पड़ा जिस से एक मज़दूर हलाक होगया तो बाक़ी तीन मज़दूर चौथाई, चौथाई दियत के ज़ामिन होंगे और एक चौथाई हिस्सा साक़ित होजायेगा और अगर एक ही मज़दूर कुंवाँ खोद रहा था उस पर कुंवाँ गिर पड़ा और वह मज़दूर मरगया तो इसका कोई ज़मान नही(आलमगीरी स.64 जि.6)

मसअ्ला.497:– किसी शख़्स ने अपनी ज़मीन में नहर खोदी जिस में गिरकर कोई इन्सान या जानवर हलाक होगया तो यह शख़्स ज़ामिन नहीं होगा और अगर पराई ज़मीन में नहर खोदी थी तो यह ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.47 जि.6)

मसअ्ला.498:– किसी ने अपनी ज़मीन में नहर या कुंवां खोदा जिससे पड़ोसी की ज़मीन सीमज़दा (नाक़ाबिले काश्त) होगई तो यह देखा जायेगा कुंवाँ खोदने वाले की अपनी ज़मीन आदतन जितना पानी बरदाश्त कर सकती थी उतना पानी उसने दिया है या उस से ज़्यादा अगर ज़्यादा दिया है तो ज़ामिन होगा। और अगर आदतन उतना पानी बरदाश्त कर सकती थी तो यह ज़ामिन नहीं होगा। और उस को कुऐं की जगह तब्दील करने का हुक्म नहीं दिया जायेगा। (आलमगीरी स.47 जि.6)

मसअ्ला.499:– अगर किसी ने अपनी ज़मीन में पानी दिया और वह उसकी ज़मीन से बहकर दूसरे की ज़मीन में पहुँच गया और उसकी किसी चीज़ को नुक़सान पहुँचाया और वह पानी देते वक़्त यह जानता था कि यह पानी बहकर दूसरे की ज़मीन में चला जायेगा तो यह ज़ामिन होगा वरना नही(आलमगीरी)

मसअ्ला.500:– रास्ते पर कुंवाँ बना हुआ था उस में कोई आदमी गिरकर मरगया एक शख़्स यह इक़रार करता है कि मैंने यह कुंवाँ खोदा है तो उसके इस इक़रार की वजह से उसके माल में से तीन साल में दियत दी जायेगी इस के आक़िला पर नहीं होगी। (आलमगीरी स.46 जि.6)

मसअ्ला.501:– किसी ने दूसरे की ज़मीन में कुंवाँ खोदा उसमें गिरकर कोई शख़्स हलाक होगया ज़मीन का मालिक कहता है कि मैंने इस को कुंवां खोदने का हुक्म दिया था मगर मक़तूल के वुरसा कहते हैं कि उसने हुक्म नहीं दिया था तो ज़मीन के मालिक की बात मानली जायेगी और किसी पर ज़मान लाज़िम नहीं होगा। (मब्सूत स.23 जि.27)

मसअ्ला.502:– किसी ने अपनी मिल्क में कुंवाँ खोदा उसमें कोई आदमी या जानवर गिरा उसके बाद दूसरा शख़्स गिरा इसके गिरने से वह आदमी या जानवर हलाक होगया तो ऊपर गिरने वाला हलाकत का ज़ामिन होगा और अगर कुंवाँ रास्ते में इमाम की इजाज़त के बिग़ैर खोदा गया था तो कुंवाँ खोदने वाला दोनों के नुक़सान का ज़ामिन होगा(आलमगीरी स.46 जि.6 खानिया अलल्हिन्दिया स.361 जि.3)

मसअ्ला.503:– किसी ने दूसरे के घर में उस की इजाज़त के बिग़ैर गड्ढा खोदा उस में किसी

का गधा गिरकर मरगया तो खोदने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.46 जि.6)
मसअ्ला.504:– किसी ने रास्ते में कुवां खोदा उस में कोई शख़्स गिर गया और उसका हाथ कट
गया फिर कुएँ से निकला तो दो शख़्सों ने उसका सर फाड़ दिया जिस से वह बीमार होकर पड़ा
रहा फिर मर गया तो इसकी दियत तीनों पर तक़सीम होजायेगी। (आलमगीरी स.46 जि.6)
मसअ्ला.504:– किसी ने कुवाँ खोदने के लिये किसी को मज़दूर रखा मज़दूर ने कुवाँ खोदा इस
के बाद कोई आदमी इस में गिरकर हलाक होगया यह कुवाँ अगर मुसलमानों के ऐसे आम रास्ते पर
खोदा गया था जिसको हर शख़्स आ़म रास्ता ख़्याल करता था तो मज़दूर ज़ामिन होगा मुस्ताजिर
ने उसको यह बताया हो कि यह आम रास्ता है या न बताया हो इसी त़रह ग़ैर मअ़रुफ़ रास्ते पर
अगर कुवाँ खोदा गया और मुस्ताजिर ने मज़दूर को यह बता दिया था कि यह आ़म मुसलमानों का
रास्ता है तो भी मज़दूर ज़ामिन होगा। और अगर मज़दूर को यह नहीं बताया था कि यह आम
रास्ता मुसलमानों का रास्ता है तो भी मज़दूर ज़ामिन होगा। और अगर मज़दूर को यह नहीं बताया
था कि यह आ़म रास्ता मुसलमानों का है तो मुस्ताजिर ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.46 जि.6)
मसअ्ला.506:– किसी ने अपनी ज़मीन में पानी दिया वह पड़ोसी की ज़मीन में पहुँच गया तो अगर
पानी दिया ही इस त़रह पर है कि पानी उसकी ज़मीन में ठहरने के बजाय पड़ोसी की ज़मीन में
जमा होजाये तो ज़ामिन होगा। और अगर उसकी अपनी ज़मीन में ठैरने के बाद फ़ाल्तू पानी पड़ोसी
की ज़मीन में चलागया और पड़ोसी ने पानी देने से पहले उससे यह कहा था कि तुम अपना बन्द
मज़बूत बनाओ और उसने इसके कहने पर अ़मल नहीं किया तो ज़ामिन होगा और अगर पड़ोसी ने
यह मुत़ालबा नहीं किया था तो ज़ामिन नहीं होगा। हाँ अगर उसकी ज़मीन बलन्द थी और पड़ोसी
की ज़मीन नीची और यह जानता था कि अपनी ज़मीन में पानी देने से पड़ोसी की ज़मीन में पानी
चला जायेगा तो ज़ामिन होगा और उसको यह हुक्म दिया जायेगा कि मेंढ़ें बाँधकर पानी दे(आलमगीरी)
मसअ्ला.507:– किसी ने अपनी ज़मीन में पानी दिया और उसकी अपनी ज़मीन में चूहों वग़ैरा के
बिल थे और यह उनको जानता था और उनको बन्द नहीं किया था। उन सूराख़ों की वजह से
पानी पड़ोसी की ज़मीन में चलागया और उसका कुछ नुक़सान हुआ तो यह ज़ामिन होगा और अगर
उसको सूराख़ों का इल्म न था तो ज़ामिन नहीं होगा।(आलमगीरी स.47 जि.6 क़ाजीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.461 जि.3)
मसअ्ला.508:– किसी ने आम नहर से अपनी ज़मीन को सैराब किया और इस नहर से छोटी
छोटी नालियाँ निकलकर दूसरों की ज़मीन पर जा रही थीं। उन नालियों के दहाने खुले हुए थे।
इस के पानी देने की वजह से उन नालियों में पानी चला गया तो दूसरों की ज़मीन के नुक़सान का
यह ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.47 जि.6 क़ाजीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.461 जि.3)

जनायाते बहाइम का बयान

जानवरों से नुक़सान का बयान

मसअ्ला.509:– बहाइम की जनायतों की तीन सूरतें हैं :
1.जिस जगह पर जनायत वाक़ेअ़ हुई वह जगह जानवर के मालिक की मिल्कियत है।
2.किसी दूसरे शख़्स की मिल्कियत है।
3.वह जगह शाहराहे आ़म है।

पहली सूरत में अगर जानवर का मालिक जानवर के साथ न हो तो वह किसी नुक़सान का ज़ामिन न होगा ख़्वाह जानवर खड़ा हो या चल रहा हो और हाथ पैर से किसी को कुचलदे या दुम या पैर से किसी को नुक़सान पहुँचाये या काटले और अगर जानवर का मालिक उसकी रस्सी पकड़कर आगे आगे चल रहा था या पीछे से हांक रहा था जब भी मज़कूरा बाला सूरत में ज़ामिन नहीं है। (आलमगीरी स.50 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.530 जि.5)
मसअ्ला.510:– अगर जानवर का मालिक अपनी मिल्क में सवार होकर चला रहा था और जानवर

ने किसी को कुचल कर हलाक कर डाला मालिक के आक़िला पर दियत है और मालिक पर कफ़्फ़ारा है और विरासत से भी मालिक महरूम होगा।(आलमगीरी स.50 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.530 जि.5)

मसअ्ला.511:– अगर मालिक अपनी मिल्क में सवार होकर चला रहा था और जानवर ने किसी को काट लिया या लात मारी या दुम मारदी तो मालिक पर ज़मान नहीं है।(आलमगीरी स.50 जि.6)

मसअ्ला.512:– दूसरी सूरत यानी अगर जनायत किसी दूसरे शख़्स की ज़मीन में हुई और यह जानवर मालिक के दाख़िल किये बिग़ैर रस्सी तुड़ाकर उसकी ज़मीन में दाख़िल होगया तो मालिक ज़ामिन नहीं होगा। और अगर मालिक ने खुद ग़ैर की ज़मीन में जानवर को दाख़िल किया था तो हर सूरत में मालिक ज़ामिन होगा। ख़्वाह जानवर खड़ा हो या चल रहा हो। मालिक उस पर सवार हो या सवार न हो। रस्सी पकड़कर चला रहा हो या पीछे से हांक रहा हो यह हुक्म उस सूरत में है कि मालिक ज़मीन की इजाज़त के बिग़ैर जानवर के मालिक ने उस ज़मीन में जानवर को दाख़िल किया हो और अगर साहिबे ज़मीन की इजाज़त से जानवर को दाख़िल किया था तो इस का हुक्म वही है जो अपनी ज़मीन का है। (आलमगीरी स.50 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.530 जि.5)

मसअ्ला.513:– जानवर के मालिक ने शारेअ़ आम पर जानवर को खड़ा कर दिया था और उस ने उसी जगह कोई नुक़सान कर दिया तो सब सूरतों में नुक़सान का ज़ामिन होगा मगर पेशाब या लीद करने के लिये खड़ा किया था तो ज़ामिन नहीं। (आलमगीरी स.57 जि.6, बहरूर्राइक स.357 जि.8)

मसअ्ला.514:– मालिक ने जानवर को रास्ते पर छोड़दिया और मालिक उसके साथ नहीं है तो जब तक वह जानवर सीधा चलता रहा और किसी तरफ़ मुड़ा नहीं तो मालिक नुक़सान का ज़ामिन होगा और अगर दाहिने बायें मुड़गया और रास्ता भी सिर्फ़ इसी जानिब था तब भी मालिक ज़ामिन होगा और अगर दोराहे से किसी तरफ़ मुड़ा और इस के बाद जनायात वाक़ेअ़ हुई तो मालिक ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.57 जि.6, बहरूर्राक स.362 जि.8)

मसअ्ला.515:– मालिक ने जानवर को शारेअ़ आम पर छोड़ दिया जानवर आगे जाकर कुछ देर रुका और फिर चल पड़ा तो ठहरने के बाद जब चला और उस से कोई जनायत सरज़द हुई तो मालिक नुक़सान का ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.50 जि.6 बहरूर्राक स.362 जि.8)

मसअ्ला.516:– मालिक ने रास्ते पर जानवर छोड दिया और किसी शख़्स ने इस जानवर को लौटाने की कोशिश की मगर जानवर न लौटा और उसी तरफ़ चलता रहा जिस तरफ़ मालिक ने चलाकर छोड़ दिया था फिर उससे जनायत सरज़द हुई तो इस नुक़सान का ज़ामिन जानवर का मालिक होगा और अगर रोकने वाले के रोकने से जानवर कुछ देर ठहर कर फिर चला और उस से कोई नुक़सान हुआ तो कोई ज़ामिन नहीं होगा और अगर रोकने वाले के रोकने से पलटा मगर ठहरा नहीं तो नुक़सान का ज़ामिन लौटाने वाला होगा। (आलमगीरी स.50 जि.6)

मसअ्ला.517:– जानवर खुद रस्सी तुड़ाकर शारेअ़ आम पर दौड़ने लगा तो इस के किसी नुक़सान का ज़ामिन मालिक नहीं होगा। (आलमगीरी स.50 जि.6, बहरूर्राइक स.362 जि.8)

मसअ्ला.518:– शारेअ़ आम पर चलने वाला सवार अपनी सवारी से होने वाले नुक़सान का ज़ामिन होगा। सिवाए उस नुक़सान के जो लात मारने या दुम मारने से हो। रस्सी पकड़कर आगे चलने वाले का भी यही हुक्म है हाँ कुचल देने की सूरत में राकिब पर कफ़्फ़ारा और हिरमाने मीरास (विरासत से महरूमी) भी है लेकिन क़ाइद (आगे से जानवर को चलाने वाला) पर नहीं है।(आलमगीरी स.50 जि.6)

मसअ्ला.519:– किसी जानवर पर दो आदमी सवार हैं एक रस्सी पकड़कर आगे से खींच रहा है और एक पीछे से हांक रहा है और उस जानवर ने किसी को कुचल कर हलाक करदिया तो चारों पर दियत बराबर तक़सीम होगी और दोनों सवारों पर कफ़्फ़ारा भी है। (आलमगीरी ब'हवाला मुहीत स.50 जि.6)

मसअ्ला.520:– जानवर ने शारेअ़ आम पर चलते हुए गोबर या पेशाब कर दिया इस से फिसलकर कोई आदमी हलाक होगया तो कोई ज़मान नहीं है खड़े हुए अगर गोबर या पेशाब किया तब भी

यही हुक्म है बशर्ते कि जानवर पेशाब या लीद के लिये खड़ा किया था और अगर किसी दूसरे काम से खड़ा किया था और इस ने पेशाब या लीद करदी तो इस के नुक़सान का ज़ामिन होगा(आलमगीरी)

मसअ्ला.521:– जानवर के चलने से कोई कंकरी या गुठ्ली या गर्द व गुबार उड़कर किसी की आँख में लगा कीचड़ वग़ैरा ने किसी के कपड़े ख़राब कर दिये तो उसका ज़ामिन नहीं है और अगर बड़ा पत्थर उछल कर किसी के लगा तो नुक़सान का ज़ामिन होगा यह हुक्म सवार और क़ाइद व साइक़ (यानी हांकने वाला) सब के लिये है। (आलमगीरी स.50 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.530 जि.5)

मसअ्ला.522:– किसी शख़्स ने रास्ते में पत्थर वग़ैरा कोई चीज़ रखदी थी या पानी छिड़क दिया था कोई सवार उधर से गुज़रा उसके जानवर ने ठोकर खाई या फिसल गया और किसी आदमी पर गिर पड़ा जिस से वह शख़्स मरगया तो अगर सवार ने दीदा दानिस्ता वहाँ से अपने जानवर को गुज़ारा तो सवार ज़ामिन होगा और अगर सवार को उन बातों का इल्म न था तो पानी छिड़कने वाला या पत्थर रखने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.50 जि.6 बहरूर्राक स.359 जि.8, बदाइअ़ व सनाइअ़ स.272 जि.7)

मसअ्ला.523:– अगर किसी शख़्स ने मस्जिद के दरवाज़े पर अपना जानवर खड़ा कर दिया था। उस ने किसी को लात मारदी तो खड़ा करने वाला ज़ामिन है और अगर मस्जिद के दरवाज़े के क़रीब जानवर के बाँधने की कोई जगह मुक़र्रर है उस जगह किसी ने अपना जानवर बाँध दिया या खड़ा कर दिया था तो इस के किसी नुक़सान का ज़मान नहीं है लेकिन अगर उस जगह कोई शख़्स अपने जानवर को सवार होकर या हांक कर या आगे से खींचकर चला रहा था तो चलाने वाला नुक़सान का ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.50 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.530 जि.5)

मसअ्ला.524:– नख़्ख़ासा (जानवरों की मण्डी) में किसी ने अपने जानवर को खड़ा किया उसने किसी को कोई नुक़सान पहुँचाया तो मालिक ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.51 जि.6, बहरूर्राइक स.357 जि.8)

मसअ्ला.525:– किसी ने मैदान में अपना जानवर खड़ा किया तो इस के नुक़सान का ज़ामिन खड़ा करने वाला नहीं होगा लेकिन मैदान में लोगों के चलने से जो रास्ता बन जाता है उस पर अगर खड़ा किया तो ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.50 जि.6, शामी स.530 जि.5, बदाइअ़ व सनाइअ़ स.272 जि.7)

मसअ्ला.526:– शारेअ़ आम पर अगर किसी ने अपना जानवर बिग़ैर बांधे खड़ा कर दिया जानवर ने वहाँ से हटकर कोई नुक़सान कर दिया तो ज़ामिन नहीं है। (आलमगीरी स.51 जि.6)

मसअ्ला.527:– किसी ने आम रास्ते में जानवर बान्ध दिया अगर उसने रस्सी तुड़ाकर अपनी जगह से हटकर कोई नुक़सान पहुँचाया तो ज़मान नहीं है और अगर रस्सी नहीं तुड़ाई और कोई नुक़सान किया तो ज़मान है। (आलमगीरी स.51 जि.6)

मसअ्ला.528:– जानवर ने सवार से सरकशी की और सवार ने उसे मारा या लगाम खींची और जानवर ने पैर या दुम से किसी को मारा तो सवार पर ज़मान नहीं है इसी तरह अगर सवार गिर पड़ा और जानवर भागगया और रास्ते में किसी को मारडाला तब भी सवार पर कुछ नहीं है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.529:– किसी ने किराये पर गधा लिया और उसको अहले मज्लिस के क़रीब रास्ते पर खड़ा कर दिया और अहले मज्लिस से सलाम, कलाम किया फिर उसको चलाने के लिये मारा या कोई चीज़ उसकी छूदी या उसको हांका और उस गधे ने किसी को लात मारदी तो सवार ज़ामिन होगा। (आलमगीरी)

मसअ्ला.530:– सवार अपनी सवारी पर जा रहा था किसी ने सवारी को कोई चीज़ चुभोदी उसने सवार को गिरा दिया तो अगर यह चुभोना सवार की इजाज़त से था तो चुभोने वाला किसी नुक़सान का ज़ामिन नहीं है और अगर बिग़ैर इजाज़ते सवार कोई चीज़ चुभोदी तो चुभोने वाला ज़ामिन होगा। और अगर सवारी ने चुभोने वाले को हलाक कर दिया तो उसका ख़ून रायगाँ जायेगा। (आलमगीरी स.51 जि.6, क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.456 जि.3, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.534 जि.5)

मसअ्ला.531:– सवारी को सवार की इजाज़त के बिग़ैर किसी ने मारा या कोई चीज़ चुभोदी जिस की वजह से सवारी ने हाथ या पैर या जिस्म के किसी हिस्से से किसी शख़्स को फ़ौरन कुचल कर

हलाक कर दिया तो चुभोने और मारने वाला ज़ामिन होगा सवार ज़ामिन नहीं होगा और सवार की इजाज़त से ऐसा किया और सवारी ने फौरन किसी को कुचल कर हलाक कर दिया तो सवार और चुभोने वाले दोनों के आकिला पर दियत लाज़िम है और अगर सवारी ने किसी को लात या दुम मारदी तो इस का ज़मान नहीं है। (आलमगीरी स.51 जि.6, दुर्रेमुख्तार व शामी स.534 जि.5)

मसअ्ला.532:– सवार किसी गैर की मिल्क में अपनी सवारी को रोके खड़ा था उसने किसी शख़्स को हुक्म दिया कि उसको कोई चीज़ चुभोदे। उसने चुभोदी और उसकी वजह से सवारी ने किसी को लात मारदी तो दोनों ज़ामिन होंगे और अगर बिगैर इजाज़ते सवार ऐसा किया था तो चुभोने वाला ज़ामिन होगा मगर इस सूरत में कफ्फ़ारा लाज़िम नहीं होगा(आलमगीरी अज़ मुहीत स.51 जि.6 बहरुर्राइक)

मसअ्ला.533:– कोई शख़्स जानवर को रस्सी पकड़कर खींच रहा था या पीछे से हांक रहा था कि किसी ने जानवर के कोई चीज चुभोदी और इस की वजह से जानवर ने बिदक कर चलाने वाले के हाथ से रस्सी छुड़ाली और भाग पड़ा और फौरन किसी का कुछ नुकसान कर दिया तो चुभोने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.51 जि.6 शामी स.535 जि.5 काज़ीखाँ अलल्हिन्दिया स.456 जि.3)

मसअ्ला.534:– किसी जानवर को एक आदमी आगे से खींच रहा था और दूसरा पीछे से चला रहा था उन दोनों की इजाज़त के बिगैर किसी और ने जानवर को कोई चीज़ चुभोदी जिसकी वजह से जानवर ने किसी आदमी के लात मारदी तो चुभोने वाला ज़ामिन होगा और अगर किसी एक की इजाज़त से ऐसा किया था तो किसी पर ज़मान नहीं है।(आलमगीरी स.51 जि.6 काज़ीखाँ अलल्हिन्दिया स.456 जि.3)

मसअ्ला.535:– रास्ते में किसी शख़्स ने कोई चीज़ नस्ब करदी थी किसी का जानवर वहाँ से गुज़रा और उस चीज़ के चुभने की वजह से किसी को लात मारकर हलाक कर दिया तो नस्ब करने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.52 जि.5 शामी स.535 जि.5 हिदाया स.617 जि.4)

मसअ्ला.536:– किसी सवार ने अपनी सवारी को रास्ते में रोक रखा था फिर उसके हुक्म से किसी ने सवारी को कोई चीज़ चुभोदी जिस की वजह से सवारी ने उसी जगह किसी को हलाक कर दिया तो दोनों ज़ामिन होंगे। और अगर सवार को गिराकर हलाक कर दिया तो उसका ख़ून रायगाँ (बेकार) जायेगा और अगर इस चुभोने की वजह से अपनी जगह से हटकर किसी को हलाक कर दिया तो सिर्फ़ चुभोने वाला ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.52 जि.6, शामी स.535 जि.5, बहरुर्राइक स.358 जि.8)

मसअ्ला.537:– कोई सवार अपनी सवारी को रास्ते पर रोके खड़ा था फिर उसके हुक्म से किसी ने उसको कोई चीज़ चुभोदी जिसकी वजह से सवारी ने उसी जगह पर चुभोने वाले को और एक दूसरे शख़्स को हलाक करदिया तो अजनबी की दियत सवार और चुभोने वाले दोनों पर वाजिबुल अदा होगी और चुभोने वाले की आधी दियत सवार पर है। (आलमगीरी स.52 जि.6 शामी स.535 जि.5)

मसअ्ला.538:– किसी सवार की सवारी रुक कर रास्ते में खड़ी होगई सवार ने या किसी दूसरे शख़्स ने उसको चलाने के लिये कोई चीज़ चुभोई और इसकी वजह से सवारी ने किसी के लात मारदी तो कोई ज़ामिन नहीं है। (आलमगीरी स.52 जि.6, शामी स.535 जि.5, बहरुर्राइक स.358 जि8)

मसअ्ला.539:– किसी सवार ने अपनी सवारी को रास्ते पर रोक रखा था, एक दूसरा शख़्स भी उस पर सवार होगया, इसकी वजह से किसी को जानवर ने लात मारदी और हलाक कर दिया तो दोनों निस्फ़ निस्फ़ दियत के ज़ामिन होंगे। (आलमगीरी स.52 जि.6)

मसअ्ला.540:– किसी ने दूसरे के जानवर को रास्ते पर बान्ध दिया और खुद ग़ायब होगया जानवर के मालिक ने किसी को हुक्म दिया कि इसको कोई चीज़ चुभोदे और उसने चुभोदी जिसकी वजह से जानवर ने हुक्म देने वाले को या और किसी अजनबी को लात मारकर हलाक कर दिया तो इस की दियत चुभोने वाले पर है और अगर जानवर को खड़ा करने वाले ही ने चुभोने का हुक्म दिया था और जानवर ने किसी को मार दिया तो चुभोने वाले और हुक्म देने वाले दोनों पर निस्फ़–निस्फ़ दियत है। (आलमगीरी स.52 जि.6, बहरुर्राइक स.358 जि.8)

मसअ्ला.541:– किसी शख़्स ने रास्ते पर पत्थर रख दिया था इस से बिदक कर जानवर जो नुक़सान करेगा इसके अहकाम वही हैं जो चुभोने वाले के हैं यानी पत्थर रखने वाला चुभोने वाले के हुक्म में है। (आलमगीरी स.52 जि.6, मब्सूत स.4 जि.27)

मसअ्ला.542:– किसी ने अपना गधा छोड़ दिया, उसने किसी की खेती को नुक़सान पहुँचाया तो अगर मालिक ने उसको खुद खेत में लेजाकर छोड़ा है तो मालिक ज़ामिन होगा और अगर मालिक साथ नहीं गया लेकिन गधा खोलने के फ़ौरन बाद सीधा चला गया दाहिने बायें मुड़ा नहीं या मुडा तो सिर्फ़ इस वजह से कि रास्ता सिर्फ़ उसी तरफ़ मुड़ता था तब भी मालिक ज़ामिन होगा और अगर खोलने के बाद खड़ा रहा फिर खेत में गया या अपनी मर्ज़ी से किसी तरफ़ मुड़कर खेत में चला गया तो मालिक नुक़सान का ज़ामिन नहीं है। (आलमगीरी स.52 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.537 जि.5)

मसअ्ला.543:– अगर किसी ने जानवर को आबादी से बाहर कर के अपने खेत की तरफ़ हांक दिया रास्ते में उस जानवर ने किसी दूसरे की ज़राअत को नुक़सान पहुँचाया तो अगर रास्ता सिर्फ़ यही था तो ज़ामिन होगा और अगर चन्द रास्ते थे तो ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.52 जि.6)

मसअ्ला.544:–बाड़े से निकलकर जानवर खुद बाहर चलागया या मालिक ने चरागाह में छोड़ा था मगर वह किसी और के खेत में घुसगया और कोई नुक़सान करदिया तो मालिक ज़ामिन नहीं होगा(आलमगीरी स.52 जि.6)

मसअ्ला.545:– पाल्तू बिल्ली और कुत्ता अगर किसी के माल का नुक़सान करदें तो मालिक ज़ामिन नहीं है शिकारी परिन्दे का भी हुक्म यही है अगर्चे छोड़ने के फ़ौरन बाद कोई नुक़सान करदे। (दुर्रेमुख़्तार)

मसअ्ला.546:– **(अ)**अगर किसी शख़्स ने अपना कुत्ता किसी बकरी पर छोड़ दिया मगर कुत्ता कुछ देर ठहरकर उसपर हमला आवर हुआ और बकरी को हलाक कर दिया तो ज़मान नहीं है अगर छोड़ने के फ़ौरन बाद हमला किया तो ज़ामिन होगा।(आलमगीरी स.52 जि.6, क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.455 जि.3)

मसअ्ला.547:– **(ब)**अगर किसी आदमी पर कुत्ते को छोड़ दिया और उसने फ़ौरन उसको क़त्ल करदिया या उसके कपड़े फाड़दिये या काट खाया तो छोड़ने वाला ज़ामिन होगा।(आलमगीरी स.52 जि.6)

मसअ्ला.548:– किसी का कटखना कुत्ता है और गुज़रने वालों को ईज़ा देता है तो अहले महल्ला को हक़ है कि उसको मारदें और अगर मालिक को तम्बीह करने के बाद उस कुत्ते ने किसी का कुछ नुक़सान किया तो मालिक ज़ामिन होगा वरना नहीं।(आलमगीरी स.52 जि.6 बहरुर्राइक़ स.363 जि.8)

मसअ्ला.549:– किसी ने कुत्ता जानवर पर छोड़ा और मालिक साथ न गया कुत्ते ने किसी इन्सान को हलाक कर दिया तो मालिक ज़ामिन नहीं होगा(आलमगीरी स.52 जि.6, काजी खाँ अलल्हिन्दिया स.455 जि.3)

मसअ्ला.550:– किसी ने अपने मस्त ऊँट को दूसरे के घर में बिग़ैर इजाज़त दाख़िल कर दिया और इस घर में दूसरा ऊँट भी था जिसको मस्त ऊँट ने मार डाला तो ज़ामिन होगा और अगर साहिबे खाना की इजाज़त से दाख़िल किया था तो ज़मान नहीं है।(आलमगीरी स.52 जि6, शामी स.537 जि.5)

मसअ्ला.551:– ऊँटों की क़तार को आगे से चलाने वाला पूरी क़तार के नुक़सान का ज़ामिन होगा ख़्वाह कितनी ही बड़ी क़तार हो जब कि पीछे से कोई हांकने वाला न हो और अगर पीछे से हांकने वाला भी हो तो दोनों ज़ामिन होंगे और अगर क़तार के दरम्यान में तीसरा हांकने वाला भी है जो क़तार के बराबर बराबर चल कर हांक रहा है और किसी की नकेल को पकड़े हुए नहीं है तो तीनों ज़ामिन होंगे। (आलमगीरी स.52 जि6, क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.456 जि.3)

मसअ्ला.552:– अगर एक आदमी नकेल पकड़कर क़तार के आगे चल रहा है और दूसरा क़तार के दरम्यान में किसी ऊँट की नकेल पकड़कर चल रहा है तो दरम्यान वाले पीछे के ऊँटों के नुक़सान का ज़मान सिर्फ़ दरम्यान वाले पर है और दरम्यान वाले से आगे के ऊंटों के नुक़सान का ज़मान दोनों पर है और अगर यह दोनों जगह बदलते रहते हैं यानी कभी दरम्यान वाला आगे और आगे वाला दरम्यान में आजाते हैं तो हर सूरत में नुक़सान का ज़मान दोनों पर होगा(आलमगीरी स.53 जि6)

मसअला.553:– एक शख़्स क़तार के आगे आगे नकेल पकड़कर चल रहा है और दूसरा क़तार के दरम्यान में नकेल पकड़कर अपने पीछे वाले ऊँटों को चला रहा है मगर अपने आगे वालों को हांक नहीं रहा है तो दरम्यान वाला पिछले ऊँटों के नुक़सान का ज़ामिन है और उस से आगे के ऊंटों के नुक़सान का ज़ामिन अगले नकेल पकड़ने वाले पर है। (आलमगीरी स.53 जि.6, बहरुर्राइक़ स.359 जि.8)

मसअला.554:– क़तार के दरम्यान में किसी ऊँट पर कोई शख़्स सवार था लेकिन किसी को हांक नहीं रहा था तो अपने से अगले ऊँटों के ज़मान में शरीक नहीं होगा। लेकिन अपनी सवारी और अपने से पीछे ऊँटों के नुक़सान में शरीक होगा जब कि पिछले ऊँट की नकेल उसके हाथ में हो। और अगर यह अपने ऊँट पर सो रहा था या सिर्फ़ बैठा हुआ था और न किसी ऊँट को हांक रहा था न खींच रहा था तो अपने से पिछले ऊँटों के नुक़सान का भी ज़ामिन नहीं होगा। सिर्फ़ अपनी सवारी के ऊँट से होने वाले नुक़सान के ज़मान में शरीक होगा(आलमगीरी स.53 जि.6, बहरुर्राइक़ स.359 जि.8)

मसअला.555:– एक शख़्स क़तार के आगे नकेल पकड़कर चल रहा है और दूसरा पीछे से हांक रहा है और तीसरा आदमी दरम्यान में किसी ऊँट पर सवार है और सवार के ऊँट ने किसी इन्सान को हलाक करदिया तो तीनों ज़ामिन होंगे और इसी तरह राकिब (सवार) से पीछे के ऊँट ने अगर किसी को हलाक करदिया तो भी तीनों ज़ामिन होंगे और अगर सवार से आगे के किसी ऊँट ने किसी को हलाक करदिया तो सिर्फ़ हांकने वाले और आगे से चलाने वाले पर ज़मान है सवार पर नहीं(आलमगीरी स.53जि.6)

मसअला.556:– एक शख़्स ऊँटों की क़तार को आगे से चला रहा था या रोके खड़ा था कि किसी ने अपने ऊँट की नकेल को इस क़तार में इसकी इत्तिलाअ़ के बिग़ैर बान्ध दिया और इस ऊँट ने किसी शख़्स को हलाक कर दिया तो इस की दियत आगे से चलाने वाले की आक़िला पर होगी। और इस के आक़िला बान्धने वाले के आक़िला से वापस लेंगे और अगर आगे वाले को बान्धने का इल्म था तो बान्धने वाले के आक़िला से दियत वापस नहीं लेंगे।(आलमगीरी स.53 जि6, काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.456 जि.3)

मसअला.557:– किसी का जानवर दिन या रात में रस्सी तुड़ाकर भागा और किसी माल या जान का नुक़सान कर दिया तो जानवर का मालिक ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी अज हिदाया स.53 जि.6)

मसअला.558:– किसी ने रात के वक़्त अपने खेत में दो बैल पाये और यह गुमान किया कि अपने गाँव वालों के हैं और वह उनको पकड़कर अपने मवेशी ख़ाने में ले जाने लगा कि उनमें से एक भाग गया और दूसरे को उसने बान्ध दिया इस के बाद भागने वाले को तलाश किया मगर न मिला और हक़ीक़त यह दोनों बैल किसी दूसरे गाँव वाले के थे चुनाँचे बैलों के मालिक ने आकर अपने गुमशुदा बैल का ज़मान तलब किया तो अगर बैल पकड़ने वाले की नियत पकड़ते वक़्त लौटाने की न थी तो ज़ामिन होगा और अगर नियत यह थी कि मालिक जब आयेगा तो वापस करदूँगा लेकिन अपने इस इरादे पर उसको गवाह बनाने का मौक़ा नहीं मिला तो ज़ामिन नहीं होगा(बहरुर्राइक़ स.353 जि.8)

मसअला.559:– और अगर वह बैल इसी गाँव वाले के था और उसने सिर्फ़ अपनी खेती से उनको निकाल दिया और कुछ न किया तो बैल के गुम होजाने की सूरत में यह ज़ामिन नहीं होगा और अगर उसने खेत से निकाल कर किसी तरफ़ को हांक दिया था तो यह ज़ामिन होगा।(आलमगीरी स.53 जि6)

मसअला.560:– किसी ने अपनी खेती में किसी का जानवर पाया और उसको अपने खेत से निकाल दिया और किसी तरफ़ हांका नहीं। उस जानवर को किसी दरिन्दे ने फाड़खाया तो खेत वाला ज़ामिन नहीं है और अगर खेत से निकालकर किसी तरफ़ को हांक दिया था तो ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.54 जि6)

मसअला.561:– किसी ने अपने खेत में किसीं का जानवर पाया उसको हांकता हुआ ले चला ताकि मालिक के सिपुर्द करदे रास्ते में जानवर हलाक होगया या उसका पैर टूट गया तो यह ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ क़ाज़ी ख़ाँ स.54 जि.6)

मसअला.562:– किसी ने अपनी चरागाह में दूसरे के जानवर को देखा और उसको इतनी दूर तक हांका कि वह इसकी चरागाह से बाहर निकल जाये इस इस्ना में अगर जानवर हलाक होजाये या उसकी टांग टूट जाये तो यह ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी अज़ क़ाज़ी ख़ाँ स.54 जि.6)

मसअला.563:– कोई काश्तकार अपने खेत में रहता था उसने किसी चरवाह से बकरी मांगली ताकि रात में उसके पास रहे और उसका दूध दूह लिया करे। काश्तकार एक रात सो रहा था कि

उसकी बकरी ने पड़ोसी के खेत में जाकर नुक़सान करदिया तो कोई ज़ामिन नहीं होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.564:– किसी के जानवर ने खेत या बाग़ में घुसकर किसी का कुछ नुक़सान कर दिया खेत वाले ने पकड़कर जानवर को बान्ध दिया और जानवर हलाक होगया तो यह जानवर की क़ीमत का ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.54 जि.6)

मसअ्ला.565:– किसी ने अपना जानवर किसी दूसरे के घर में उसकी इजाज़त के बिग़ैर घुसेड दिया और घर वाला उसको बाहर निकाल रहा था कि जानवर हलाक होगया तो ज़ामिन नहीं होगा।(आलमगीरी)

मसअ्ला.566:– किसी ने दूसरे के मकान में उसकी इजाज़त के बिग़ैर कपड़ा रख दिया था मालिक मकान ने कपड़े वाले की अदम मौजूदगी में कपड़ा निकालकर बाहर फेंक दिया और कपड़ा ज़ाइअ् होगया तो यह कपड़े की क़ीमत का ज़ामिन होगा।(आलमगीरी स.54 जि.6)

मसअ्ला.567:– कोई शख़्स अपने गधे पर लकड़ी लादे जा रहा था और बचो, बचो कह रहा था उसके आगे एक शख़्स चल रहा था उसने इस की आवाज़ को नहीं सुना या सुना मगर इसको इतना मौक़ा न मिला कि किसी तरफ़ को बच जाये तो गधे पर लादी हुई लकड़ी से अगर उसका कपड़ा फट जाये तो गधे वाला ज़ामिन है और अगर बच सकता था और सुनने के बावजूद न बचा तो गधे वाला ज़ामिन नहीं है। (आलमगीरी स.54 जि.6, काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.457 जि.3, बहरुर्राइक स.357 जि.8)

मसअ्ला.568:– किसी ने दूसरे के हलाल या हराम जानवर का हाथ या पैर काट दिया तो काटने वाला जानवर की क़ीमत का ज़ामिन है और मालिक को यह हक़ नहीं है कि जानवर को अपने पास रखे और नुक़सान का ज़मान ले ले। (आलमगीरी स.54 जि.6)

मसअ्ला.569:– किसी ने रास्ते पर सांप डालदिया जिस जगह डाला था उसी जगह पर सांप ने किसी को डसलिया तो सांप डालने वाला ज़ामिन होगा और अगर उस जगह से हटकर डसा तो ज़ामिन नहीं होगा। (काजीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.455 जि.3, बदाइअ् सनाइअ् स.273 जि.7)

मसअ्ला.570:– रास्ते पर चलते हुए जानवर ने गोबर या पेशाब किया या मुँह से लुआब गिराया या उसका पसीना बहा और किसी को लग गया या किसी की कोई चीज़ गन्दी करदी तो जानवर का सवार ज़ामिन नहीं होगा। (काजीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.455 जि.3, बदाइअ् सनाइअ् स.272 जि.7)

मसअ्ला.571:– किसी ने शारेअ् आम पर लकड़ी, पत्थर, या लोहा वग़ैरा कोई चीज़ रखदी वहाँ से कोई शख़्स अपना जानवर हांकते हुए गुज़रा और उन चीज़ों से ठोकर खाकर जानवर हलाक होगया तो रखने वाला ज़ामिन होगा। (काजीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.457 जि.3)

मसअ्ला.572:– कोई शख़्स अपना जानवर हांक रहा था और जानवर की पीठ पर लदा हुआ सामान या चार'जामा या ज़ीन या लगाम किसी शख़्स पर गिर पड़ी जिससे वह हलाक होगया तो हांकने वाला ज़ामिन होगा। (शामी व दुर्रेमुख़्तार स.533 जि.5, काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.456 जि.3)

मसअ्ला.573:– अन्धे को हाथ पकड़कर कोई शख़्स चला रहा था और उस अन्धे ने किसी को कुचलकर हलाक कर दिया तो अन्धा ज़ामिन होगा चलाने वाला ज़ामिन नहीं होगा। (शामी स.535 जि.5)

मसअ्ला.574:– कोई शख़्स अपने गधे पर लकड़ियाँ लादकर लेजा रहा था और हटो, बचो नहीं कह रहा था। यह गधा राहगीरों के पास से गुज़रा और किसी का कपड़ा वग़ैरा फाड़ दिया तो गधे वाला ज़ामिन होगा। और अगर राहगीरों ने गधे को आते देखा था और बचने का मौक़ा भी मिला था मगर न बचे तो गधा वाला ज़ामिन न होगा। (शामी स.535 जि.5)

मसअ्ला.575:– एक शख़्स ने अपना गधा किसी सुतून से बान्ध दिया था फिर दूसरे आदमी ने भी अपना गधा वहीं बान्ध दिया पहले वाले गधे को दूसरे गधे ने काट खाया तो उन दोनों को अगर इस जगह बान्धने का हक़ हासिल था तो ज़मान नहीं है वरना दूसरे गधे वाला ज़ामिन होगा।

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.1:– दो आदमी रस्सा कशी कर रहे थे कि दरम्यान से रस्सी टूटगई और दोनों गुद्दी के बल गिरकर मरगये तो दोनों का ख़ून रायगाँ जायेगा अगर मुँह के बल गिरकर मरे तो हर एक की दियत दूसरे के आक़िला पर है और अगर एक मुँह के बल गिरकर मरा और दूसरा गुद्दी के बल गिरकर मरा तो गुद्दी के बल गिरने वाले का ख़ून रायगाँ जायेगा और मुँह के बल गिरने वाले की

दियत गुद्दी के बल गिरने वाले के आक़िला पर है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.523 जि.5, बहरुर्राइक स.360 जि.8)

मसअ्ला.2:— दो आदमी रस्सा कशी कर रहे थे कि किसी शख़्स ने दरम्यान से रस्सी काटदी और दोनों रस्साकश गुद्दी के बल गिरकर मर गये तो दोनों की दियत रस्सी काटने वाले के आक़िला पर है। (दुर्रेमुख़्तार स.523 जि.5, बहरुर्राइक स.360 जि.8)

मसअ्ला.3:— किसी शख़्स ने किसी के परिन्दे या बकरी या बिल्ली या कुत्ते की एक आँख फोड़दी तो आँख की वजह से क़ीमत के नुक़सान का ज़ामिन आँख फोड़ने वाला होगा। और अगर दोनों आँखें फौड़दीं तो जानवर देकर पूरी क़ीमत वसूल करले। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.535 जि.5)

मसअ्ला.4:— किसी के ऊँट, गाय, गधा, घोड़ा, ख़च्चर, भैंस यानी बार'बर्दारी सवारी और काश्तकारी के जानवर नर या मादा की एक आँख फोड़ने की सूरत में चौथाई क़ीमत का ज़ामिन आँख फोड़ने वाला होगा और दोनों आँखों को फोड़ने की सूरत में मालिक को इख़्तियार है कि चाहे तो जानवर आँख फोड़ने वाले को देकर पूरी क़ीमत वसूल करे और चाहे तो दोनों आँखों के ज़ाइअ् होने की वजह से क़ीमत में जो नुक़सान आया है वह वसूल करले और जानवर अपने पास रखे। (दुर्रेमुख़)

मसअ्ला.5:— दो सवार या पैदल चलने वाले आपस में टकराकर मरगये अगर यह हादसा ख़ताअ्न हुआ था तो हर एक के आक़िला पर दूसरे की दियत है। (हिदाया फ़त्हुलक़दीर स. 348 जि.8, बहरुर्राइक स.359 जि.8)

मसअ्ला.6:— किसी शख़्स ने अपनी मिल्क में शहद की मक्खियों का छत्ता लगाया उन मक्खियों ने दूसरे लोगों के अंगूर या दूसरे फल खालिये तो छत्ता वाला उसका ज़ामिन नहीं होगा और छत्ता वाले को इसपर मजबूर भी नहीं किया जायेगा कि वह छत्ता को वहाँ से हटादे (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.537 जि.8)

मसअ्ला.7:— किसी शख़्स ने दूसरे की मिल्क में लम्बी रस्सी से अपने जानवर को बाँध दिया था जानवर ने बन्धे बन्धे कूद फान्दकर किसी का कुछ नुक़सान कर दिया तो बान्धने वाला ज़ामिन होगा। (बहरुर्राइक स.357 जि.8, बदाइअ् सनाइअ् 273 जि.7)

मसअ्ला.8:— जनायत बहाइम यह क़ाइदा है कि जब जानवर अपनी जगह और इसी हालत पर रहा जिस पर खड़ा करने वाले ने खड़ा किया था तो मालिक इस के हर नुक़सान का ज़ामिन होगा और जानवर ने वह जगह और हालत बदलली तो मालिक इसके किसी नुक़सान का ज़ामिन नहीं है (बहरुर्राइक स.357जि.8)

मसअ्ला.9:— किसी शख़्स ने किसी को दरिन्दे के आगे फेंक दिया और दरिन्दे ने उसको फाड़ खाया तो फेंकने वाले पर दियत नहीं लेकिन उसको तअ्ज़ीर की जायेगी और तौबा करने तक क़ैद में रखा जायेगा। (बहरुर्राइक स.362 जि.8, तबईनुलहक़ाइक स.153 जि.6)

मसअ्ला.10:— अगर कोई शख़्स किसी आदमी पर सांप वग़ैरा डालदे और वह उसको काट ले तो यह ज़ामिन होगा। (मब्सूत स.5 जि.27)

मसअ्ला.11:— कोई शख़्स किसी के घर में गया इजाज़त से गया हो या बिला इजाज़त और साहिबे ख़ाना के कुत्ते ने उसको काट खाया तो साहिबे ख़ाना ज़ामिन नहीं है (बदाइअ् सनाइअ् 273 जि.7 मब्सूत स.5 जि.27)

बाबुल'क़सामात

मसअ्ला.1:— क़सामत का मतलब यह है कि किसी जगह मक़तूल पाया जाये और क़ातिल का पता न हो और औलिया–ए–मक़तूल अहले मह़ल्ला पर क़त्ले अ़मद या क़त्ले ख़ता का दअ्वा करें और अहले मह़ल्ला इन्कार करें तो इस मह़ल्ले के पचास आदमी क़सम खायें कि न हमने उसको क़त्ल किया है और न हम क़ातिल को जानते हैं और यह क़सम खाने वाले आक़िल, बालिग़, आज़ाद मर्द हों। (हिन्दिया स.77 जि.6)

क़सामत वाजिब होने के लिये चन्द शराइत:—

1–मक़तूल के जिस्म पर ज़ख़्म या ज़र्ब के निशानात या गला घोंटने की अ़लामत पाई जायें या ऐसी जगह से ख़ून बहे जहाँ से आदतन नहीं निकलता मस्लन आँख, कान। (क़ाज़ीख़ाँ अ़लल्हिन्दिया स.452 जि.3)
(फ़त्हुल'क़दीर स. 390 जि.8, बदाइअ् सनाइअ् स.287 जि.7, मब्सूत स.114 जि.26)

2–क़ातिल का पता न हो।

3–मक़तूल इन्सान हो। (बदाइअ् सनाइअ् स.288 जि.7)

4–मक़तूल के औलिया दअ्वा करें। (बदाइअ् सनाइअ् स.289 जि.7)

5–अहले मह़ल्ला क़त्ल करने का इनकार करें। (आलमगीरी स.77 जि.9, शामी स.549 जि.5)

6–मुद्दई क़सामत का मुतालबा करे। (बदाइअ् सनाइअ् स.289 जि.7)

7–जिस जगह मक्तूल पाया गया वह किसी शख़्स की मिल्कियत हो या किसी के क़ब्ज़े में हो या महल्ले में पाया जाये या आबादी के इतना क़रीब पाया जाये कि वहाँ की आवाज़ बस्ती में सुनी जा सके। (शामी स.553 जि.5 आलमगीरी स.80 जि.6)
8–मक्तूल ज़मीन के मालिक या क़ाबिज़ का मम्लूक न हो। (हिन्दिया स.77 जि.6, शामी स.549 जि.5)

मसअ्ला.2:– अगर किसी जगह ऐसा मुर्दा पाया जाये कि उसपर ज़र्ब (मार) का निशान न हो या उसके मुँह या नाक या पेशाब व पाखाना के मक़ाम से खून बह रहा हो या उसके गले में सांप लिपटा हुआ हो तो वहाँ के लोगों पर कसामत व दियत कुछ नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.551 जि.5)

मसअ्ला.3:– क़सामत का हुक्म यह कि अगर मक्तूल के औलिया ने क़त्ले अमद का दअ्वा किया है और अहले महल्ला ने क़सम खाई कि न उन्होंने क़त्ल किया है न उनको क़ातिल का इल्म है तो अहले महल्ला पर दियत लाज़िम होगी और अगर औलिया–ए–मक्तूल ने क़त्ले ख़ता का दअ्वा किया है और अहले महल्ला ने क़सम खाली तो अहले महल्ला के आक़िला पर दियत लाज़िम होगी जिसको लोग तीन साल में अदा करेंगे और इनकार की सूरत में उनको क़ैद किया जायेगा हत्ता कि क़सम खायें। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.550 जि.5, फ़त्हुल क़दीर स.388 जि.8)

मसअ्ला.4:– किसी महल्ला में मक्तूल पाया जाये और उसके औलिया तमाम या बाज़ अहले महल्ला पर दअ्वा करें कि उन्होंने इसको अमदन या ख़ताअ्न क़त्ल किया है और अहले महल्ला इनकार करें तो उनमें से पचास आदमियों से इस तरह क़स्म ली जायेगी कि हर आदमी अल्लाह की क़स्म खाकर यह कहे कि न मैंने उसको क़त्ल किया है न मैं क़ातिल को जानता हूँ अगर वहाँ की आबादी में पचास से ज़्यादा मर्द हैं तो उनमें से पचास के इन्तिख़ाब का हक़ मक्तूल के औलिया को है अगर पचास से कम मर्द हैं तो उनसे क़स्म की तकरार कराकर पचास के अदद को पूरा किया जायेगा। (क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.451 जि.3, आलमगीरी स.77 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.550 जि.5)

मसअ्ला.5:– मुद्दई से इस बात की क़स्म नहीं ली जायेगी कि अहले महल्ला ने क़त्ल किया है ख़्वाह ज़ाहिरी हालात मुद्दई की ताईद में हों मसलन मक्तूल और अहले महल्ला की दरम्यान खुली दुश्मनी थी या ज़ाहिरी हालात मुद्दई की ताईद में न हों मसलन मक्तूल और अहले महल्ला के दरम्यान खुली अदावत का कोई सुबूत न हो(आलमगीरी स.77 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.55 जि.5.)

मसअ्ला.6:– अगर औलिया–ए–मक्तूल यह दअ्वा करें कि अहले महल्ला में से फ़ुलाँ फ़ुलाँ अश्ख़ास ने क़त्ल किया है या बिग़ैर मुअय्यन किये यूँ कहें कि अहले महल्ला में से बाज़ लोगों ने क़त्ल किया है जब भी क़सामत व दियत का वही हुक्म है जो ऊपर मज़कूर हुआ।(आलमगीरी स.77 जि.6)

मसअ्ला.7:– अगर वली मक्तूल ने यह दअ्वा किया कि अहले महल्ला के ग़ैर किसी शख़्स ने क़त्ल किया है तो अहले महल्ला पर क़सामत व दियत कुछ नहीं है बल्कि मुद्दई से गवाह तलब किये जायेंगे अगर गवाह पेश कर दिये तो इस का दअ्वा साबित होजायेगा और अगर गवाह न हों तो मुद्दआ अलैहि से एक मरतबा क़सम ली जायेगी। (आलमगीरी स.77 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी 552 जि.8)

मसअ्ला.8:– औलिया–ए–मक्तूल को यह इख़्तियार है कि जिस ख़ानदान के दरम्यान मक्तूल पाया जाये उस ख़ानदान के या जिस महल्ला में पाया जाये तो उस महल्ला के सालेहीन को क़स्म खाने के लिये मुन्तख़ब करें। अगर सालेहीन की तअ्दाद पचास से कम हो तो वह बाक़ी लोगों में से मुन्तख़ब करके पचास पूरे करलें वली को यह भी इख़्तियार है कि वह उन में से जवानों को या फ़ुस्साक़ को क़सम खाने के लिए मुन्तख़ब करलें। यह इख़्तियार सिर्फ़ वली को है इमाम को नहीं है(आलमगीरी स.77 जि.6)

मसअला.9:– क़सामत में बच्चा और पागल और औरत और ग़ुलाम दाख़िल नहीं हैं लेकिन अन्धा और महदूद फ़िल क़ज़फ़ और काफ़िर क़सामत में दाख़िल हैं।(आलमगीरी स.77 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी 551 जि.5)

मसअ्ला.10:– जिस जगह मक्तूल का पूरा जिस्म या जिस्म का अकसर हिस्सा या निस्फ़ हिस्सा बशर्ते कि उसके साथ सर भी पाया जाये तो उस जगह के लोगों पर क़सामत व दियत है और अगर लम्बाई में से चिरा हुआ निस्फ़ पाया जाये या बदन का निस्फ़ से कम हिस्सा पाया जाये अगर्चे अर्ज़न (चौड़ाई में) हो और उसके साथ सर भी हो या सिर्फ़ हाथ या पैर या सर पाया जाये तो क़सामत व दियत कुछ नहीं है। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स. 549 जि.5, क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.453 जि.3)

मसअला.11:– अगर किसी महल्ले में कोई मुर्दा बच्चा ताम्मुल'ख़िलक़त (यानी उसके जिस्म के हिस्से मुकम्मल बन चुके हों) या नाक़िसुल'ख़िलक़त (यानी जिस्म के हिस्से मुकम्मल नहीं बने हों) पाया जाये और उसपर ज़र्ब के कुछ निशानात न हों तो अहले महल्ला पर कुछ नहीं है और अगर ज़र्ब के निशानात हों और बच्चा ताम्मुल'ख़िल्क़त हो तो क़सामत व दियत वाजिब है और अगर नाक़िसुल'ख़िल्क़त हो तो कुछ नहीं है। (आलमगीरी स.78 जि.6 दुर्रेमुख़्तार व शामी स.552 जि.5)

मसअला.12:– अगर किसी के मकान में मक़तूल पाया जाये और साहिबे ख़ाना के आक़िला भी वहाँ मौजूद हों तो क़सामत में सब शरीक होंगे और अगर उसके आक़िला वहाँ मौजूद न हों तो घर वाला ही पचास मरतबा क़सम खायेगा और दियत दोनों सूरतों में आक़िला पर होगी। (आलमगीरी स.78 जि.6)

मसअला.13:– अगर किसी महल्ला में मक़तूल पाया जाये और अहले महल्ला दअ़वा करें कि महल्ला के बाहर के फ़ुलां शख़्स ने इसको क़त्ल किया है और उस महल्ले के बाहर के दो गवाह भी इस पर शहादत दें तो अहले महल्ला क़सामत व दियत से बरी होजायेंगे। वली–ए–मक़तूल ने यह दअ़वा किया हो या न किया हो। (आलमगीरी स.79 जि.6)

मसअला.14:– अगर वली–ए–मक़तूल दअ़वा करे कि जिस महल्ले में मक़तूल पाया गया है और उस महल्ले के बाहर रहने वाले फ़ुलाँ शख़्स ने उसके आदमी को क़त्ल किया है तो वली को अपना दअ़वा गवाहों से साबित करना होगा। वरना मुद्दआ'अ़लैहि से एक मरतबा क़स्म ली जायेगी अगर वह क़स्म खाले तो बरीयुज़्ज़म्मा होजायेगा और अगर क़सम से इन्कार करे और दअ़वा क़त्ले ख़ता का हो तो दियत लाज़िम होगी और अगर दअ़वा क़त्ले अ़मद का था तो क़ैद किया जायेगा यहाँ तक कि क़त्ल का इक़रार करे या क़सम खाये या भूका मरजाये। (दुर्रेमुख़्तार स.522 जि.5)

मसअला.15:– किसी महल्ला या क़बीले में कोई शख़्स ज़ख़्मी किया गया वहाँ से वह ज़ख़्मी हालत में दूसरे महल्ले में मुन्तक़िल किया गया और इसी वजह से साहिबे फ़राश रहकर मरगया तो क़सामत और दियत पहले महल्ले वालों पर है। (आलमगीरी स.79 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.558 जि.5)

मसअला.16:– अगर तीन मुख़्तलिफ़ क़बाइल के लोगों को कोई ख़ित्ता ज़मीन अलार्ट किया गया वहाँ उन्होंने मकानात या मस्जिद बनाई और उस आबादी या मस्जिद में कोई मक़तूल पाया गया तो दियत तीन क़बीलों पर लाज़िम होगी हर क़बीले पर एक तिहाई अगर्चे उनके अफ़राद की तअ़दाद कम व बेश हो यहाँ तक कि अगर किसी क़बीले का सिर्फ़ एक ही शख़्स हो तो उस पर भी एक तिहाई दियत लाज़िम होगी और यह दियत उन सब के आक़िला अदा करेंगे। (आलमगीरी स69 जि.60)

मसअला.17:– अगर किसी बाज़ार या मस्जिद में कोई मक़तूल पाया जाये और वह मस्जिद व बाज़ार हुकूमत की मिल्क में हैं तो उसकी दियत बैतुल'माल से अदा की जायेगी। (आलमगीरी स.79 जि.6)

मसअला.18:– अगर शारेअ़ आ़म पर या पुल पर मक़तूल पाया जाये तो उसकी दियत बैतुल'माल से अदा की जायेगी। (आलमगीरी स.80 जि.6, दुर्रेमुख़्तार व शामी स.556 जि.5, बहरुर्राइक़ स.397 जि.8)

मसअला.19:– मस्जिदे ह़राम या मैदाने अ़रफ़ात में अज़दहाम (भीड़) के बिग़ैर कोई मक़तूल पाया जाये तो उसकी दियत भी क़सामत के बिग़ैर बैतुल'माल से अदा की जायेगी। (आलमगीरी स.80 जि.6)

मसअला.20:– अगर किसी ऐसी ज़मीन या मकान में मक़तूल पाया जाये जिसको मुअ़य्यन लोगों पर वक़्फ़ किया गया था तो क़सामत व दियत उन्हीं लोगों पर है जिन पर वक़्फ़ किया गया है और अगर मस्जिद पर वक़्फ़ किया गया था तो उसका हुक्म मक़तूल फ़िल'मस्जिद का है।(आलमगीरी स.80 जि.6)

मसअला.21:– अगर किसी ऐसे गाँव में मक़तूल पाया जाये जो ज़िम्मी कुफ़्फ़ार और मुसलमानों की मिल्कियत है तो क़सामत अदा करेंगे और कुफ़्फ़ार पर जितना हिस्सा लाज़िम होगा अगर उनके आक़िला हों तो उनके आक़िला अदा करेंगे वरना उनके माल से वसूल किया जायेगा।(आलमगीरी)

मसअला.22:– अगर दो महल्लों या दो गाँवों के दरम्यान मक़तूल पाया जाये और यहाँ से दोनों जगह आवाज़ पहुँचती हो तो जिस आबादी का फ़ासिला कम होगा उस आबादी के लोगों पर क़सामत व दियत है और अगर किसी जगह आवाज़ नहीं पहुँचती है तो किसी पर कुछ नहीं है।

मसअला.23:– अगर दो बस्तियों के दरम्यान मक़तूल पाया जाये और दोनों जगहों का फ़ासिला वहाँ से बराबर हो और दोनों जगह आवाज़ पहुँचती हो तो दोनों बस्तियों वालों पर दियत

निस्फ़–निस्फ़ होगी अगर्चे उनके अफ़राद की तअ्दाद मुख़्तलिफ़ हो।(आलमगीरी स80 जि.6)

मसअ्ला.24:– अगर किसी शख़्स के घर में मक़तूल पाया जाये तो उसके आक़िला उस वक़्त दियत अदा करेंगे जब गवाहों से यह साबित कर दिया जाये कि यह घर उसकी मिल्कियत है(आलमगीरी)

मसअ्ला.25:– अगर किसी शख़्स के घर में मक़तूल पाया जाये और उस घर में मालिक के ग़ुलाम या आज़ाद मुलाज़िम रहते हों तो क़सामत व दियत घर के मालिक पर होगी मुलाज़िमीन या ग़ुलामों पर नहीं। (आलमगीरी स.80 जि.6)

मसअ्ला.26:– मिल्के मुश्तरक में अगर क़तील (मक़तूल) पाया जाये तो सब मालिकों पर दियत बराबर–बराबर लाज़िम होगी जिसको उनके अवाक़िल अदा करेंगे अगर्चे मिल्क में उनके हिस्से कम व बेश हों। (आलमगीरी स.80 जि.6 क़ाज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.452 जि.3)

मसअ्ला.27:– अगर किसी ऐसे शख़्स के घर में मक़तूल पाया जाये जिसकी शहादत मक़तूल के हक़ में मक़बूल नहीं होती है या औरत अपने शौहर के घर में मक़तूल पाई जाये तो उन सूरतों में भी क़सामत व दियत लाज़िम होगी और मालिक मकान मीरास से महरूम नहीं होगा(बहरुर्राइक स.394 जि.8)

मसअ्ला.28:– अगर किसी ऐसी औरत के घर में मक़तूल पाया जाये जो ऐसे शहर में रहती है कि वहाँ उसका कोई रिश्तेदार नहीं रहता तो उस औरत से पचास मरतबा क़सम ली जायेगी उसके बाद उसके क़रीब तरीन रिश्तेदोरों पर दियत लाज़िम होगी अगर उस के रिश्तेदार भी उस शहर में रहते हैं तो वह भी औरत के साथ क़सामत में शरीक होंगे। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.559 जि.5)

मसअ्ला.29:– अगर किसी बच्चे या पागल के घर में मक़तूल पाया जाये तो बच्चे और पागल से क़सम नहीं ली जायेगी बल्कि उनके आक़िला से क़स्म भी ली जायेगी और दियत भी ली जायेगी।

मसअ्ला.30:– अगर यतीमों के घर में मक़तूल पाया जाये या उनके महल्ले में पाया जाये तो उन यतीमों में जो बालिग़ है उस से क़सम ली जायेगी और दियत सब के आक़िला पर होगी और अगर उन में से कोई बालिग़ नहीं तो क़सामत व दियत दोनों सब के आक़िला पर वाजिब हैं।(मब्सूत स.121 जि.26)

मसअ्ला.31:– अगर किसी ज़िम्मी के घर में मक़तूल पाया जाये तो उनसे पचास मरतबा क़सम ली जायेगी उसके बाद अगर उन ज़िम्मियों में यह रिवाज है कि दियत उनके आक़िला अदा करते हैं तो उनके आक़िला से दियत वुसूल की जायेगी वरना उसके माल से अदा की जायेगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.32:– **(अ)**अगर किसी क़ौम की ममलूका छोटी नहर में मक़तूल पाया जाये तो उस नहर के मालिकों पर क़सामत और उनके आक़िला पर दियत वाजिब है। (आलमगीरी अज़ ज़ख़ीरा स.82 जि.6)

मसअ्ला.32:– **(ब)**अगर किसी बड़ी बहती हुई नहर में मक़तूल बहता हुआ पाया जाये और वह नहर दारुल'इस्लाम से निकली है तो बैतुल'माल से दियत अदा की जायेगी और अगर वह नहर दारुलहर्ब से निकली है तो उसका ख़ून रायगाँ जायेगा। और अगर लाश नहर के किनारे पर अटकी हुई है और उस किनारे के इतनी क़रीब कोई आबादी है जहाँ तक उस जगह की आवाज़ पहुँच सकती है तो उस आबादी वालों पर दियत वाजिब होगी और अगर वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच सकती तो बैतुल'माल से दियत अदा की जायेगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.33:– अगर किसी बड़ी कश्ती में मक़तूल पाया जाये तो उस कश्ती के सवारों पर क़सामत व दियत है जिसमें मल्लाह, मुसाफिर और अगर उस में मालिक भी हो तो वह भी दाख़िल है और छगड़े (दो पहियों की गाड़ी जिस में बैल जोते जाते हैं) का हुक्म भी यही है। (आलमगीरी स.83 जि.6)

मसअ्ला.34:– अगर किसी जानवर की पीठ पर मक़तूल पाया जाये और उस जानवर का कोई साइक़ (हांकने वाला) या क़ाइद (आगे से जानवर चलाने वाला) या उस पर कोई सवार है तो दियत उसी पर है और अगर साइक़ व क़ाइद व राकिब तीनों हैं तो तीनों पर बराबर–बराबर दियत वाजिब होगी और अगर जानवर अकेला है तो क़सामत व दियत इस मंहल्ले के लोगों पर है जहाँ उस जानवर पर मक़तूल पाया गया है। (आलमगीरी स.82 जि.6)

मसअ्ला.35:– अगर दो आबादियों के दरम्यान किसी जानवर पर मक़तूल पाया जाये और जानवर अकेला हो तो जिस बस्ती तक आवाज़ पहुँच सकती हो उसके रहने वालों पर और अगर दोनों जगह आवाज़ पहुँचती हो तो दोनों बस्तियों में क़रीब वाली के बाशिन्दों पर क़सामत व दियत वाजिब

होगी। (आलमगीरी स.82 जि.6, दुर्रेमुख्तार व शामी स.553 जि.5)

मसअ्ला.36:– अगर किसी की उफ्तादा ज़मीन में मक्तूल पाया जाये तो ज़मीन के मालिक और उसके कबीले वालों पर कसामत व दियत है और अगर वह ज़मीन किसी की मिल्कियत नहीं है और उसके इतने करीब कोई आबादी है जिसमें वहाँ की आवाज़ सुनी जा सकती है तो उस आबादी वालों पर कसामत व दियत वाजिब होगी और अगर उसके करीब कोई आबादी नहीं है या आबादी इस कद्र दूर है वहाँ की आवाज़ उस अबादी तक नहीं पहुँचती है तो अगर उस ज़मीन से मुसलमान कोई फायदा उठाते हैं मस्लन वहाँ से लकड़ी या घास काटते हैं या वहाँ जानवर चराते हैं तो बैतुल'माल से दियत अदा की जायेगी और अगर वह ज़मीन इन्तिफाअ् (फायदा उठाने के लायक) के काबिल ही नहीं है तो मक्तूल का खून रायगाँ जायेगा।(दुर्रेमुख्तार व शामी स.554 जि.5, बहरुर्राइक स.282 जि.8)

मसअ्ला.37:– अगर किसी पुल पर मक्तूल पाया जाये तो उस की दियत बैतुल'माल से अदा की जायेगी और अगर शहर के इर्द गिर्द की खन्दक में मक्तूल पाया जाये तो उसका हुक्म शारेअ् आम पर पाये जाने वाले मक्तूल का सा है।(आलमगीरी अज़ मुहीत सर्खसी स.82 जि.6)

मसअ्ला.38:– मुसलमान लश्कर किसी मुबाह ज़मीन में जो किसी शख्स की मिल्कियत न थी पड़ाव डाले हुए था उनमें से किसी लश्करी के खेमे में मक्तूल पाया जाये तो उस खेमे वालों पर दियत व कसामत है और अगर खेमे में बाहर पाया जाये तो लश्करियों के कबाइल अलग अलग ठहरे हों तो जिस कबीले में पाया जायेगा उस कबीले पर दियत व कसामत है और अगर दो कबीलों के दरम्यान पाया जाये तो करीब वाले कबीले पर कसामत व दियत है और अगर दोनों का फासिला बराबर हो तो दोनों पर कसामत व दियत है।(आलमगीरी स.82 जि.6, दुर्रेमुख्तार व शामी स.560 जि.5)

मसअ्ला.39:– अगर लश्करियों के कबीले मिले जुले ठहरे हों और मक्तूल किसी के खेमे में पाया गया तो सिर्फ उस खेमे वालों पर ही कसामत व दियत वाजिब होगी और खेमें से बाहर पाया जाये तो सब लश्कर पर कसामत व दियत वाजिब होगी।(दुर्रेमुख्तार व शामी स.561 जि.5, बहरुर्राइक स.394 जि.8)

मसअ्ला.40:– मुसलमानों का लश्कर किसी की मम्लूका ज़मीन में पड़ाव डाले हुए था तो हर सूरत में ज़मीन के मालिक पर कसामत व दियत वाजिब है। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.82 जि.6)

मसअ्ला.41:– अगर मुसलमान लश्कर का काफिरों से मुकाबला हुआ फिर वहाँ कोई मुसलमान मक्तूल पाया गया तो किसी पर कसामत व दियत नहीं और अगर दो मुसलमान गिरोहों में मुकाबला हुआ और उनमें से एक गिरोह बागी और दूसरा हक पर था और जो मक्तूल पाया गया वह अहले हक की जमाअत का था तो किसी पर कुछ नहीं। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.82 जि.6)

मसअ्ला.42:– अगर किसी मुकफ्फल मकान में मक्तूल पाया जाये तो घर के मालिक पर कसामत व दियत है। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.82 जि.6, शामी स.555 जि.5, बहरुर्राइक स.395 जि.8)

मसअ्ला.43:– अगर कोई शख्स अपने बाप या माँ के घर में मक्तूल पाया जाये या बीवी शौहर के घर में मक्तूल पाई जाये तो इस में कसामत है और दियत आकिला पर है मगर मालिक मकान मीरास् से महरूम नहीं होगा। (काजीखाँ अलल्हिन्दिया स.453 जि.3)

मसअ्ला.44:– अगर किसी वीरान महल्ले में जिस में कोई शख्स नहीं रहता है मक्तूल पाया जाये तो उसके इतने करीब की आबादी पर कसामत व दियत वाजिब है जहाँ तक वहाँ की आवाज़ पहुँचती हो। (बहरुर्राइक स.394 जि.8)

मसअ्ला.45:– अगर किसी जगह दो गिरोहों में असबियत की वजह से तलवार चली फिर उन लोगों के मुतफर्रिक होजाने के बाद वहाँ कोई मक्तूल पाया गया तो अहले महल्ला पर कसामत व दियत है मगर जब वली मक्तूल उन मुताहारेबीन पर या उन में से किसी मुअय्यन शख्स पर कत्ल का दअ्वा करे तो अहले महल्ला बरी होजायेंगे और मुतहारेबीन के खिलाफ गैर अहले महल्ला में से दो गवाह अगर इस बात की गवाही दें कि मुद्दआ'अलैहिम ने कत्ल किया है तो किसास या दियत वाजिब होगी वरना वह भी बरी होजायेंगे। (दुर्रेमुख्तार व शामी स.558 जि.5, बहरुर्राइक स.395 जि.8)

मसअ्ला.46:– अगर किसी का जानवर किसी जगह मुर्दा पाया जाये तो इस में कुछ नहीं है।(आलमगीरी)

मसअ्ला.47:– अगर जेलखाने में कोई मक्तूल पाया जाये तो उसकी दियत बैतुल'माल से अदा की

जायेगी। (हिदाया स.625 जि.4 काजीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.452 जि.3)

मुतफ़र्रिक़ात

मसअ्ला.1:– अगर किसी शख़्स को अमदन ज़ख़्मी किया गया उसने दो आदमियों को गवाह बनाकर यह कहा कि फुलां शख़्स ने मुझे ज़ख़्मी नहीं किया है उसके बाद वह मरगया तो इस में अगर क़ाज़ी और आम लोगों को यह माअ्लूम है कि उसी शख़्स ने ज़ख़्मी नहीं किया है तो उन गवाहों की शहादत मक़बूल नहीं है और अगर किसी को यह मालूम न हो कि उस शख़्स ने ज़ख़्मी किया है तो यह शहादत सहीह है और अगर औलियाए मक़तूल गवाहों से इसी शख़्स के ज़ख़्मी करने का सुबूत फ़राहम करदें तो यह भी क़बूल नहीं किया जायेगा। (आलमगीरी स.87 जि.6)

मसअ्ला.2:– अगर किसी ज़ख़्मी ने यह इक़रार किया कि फुलाँ शख़्स ने मुझे ज़ख़्मी किया है फिर वह मर गया और औलिया ने गवाहों से किसी दूसरे को ज़ख़्मी करने वाला साबित किया तो यह गवाही मक़बूल नहीं होगी। (आलमगीरी स.87जि.6)

मसअ्ला.3:– अगर किसी ज़ख़्मी ने यह इक़रार किया कि फुलाँ ने मुझे ज़ख़्मी किया है फिर मरगया फिर मक़तूल के एक लड़के ने इस बात पर गवाह पेश किये कि मक़तूल के दूसरे लड़के ने इस को ख़ताअ्न ज़ख़्मी किया था तो यह शहादत मक़बूल होगी। (आलमगीरी स. 87 जि.6)

मसअ्ला.4:– अगर कोई सवारी किसी राहगीर से पीछे की तरफ़ आकर टकराये और सवार मरगया तो राहगीर पर इसका ज़मान नहीं है और राहगीर मरगया तो सवार पर इसका ज़मान है कश्तियों की टक्कर की सूरत में भी यही हुक्म है। (काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.444 जि.3 आलमगीरी स.88 जि.6)

मसअ्ला.5:– अगर दो जानवर आपस में टकरा गये और एक मरगया और दोनों के साथ उनके साइक़ थे तो दूसरे पर ज़मान वाजिब है। (काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.444 जि.3)

मसअ्ला.6:– अगर दो ऐसे सवार आपस में टकरा गये कि एक ठहरा हुआ था और दूसरा चल रहा था और इसी तरह दो आदमी आपस में टकरा गये कि एक चल रहा था और दूसरा खड़ा हुआ था और ठहरे हुए को कुछ सदमा पहुँचा तो इस का तावान चलने वाले पर वाजिब होगा।(आलमगीरी स.88जि.6)

मसअ्ला.7:– कोई शख़्स रास्ते में सो रहा था कि एक राहगीर ने उसको कुचल दिया और दोनों की एक एक उंगली टूट गई तो चलने वाले पर तावान है सोने वाले पर कुछ नहीं है और अगर उन में से कोई मरजाये इस हाल में कि एक दूसरे के वारिस् हों तो सोने वाला चलने वाले का तर्का पाये मगर चलने वाला सोने वाले का तर्का नहीं पायेगा। (काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.444 जि.3)

मसअ्ला.8:– दो शख़्स किसी दरख़्त को खींच रहे थे कि वह उन पर गिर पड़ा जिस से वह दोनों मरगये हर एक के आक़िला पर दूसरे की निस्फ़ दियत है और अगर उन में से कोई एक मरगया तो दूसरे के आक़िला पर निस्फ़ दियत है। (काज़ीख़ाँ अलल्हिन्दिया स.444 जि.3 आलमगीरी स.90 जि.6)

मसअ्ला.9:– अगर किसी ने किसी का हाथ पकड़ा और उसने अपना हाथ खींचा और हाथ खींचने वाला गिरकर मर गया तो अगर पकड़ने वाले ने मुसाफ़ा करने के लिये पकड़ा था तो कोई ज़मान नहीं है और अगर उस के मोड़ने और ईज़ा देने के लिये पकड़ा था तो पकड़ने वाला इस की दियत का ज़ामिन है और अगर पकड़ने वाले का हाथ टूट गया तो हाथ खींचने वाला ज़ामिन नहीं है(आलमगीरी)

मसअ्ला.10:– एक शख़्स ने दूसरे को पकड़ा और तीसरे शख़्स ने पकड़े हुए आदमी को क़त्ल कर दिया तो क़ातिल से क़िसास लिया जायेगा और पकड़ने वाले को क़ैद की सजा दी जायेगी।(आलमगीरी)

मसअ्ला.11:– किसी ने दूसरे को पकड़ा और तीसरे ने आकर पकड़े हुए का माल छीन लिया तो छीनने वाला ज़ामिन है पकड़ने वाला ज़ामिन नहीं(आलमगीरी स.88 जि.6)

मसअ्ला.12:– कोई शख़्स किसी के कपड़े पर बैठ गया कपड़े वाले को इल्म न था वह खड़ा हो गया जिसकी वजह से कपड़ा फट गया तो बैठने वाला कपड़े की निस्फ़ कीमत का ज़ामिन होगा(आलम)

मसअ्ला.13:– अगर किसी ने अपने घर में लोगों को दअ्वत दी और उन लोगों के चलने या बैठने से फ़र्श या तकिया फट गया तो यह ज़ामिन नहीं हैं और अगर किसी बर्तन को उनमें से किसी ने कुचल दिया या ऐसे कपड़े को जो बिछाया नहीं जाता है कुचल कर ख़राब कर दिया तो ज़ामिन होंगे और अगर उनके हाथ से गिरकर कोई बर्तन टूट गया तो ज़ामिन नहीं हैं और अगर मेहमानों में

से किसी की तलवार लटकी हुई थी और इससे फ़र्श फट गया तो ज़ामिन नहीं।(आलमगीरी स.88 जि.7)

मसअला.14:– अगर साहिबे ख़ाना ने मेहमानों को बिस्तर पर बैठने की इजाज़त दी और वह बैठ गये बिस्तर के नीचे साहिबे ख़ाना का छोटा बच्चा लेटा हुआ था उनके बैठने से वह कुचलकर मर गया तो मेहमान उस की दियत का ज़ामिन है इसी तरह अगर बिस्तर के नीचे शीशे वग़ैरा के बर्तन थे वह टूट गये तो मेहमान को तावान देना होगा। (आलमगीरी अज़ ज़ख़ीरा स.88 जि.6)

मसअला.15:– अगर किसी ने किसी सोये हुए आदमी की फ़स्द खोलदी जिस से इतना ख़ून बहा कि सोने वाला मरगया तो फ़स्द खोलने वाले पर क़िसास वाजिब है। (आलमगीरी अज़ कुन्निया स.88 जि.6)

मसअला.16:– अगर किसी ने यह कहा कि मैंने फ़ुलाँ शख़्स को क़त्ल किया है लेकिन अमदन या ख़ताअन कुछ नहीं कहा तो उसके अपने माल से दियत अदा की जायेगी। (आलमगीरी स.88 जि.6)

मसअला.17:– अगर किसी ने किसी को हाथ या पैर से मारा और वह मरगया तो यह शुब्ह अमद कहलायेगा और अगर तम्बीह के लिये किसी ऐसी चीज़ से मारा था जिस से मरने का अन्देशा नहीं था मगर मरगया तो क़त्ले ख़ता कहलायेगा और अगर मारने में मुबालग़ा किया था तो यह भी शुब्ह कहलायेगा। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.88 जि.6)

मसअला.18:– अगर किसी ने किसी को तलवार मारने का इरादा किया जिसको मारना चाहता था उसने तलवार हाथ से पकड़ली तलवार वाले ने तलवार खींची जिस से पकड़ने वाले की उंगलियाँ कट गई तो अगर जोड़ से कट गई हैं तो क़िसास लिया जायेगा और अगर जोड़ के इलावा किसी जगह से कटी हैं तो दियत लाज़िम होगी। (आलमगीरी अज़ ज़ख़ीरा स.89 जि.6)

मसअला.19:– अगर किसी के दांत में दर्द हो और वह दांत मुअय्यन करके डाक्टर से कहे कि इस दांत को उखेड़दो और डाक्टर दूसरा दांत उखेड़दे फिर दोनों में इख़्तिलाफ़ होजाये तो मरीज़ का क़ौल हल्फ़ (क़सम) के साथ मोअतबर होगा और डाक्टर के माल में दियत लाज़िम होगी।(आलमगीरी स.89 जि.6)

मसअला.20:– अगर दो आदमी किसी तीसरे का दांत ख़ताअन तोड़दें तो दोनों के माल से दियत अदा की जायेगी। (आलमगीरी अज़ कुन्निया स.86 जि.6)

मसअला.21:– अगर किसी ने हस्बे मअमूल अपने घर में आग जलाई इत्तिफ़ाक़न इससे उसका और उसके पड़ोसी का घर जल गया तो यह ज़ामिन नहीं होगा।(आलमगीरी अज़ फ़ुसूले इमादिया स.89 जि.6)

मसअला.22:– अगर किसी ने अपने घर के तन्नूर में गुन्जाइश से ज़्यादा लकड़ियाँ जलाईं जिस से उसका और उसके पड़ोसी का घर जल गया तो यह ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ मुहीत स.89 जि.6)

मसअला.23:– अगर किसी ने अपने लड़के को अपनी ज़मीन में आग जलाने का हुक्म दिया लड़के ने आग जलाई जिस से चिंगारियाँ उड़कर पड़ोसी की ज़मीन में गईं जिस से उसका कोई नुक़सान होगया तो बाप ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज़ कुन्निया स.89 जि.6)

मसअला.24:– अगर किसी समझदार बच्चे ने किसी की बकरी पर कुत्ता दौड़ा दिया जिस से बकरी भाग गई और ग़ाइब होगई तो यह बच्चा ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी अज़ कुन्निया स.90 जि.6)

मसअला.25:– किसी ने अपने जानवर को देखा कि दूसरे का ग़ल्ला खा रहा था और उसको ग़ल्ला खाने से नहीं रोका तो नुक़सान का ज़ामिन होगा। (आलमगीरी स.90 जि.6)

मसअला.26:– किसी का जानवर दूसरे के खेत में घुसकर नुक़सान कर रहा हो तो अगर जानवर के मालिक के खेत में जानवर को निकालने के लिये घुसने से भी नुक़सान होता है मगर जानवर को न निकाला जाये तो ज़्यादा नुक़सान का ख़तरा है तो घुसकर जानवर को निकालना वाजिब है और उसके खेत में घुसने से जो नुक़सान होगा उसका ज़ामिन भी यही होगा और अगर जानवर किसी दूसरे का हो तो उसका निकालना वाजिब नहीं फिर भी अगर निकाल रहा था कि जानवर हलाक होगया तो जानवर की क़ीमत का यह ज़ामिन नहीं होगा। (आलमगीरी स.90 जि.6)

मसअला.27:– अगर किसी के ख़ुस्यतैन पर किसी ने चोट मारी जिस से एक या दोनों ख़ुस्यतैन ज़ख़्मी होगये तो हुकूमते अद्ल है। (आलमगीरी अज़ कुन्निया स.90 जि.6)

मसअला.28:– अगर किसी ने किसी का मवेशी ख़ाना ग़सब करके उस में अपने जानवर बान्धे फिर उसके मालिक ने जानवरों को निकाल दिया तो अगर कोई जानवर गुम होगया तो मवेशी ख़ाने का

मालिक ज़ामिन होगा। (आलमगीरी अज जामेअ़ सगीर स.90 जि.6)

मसअ्ला.29:– अगर किसी बड़ी बहती हुई नहर में मक्तूल बहता हुआ पाया जाये और वह नहर दारुल'इस्लाम से निकली है तो बैतुल'माल से दियत अदा की जायेगी और अगर वह नहर दारुलहर्ब से निकली है तो उसका खून रायगाँ जायेगा और लाश नहर के किनारे पर अटकी हुई है और उस किनारे के इतने क़रीब कोई आबादी है जहाँ तक इस जगह की आवाज़ पहुँच सकती है तो उस आबादी वालों पर दियत वाजिब होगी और अगर वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच सकती तो बैतुल'माल से दियत अदा की जायेगी। (आलमगीरी अज़ ज़खीरा स.82 जि.6 दुर्रेमुख्तार व शामी स.557 जि.5)

मसअ्ला.30:– अगर किसी ने जानवर का हाथ या पैर काटकर उसे हलाक करदिया या जबह करदिया तो मालिक को इख्तियार है कि चाहे तो यह हलाक शुदा जानवर हलाक करने वाले को देदे और उससे क़ीमत वसूल करले या उस जानवर को अपने पास रखले और ज़मान वसूल करे(आलमगीरी [illegible])

आक़िला का बयान

मसअ्ला.1:– आक़िला वह लोग कहलाते हैं जो क़त्ले ख़ता या शुब्ह अ़मद में ऐसे क़ातिल की तरफ़ से दियत अदा करते हैं जो उनके मुतअ़ल्लिक़ीन में से हैं और यह दियत इसालतन वाजिब हुई हो और अगर वह दियत इसालतन वाजिब न हुई हो मस्लन क़त्ले अ़मद में क़ातिल ने औलियाए मक्तूल से माल पर सुलह करली हो तो क़ातिल के माल से अदा की जायेगी और अगर बाप ने अपने बेटे को अ़मदन क़त्ल करदिया हो तो गोया इसालतन क़िसास वाजिब होना चाहिए था मगर शुब्ह की वजह से क़िसास के बजाए दियत वाजिब होगी जो बाप के माल से अदा की जायेगी मज़कूरा बाला दोनों सूरतों में आक़िला पर दियत वाजिब न होगी(आलमगीरी स.83 जि.6)

मसअ्ला.2:– हुकूमत के मुख़्तलिफ़ महकमों के मुलाज़िमीन और ऐसी जमाअ़तें जिनको हुकूमत बैतुल'माल से सालाना, माहाना वज़ीफ़ा देती है या हम'पेशा जमाअ़तें एक शहर या एक क़स्बा या एक गाँव या एक मुहल्ले के लोग या एक बाज़ार के ताजिर जिन में यह मुआ़हिदा या रिवाज हो कि अगर उनके किसी फ़र्द पर कोई उफ़ताद(मुसीबत)पड़े तो सब मिलकर उसकी इआ़नत व मदद करते हैं तो वही फ़रीक़ इस क़ातिल का आक़िला होगा जिसका यह फ़र्द है और अगर उनमें इस क़िस्म का रिवाज नहीं है तो क़ातिल के आबाई रिश्तादार इसके आक़िला कहलायेंगे जिन में अलअक़रब फ़लअक़रब का उसूल जारी होगा और दियत की अदायगी में क़ातिल भी आक़िला के साथ शरीक होगा लेकिन इस ज़माने में चूंकि इस क़िस्म का रिवाज नहीं है और बैतुल'माल का निज़ाम भी नहीं है लिहाज़ा आज कल आक़िला सिर्फ़ क़ातिल के आबाई रिश्तेदार होंगे और अगर किसी शख़्स के आबाई रिश्तेदार भी न हों तो क़ातिल के माल से तीन साल में दियत अदा की जायेगी(आलमगीरी स.83 जि.6)

फ़ायदा:– आज कल कारख़ानों और मुख़्तलिफ़ इदारों में मुलाज़िमीन और मज़दूरों की यूनियन बनी हुई हैं जिनके मक़ासिद में भी यह शामिल है कि किसी मिम्बर पर कोई उफ़ताद (मुसीबत) पड़े तो यूनियन उसकी मदद करती है लिहाज़ा किसी यूनियन के मिम्बर के आक़िला के क़ाइम मक़ाम इसी यूनियन को माना जायेगा जिसका यह मिम्बर है।

وَالحمد لله على الائه والصلوة والسلام علىٰ افضل انبيائه و علىٰ اله و صحبه و اوليائه و علينا معهم ياارحم الراحمين
و اخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين.

हिन्दी अनुवाद

मुहम्मद अमीनुलक़ादरी बरेलवी

मो0:– 09219132423